राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १६६० का ४६वां दिवस [संख्या ३१

सोमवार, ११ अप्रेल, १६६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट. पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत, विकास, राजस्व, उद्योग, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, देवस्थान, समाज कल्याण तथा खनिज-विभाग]

सिरोही पॉवर हाउस द्वारा सिरोही में चौबीसों घण्टे पानी की सप्लाई

६२०. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Power Minister be pleased to state :-

1. Whether the Government is aware of the demand of the people of Sirohi for twenty-four hours power supply at Sirohi town by the Sirohi power House? If so, approximately by what time the Government intends to provide twenty-four hours electricity supply in Sirohi town?

2. Is the Government aware of the assurance of the Electricity Board to give twenty-four hours power to the people of Sirohi town?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : 1. The Government is aware that the Sirohi Power House is running for 16 hours. The running of the Power House round the clock will depend upon the load development in the area and installation of additional sets to meet it.

2. The assurance was and even today is that when the load demand justifies and sets are available a round clock supply will be ensured.

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Government aware that there is a great demand for connections but the Power House do not allow?

Page No.2

श्री हरिश्चन्द्र : The report that I have in front of me, indicates that the load demand uptill now has been 66 KW between 7-8 P. M. and the minimum is 15 KW at 4 A. M. with the result that the demand at the moment is not enough to justify a double set there.

श्री मोहब्बतसिंह : How many applications are lying pending before the Government for fresh connections ?

श्री हरिश्चन्द्र : That information is not with me at present.

प्रश्न संख्या ६२१.

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

अन्ता, जिला कोटा ब्लॉक के बी. डी.- ओ. श्री इन्द्रदेव सक्सेना का ग्राम-सेविका के साथ अभद्र व्यवहार

६२२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अन्ता, जिला कोटा ब्लॉक के बी. डी. ओ., श्री इन्द्रदेव सक्सेना ने सुश्री कमलादेवी, ग्राम सेविका के साथ बदचलनी की दृष्टि से बोहत पंचायत भवन में दिनांक १-१०-५६ को छेड़-छाड़ की ?

(२) क्या यह सही है कि सुश्री कमला देवी ने इसकी शिकायत सम्बन्धित उच्चाधिकारियों सहित जिलाधीश कोटा को भी की ?

(३) यदि हां, तो इन शिकायतों की जांच कब और किसके द्वारा कराई गई तथा उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

(४) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने भी इसकी जांच करना चाहा परन्तु जिलाधीश ने उनको जांच करने से मना कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) इस बारे में एक शिकायत कार्यवाहक विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त हुई थी।

(२) जी हां ।

(३) जांच जिलाधीश कोटा द्वारा स्वयं की गई थी। रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

(४) जिलाधीश ने मना नहीं किया था; किन्तु उन्होंने प्रधान, पंचायत समिति, अन्ता को यह जानकारी दे दी थी कि वे स्वयं जांच कर रहे हैं और जिन कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जानी थी वे पंचायत समिति में डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं और राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत पंचायत समिति द्वारा जांच करना उचित नहीं होगा।

Page No.3

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने भी जिलाधीश महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ जांच करके कागजात भेजे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि पंचायत समिति ने जांच करके कागजात जिलाधीश को भेजे हों लेकिन जांच करने के लिए कहा था और जैसा मैंने प्रश्न चार के उत्तर में कहा था कि पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत यह ठीक नहीं था इसलिए जिलाधीश ने स्वयं ने जांच की ।

श्री भैरोंसिंह : कानून के अन्तर्गत जांच नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी जांच करके सही मान कर जिलाधीश महोदय को रिपोर्ट की थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि जिलाधीश के पास पंचायत समिति ने रिपोर्ट भेजी या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : जिलाधीश महोदय ने जांच की रिपोर्ट सरकार के पास कब पेश कर दी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जांच की रिपोर्ट सरकार के पास में तो आई है लेकिन तिथि मैं अर्ज नहीं कर सकता । रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है और वह विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : इस रिपोर्ट के अनुसार शिकायत की गई थी वह गलत पाई गई है या सही ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्योंकि यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है, जिलाधीश ने, जो शिकायत की गई थी उसकी जांच करके रिपोर्ट दी है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके यह विचाराधीन होगी कि एक्शन क्या लिया जाय लेकिन एक्शन लेने के पहले शिकायत की गई थी वह सही थी या गलत ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सही थी ।

श्री भैरोंसिंह : जब शिकायत सही थी तो सरकार ने अब तक उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिपोर्ट आई है और जल्दी ही निर्णय ले लिया जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वही बी. डी. ओ. और ग्राम सेविका उसी ब्लॉक में अभी तक काम कर रहे हैं और इससे लोगों में बड़ा असन्तोष है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर सरकार जो भी उचित होगा जल्दी ही ऑर्डर देकर कार्यवाही करेगी ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कॉग्निज़ेबल है या नोनकॉग्नीज़ेबल है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

भूमिहीन किसानों को कृषि हेतु जमीन की उपलब्धि

१२३. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

Page No.4

(श्री शंकरलाल)

(१) सरकार ने भूमिहीन किसानों को खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिये क्या योजना बनाई है ?

(२) गत वर्ष में कहां कहां किस प्रकार भूमिहीन किसानों को सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराने में योग दिया गया और कितने भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाई गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) भूमिहीन किसानों को काश्त हेतु भूमि देने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए हुए हैं जिनके अनुसार भूमि दी जाती है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री शंकरलाल : जो सूची है उसके अनुसार भूमिहीन किसानों को भूमि दी गई तो कितने सहकारी समिति के किसानों को भूमि दी गई और कितने बिना सहकारी समिति के किसानों को भूमि दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची में दर्ज है ; लिखा हुआ है ।

श्री शंकरलाल : इसमें यह है कि सहकारी समितियां इतनी थीं । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सहकारी समिति के अन्तर्गत कितने किसानों को और बिना सहकारी समिति के कितने किसानों को भूमि अलॉट की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सहकारी समिति बनती हो इसलिए है, यह कयास करके चलना चाहिये कि सब भूमिहीन किसान हैं ।

श्री शंकरलाल : इसमें ६७,४७१ भूमिहीन किसान बताये तो कितने किसान सहकारी समितियों के अन्तर्गत हैं और कितने बिना सहकारी समितियों के जिनको भूमि अलॉट की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलग से आंकड़े मेरे पास नहीं है । सहकारी समिति की तादाद और जितनी भूमि अलॉट की गई वह दे दी । कितनी सहकारी समितियों में कितने सदस्य हैं, यह मैं नहीं कह सकता ।

प्रश्न संख्या ६२४.

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

नाइलोन फैक्ट्री, कोटा को सरकार द्वारा दिया गया ऋण

६२५. श्री **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) कोटा नाइलोन फैक्ट्री को कितना लोन किस तारीख को दिया गया ?

(ख) इस लोन के सम्बन्ध में सरकार ने किस किस प्रकार की कितनी कितनी

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

सिक्योरिटीज़ ली हैं ? कृपया सिक्योरिटीज़ का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(ग) इन सीक्योरीटीज़ में कितने और किस कीमत के शेयर हैं तथा किस किस प्रकार के कितने कितने शेयर हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) कोटा नायलोन फैक्ट्री को २० लाख रु० का लोन २ सितम्बर, १९५६ को जरिये दी बैंक ऑफ राजस्थान दिया गया।

(ख) उपरोक्त लोन के लिए सरकार ने एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार नीचे लिखी सिक्योरिटीज़ ली हैं:—

(१) शर्त २ के अनुसार ऋण प्राप्तकर्ता से ३४.३० लाख रुपये की निम्न प्रकार की सिक्योरीटीज़ ली हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:—

(क) जे. के. स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स २१,६५,८००) रु० की फेस वेल्यू के २१,६५८ ऑर्डिनेरी शेयर्स प्रत्येक शेयर १००) रु० फेस वेल्यू का है। इनकी मार्केट वेल्यू २४,१४,८६७) रु० मानी गई है।

(ख) जे. के. जूट मिल्स कं० लि० के ६,५७,०००) रु० की फेस वेल्यू के ६,५७० ऑर्डिनेरी शेयर्स। प्रत्येक शेयर १००) रु० का है। इनकी मार्केट वेल्यू १,५१,११०) रु० मानी गई है।

(ग) जे. के आयरन एण्ड स्टील कं० लि० के १,८८,०००) रु० की फेस वेल्यू के १,८८० ऑर्डिनेरी शेयर्स। प्रत्येक १००) रु० का। इनकी मार्केट वेल्यू ५,०१,६६०) रु० मानी गई है।

(घ) रेमन्ड वूलन मिल्स लि० के ६,२५,०००) रु० की फेस वेल्यू के ६,२५० ऑर्डिनेरी शेयर्स। प्रत्येक शेयर १००) रु० का है। इनकी मार्केट वेल्यू ३,६२,५००) रु० मानी गई है।

(२) शर्त २ (अ) के अनुसार सर पदमपत सिंघानिया की पर्सनल गारन्टी भी लेली गई है।

(ग) इसका उत्तर प्रश्न के 'ख' भाग में दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जितना लोन दिया गया और उस लोन के अगेन्स्ट में शर्त के अनुसार जितनी सिक्योरिटीज़ लेनी चाहिये थी उतनी सिक्योरिटीज़ ले ली गई है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शर्त के अनुसार और अधिक सिक्योरिटीज़ ले ली गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : इन शेयर्स में कितने शेयर्स अनकोटेड शेयर्स हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अनकोटेड शेयर्स ही हैं जो मैंने बताये हैं। जहां तक जे. के. आइरन एन्ड स्टील का ताल्लुक है वे कोटेड हैं।

श्री भैरोंसिंह : अनकोटेड शेयर्स की मार्केट वेल्यू किस प्रकार से, किस बेसिस पर असेस की गई ?

Page No.6

श्री रिखबचन्द धारीवाल : देहली की एक चार्टर्ड फर्म है, उसको अपॉइन्ट किया था। उन्होंने डिटर्मिन करके हमारे पास भेजी।

श्री भैरोंसिंह : जिस फर्म को मार्केट वेल्यू असेस करने के लिए नियुक्त किया था तो क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को यह लोन दिया गया था उसका भी वह फर्म काम करती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर उस फर्म की नियुक्ति की गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : काफी रेपुटेड फर्म है। उनके सारे अकाउन्ट्स को देख कर यह मार्केट वेल्यू डिटर्मिन की है। वे इन्डीपेन्डेन्ट ऑडिटर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मार्केट वेल्यू के असेसमेंट के बारे में सरकार ने इस फर्म के अलावा और किसी से जानकारी करने की कोशिश की है ? (विराम) मार्केट वेल्यू का असेसमेंट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की रिपोर्ट के अलावा और किसी से सरकार ने जानकरी की है कि इन शेयर्स की मार्केट वेल्यू क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : करने की जरूरत नहीं है जब कि मार्केट वेल्यू को डिटर्मिन करने के लिए इन्डिपेन्डेन्ट फर्म को अपॉइन्ट कर दिया। उस फर्म ने सारे फैक्टस में जाकर रिपोर्ट दी है। दूसरी इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया था कि अनकोटेड सिक्योरिटीज़ के अगेन्स्ट इतना लोन नहीं देना चाहिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह बात सही है कि जिन फर्म्स की मार्केट वेल्यू डिटर्मिन की गई उनमें कोस्ट अकाउन्टिंग सिस्टम नहीं होने के कारण एग्जेक्ट मार्केट वेल्यू डिटर्मिन करना मुश्किल है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : In the agreement there were terms which laid down that the market value shall be determined according to the usual commercial manners. The value of the Shares in the usual co-mmercial manner, was to be determined by any independent Chartered Accounant, and thus the firm was appointed who advised...

श्री पी० के० चौधरी : Usual commercial manner can be applied in the Cost Accounting System.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That was for the experts to say, and not for us. The firm determined the market value according to the usu-deal commercial manner.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि चीफ अकाउन्टस ऑफिसर ने इस सम्बन्ध में आपत्ति की थी कि अनकोटेड शेयर्स के अगेन्स्ट इतना लोन नहीं दिया जा सकता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It was the Government's decision. Who has made the objection and who has not, it is not the question. When the matter came before the Government, the Government considered it, This was agreed to by the Finance Deptt. and the loan was given.

श्री भैरोंसिंह : वह तो ठीक है, आपने जो डिसीज़न लिया है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं; लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर ने इस बात की आपत्ति की थी कि अनकोटेड शेयर्स के अगेन्स्ट लोन नहीं दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन मेटीरियल है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Certainly it is not meterial.

टोंक जिले के जागीरदारों में पुनर्ग्रहण के समय की राजस्व लगान की बकाया

६२६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार को टोंक जिले के जागीरदारों ने वक्त पुनर्ग्रहण राजस्व लगान की कितनी कितनी बकाया वास्ते वसूलगी संभलाई थीं ?

(ख) तब से अब तक सरकार ने किस कदर बकाया वसूल की और कितनी बाकी है ? कृपया विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) टोंक जिले के जिन जिन जागीरदारों ने जितनी जितनी राजस्व लगान की बकाया वास्ते वसूली सरकार सम्भलाई उसकी कुल रकम २,१३,६८४ रुपया, ८५ नया पैसा है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जो आपने बाकी रहने के खाने में बताया है वह बाकी रहने का कारण क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्प्यूटेड है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : डिस्प्यूटेड किस तरह से आंका जाता है; या तो बयान लिये जाते हैं या उनसे लिखित में तलब की जाती है या लिखित रूप में बयान लिए जाते हैं ? किस तरह से डिस्प्यूटेड मानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई इन्क्वायरी की जरूरत नहीं, डिस्प्यूटेड कर दिया सो डिस्प्यूटेड !

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जागीरें सन् ५४ में रिज्यूम हो चुकी थीं जिसमें लिमिटेशन भी हो चुका था। अब केवल जबानी कह देते हैं कि डिस्प्यूटेड

Page No.8

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हैं तो या तो काश्तकार इस बारे में बयान कलम करवा दें या रसीदें बता दें कि इतनी बकाया है, इसकी इत्तिला तो होनी चाहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानूनी मन्शा यह नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या मन्शा है ? आप तो कानून के माहिर हैं, आप ही बतला दीजिये, तीन साल की लिमिटेशन है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों के अध्यापकों का प्राइवेट संस्थाओं में डेपुटेशन

१२७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में किस किस जिले के कौन कौन अध्यापक किस किस प्राइवेट संस्था में कब कब से तथा किसके हुकम से डेपुटेशन या लोन पर हैं ?

(ख) डेपुटेशन या लोन पर भेजे जाने के क्या नियम हैं ? कृपया इन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ६ अध्यापक प्राइवेट संस्थाओं में डेपुटेशन (फॉरिन सर्विस) पर भेजे हैं जो इस प्रकार हैं:—

१. सरदारसिंह, निरीक्षक, बी० एस० टी० सी० स्कूल, सवाई माधोपुर श्री भवानी निकेतन हाई स्कूल जयपुर, वेस्ट झोटवाड़ा में गवर्नमेंट की आज्ञा द्वारा २–५–५६ से ।

२. श्रीसीताराम, सहायक अध्यापक, राजकीय माध्यमिक पाठशाला, मंडी, जिला जोधपुर उच्चतर माध्यमिक शाला, चोपासनी में अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष की आज्ञा द्वारा दिनांक २४।२।५६ से ।

३. श्री शम्भूसिंह, सहायक अध्यापक, उच्च विद्यालय, मकराना, जिला नागोर एकाउन्ट्स व गाइड्स एसोसियेशन में संचालक, शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक १३–१२–५७ से ।

४. श्री देवकरणदास, सहायक अध्यापक, लेडी एल्गिन गर्ल्स स्कूल, बीकानेर बी. के. हाई स्कूल, बीकानेर में अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष की आज्ञा द्वारा सन् १६५६ से ।

(५) श्री मगनलाल, सहायक अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, बिनानियों का चौक, बीकानेर स्काउट्स एसोसियेशन, जोधपुर में अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष की आज्ञा द्वारा दिनांक १७–२–५८ से ।

(६) मदनलाल, सहायक अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, सवाईपुरा, जिला सीकर बाल मन्दिर, मोतीडूंगरी, जयपुर में अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष की आज्ञा द्वारा दिनांक १६–६–५६ से ।

(ख) प्राइवेट संस्थाओं में अध्यापक फॉरिन सर्विस पर भेजे जाते हैं जिनके नियमों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : 'फौरिन सर्विस' का मतलब क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट संस्थाओं के अलावा दूसरी संस्थाओं में जाने को फोरिन सर्विस कहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : फोरिन सर्विस को डिफाइन किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not the definition as a matter of fact. गवर्नमेंट संस्थाओं के अलावा प्राइवेट संस्थाओं में जाने की बात है ।

"No Government servant shall be transferred to Foreign service except under these rules."

श्री भैरोंसिंह : क्या यह डिफाइन रूल्स में किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स में लिखा होगा, which is foreign to the Government service.

श्री भैरोंसिंह : फोरिन सर्विस की डेफिनीशन कहीं दी हुई है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डेफिनिशन की जरूरत नहीं; 'Foreign service' means which is not Government service.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : It is not the Government Rule. This is not the definition.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have given you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Where is that ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is under the Rules. It is just possible that the definition may not be here but may be at some other place. Put a separate question & I will let you know where is that ?

श्री अध्यक्ष : तो क्या आपका यह कहना है कि रूल्स के अन्तर्गत नहीं आती हैं?

श्री भैरोंसिंह : फॉरिन सर्विस का मतलब किसको माना जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स को देखा जाय, उसमें फॉरिन सर्विस किसको माना गया है । जो आपको रूल्स दिये गये हैं उसमें इसकी डेफिनिशन नहीं होगी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is defined in the Code, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'Foreign Service' means service outside the territories of India.

श्री दामोदरलाल व्यास : It must be there. You put another question, I will let you know.

Page No.10

श्री अध्यक्ष : सर्विस रूल्स में डेफिनिशन अवश्य होनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : यही तो कमी है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूरत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : फॉरिन सर्विस कहीं डिफाइन्ड है क्या ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स के अन्तर्गत डेफिनिशन नहीं हो सकती ।

श्री दामोदरलाल व्यास : 'फॉरिन सर्विस' का मतलब है एक सरकारी स्कूल के अन्दर से दूसरे प्राइवेट स्कूल आदि में जाना, यह एकॉर्डिंग टू रूल्स है । रूल्स का इन्टरप्रीटेशन आप ठीक प्रकार से समझ लें । 'फॉरिन सर्विस' की परिभाषा क्या है, आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : 'फॉरिन सर्विस' की जो परिभाषा रही है उसके अनुसार इन्डिया से बाहर के देशों में हमारे यहां से लोग जाते हैं उसमें काम आती है । जिस प्रकार के स्थानान्तरण का आपने जिक्र किया क्या इस प्रकार के स्थानान्तरण फॉरिन सर्विस में आते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't think, Sir, this question needs any explanation. I have already given my answer.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जवाब ही न दें तो इसका क्या इलाज है ?

प्रश्न संख्या ६२८.

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२६.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३०.

श्री सूरजमल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३१.

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३२.

श्री शीशराम ओला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३३.

श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

फिजिक्स के लेक्चरार्स का चुनाव

६३४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the

Page No.11

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Education Minister be pleased to state;—

1. Is it a fact that the Rajasthan Public Service Commission interviewed candidates for the post of Lecturers in Physics in February, 1959 ?

2. If so, why the selection, so made, has been cancelled by the Government ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : Yes, Sir.

2. Because the selection was made very late and it was not considered advisable in the interest of the studies of the students to terminate the temporary arrangements made for the teaching of Physics in the Colleges.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो लेक्चरार्स का सलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया गया, इनके अपॉइन्टमेन्ट कब किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी अलग अलग तारीखें मेरे पास नहीं है लेकिन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सलेक्शन किया perhaps that selection result was in the List published in the beginning of the March चूंकि उसमें स्टूडेन्ट्स का भी इन्ट्रेस्ट नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिनको सलेक्ट कर दिया गया उनका अपॉइन्टमेन्ट नेक्स्ट सेशन में कर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चूंकि नेक्स्ट सेशन में फर्स्ट क्लास केन्डीडेट्स के आने की आशा थी इसलिये सेकिन्ड क्लास को सलेक्ट करना मुनासिब नहीं समझा।

श्री भैरोंसिंह : सरकार द्वारा यह रिक्वीज़ीशन कब हो जाना चाहिये था और कब हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग तारीखों के अन्दर ज्यों ज्यों जरूरत पैदा होती गई, ज्यों ज्यों जरूरत पेश आई फिजिक्स के लेक्चरार्स के लिए रिक्वीज़ीशन भेजते गये। हायर सेकन्डरी स्कूलों की तादाद बढ़ती गई थी। इयर्स. डिग्री कोर्स इन्ट्रोड्यूस किया, लेक्चरार्स की ज्यादा आवश्यकता हुई फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया। २८ फरवरी, १९५९ को सलेक्शन करके नाम भेजे लेकिन चूंकि जो टेम्परेरी वर्क कर रहे थे, जिन्होंने सारा कोर्स सिखा दिया प्रेक्टिकल वर्क बाकी रहा था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि छः हीं लेक्चरार्स का एक साथ रिक्वीज़ीशन किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले पब्लिक सर्विस कमीशन ने १८ केन्डीडेट्स के नाम भेजे। वे तमाम अगस्त, १९५८ में मुकर्रर कर दिये गये। लेक्चरार्स फिजिक्स की कमी रह गई थी इसलिये शोर्ट टर्म में पब्लिक सर्विस कमीशन ने विज्ञापन किया उस दरमियान में कुछ व्यक्तियों को टेम्परेरी तौर पर सलेक्शन करके रख लिया गया।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सलेक्टेड केन्डीडेट फरवरी के आखिर में आये। और उसके बाद एम० ए० के इम्तिहान शुरू हो गये और यह उम्मीद थी फर्स्ट डिविजन में पास होने वाले केन्डीडेट्स उपलब्ध हो जायेंगे इसलिये सेकिन्ड डिविजन पास वालों को रखना मुनासिब नहीं समझा और इसको कैन्सिल कर दिया गया और पब्लिक सर्विस कमीशन को इसकी सूचना दे दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो रिक्वीज़ीशन किया गया वह नवम्बर, १६५८ में किया गया था?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, महीने का तो मैं नहीं कहता, पर १६५८ में रिक्वीजीशन जो किये गये उनके अलावा १८ केन्डीडेट्स और थे। अगस्त १६५८ में पैनल दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रिक्वीज़ीशन के अनुसार सलेक्शन पी. एस. सी. के कार्यक्रम के अनुसार जनवरी से पहले किसी तरह नहीं हो सकता था?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कैसे नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले निवेदन किया कि ज्यों ज्यों जरूरत होती गई हम रिक्वीजीशन करते गये। पहले १८ किये उनको पहले भेज दिया। उनका हमने अपॉइन्टमेन्ट कर दिया। इसके बाद तीन की और ज्यादा जरूरत पड़ी। पर पी. एस. सी. के कायदे बने हुए हैं इसलिये शोर्ट टर्म नोटिस एडवर्टाइज करवा कर टेम्परेरी रिक्रूटमेन्ट कर लिया। जब उनका पैनल आया तो चूंकि वह देर से आया इसलिये कैंसिल हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. एस. सी. को क्या आपने यह सूचना भेज दी कि चूंकि आपका पैनल देर से आया इसलिये कैंसिल समझा जावे?

श्री दामोदरलाल व्यास : कैंसिल करने के लिये सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। शोर्ट टर्म नोटिस पर रिक्रूटमेन्ट करते समय पी. एस. सी. का मेम्बर एसोसियेट रहता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शोर्ट टर्म रिक्रूटमेन्ट की इत्तिला पी. एस. सी. को दी या नहीं कि चूंकि हमने शोर्ट टर्म रिक्रूटमेन्ट कर लिया है इसलिये आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं और हमारा रिक्वीज़ीशन कैंसिल समझा जावे?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये पी. एस. सी. को कैंसिल करने की इत्तिला देने की जरूरत नहीं थी कि वह तो थोड़े समय के लिये होता है। इसको भी सेफ गार्ड करने के लिये और ठीक तरह से केन्डीडेट सलेक्ट हो जावें इस वास्ते हम ऐसे सलेक्शन में भी पी. एस. सी. के मेम्बर को एसोसियेट के तौर पर रखते हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : एक बार शोर्ट टर्म पर अपॉइन्ट करने के बाद उसे आप कितने दिन तक कन्टीन्यू करते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक कि पी. एस. सी. से दूसरा अपॉइन्ट नहीं हो जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट वालों में से पी. एस. सी, ने सबको कैंसिल कर दिया। सब पी. एस. सी. से कैंसिल हो चुके, सब कैंसिल हो गये वहां के सिलेक्शन टेस्ट में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That information is not with me at present.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पता लगाइये।

कुछ उप-कृषकों एवं कृषकों को प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार

६३५. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Revenue Minister be pleased to state:—

1. Whether the amended Section 19 of the Tenancy Act conferring Khatedari Rights on certain Sub-tenants and Yenants Khudkasht on payment of compensation has been brought into force in the State ? If so, from what date ?

2. Whether since the enforcement of the said provision of the Act till 31st Jan, 1960 Khatedari rights have been conferred ipso facto on how many such Sub-tenants ?

3. How many applications claiming Khatedari rights are pending disposal ? Figures for each district may be given separately.

4. What steps the Govt. has so far taken to prevent unlawful eviction of such Sub-tenants or Bapotidars and other Tenants ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जरा जबाब मुकम्मिल नहीं आया है। इसलिये इसे पोस्टपोन किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Till after the next election.

श्री पी. के. चौधरी : Will it be given before the end of the Session ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't know but I will try. It all depends on the nature of the question.

मारवाड़ जंकशन से जोजावर सड़क के अन्तर्गत आई हुई किसानों की जमीन की अवाप्ति

६३६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) मारवाड़ जंकशन से जोजावर तक बनाई गई सड़क के नीचे कितने काश्तकारों की कितनी जमीन अवाप्त की गई ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवाप्त की गई जमीन का मुआवजा अभी तक काश्तकारान को नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री बेनाराम गहलोत)

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अवाप्त की गई जमीन का लगान भी अभी तक काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या सरकार वसूल किया गया लगान वापिस काश्तकारान को दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

(५) क्या सरकार भविष्य में ऐसे आदेश देगी कि जो जमीन सड़क बनाते समय अवाप्त की जाय उसका लगान नहीं लिया जावे ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सूचना प्रस्तुत है ।

(२) यह सही है । लैंड एक्वीज़ीशन प्रोसीडिंग्स फाइनल नहीं होने से मुआवजे का पेमेन्ट नहीं हो सका था । सारा मुआवजा इस साल में जरूर चुका दिया जावेगा ।

(३) सरकार को इस बाबत कोई जानकारी नहीं है । सरकार ने इस विषय में जनरल आदेश जारी कर रखे हैं कि जहां किसी की जमीन अवाप्त की जावे वहां उसका लगान वसूल करना फौरन बन्द कर दिया जावे । ऐसे आदेश कलेक्टर को दे दिये जा चुके हैं ।

(४) कइसके लिये काश्तकारान लेक्टर, पाली से मिलें । जरूर उचित शिकायत रफा कर दी जावेगी ।

(५) ऐसे आदेश पहले से ही जारी किये जा चुके हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह लैंड एक्वीज़ीशन की प्रोसीडिंग्स किस स्टेज पर होने को है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री बेनाराम गहलोत : इस सड़क के बारे में दो–तीन बार आगे भी प्रश्न पूछा जा चुका है पर फिर भी काश्तकारों से लगान वसूल किया जा रहा है । कम से कम लगान तो वसूल करने से रोका जाय ।

श्री अध्यक्ष : लगान के लिये तो सरकार ने आज्ञा जारी कर दी है ।

श्री बेनाराम गहलोत : कब किया ऑर्डर जारी ?

श्री अध्यक्ष : वह तो जनरल ऑर्डर है ।

श्री बेनाराम गहलोत : पर वसूली तो आज भी सब जगह कर रहे हैं । अभी तक होती है । उन ऑर्डर्स की तामील कहां होती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जो लगान वसूल हो गया है उसको एडजस्ट करने के लिये ऑर्डर दे दिया गया है और आइन्दा लगान वसूल न करने का ऑर्डर जारी हो चुका है उस पर अमल हो रहा है । अब कहीं नहीं वसूली हो रही है । अगर कहीं हो रही है तो माननीय सदस्य बतावें । वहां तुरन्त कार्यवाही की जावेगी । पहले का जो वसूल कर चुके हैं उसे भी आगे के हिसाब में एडजस्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया है ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : जवाब में

(श्री शंकरलाल)

तो कहा गया कि यह जानकारी नहीं है और आप कह रहे हैं कि वसूली की गई है और उसे एडजस्ट करने का आदेश दे दिया है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : You have put a question to a wrong quarter.

पाली जिले के राजस्व विभाग को बन्दोबस्त विभाग द्वारा दिये गये रेकॉर्ड की दुर्दशा!

६३७. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) पाली जिला के राजस्व कार्यालय को सेटलमेन्ट विभाग ने अपना काम पूरा कर रेकॉर्ड कब सुपुर्द किया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वह रेकॉर्ड आज तक बोरों में पाली पटवारी कार्यालय में खुली जगह पड़ा हुआ है ?

(ग) उक्त रेकॉर्ड सम्बन्धित तहसीलों को कब तक पहुँचाया जावेगा ?

(घ) उक्त रेकॉर्ड को इस तरह पड़ा रखने की जिम्मेदारी किसकी है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) दिनांक २६-७-५६ तक जिन ग्रामों का रेकॉर्ड पूरा हुआ है वही पाली जिले को प्राप्त हुआ है ।

(ख) जी नहीं । खुली जगह में नही है, बल्कि स्थान की कमी होने के कारण बोरियों में बन्द कर रखा गया है ।

(ग) उक्त रेकॉर्ड तहसीलों में भेजने हेतु नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही रखने का है ।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री **मूलचन्द डागा** : वह किस जगह रखा हुआ है, साहब ? हमने आंखों से देखा है खुली जगह में रखा हुआ है और साल डेढ़ साल से रखा हुआ है और कभी भी मांगते हैं तो उनकी कॉपियां भी नहीं देते हैं ।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : जो रेकॉर्ड है वह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स के लैंड रेकॉर्ड ऑफिस में रखने का है । तहसीलों में नहीं जायगा । और वह अब किस जगह रखा है, यह तो पर्टीक्युलर रूम या बरामदा तो मुझे मालूम नहीं है, पर यह जरूर है कि उसे बोरों में बन्द कर रखा है स्थानाभाव के कारण ।

श्री **मूलचन्द डागा** : इसका क्या इन्तजाम है रेकॉर्ड की कॉपियां दिलाने का ? बराबर एक, एक-डेढ़, डेढ़ साल से उनकी नकलें लेने की दर्ख्वास्तें, एप्लीकेशनें दे रखी हैं पर मिलती नहीं ।

श्री **दामदोरलाल व्यास** : ज्यादा मुनासिब तो यह होता कि यह सीधा सवाल आप पूछते कि कॉपियां रेकॉर्ड की नहीं मिलतीं और यह बताते कि किन किन की दर्ख्वास्तें पेश हुई और उनको क्यों नहीं मिलीं । आपने तो केवल यह पूछा कि कहां रखा है वह रेकॉर्ड ? उसका जवाब मैंने दे दिया । अब आपने कॉपियां मांगी हों और उन्होंने न दी हों यह हो, नहीं सकता । फिर

Page No.16

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहे वे बोरियों में हों या कहीं हों मिलनी चाहिए। अगर ऐसी जानकारी आप मुझे दे सकें कि बोरियों में बन्द होने के कारण किसी लैंड रेकॉर्ड आफिसर ने कॉपी देने से इन्कार किया हो तो यह बहुत सीरियस मामला है। हम उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे। पर अच्छा यह हो कि आप उस तरह का सवाल पूछते और जानकारी चाहते।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जानकारी दे दी। मैंने यह प्रश्न पूछा है कि पाली के पटवारी के कार्यालय में खुली जगह में सारा रेकॉर्ड पड़ा हुआ है और बराबर एक-डेढ़ साल से बन्द पड़ा है। मैं फिर कह सकता हूँ आप जांच कर सकते हैं वह रेकॉर्ड बन्द पड़ा है और खुली जगह पर पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिरोही जिले में प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक स्तर पर लाना

६३८. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state:-

Whether the Government intends to raise the following Primary Schools in Sirohi District to Middle Standard from July, 1960:-

(1) Primary School, Sildar (2) Primary School, Barlooth (3) Primary School, Las (4) Primary School, Jogapura (5)Primary School,Dantrai.

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): Nothing definite can be said at this stage.

धर्मार्थ विभाग द्वारा दी जाने वाली पुण्यार्थ सहायता

६३६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि धर्मार्थ विभाग से पुण्यार्थ कई प्रकार की सहायता गरीबों को मिलती हैं? यदि हां, तो किस किस प्रकार की सहायता और किस किस श्रेणी के व्यक्तियों को मिल सकती है?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में फण्ड रिज़र्व रखा हुआ है? यदि हां, तो पिछले पांच वर्ष में किस किस वर्ष में कितना कितना फण्ड रिज़र्व किया हुआ था?

(ग) क्या धर्मार्थ विभाग में सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां। जो सहायता दी जाती है व जिन जिन लोगों को दी जा सकती है उसका हवाला नियमों में; है जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) रकम प्रति वर्ष बजट में रखी जाती है और पिछले पांच वर्षों में निम्न रकमें स्वीकृत हुई हैं :--

५५-५६ ३,४०,२४५) रु०

(श्री दामोदरलाल व्यास)

५६-५७	४,०५,८०८) रु०
५७-५८	४,६७,५५८) रु०
५८-५६	४,४६,४०५) रु०
५६-६०	३,८८,६८१) रु०

(ग) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के प्रतिदिन कार्यावधि एवं भत्ते

६४०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि देवस्थान विभाग के जिन कर्मचारियों को पत्तल-पूड़ी मिलती है उन्हें मंहगाई अलाउन्स नहीं मिलता या कम मिलता है ?

(२) क्या यह सच है कि देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के काम के घण्टे निश्चित नहीं हैं और उन्हें दिन में काम करने के बाद रात में भी काम करना पड़ता है ?

(३) इन कर्मचारियों को साप्ताहिक तथा बार-त्यौहार की छुट्टी मिलती है या नहीं ?

(४) क्या इन सब कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जावेगा ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं। जिन सेवागिरों को पत्तल-पूड़ी प्रसाद मिलता है उन्हें मंहगाई भत्ता कम मिलता है।

(२) जी नहीं। प्रातः व सायं काम के घण्टे निश्चित हैं।

(३) नहीं मिलती।

(४) जयपुर व कोटा के सेवागिरों आदि का फिक्सेशन हो चुका है। शेष युनिटों का सरकार के विचाराधीन है जो शीघ्र हो जावेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि कोटा में जिनका फिक्सेशन हुआ है उनको पत्तल-पूड़ी जिनको मिलना चाहिये वह नहीं मिला है उनको अभी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल का जवाब आप देखें। मैंने यह बात कही है कि जिनको पत्त-लपूड़ी प्रसाद मिलता है उनको मंहगाई कम दी जाती है ?

डॉ० चन्द्रकला : उनको कम क्यों दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये कि उनको पत्तल-पूड़ी और प्रसाद जो दिया जाता है।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कोटा के कर्मचारियों ने मांग की है कि जैसे और कर्मचारियों को मंहगाई-भत्ता दिया जाता है वैसा उन्हें दिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। मांग जरूर की है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही नहीं है कि जो पत्तल-पूड़ी प्रसाद उनको दिया जाता है वह मंहगाई के एवज में नहीं दिया जाता बल्कि इसलिए दिया जाता है कि रात-दिन, सुबह-शाम जब भी सेवा-पूजा की जरूरत पड़ती है वे करते हैं और इसके बदले में दी जाती है, न कि मंहगाई के रूप में ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल २ के जवाब में मैंने जवाब दिया है इसका ।

डॉ० चन्द्रकला : पर भाग ३ में आपने कहा है कि साप्ताहिक छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है तो किस तरह से वे अपना और काम कर सकते हैं, जैसे दूसरों को छुट्टियों वगैरह का लाभ मिलता है, उनको भी मिलना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको दिन को इतना समय मिल जाता है कि उनको छुट्टियों की आवश्यकता ही नहीं रहती । सुबह-शाम पूजा का समय केवल उनको देना पड़ता है । इसके बाद उनके पास इतना समय रह जाता है कि उसमें वे आसानी से आ-जा सकते हैं, इसलिये उनको छुट्टी नहीं दी जा सकती । फिर यह भी है कि मन्दिर की सेवा-पूजा रोज चलती है, उसे बन्द नहीं किया जा सकता; जैसा आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं यह तो हमेशा से नियम है । इसलिये जिस प्रोपोर्शनेटली उनको पत्तल-पूड़ी मिलती है उस प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया गया है मंहगाई-भत्ता ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या मंत्री महोदय का यह कहना है कि जो देवस्थान विभाग के कर्मचारी हैं वे केवल सुबह और शाम नियमित घण्टों में ही काम करते हैं ? त्योहार आते हैं और दूसरे मौके आते हैं तो उनको २४ घण्टे काम करना पड़ता है, तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मन्दिरों के कार्यक्रमों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ । २४ घन्टे किसी को काम नहीं करना पड़ता ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पुजारी जिनकी पूजा करते हैं वे जब उनको छुट्टी देंगे तब ही उनको छुट्टी मिल सकती है नहीं तो नहीं मिल सकती ?

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि देवस्थान विभाग के कर्मचारियों ने इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन मंत्री महोदय की सेवा में दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने इसका जवाब दे दिया है कि हां, आया है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कोटा के पुजारियों ने जो सरकार को कहा था कि पूरी पत्तल, प्रसाद हमें नहीं चाहिए और उसके स्थान पर हमें मंहगाई दी जाये उस के लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : उसको तो बहुत काफ़ी समय हो गया है ?

श्री दामोदर व्यास : जी हां, मैं खुद महसूस करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

संस्कृत कॉलेज, जयपुर में प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स व अध्यापकों की स्थिति

६४१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि संस्कृत, कॉलेज, जयपुर में छात्रों से ज्यादा प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स एवं अध्यापक हैं?

(२) यदि हां, तो कितने प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स और अध्यापक हैं और प्रत्येक को क्या क्या तनख्वाह मिलती है और कॉलेज तथा उसके ऑफिस का वार्षिक बजट क्या है? नामवार सूची मय वेतन के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि किसी निरीक्षण अधिकारी ने इस कॉलेज के निरीक्षण करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दी है कि यहां छात्रों से अधिक अध्यापक वर्ग है और इनमें से बहुत से पुराने प्रोफेसर, अध्यापकों को अन्य जगह गांवों आदि में नियुक्त कर इनका उचित उपयोग किया जा सकता है?

(४) क्या यह भी सही है कि गांवों में अनुभवी अध्यापकों की भारी कमी है?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार यहां के अनावश्यक प्रोफेसरों आदि को गांवों में भेज कर वहां की शालाओं की दशा सुधारने का विचार रखती है?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) यह सही नहीं है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर स्थित ढेर के बालाजी के यहां भरी जाने वाली खेली का बिल एवं उसका भुगतान

६४२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ठिकाना खेतड़ी से जयपुर स्थित श्री ढेर के बालाजी के यहां खेली भरने के लिए कितने रुपये किस नाम से दिए जाते थे और किस साल तक?

(ख) क्या यह सही है कि १६ जून, सन् ५४ से २८ फरवरी, सन् ५८ तक के ६६७ रु०, ५० नये पैसे का बिल सब-डिविज़नल ऑफिसर, खेतड़ी ने श्री मुरलीधर के नाम से देवस्थान विभाग, जयपुर को भेजा?

(ग) यदि हां, तो फिर इस बिल का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को कैसे किया गया?

(घ) क्या यह सही है कि शिकायत होने पर कमिश्नर ने १६–८–५८ को कोई जांच की? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा हुआ?

(ङ) क्या यह सही है कि निरीक्षक,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देवस्थान ने भी इस संबंध में कोई जांच की थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(च) फरवरी, सन् ५८ के बाद यह राशि किस व्यक्ति के नाम से दी जा रही है ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) १५) रु० मासिक, ढेर के बालाजी की प्याऊ के नाम से दिये जाते थे और १५-६-५४ तक दिए गए ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक अन्य व्यक्ति श्री लहरीलाल ने सहायक कमिश्नर, देवस्थान, जयपुर को प्रार्थना-पत्र इस रकम के मिलने के लिए पेश किया । सहायक कमिश्नर, देवस्थान, जयपुर ने बिल को सब डिविज़नल ऑफिसर खेतड़ी को फिर जांच के लिए लौटाया । वहां से आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ श्री लहरीलाल के नाम बिल बन कर आने पर इसे चुकारा किया गया ।

(घ) जी हां । परन्तु श्री लहरीलाल के उपस्थित नहीं होने से कोई निर्णय नहीं हुआ ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) फरवरी, सन् ५८ के बाद यह राशि किसी को नहीं दी जा रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो नामों के लिए कैसे एस० डी० ओ०, खेतड़ी के यहां से रिकमन्डेशन हो गई ? आपने प्रश्न (ख) के उत्तर में बताया कि खेतड़ी के सब-डिविज़नल ऑफ़िसर ने श्री मुरलीधर के नाम से बिल बना कर भेजा और दूसरे में असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान ने वेरीफिकेशन के लिए भेजा तो दूसरे नाम के लिए कैसे रिकमन्डेशन हो गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्क्वायरी, प्रमाण पत्रों और सबूत लेने के लिए जिस जिस निर्णय पर एस० डी० ओ० पहुंचा वहां उन्होंने अपनी राय दी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उन्होंने यह निर्णय कर दिया था कि मुरलीधर इसके लिए एन्टाइटल्ड नहीं है और दूसरा व्यक्ति है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं नहीं कह सकता कि उनका पूरा निर्णय क्या है । लेकिन कयास यह जरूर करना चाहिए कि लहरीलाल के लिए जरूर सिफ़ारिश की है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एस० डी० ओ०, खेतड़ी ने सिफ़ारिश यह की है जैसा आपने (ख) के उत्तर में कहा है कि १६ जून, ५४ से २८ फरवरी, सन् ५८ तक के ६९७ रु०, ५० नये पैसे का बिल सब-डिविज़नल ऑफ़िसर ने श्री मुरलीधर के नाम से देवस्थान विभाग, जयपुर को भेजा है । यह तो डेफिनेट बात है और आपने भी इसके लिए 'हां' कहा है तो फिर दूसरे व्यक्ति श्री लहरीलाल के बारे में कयास करने से काम नहीं चल सकता । बिल तो एक के नाम से बनता है और उसका पैसा दूसरा ले जाता है तो या तो आप यह कहें कि आपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इन्क्वायरी की और उसमें यह पाया कि मुरलीधर उसके लिए एनटाइटल्ड था और श्री लहरीलाल नहीं था....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यही कहा है आप मेरा उत्तर सुनते तो आपको मालूम हो जाता ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जबाब तो आप गोल दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब आप चाहें उसे गोल समझें या कुछ भी समझें। मैंने कहा है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान ने एस० डी० ओ०, खेतड़ी के पास इन्क्वायरी के लिए यह भेजा और एस० डी० ओ० ने प्रमाण–पत्रों और सबूत को साथ देख कर लहरीलाल की सिफ़ारिश करके भेजा है और देवस्थान विभाग की तरफ से उसका पेमेन्ट हो गया। उसके बाद मेंपेमेन्ट को रोकने के लिए और फाइन्डिंग्स को गलत बताने के लिए दूसरे उजरदार या उसकी उजरदारी की जांच की जा रही है कि वह गलत थी या नहीं। पर पेमेन्ट उसने दरख्वास्त दी उसके पहले ही हो चुका था।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जो ए० डी० ओ० ने इस प्रकार का निर्णय भेजा तो वह किस आधार पर भेजा था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुरलीधर के नाम नहीं भेजा।

श्री भैरोंसिंह : आपने (ख) में कहा है 'जी हां'।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहला बिल तो इस आधार पर भेजा कि उसने डिमांड किया और फिर जांच के बाद लहरीलाल के नाम से भेजा।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिमान्ड के ऊपर बिल बनाकर भेजा था या जांच करने के बाद ऐसा किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीर रिज़म्पशन के अन्दर कई डिमाण्डस आई हैं। उन मन्दिरों में इसका नाम किसी स्टेज पर आया। उन्होंने बिल बना कर भेज दिया। लेकिन जब श्री लहरीलाल ने इसके लिए आपत्ति की तो देवस्थान विभाग ने एस०डी० ओ०के पास इन्क्वायरी के लिए भेज दिया कि यह किसे मिलनी चाहिये। उन्होंने जांच करके प्रमाण-पत्रों के साथ भेजा कि लहरीलाल उसके लिए एन्टाइटल्ड है। मुरलीधर ने इसके लिए जरूर दरख्वास्त पेश की, लेकिन उसका पेमेन्ट उसकी दरख्वास्त देने से पहले ही हो चुका था।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आन्दीदेवी जेलिया।

बारां नगरपालिका द्वारा अनुसूचित जातियों की बस्ती में विद्युत व्यवस्था

६४३. **श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया** (बारां–सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका की सीमा में स्थित अनुसूचित जातियों की बस्तियों में नगरपालिका की ओर से

Page No.22

(श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया)

विद्युत व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका की ओर से उक्त कमी की पूर्ति हेतु सरकार के समक्ष आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कोई मांग प्रस्तुत की गई है ?

(घ) यदि हां, तो उक्त बस्तियों में विद्युत व्यवस्था किये जाने के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से अब क्या कदम कब तक उठाया जाने वाला है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) इसकी सूचना समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां, सन् १९५८-५९ में ।

(घ) सन् १९५८-५९ में इस विभाग द्वारा २,००० रुपया नगरपालिका बारां को विद्युत व्यवस्था हेतु दिया था और सन् १९५९-६० में पालिका द्वारा प्रस्ताव पास हुआ था लेकिन वह अपूर्ण होने के कारण विचार नहीं किया गया और नगरपालिका को लौटा दिया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह जो २,००० रुपया दिया गया वह विद्युत लगाने के काम में आया या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो जांच नहीं की है कि विद्युत लगाने के काम में आया या नहीं, लेकिन १९५८-५९ में इस सिलसिले में मांग की थी तो यह तो उनका हिसाब आने पर मालूम हो जायेगा कि उन्होंने खर्च किया या नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : लेकिन उस बारे में तो जिम्मेदारी है कि १९५८-५९ में रुपया दिया गया, तो उसका उपयोग हुआ या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नगरपालिका भी एक संस्था है । उसका हिसाब जो कुछ आयेगा वह आ जायेगा; उसमें ऐसी क्या बात है ? प्राइवेट पर्सन्स को तो दिए नहीं हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपसे प्रश्न पूछा था कि बिजली लगी या नहीं ? आप कहते हैं कि समाज कल्याण विभाग के पास सूचना नहीं है तो आप जांच तो करते कि बिजली लगी या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो जनरल सवाल पूछा गया था कि नगरपालिका, बारां की सीमा के अन्दर व्यवस्था हो गई है या नहीं; तो यह तो जनरल व्यवस्था होती है उसके अनुसार प्रश्न आया । उन्होंने लाइट फिट कर दी है या नहीं, यह तो विभाग को मालूम नहीं है । हमारे विभाग ने २,००० रुपये दिये थे और उसका हिसाब ले लिया जायेगा कि उन्होंने कहां खर्च किया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह उचित नहीं समझते कि आपकी नॉलेज में प्रश्न आ जाने के बाद वहां बिजली लगाने की व्यवस्था पूरी हुई या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह रकम

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

म्युनिसिपैलिटी को दी है अनुसूचित जाति के लोगों के मोहल्लों में बिजली लगाने के बारे में। इसमें कुछ रुपया उनका भी होता है और किस प्रकार खर्च होगा तो वह तो जब हिसाब आ जायेगा तो मालूम हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

देसूरी तहसील के ग्राम खोड व बूसी को पाली तहसील के अंतर्गत करना

९४४. **श्री शंकरलाल (रायपुर)** : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) पाली जिले की देसूरी तहसील के गांव खोड व बूसी को पाली तहसील में मिलाने की कार्यवाही कब से विचाराधीन है ?

(२) क्या यह सही है कि संबंधित सभी अधिकारियों ने इन गांवों को जनहित की दृष्टि से पाली तहसील में मिलाने का सुझाव प्रेषित कर दिया है ?

(३) सरकार द्वारा सुझाव को स्वीकार करने में देरी के क्या कारण हैं और अब कब तक स्वीकार हो जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) दिनांक २५-६-५७ से विचाराधीन है।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, कार्यवाही जारी है।

श्री शंकरलाल : सन् ५७ से विचाराधीन है और अभी तक कार्यवाही जारी है ! समझ में नहीं आता, यह किस स्टेज पर विचाराधीन है जब कि सब ने लिख दिया है कि जनता के हित में ऐसा जरूरी है ?

श्री अध्यक्ष : गनीमत है कि कार्यवाही खत्म नहीं हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके कई पहलू हैं विचाराधीन होने के। इसमें कमिश्नर, जोधपुर की राय एक है और पंचायत की दूसरी राय है और एक तहसील से गांव नजदीक पड़ता है और एक से दूर पड़ता है। यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर तहसील रीऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी के सामने विचार किया जायेगा।

श्री शंकरलाल : सब की राय है कि पाली तहसील में मिलने चाहिये और माननीन राजस्व मंत्री महोदय ने सदन में यह कहा था कि ऐसे मसले आयें तो जरूर बदल देंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि नागोर डिस्ट्रिक्ट के कई गांव एक तहसील से दूसरी तहसील में मिलाये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, या तो माननीय सदस्य जो कमिश्नर, जोधपुर की ज्यादा जानते हैं या मैं जिसके पास उनकी राय बकलम खुद बदस्तखत खुद है उसको सही माना जाय। उस आधार पर मैं कहता हूं कि जो कुछ वे कहते हैं वह गलत है।

श्री शंकरलाल : क्या कमिश्नर, जोधपुर

Page No.24

(श्री शंकरलाल)

ने लिखा है कि दो गांवों को पाली तहसील में न मिलाया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मैं अर्ज नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने मना किया है, मगर एक तरफा राय है।

श्री शंकरलाल : एक तरफा राय क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक तरफा राय के मायने हैं; there is a difference of opinion.

श्री शंकरलाल : मुद्दा तो एक ही है कि इन गांवों को पाली तहसील में मिलाया जाय या नहीं ? माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि वे अर्ज नहीं कर सकते हैं कि कमिश्नर ने लिखा है कि नहीं मिलाया जाय तो इसका मतलब है कि कमिश्नर ने लिखा है कि मिलाया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : कमिश्नर ने राय दी है और तमाम मामला तहसील रीऑर्गेनाजेशन कमेटी की रिपोर्ट के साथ में विचार किया जा रहा है। आपने जो बताया कि कमिश्नर ने राय दी है वह गलत है।

श्री शंकरलाल : निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी ही कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : जल्दी की क्या कोई मयाद है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

राजस्थान में 'आफ्टर केयर होम्स' की स्थापना

६४५. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Social Welfare Minister be pleased to state :-

1. How many After-Care Homes have so far been started in Rajasthan by the Social Welfare Department ?

2. When and where these Homes were started ?

3. What is the sanctioned strength of the inmates of these Homes ? What is the minimum strength necessary for a Home ?

4. When the After-Care Home was started at Udaipur ? The number of inmates, month-wise from the time it was started be please given. Did the authorities ever consider it advisable to shift the Home to somewhere else on account of less number of inmates ?

5. Is it a fact that the District Shelter Home, Jaipur was shifted from Tonk only for the reasons that the inmates were not secured ? If so, why the Home of Udaipur is not being shifted to some other place ?

6. Is there any Officer appointed by the Department to supervise the activities of these Homes ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): 1. Two only.

2. During the year 1957-58 one at Udaipur (for men) and other at Ajmer (for women) were started.

3. The sanctioned strength of the inmates in each Home is 100. There is no prescribed minimum strength.

4. The After-care Home, Udaipur was started on 22-1-1958. A month-wise statement showing the number of inmates is placed on the Table of the House. It was not deemed desirable to close it or shift it to some other place and it was decided to watch the progress for some time.

5. No. It is not a fact. The question of shifting the Home of Udaipur does not arise.

6. In each Home there are Officers who supervise these Homes.

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

एस. डी. ओ. व एस. डी. एम., दोसा के न्यायालयों से सहायक कलेक्टर, बांदीकुई को राजस्व मामलों का स्थानान्तरण

६४६. श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Will the Revenue Minister be pleased to state :-

1. How many Revenue Cases of the jurisdiction of the Court of Asstt. Collector, Bandikui and triable by the Asstt. Collector, Bandikui filed before the S. D. O. & S. D. M., Dausa, during the period of absence of the Asstt. Collector, Bandikui form 1-10-59 to 31-1-60. ?

2. How many of them have now been sent back to the Bandikui Court after the new Asstt. Collector has taken over charge at Bandikui ?

3. Does the Government intend to have the remaining cases from the Baswa and Sikrai Tehsils sent back to the Court of Asstt. Collector, Bandikui ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

1. (9)
2. (3)

3. No. The S. D. O. is empowered to give judgment in such cases.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : Will the Government examine the desirability of issuing general order of transferring the cases in the interest of speedy justice ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It was not necessary because the S. D. O.'S part of work could not be transferred.

विभिन्न जिलों में चलाये जा रहे ब्लॉक्स में वितरित रेडियो सैट्स

६४७. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) सन् १६५५-५६ व ५६-५७ में राजस्थान में कितने जिलों में ब्लॉक्स चलाये गये थे ?

Page No.26

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(ख) क्या उपरोक्त ब्लॉक्स में राजस्थान विकास विभाग द्वारा रेडियो सेट दिये गये थे ?

(ग) यदि हां, तो किस ब्लॉक को कितने कितने रेडियो सेट दिये थे ?

(घ) इन रेडियो सेटों को किस कीमत पर किस कम्पनी से खरीदा गया था ?

(ङ) इन रेडियो सेटों का वितरण किस आधार पर किया गया था ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) यह सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(घ) ये रेडियो सेट भारत सरकार की सबसिडी स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे जो कि मेसर्स हिन्दुस्तान जनरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लि० कलकत्ता, व मेसर्स रेडियो लॉ कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली व मेसर्स नेशनल इको रेडियो, बम्बई से भारत सरकार द्वारा खरीद करके सप्लाई किये गये थे। एक रेडियो सेट की कीमत लगभग ३००) रु० थी।

(ङ) आम तौर पर विकास खण्डों से जो मांगें प्राप्त हुई थीं उसी के अनुसार वितरण किये गये।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या राजस्थान सरकार को भारत सरकार द्वारा रेडियो सेट भेजे गये थे उनकी किसी इन्जीनियर से जांच करवाई थी कि रेडियो सेट वर्किंग ऑर्डर में हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भारत सरकार द्वारा भेजे गये थे और ठीक तरह से चल रहे हैं तो जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : उनकी जांच करवाई कि नहीं कि वे वर्किंग ऑर्डर में हैं ? भारत सरकार के कहने पर कम्पनी ने डाइरेक्ट भेजे थे तो आपने क्यों नहीं जांच करवाई कि वर्किंग ऑर्डर में हैं या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं समझता हूं कि अनवर्किंग ऑर्डर के बारे में कोई शिकायत नहीं है इसलिए वर्किंग ऑर्डर में उसको माना जाय।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : भारत सरकार ने रकम दी थी या रेडियो सेट दिये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अभी निवेदन किया कि इन इन कम्पनियों से भारत सरकार द्वारा खरीद करके सप्लाई किये गये थे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : रेडियो सेट भारत सरकार ने खरीद कर दिये थे तो राजस्थान में उन रेडियो सेट्स का क्या हुआ विकासों में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके अन्दर दर्ज है। विकास खण्डों में जहां जहां

(श्री रिखबचन्द धारिवाल)

रेडियो सेट्स दिये गये थे उनकी संख्या दी गई है कि इतने रेडियो सेट हैं उनके पास।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या वे कार्य कर रहे हैं या किसी के घर में पड़े हुए हैं या किसी गांव में पड़े हुए हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रेडियो सेट सुनने के काम में आता है और क्या काम में आता है ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि रेडियो सेट के साथ में बेटरीज़ भी दी गई थीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसके साथ में जितनी भी चीजें होती होंगी वे दी गई होंगी, मैं नहीं कह सकता कि उनके साथ में दी गई होंगी। ३००) रु० में बेटरी भी इन्क्लूडेड है, मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों की शिकायतें आई थीं कि बेटरीज़ हमें मिलीं वे सारी की सारी बेकार हैं और रेडियो सेट में किसी प्रकार भी काम नहीं देती हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया, मैं जानकारी नहीं दे सकता हूं इस वक्त। क्योंकि यह जानकारी मेरे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है कि आया बेटरी ठीक प्रकार से काम करती थी या वह दी भी गई थी या नहीं दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों ने इस बात की शिकायत की थी कि जो रेडियो सेट मिले हैं वे वर्किंग ऑर्डर में नहीं हैं!

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरा सवाल पूछें तो जवाब दे सकता हूँ। इसके अन्दर शिकायतों का कोई सवाल नहीं है। इसमें केवल यह पूछा गया था कि कहां कहां दिये गये थे। शिकायतों के बारे में पूछना चाहते हैं तो जवाब जानकारी करके दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि इन रेडियो सेट्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक बल्ब एक्स्ट्रा दिया था और जब वे वितरित किये गये तो पंचायत समितियों को एक्स्ट्रा बल्ब सप्लाई नहीं किया गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी जानकारी मैं इस वक्त नहीं दे सकता हूँ कि तार भी दिये थे प्लग भी दिये थे और दूसरे दूसरे अटेचमेंट भी दिये थे। रेडियो सेट के बारे में पूछा गया था उसका जवाब मैंने अर्ज कर दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : रेडियो सेट पंचायत समितियों को डाइरेक्ट मिले थे या किसी एजेन्सी के थ्रू प्राप्त हुए थे ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : माननीय अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा विकास खण्डों के लिए जो रेडियो सेट दिये गये थे वे रेडियो सेट नहीं हैं। विकास डिपार्टमेंट ने खुद खरीद कर दूसरे भेज दिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई कि इस प्रकार से बदल दिये हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप जाकर देखिये कि वहां पर टीन के रेडियो सेट हैं; वे ३००) रु० वाले सेट नहीं हैं बल्कि ८०) रु० वाले सेट हैं जो कि पंचायत समितियों को दिये गये थे ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कौन से भारत सरकार ने खरीद कर भेजे थे और कौन सी किस्म के यहां दिये गये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भारत सरकार ने इन इन कम्पनियों के रेडियो सेट खरीद करके सप्लाई किये थे ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कम्पनियों के नाम बताइये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वे मैंने बता दिये हैं । आपने सुना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेशनल इको बताया है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन इन तीन कम्पनियों के मार्फत भारत सरकार ने ये रेडियो सेट खरीद करके विकास खण्डों के लिए दिये थे वे सप्लाई किये गये हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

श्री पी० के० चौधरी: One question, Sir.

श्री अध्यक्ष : I have called the next question.

प्रश्न संख्या ६४८

श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

नीम का थाना तहसील में उपलब्ध खनिज सम्पत्ति एवं उसका उपयोग

६४६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) नीम का थाना तहसील क्षेत्र में कितने प्रकार के व कौन कौन से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं ?

(ख) क्या इन खनिज पदार्थों से यहां पर बेसिक मिनरल इण्डस्ट्रीज़ बड़ी मात्रा में शुरू हो सकती हैं ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस ओर अब तक क्या कदम उठाया है एवं भविष्य में क्या योजना है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) यह सर्वेक्षण के बाद ही कहा जा सकेगा ।

(३) यहां चूने के पत्थर का सर्वेक्षण किया गया है तथा उसका नमूना नेशनल मेटेलार्जिकल लेबोरेट्री, जमशेदपुर के पास भेजा गया है कि क्या यह पत्थर सीमेन्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बनाने के कार्य में आ सकता है अथवा नहीं जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)

श्री ज्ञानचन्द मोदी : सर्वेक्षण कब तक हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पत्थर का अर्ज कर दिया कि करके भेजा है। बाकी के लिए कराने की कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ६५०.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

झुन्झुनू जिले की पंचायत समिति को घड़ियों का वितरण

६५१. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि २ अक्टूबर, १९५९ को पंचायत समितियों का निर्माण होने के पश्चात् झुन्झुनू जिले की पंचायत समितियों को इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स, जिला झुन्झुनू के कार्यालय से प्राथमिक पाठशालाओं के लिये दिये गये सामान के साथ घड़ियों भी दी गई थीं ? यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति को कितनी कितनी घड़ियां दी गई थी ?

(२) उक्त घड़ियां किस अधिकारी द्वारा किस समय खरीदी गई थी और प्रति घड़ी की कितनी कीमत दी गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि घड़ियां बाजार दर से काफी ऊंची कीमत पर खरीदी गई हैं और बहुत बड़ी रकम का गबन हुआ है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):
(१) जी हां। ८१ घड़ियां ९ पंचायत समितियों को दी गई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) झुन्झुनू ८

(२) अलसीसर ८

(३) बुहाना १०

(४) खेतड़ी ८

(५) उदयपुरवाटी १०

(६) नवलगढ़ ८

(७) चिड़ावा ८

(८) सूरजगढ़ ९

(९) झुन्झुनू अर्बन स्कूल्स १२

(२) उक्त घड़ियां निरीक्षक, शिक्षणालय, झुन्झुनू द्वारा २७ अक्तूबर, १९५९ को खरीदी गई थीं। प्रति घड़ी की कीमत ३९.९६ नये पैसे दिये गये हैं।

(३) जी नहीं।

श्री शिवनाथसिंह : इन घड़ियों की बाजार दर क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक वही है जिससे वे खरीदी गई हैं।

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : It is not a reply.

श्री शिवनाथसिंह : बाजार रेट से खरीदी गई हैं, तो क्या टेन्डर से खरीदी गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लोएस्ट टेन्डर मन्जूर हुआ था उसमें रेट ऊंचे नहीं थे।

श्री शिवनाथसिंह : टेन्डर मन्जूर करने के लिए कमेटी थी या किसी एक व्यक्ति ने ही दिये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। टेन्डर लोएस्ट था; उसके लिए कोई कमेटी नहीं थी। २७.१०.५६ को वे एजुकेशनल इक्विपमेंट स्टोर्स, मिर्जा इस्माइल रोड से खरीदी गई थीं। उनका सबसे लोएस्ट टेन्डर था और बाजार रेट से यह टेण्डर ऊंचा नहीं था।

श्री शिवनाथसिंह : टेन्डर मन्जूर किया था वह एक व्यक्ति ने किया था या कमेटी ने किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कमेटी ने नहीं किया था। अलग से प्रश्न पूछें तो जवाब दे सकूंगा। ज्यादा अच्छा था कि आप यह पूछते कि यह जानकारी दें कि कमेटी ने खरीदा या किस तरह से खरीदा गया है, तो उसका मैं जवाब दे सकता था।

श्री शिवनाथसिंह : मैंने पूछा कि किस अधिकारी ने खरीदे थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The rate was approved by the Inspector of Sikar. Dy. Inspector was authorised to purchase within the time fixed at that rate and the Inspector, Jhunjhunu purchased the same.

१२. म.

सलूम्बर तहसील में सन् १६५८ के स्थगित लगान की वसूली

६५२. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील में १६५८ की रबी में किस किस ग्राम में फसल में कितनी कितनी हानि हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि स्थगित लगान वसूल करने के लिए पर्चियां बांट दी गई हैं और वसूली के लिये ताकीद की जा रही है ?

(ग) क्या नियमानुसार उक्त स्थगित लगान वसूल किया जा सकता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील सन् १६५८ (संवत् २०१४) की रबी में १४६ गांवों में नुकसान हुआ है जिसका कुल डिमान्ड लैन्ड रेवेन्यू ४१,४७७) रुपये के मुकाबले नुकसान होने के कारण २४,७६१ रुपये १३ आने लगान में छूट दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए).

Page No.31

श्री सोहनलाल भटनागर : जो डिमान्ड स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं उनको सरकार के सामने पेश किये जाने पर क्या सरकार उस पर कार्यवाही करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राज्य सरकार के पास रेमिशन की सिफारिश की गई। २४,७५१ रु० १३ आ० की छूट का प्रस्ताव भेजा गया।

श्री सोहनलाल भटनागर : डिमान्ड स्लिप्स दी गई हैं, उनसे आप इन्कार करते हैं। I want to invite the attention of the Government that demands were distributed and there is specific denial by the Government that they were not distributed.

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा है कि 'क्या यह सही है कि स्थगित लगान वसूल करने के लिये पर्चियां बांट दी गई हैं और वसूली के लिये ताकीद की जा रही है ?' अगर बांट दी गई हैं तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन वसूली अभी नहीं हुई है। शिकायत होने पर यह आज्ञा दी गई कि सस्पेन्डेड अमाउन्ट का फैसला न हो तब तक वसूली न की जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर : कब तक वसूली न की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रेमिशन का फैसला न हो जायगा तब तक वसूली नहीं की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

स्थगित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका बांदीकुई की सीमा में भूमि की अवैध जब्ती तथा आधिपत्य

३८७. **श्री विशम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई): Will the Revenue Minister be pleased to state:-

(a) What is the total area of Government land illegally seized or occupied within the precincts of Municipal Board, Bandikui by trespassers for the construction of shops and houses ?

(b) What are the total number of pucca shops constructed on the North-Eastern side of the road from Agra Gate to Delhi Gate ?

(c) Do the owners possess any authority of constuction from either the Municipal Board or the Government or any other competent authority for the construction of these shops ?

(d) Who was the former owner of this land and did he possess any authority to alienate this land for the construction of shops or even residential houses ?

(e) Was this land ever entered as Abadi Land in the Government Records ?

(f) Whom does the Government consider to be responsible for this

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

illegal encroachme nt upon the land and what action does it now propose to take against the wrong doers ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आ सका है इसलिये आगे पोस्टपोन किया जाय।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : This is already a deferred question. Ho w long it will be deferred ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बेनाराम गहलोत।

पाली जिले में काश्तकारों से दुबारा बिघोड़ी की वसूली

३६२. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में ऐसे कितने जागीरदार हैं जिन्होंने जागीर पुनर्ग्रहण होते वक्त संवत् २०११ में बिघोड़ी वसूल की है ? क्या जागीरदारों द्वारा वसूल की गई बिघोड़ी मतालबे में काश्तकारों में बकाया निकाली जा रही है तथा अब पटवारी लोग वसूल कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सं. २०११ में जागीरदारों द्वारा वसूल की गई बिघोडी उनके मुआवजों की अंतरिम किश्तों में बाद में नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार जिन जिन गांवों में सं. २०११ की बिघोड़ी जागीरदारों ने वसूल की है उन गांवों के काश्तकारों से वसूल नहीं करने का आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह आदेश जारी किया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) १६ जागीरदारों ने बिघोड़ी वसूल की है। जागीरदारों द्वारा वसूल की गई बिघोड़ी काश्तकारों से दुबारा वसूल नहीं की जा रही है। जिस काश्तकार ने बिघोडी की रकम नहीं दी है उससे रकम वसूल की जाती है।

(२) अन्तर्कालीन मुआवजों के किश्तों का भुगतान तहसील मुताहलिका से बकाया का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है। जिन जिन तहसीलदारों ने बकाया की सूची भेजी है उसके अनुसार रकम वसूल की गई है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बेनाराम गहलोत : आपने कहा कि काश्तकारों से वसूल नहीं किया जायगा लेकिन देसूरी के गांव बूसी, सेवाड़ वगैरह में वसूली कर ली गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया कि पाली जिले में १६ जागीरदारों ने बिघोड़ी वसूल कर ली है। कानून के अनुसार पोज़ीशन साफ है। कोई काश्तकार जागीर रिज़म्प्शन के बाद जागीरदार को बिघोड़ी देता है तो वह अपनी रिस्क पर देता है, उसके लिये गवर्नमेंट पाबन्द नहीं है। अलबत्ता काश्तकारों की सहूलियत के लिये यह किया है कि जिन्होंने गल्ती से अदा करदी है उनको हम मुआवजे में एडजस्ट कर रहे हैं।

श्री बेनाराम गहलोत : इन गांवों में अब तक वसूल की जा रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं की जा रही है। कानून के अनुसार वसूल की जा रही है तो हर्ज नहीं है।

श्री बेनाराम गहलोत : जागीरदारों ने बिघोड़ी वसूल की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि जागीर रिजम्प्शन के बाद कोई काश्तकार उनको जागीरदार समझ कर बिघोड़ी देते हैं तो अपनी रिस्क पर देते हैं और उसका नुकसान वे उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ जिले में सेवा सहकारी समितियों को अलॉट की गई भूमि

४०१. श्री रामचन्द्र (डग–सु.) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) झालावाड़ जिले में तहसीलवार कितनी भूमि पड़त पड़ी है?

(२) १ अप्रेल, सन् ५६ से अब तक कितनी सेवा सहकारी समितियों को भूमि अलॉट की गई? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इन समितियों का भूमि पर कब्जा कराया जा चुका है? यदि हां, तो कितनी समितियों को?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) ६६,६५० एकड़ भूमि। तहसीलवार भूमि की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) १ अप्रेल, सन् १६५६ से अब तक १७ सेवा सहकारी समितियों को भूमि अलॉट की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) १३ समितियों को भूमि पर अधिकार दिला दिया गया है। तहसील खानपुर व बकानी की समितियों को अधिकार इस कारण से नहीं दिलाया जा सका है कि उक्त भूमि वन विभाग के अधीन है जिसकी राजस्व विभाग को परिवर्तित करने की कार्यवाही चालू है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिए)

श्री रामचन्द्र : सूची प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नोटिस ऑफिस में देखिये।

श्री रामचन्द्र : नोटिस ऑफिस में होकर आया हूँ।

प्रश्न संख्या १७५

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

कालीसिन्ध व चम्बल नदियों व अन्य छोटे नालों के किनारे की जमीन का मामला

३६७. श्री रामनारायण वर्मा (पी–

Page No.34

(श्री रामनारायण वर्मा)

पल्दा–सु) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि कोटा एवं बूंदी जिले का जो भू-भाग चम्बल नहर के अन्तर्गत आ चुका है उसमें भी काली सिन्ध, चम्बल नदियों व अन्य छोटे नालों के किनारे हजारों बीघा ऐसी जमीन है जिसमें नहर का पानी नहीं दिया जा सकेगा ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन में से काफी भूमि को सन् ५३ से पूर्व व पश्चात् भूमिहीन व विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने नौ–तोड़ कर लिया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, कुछ जमीन है।

(ख) जी हां।

अभी सिंचाई विभाग ने गांववार फहरिश्त बना कर नहीं दी है। भूमिहीन को बेदखल करने का तो सवाल ही नहीं है। अगर कोई डिफॉल्टर्स होंगे तो उनके खिलाफ नियमनानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न संख्या ३७४

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

हनुमानगढ़ क्षेत्र में तीन साल से फसल खराब होने के बावजूद आबयाना कर तथा जमीन की कीमत की वसूली

४०५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र के नाली एरिया में नाली आ जाने के कारण ३ वर्ष से फसल खराब हो रही है ?

(ख) क्या इस स्थिति में भी काश्तकारों से आबयाना कर तथा जमीन की कीमत वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : हनुमानगढ़ क्षेत्र में नाली एरिया में फसल खरीफ कम तादाद में कहीं कहीं पर काश्त होती है जो नाली आने पर कुछ तादाद में खराब हो जाती है। परन्तु इसी रकबे में नाली का पानी बन्द हो जाने पर बहुत जल्द सूख जाता है और इसी रकबे में फसल रबी काश्तकारान द्वारा काश्त करली जाती है जो रेत ज्यादा होने की वजह से अच्छी होती है।

(ख) इसलिए कि फसल रबी अच्छी होती है अतः वाजिब आबयाना या दीगर कर जो वाजिब हों वसूल किये जाते हैं और इसके साथ २ जो जमीन इस विभाग द्वारा जिन्हें किश्तों पर राजस्थान उपनिवेशन आवंटन एवं विक्रय नियम, १९५५ के अन्तर्गत मुस्तकिल अलॉट की गई हैं ये भी वाजिब नियमानुसार किश्तें वसूल की जाती हैं।

Page No.35

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि पिछले तीन वर्षों में नला एरिया में फसल खराब नहीं हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब कहा कि खराब नहीं हुई ? मैंने कहा कि फसल खराब हो जाती है लेकिन सेकन्ड क्रोप बम्पर होती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पहली फसल खराब हो जाने के कारण दूसरी फसल अच्छी हो जाती है जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाना समझते हैं कि आबयाना कर और जमीन की कीमत दे सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नला एरिया में बिल्कुल पैदावार नहीं होती है, यह बात नहीं है । सन् १९५७ में १६८ एकड़ जमीन को नुकसान हुआ, सन् ५८ में ६०० एकड़ जमीन को नुकसान हुआ और ५६ में ८०० एकड़ जमीन पर फसल को नुकसान हुआ था । ये ब्रोड फिगर्स हैं । लेकिन इन सालों में रबी की क्रोप बहुत अच्छी हुई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि दोनों फसलें जिनकी खराब हुई हैं उनको कर मुक्त नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान है कि दोनों फसलें नष्ट होंगी तो किस तरह की छूट दी जायगी और किस तरह से वसूली की जायगी, ये बातें उसमें दर्ज हैं, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : उसमें दर्ज जरूर है लेकिन दोनों फसलें खराब हुईं, क्या उनसे कीमत और आबयाना वसूल किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे किसी पर्टिकुलर केस के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूं जनरल बात पूछते हैं तो नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या पर्टिकुलर क्षेत्र के सभी काश्तकारों ने सरकार के पास शिकायत की है कि उनको डिस्पोज़ ऑफ न करके शिकायत के बावजूद भी उनसे रकम वसूल की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको शिकायत करने का अधिकार है, अपील और सेकन्ड अपील करने का भी अधिकार है और रिवीज़न भी कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उनकी असली शिकायत का भी फैसला नहीं हुआ है और उनसे वसूली की जा रही है । उनका फैसला हो जाय तो उनकी स्थिति मालूम हो जाय और आगे कार्यवाही कर सकें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन एरियाज़ में डेमेज हुआ वहां रेमिशन दिया गया है । पर्टिकुलर केस के लिये जानकारी चाहते हैं तो दूसरा सवाल पूछें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । पर्टिकुलर केस की आड में आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का स्ट्रोंग ऑब्जेक्शन लेता हूं....

Page No.36

श्री भैरोंसिंह : मैं भी स्ट्रोंग ऑब्जेक्शन लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा कि जितना नुकसान हुआ उतना रेमिशन दिया गया....

श्री भैरोंसिंह : वे यह कहां कहते हैं, वे तो कहते हैं कि पर्टिकुलर केस में इन्ट्रेस्टेड हों तो पूछलें। मैं पर्टिकुलर बात नहीं पूछना चाहता, मैं जनरल बात पूछना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब ऐसे नहीं दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : कैसे नहीं देंगे? हाउस में जो बात पूछी जायगी उसका जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

आदिवासी मंडल के अन्तर्गत ग्राम मांडवा, तहसील कोटड़ा भोमट में खोली गई प्राइमरी स्कूल

७६८. **श्री मोगजीभाई** (बांसवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सन् १९५० में आदिवासी मंडल के अन्तर्गत ग्राम मांडवा, तहसील कोटड़ा भोमट, जिला उदयपुर में प्राइमरी स्कूल खोली गई थी?

(२) यदि हां, तो सन् १९५० से ५१ तक वहां पर कौन अध्यापक स्कूल का कार्य करता था तथा उसकी नियुक्ति कब हुई और सर्विस कब छोड़ी, यह बतलाने की कृपा करें?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं है। यह सन् १९५० का मामला है। उसमें आपने पूछा है, कौनसा टीचर है, क्या है, सारे कागजात मंगा कर जानकारी दूंगा।

श्री मोगजीभाई : क्या यह सही है कि जिस अध्यापक की नियुक्ति की थी, उसका रेकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि अध्यापक का वेतन बकाया है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : चूंकि रेकॉर्ड नहीं है।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रेकॉर्ड तलाश किया जा रहा है।

श्री मोगजीभाई : रेकॉर्ड न होने का क्या यह कारण है कि अध्यापक को वेतन नहीं मिला?

(उत्तर नहीं दिया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सन् १९५९-६० के 'एन्युअल प्लान' का प्रकाशन

१. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state:—

(I) On what date the Annual Plan for the year 1959-60 published?

(श्री पी. के. चौधरी)

A copy of the same may be placed on the table of the House ?

(II) What is the amount of Plan Expenditure earmarked for each District in the Annual Plan for 1959-60 and what is the Actual Expendture in each District upto 30-9-59 ? Figures for each District may be given separately.

उत्तर

(1) The Annual Plan for the year 1959-60 was not published and, therefore, the question of placing its copy on the table of the House does not arise.

(2) A statement showing the Districtwise allotment and expenditure (upto September 1959) during 1959-60 has been placed on the table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिए)

महाराजाज कॉलेज, जयपुर में भर्त्ती हुए नये छात्र

२. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) महाराजाज़ कॉलेज, जयपुर में पिछले ४ वर्षों में प्रतिवर्ष किस किस श्रेणी में कितने कितने छात्र नये भर्त्ती हुये ?

(२) इन नये छात्रों के ट्रान्सफर सर्टिफिकेट के अनुसार प्रथम व द्वितीय डिविजन में कितने कितने छात्र उत्तीर्ण होकर कॉलेज में भर्ती हुए थे ?

(३) इनके कॉलेज में भर्ती होने के बाद प्रतिवर्ष कितने कितने छात्र कितनी कितनी परीक्षाओं में बैठे हैं ? कितने कितने उत्तीर्ण हुये हैं और कितने कितने अनुत्तीर्ण ?

(४) जो छात्र उत्तीर्ण हुये हैं उन्होंने किस किस वर्ष में किस किस श्रेणी की परीक्षा में कितनों कितनों ने कौन कौनसा डिविजन प्राप्त किया है ?

(५) प्रश्न (ख) में वर्णित डिविजन की तुलना में किस किस वर्ष में कितने कितने छात्रों को इससे नीचे की श्रेणी का डिविजन प्राप्त हुआ है ?

(६) क्या यह सही है कि यह संख्या ५० प्रतिशत से ज्यादा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इसके निराकरणार्थ क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(१) यह सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(२) सन् ५६-६० के सेशन के पहले इस प्रकार की सूचना कॉलेज में नहीं रखी जाती थी । सन् ५६-६० की सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(३) यह सूचना भी संलग्न तालिका में अंकित है ।

(४) यह सूचना भी संलग्न तालिका में अंकित है ।

(शिक्षा मंत्री)

(५) यह सूचना भी संलग्न तालिका में अंकित है।

(६) प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग रेकॉर्ड नहीं रखा जाता बल्कि पूर्ण क्लास का नम्बर वाइज रेकॉर्ड रखा जाता है। कॉलिजों में परीक्षाओं का स्तर गिर रहा है उसको सुधारने के लिये सरकार विचार कर रही है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिए)

तहसील भीलवाड़ा में सन् १९५६ के बाद जमीनों के नये अलॉटमेंट पर तकावी अथवा ऋण

३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) तहसील भीलवाड़ा में सन् १९५६ के बाद जमीनों के नये अलॉटमेन्ट पर कोई तकावीय अन्य ऋण भी दिया गया है ? यदि हां, तो किसको कितना कब और किसकी सिफारिश या किसकी जमानत पर ?

(२) क्या उक्त दी गई तकावी अथवा ऋण पुनः जमा कराया गया है? यदि नहीं, तो किसमें कितना बाकी है और जमा कराने की अवधि क्या है ? क्या कोई अवधि बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने किस अधिकार अथवा नियम के तहत कितनी अवधि बढ़ाई है ?

(३) ऋण जमा कराने की अवधि किन किन ऋण लेने वालों की समाप्त हो चुकी है ? जिनकी अवधि समाप्त हो गई है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, उसका क्या परिणाम निकला ?

(४) क्या तहसील के किसी जागीरदार द्वारा भी नियम विरूद्ध भूमि बेची गई है ? यदि ऐसा है तो किस जागीदार ने कितनी भूमि किस किस को बेची और क्या तहसील ने ऐसी भूमि का पंजीयन किया है ? यदि हां, तो किस तारीख को किस नियम के अन्तर्गत किया है ?

उत्तर

(१) १९५६ से दी गई तकावी के वितरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इस विषय की सूचना सूची के कॉलम नम्बर ७,८ व ९ में अंकित है। ऋण के चुकारे हेतु कोई अवधि नहीं बढ़ाई गई है।

(३) यह सूचना सूची के कॉलम १० में अंकित है।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिए)

विकास कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले विभागों में कर्मचारियों की नियुक्तियां

४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(श्री भीमसेन)

(१) श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी ने विकास कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले विभागों में रूरल बायस के व्यक्तियों के लेने की जो सिफारिश की है क्या सरकार ने उसके अनुसार सम्बन्धित विभागों को ऐसे आदेश दे दिये हैं ?

(२) यदि हां, तो इस वर्ष उपरोक्त विभागों में कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये गये ? उनमें से कितने रूरल बायस के अथवा कितने अर्बन एरिया के हैं ?

उत्तर

(१) बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ग्राम सेवकों, ग्राम सेविकाओं व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए Rural Background भी होना चाहिए ।

(२) इस वर्ष इस प्रकार के कुल कितने कर्मचारी भर्ती किए गए, ऐसी सूचना इकट्ठी की जा रही है। जिस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए Rural Background का होना आवश्यक समझा गया है उनकी नियुक्ति में इसको महत्व दिया जा रहा है ।

जागीरदारों को कम्पेन्सेशन फाइनेलाइज न होने की स्थिति में लोन

५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सरकार द्वारा किस किस जागीरदार को किस किस कार्य के लिये कितना कितना लोन कब कब कम्पेन्सेशन फाइनेलाइज़ न होने की स्थिति में कम्पेन्सेशन की सिक्योरिटी पर दिया है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) ऐसे लोन के सम्बन्ध में कोई सरकारी आज्ञा लोन देने के नियमों से सम्बन्धित हो तो कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उतर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) कर्ज देने के नियम हैं जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अलावा इस सम्बन्ध में कोई सरकारी आज्ञा नहीं है ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्रावासों के लिये शिक्षा विभाग की ओर से दी जाने वाली सहायता के नियम

६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(२) छात्रावासों के लिये शिक्षा विभाग का ओर से सहायता देने के क्या नियम बने हुए हैं ? छात्रावासों के किस किस प्रकार के खर्चे को एप्रूव्ड एक्सपेन्डीचर मान कर उस खर्च का कितना प्रतिशत राजकीय सहायता के रूप में मिलता है ?

Page No.40

(श्री भीमसेन)

(२) क्या उपरोक्त सम्बन्ध में छात्रावासों के लिये बने सहायता नियमों में संशोधन हेतु कोई आवेदन-पत्र आये हुए हैं ?

(३) अगर हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(क) छात्रावासों को सहायता देने के नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

व्यय अधिनियम ६ के उपनियम १, २, व '३' के अंतर्गत अधिक से अधिक मान्य व्यय के ६० प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती है।

(ख) इन नियमों में संशोधन हेतु कई आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे।

(ग) ग्रान्ट-इन-एड के नियमों की जांच करने तथा शीघ्र ही अपनी राय देने के लिये सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो निकट भविष्य में अपनी एक रिपोर्ट देगी।

(कृपया परिशिष्ट १४ देखिये)

सन् १९५६ से १९६० तक बीकानेर जिले के कमी वाले क्षेत्रों में व्यय हुई धन-राशि

७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) सन् १९५६-५७, १९५७-५८, ५८-५९ व ५९-६० में स्केयरसिटी कन्डीशन के समय में बीकानेर जिले में किस किस काम में कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई ? कृपया तहसील वाइज़ आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

(२) उपरोक्त सालों में किस किस तहसील में लगान में कितनी कितनी छूट दी गई तथा प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी तकावी दी गई।

उत्तर

(१) सन् १९५६-५७, ५७-५८, ५८-५९, ५९-६० के अभाव-ग्रस्त कार्य काल में जो बीकानेर जिले की सम्पूर्ण तहसीलों में ५४ दुर्भिक्ष मद के अन्तर्गत विभिन्न उप-मदों में जो धनराशि व्यय हुई उसका व्योरा क्रम संख्या १ से ४ तक तलपट में विद्यमान है जो कि सदन की मेज पर रख दिया है।

(२) उपरोक्त वर्षों में तहसीलों में जो लगान में छूट दी गई एवं तकावी वितरण की गई उसकी सूचना स्टेटमेन्ट में क्रम संख्या ५ व ६ तक दी गई है; जो कि सदन की मेज पर रख दिया है।

(कृपया परिशिष्ट १५ देखिये)

जयपुर जिले में कूओं, बैलों आदि हेतु १९५९-६० में दी गई तकावी -

८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) इस वित्तीय वर्ष में जयपुर जिले

(श्री रामकरणसिंह)

में कूओं, बैलों आदि के लिये तकावी कितनी दी है ?

(२) क्या अन्य जिलों में भी इसी आधार पर दी गई है ? जिलेवार दी गई तकावी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या तकावी समय पर नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(क) इस वित्तीय वर्ष में जयपुर जिले में कूओं के लिए ३५,६००) रु० तथा बैलों के लिये ३४,५५०) रु० तकावी दी है।

(ख) जी हां।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी नहीं। तकावी समय पर दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट १६ देखिए)

जिला विकास समिति द्वारा बीकानेर जिले में सन् १९५६ से ६० तक विभिन्न कार्यों हेतु वितरित एवं व्यय की गई धन-राशि

६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(१) सन् १९५६-५७, ५७-५८, ५८-५९ व ५९-६० में स्थानीय विकास कार्यों तथा Grant-in aid to Panchayats शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण, जल प्रदाय योजनाओं तथा अन्य निर्माण संबन्धी कार्यों में बीकानेर जिले में कितनी कितनी धनराशि का जिला विकास समिति के मारफत वितरण तथा खर्चा किया गया ? कृपया तहसील वाइज़ आंकड़े प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उत्तर

विभिन्न वर्षों में स्थानीय विकास कार्य प्रोग्राम के अन्तर्गत तथा Grant in aid to Panchayats से बीकानेर जिले में जितनी जितनी धनराशि स्वीकृत हुई तथा जो व्यय हुआ उसका व्योरा संलग्न है।

कृपया परिशिष्ट १७ देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

प्राक्कलन समिति के उम्मीद्वार सदस्यों द्वारा नाम वापिस लेना

प्राक्कलन समिति के जो माननीय सदस्य उम्मीदवार हैं, अगर वे अपना नाम वापिस लेना चाहें तो ले लें।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु): अध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : (श्री हरिप्रसाद यादव को संकेत कर) ठहरिये साहब।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो अपना नाम वापिस लेने को खड़े हुए हैं, मुझे सूचना मिली है कि इन माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना की है कि उन माननीय सदस्य पर इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

का दबाव आ रहा है। उनकी इच्छा के विपरीत और जीतने की आशा होने के बावजूद उनके ऊपर पार्टी की ओर से दबाव आ रहा है उसके कारण वे अपना नाम वापिस लेने जा रहे हैं। माननीय सदस्य से पूछ लिया जाय कि उनके ऊपर दबाव तो नहीं है और उसके कारण माननीय सदस्य अपना नाम तो वापिस लेने नहीं जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एक पत्र मुझे लिख कर दिया। मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं नाम वापिस लेना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उस पत्र में लिखे कॉन्टेन्ट्स गलत हैं या नहीं, क्योंकि एक सदस्य को इतना दबाया जाय कि उसको नाम वापिस लेना पड़े, यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उस स्थिति में जो सूचना मिली है, अध्यक्ष महोदय, वह किस हद तक सही है? इस पर किस प्रकार एक्शन लिया जाना है? जिन माननीय सदस्य ने उनको बहकाया है, उनके द्वारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है। उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करनी है, इस पर विचार करने से पहले माननीय सदस्य को अपना नाम वापिस लेने की इजाजत नहीं दी जाय। वह लैटर पढ़ कर सुना दिया जाय जिससे मालूम हो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माननीय सदस्य के द्वारा हुआ है या नहीं।

श्री हरिप्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया है, वह निराधार है, गलत है। आपने स्थानीय दैनिक पत्र 'लोकवाणी' के एक समाचार को पढ़ कर यह बात कही है, वह तथ्यहीन है। मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को कोई पत्र नहीं लिखा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि पत्र लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एक पत्र आया है।

श्री अध्यक्ष : वह पत्र दूसरा आया है। पत्र केवल एक लाइन का है कि वे अपना नाम वापिस लेना चाहते हैं।

श्री हरिप्रसद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी का सवाल है और माननीय सदस्य अपोज़ीशन पार्टी के हैं। यह प्रश्न उनसे सम्बन्धित नहीं है। मैंने पत्र लिखा था, वह दूसरे विषय पर था।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्राक्कलन समिति के रिक्त स्थान के लिए जो नामजदगी पत्र पेश किया उसे वापिस लेता हूं।

श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया (बारां सु०) : मैं अपना नाम वापिस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया और श्री हरिप्रसाद यादव द्वारा अपने नाम वापिस लेने के बाद अब श्री धन्नालाल हरित का नाम रह जाता है। इसलिए मैं उनको प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के लिए....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : Congratulations.

Page No.43

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित को मैं इलेक्टेड घोषित करता हूं।

(करतल-ध्वनि)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय....

निम्बाहेड़ा की तफतीश सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया था। उस सम्बन्ध में मुझे सूचना अवश्य मिल गई है कि उसको डिसअलाऊ किया जाता है। उसके अन्दर अहमियत छिपी हुई है, इसलिए एडजोर्नमेंट मोशन मूव करना चाहता था। इस सम्बन्ध में पिछली बार आदेश मिला था कि गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे। उस सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी जानकारी दें तो अच्छा होगा। मैं इसलिए जानकारी चाहता हूं कि आज निम्बाहेड़ा की तफतीश को लेकर एक अलग प्रकार काम चल रहा है और उसमें बहुत विवाद है। इसलिए सदन को भी उस पर निश्चित रूप से वाद-विवाद करना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी की तरफ से स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए क्योंकि इसमें बड़े सस्पीशियस सरकम्स्टान्सेज हैं। अव्वल तो ३०४ क्यों लगाई गई है? मर्डर की दफा क्यों नहीं लगाई गई है? इसमें culpable homicide not amounting to murder की धारा लगाई गई है। तो पहले इसमें यह क्लिअर करना चाहिए कि जिस डिप्टी एस. पी. के लिए आदेश गये कि इस मैटर की इन्क्वायरी करें, उन्होंने क्यों नहीं की? इसके साथ ही इस बात को भी क्लेरिफाई करना चाहिए कि जो मर्डर हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ने हाई मजिस्ट्रेट या अच्छे जुडिशियल व्यक्ति को इन्क्वायरी करने के लिए नियुक्त करना क्यों नहीं उचित समझा, क्योंकि डिप्टी एस० पी० या एस० पी० को यह काम सौंपा गया? मैं चाहता हूं कि इन तीनों बातों का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : यह भी पॉइन्ट आता है कि पुलिस हिरासत में मर्डर हो, तो मजिस्ट्रेट ने जांच क्यों नहीं की?

श्री अध्यक्ष : वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो मर गया, पुलिस की हिरासत में मर गया, उसकी मजिस्ट्रेट को जांच करनी चाहिए थी, वह अब तक नहीं की है। यह एक अहम मामला है। उस समय ही अगर मजिस्ट्रेट जांच करता तो कई छिपी हुई बातें प्रकट रूप में आतीं। यह एक पुलिस अधिकारियों का षडयन्त्र है नीचे से ऊपर तक। लेकिन मजिस्ट्रेट की, जांच नहीं हुई और जांच करने के आदेश नहीं दिये गये।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : वाकयात मामला इस प्रकार है कि तारीख १. ४. ६० को श्री उदयराम सुनार साकिन निम्बाहेड़ा ने सूचना दी कि मूलचन्द सुनार निवासी बाड़ी का अफीम की बरामदगी के सिलसिले में काफी पिटाई की जो मर गया है। इस इत्तिला पर मुकदमा कायम करने के

Page No.44

(श्री रामकिशोर व्यास)

बाद तफतीश शुरू की गई। गवाहान के बयानात से श्री राममूर्ति एस० आइ०, गुलमोहम्मद, छोगालाल, किशनसिंह कान्सटेबिल को मूलचन्द के साथ बाड़ी गांव में वर चौकी में मारपीट किया जाना पाया गया। श्री राममूर्ति, छोगालाल और गुलमोहम्मद से दर्याफ्त हुआ कि ता० २३.३.६० को मूलचन्द सुनार को केस नं० १७, सन् ६०, धारा ४५४।३८० ताजीरात हिन्द की तफतीश में बुलाना और उस दिन बाद दर्याख्त रूकसत कर देना बताया। मुलाजमान राममूर्ति, गुल-मोहम्मद, छोगालाल को ता० ३.४.६० को व मनोहरसिंह को ता० ४.४. ६० को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाश मृत मूलचन्द की श्री बन्शीलाल वकील, साकिन जावद एम. पी के कुंए में से दस्तयाब हुई जो बाद मुतर्व पंचनामे वास्ते पोस्टमार्टम मेडिकल ऑफिसर, जावद के सुपुर्द की गई। लाश का पोस्टमार्टम हुआ। नतीजा पोस्टमार्टम से जाहिर है कि मूलचन्द की मौत स्प्लीन के फट जाने [रेपचर] से हुई मालूम होती है। गिरफ्तार शुदा मुलाजिमों को मौत्तिल कर दिया है।

इस मामले की आगे जांच एस. पी., चित्तौड़ की निगरानी में सर्किल इन्सपेक्टर, बेंगू के सुपुर्द की गई है और सर्किल ऑफिसर को भी पूरे ध्यान से देखने के लिए आज्ञा दे दी गई है। इसके अलावा आपसे यह निवेदन कर दूं, मुझे यह बताया गया कि इसमें डिप्टी एस. पी. तहकीकात कर रहे हैं, उनसे तहकीकात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वे दिलचस्पी रखते हों। इस पर गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि इस मामले की तहकीकात करने के लिए जयपुर से ऑफिसर को मुकर्रर कर दिया जायगा, ऐसे आदेश दे भी दिये गये हैं। दूसरा पॉइन्ट मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया, अगर यह लीगल्ली हो सकता है तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन और है। क्या यह सही है कि डिप्टी एस. पी. की गाड़ी में निम्बाहेड़ा से मूलचन्द सुनार की लाश को लेकर मध्य भारत के क्षेत्र में डाल दिया गया....

श्री अध्यक्ष : यह इन्वेस्टीगेशन का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : आज वही डिप्टी एस. पी. वहां मौजूद हैं, जिनकी गाड़ी में यह कांड हुआ है, जिनकी निगरानी और जानकारी में यह कांड हुआ है। उसकी इन्क्वायरी करने के लिए जयपुर के ऑफिसर को भेजने का कहा जा रहा है, जिनके बारे में मैं निवेदन करूं कि चित्तौड़ के अन्दर डिप्टी एस. पी. ने जवार कार्यकर्त्ता को मारा था और उसके बाद गुटबन्दी करके सारे मामले को दबाने की कोशिश की थी, ये एक साथ थे। तो ऐसे अधिकारी से जांच करवाई जाती है तो न्याय व ईमानदारी के साथ तफतीश कराने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि मजिस्ट्रेट से इसकी इन्क्वायरी सरकार क्यों नहीं करवा सकी है और क्यों नहीं करवाई जाती है ?

श्री अध्यक्ष : उसके लिए कहते हैं कि उस मामले को लीगल्ली एग्ज़ामिन करा रहे हैं। अगर पुलिस इन्वेस्टीगेशन के साथ इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं तो इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट को देने को तैयार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : मैं निवेदन कर दूं, रामगंज के थाने में मौत हुई थी। उसकी मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की थी। यह दूसरी बात है कि उसका नतीजा क्या हुआ। वैसे सी आर. पी. सी. के अन्दर प्रोविजन है, अगर प्राइमा-फेसी केस हो, जैसा आपने कहा है कि ३०४ के अन्दर केस दर्ज किया है और इसके साथ ही इस एज़म्प्शन के ऊपर कि मारने के कारण मौत हुई है, तो मैं समझता हूं कि कोई प्रोवीज़न ऐसा नहीं है जो सरकार को डिबार करता हो कि मजिस्ट्रेट को अपॉइन्ट नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि होम मिनिस्टर साहब इमीजियेटली अनुभवी और रिलायेबल मजिस्ट्रेट को अपॉइन्ट करके इसकी इन्क्वायरी करवायें, क्योंकि मामला संगीन है, चार पुलिस के अधिकारी इसमें इनवोल्व्ड हैं। डिप्टी एस. पी. की गाड़ी में लाश को ले जाकर मध्य भारत के क्षेत्र में डाला गया है। मैं समझता हूं कि उसको अबेटमेंट के केस में सस्पेन्ड किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया है। यह करना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : इस पर बहस की जरूरत नहीं। मैंने निवेदन किया कि दो बातें बताई गई थीं, एक तो मुकामी आदमी से जांच नहीं करानी चाहिये क्योंकि वह प्रेज्युडिस्ड है। इसके लिये मैंने निवेदन किया कि दूसरे ऑफिसर के लिये ऑर्डर दे दिया गया है।

दूसरी बात मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के लिये कही गई, ऐसा आम तौर पर केस के रजिस्ट्रेशन से पहले होता है, पर इस मामले में केस को प्राइमाफेसी मान लिया है, केस रजिस्टर हो चुका है। केस के रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर ऐसा हो सकता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, we will do it.

श्री भैरोंसिंह : आपति तो नहीं, पर सरकार ऑर्डर कब देगी ?

रामकिशोर व्यास : दूसरे ऑफिसर से जांच कराने के लिये, यहां से दूसरे ऑफिसर को भेजने के लिये ऑर्डर दिया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो पहुँच भी चुका है और उसके लिये वहां की जनता ने विरोध प्रदर्शित किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : He refused to carry out the Government Orders. उसने गवर्नमेंट ऑर्डर केरी आउट नहीं किया तो Is it not a fit case to remove that Dy. S. P. from there and send another man ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपसे बात करने के बाद ही हमने ऑर्डर दिया है। We are appointing a separate officer to investigate the whole case and report to the Government. मैं निवेदन कर दूं कि गवर्नमेंट खुद इस मामले को सीरियस समझती है और कार्यवाही करना चाहती है। गवर्नमेंट खुद संजीदगी के साथ इसको लेना चाहती है और उचित कार्यवाही की जायगी।

राजस्थान राज्य के वित्त लेखा १९५८-५९ तथा उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५९ का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष :फाइनेन्स अकाउन्ट्स।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान राज्य के फाइनेन्स अकाउन्ट्स, १९५८–५९ तथा उस पर ऑडिट रिपोर्ट १९५९ को सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान भूमि एकीकरण–कर्म वैधकारी विधेयक, १९६०
(पुरः स्थापन)

श्री अध्यक्ष : Legislative Business.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान होल्डिंग्स कन्सोलिडेशन, ऑपरेशन्स वेलिडेटिंग बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान होल्डिंग्स कन्सोलिडेशन ऑपरेशन्स वेलिडेटिंग बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०
(अग्रेतर खण्डशः विचार–विमर्श)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी बहुत से क्लॉजेज़ बाकी रह गये हैं और आज और कल में इस विधेयक को पारित करना है, इसलिये संशोधनों पर बहुत ही संक्षेप में बोलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस बहस में भाग ले सकें।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, वैसे बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने समय निर्धारित किया है पर इस बिल में बहुत महत्वपूर्ण क्लॉजेज़ हैं, जिनके बारे में यदि जल्दी जल्दी में निर्णय लिया गया तो हो सकता है कि मूल एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन होकर बड़ा अनर्थ हो जावे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में और समय दिया जा सके तो और समय दिया जाय, ताकि पंचायत एक्ट की मूल धाराओं पर जो संशोधन आये हैं उन पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : अभी दो दिन बाकी हैं ? अगर ऐसी परिस्थिति हुई कि समय बढ़ाया जाय तो इस पर उस समय विचार किया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में समय निर्धारित किया गया तो पहले ही हमें मालूम था। इसलिये उस समय बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने काफी समय रखा था। इसलिये जो इम्पोर्टेन्ट क्लॉजेज़ हैं उन्हीं पर बहस करें। बहस जरूर करें, पर जो इम्पोर्टेन्ट क्लॉजेज़ हैं उन्हीं पर ही करें और रिलेवेन्ट बहस हो तो अत्युत्तम होगा। वैसे एक क्लॉज़ को एक दिन भर लेकर बहस करें तो इसका तो क्या किया जा सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): बहस रिलेवेन्ट ही होती है।

Page No.47

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक के क्लॉज़ ६ में मूल विधेयक में धारा ७ ए। और जोड़ देने की व्यवस्था की है। यह जनरल व्यवस्था है कि किसी भी पंचायत का समय खतम हो तो नई पंचायत जब तक टेक ओवर नहीं करे तब तक पुरानी पंचायत काम करती रहे।

इस मूल धारा पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है। उसका आशय यह है कि जितनी एग्ज़िस्टिंग पंचायतें हैं वे अक्टूबर, १६६० से ज्यादा नहीं रहेंगी। यदि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन मान लिया जाता है तो यह विधेयक जिस दिन फोर्स में आयेगा, जितनी पंचायतें, एग्ज़िस्टिंग पंचायतें हैं उन्हीं पर लागू होगा, किसी पंचायत की टर्म लागू होती है तो उस पर यह संशोधन लागू नहीं होगा। यह बिल्कुल सरकम्स्क्राइब करता है। इसके लिये काफी राइडर रख दिया गया है। इलेक्शन के लिये डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन डेट आदि सब स्टेप ले लिये जाते हैं तो वे कन्टिन्यू करेंगी। ५ दिन, १० दिन या एक महीने की मयाद रह जाती है। इससे ज्यादा समय रहता है तो एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरी व्यवस्था हो सकती है।

मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति, जिला परिषद् अधिनियम को देखे। उसे पास किया उस समय सरकार ने कमिटमेंट किया है कि ३१ जनवरी, १६६१ के बाद में अवधि नहीं बढ़ायेंगे; तो जिन माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया है उनका इससे मिलान करें तो तीन महीने का फर्क रहेगा। अगर यह संशोधन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का मान लिया जाता है तो जो पहले व्यवस्था कर चुके हैं, सरकार जो कमिटमेंट कर चुकी है कि ३१ जनवरी, १६६१ के बाद में वे पंचायतें नहीं रहेंगी तो यह कॉन्ट्राडिक्टरी व्यवस्था होगी। सरकार ने पहले से ही कमिटमेंट दे रखा है कि एग्ज़िस्टिंग पंचायतों की अवधि ३१ जनवरी, १६६१ से ज्यादा नहीं बढ़ाई जायेगी तो कोई जरूरत नहीं कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार करके ३ महीने घटा दिये जायं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में मेरा अमेंडमेंट था, but I had to leave the House a bit earlier and I could not move it. So if you kindly permit me, I would like to move my amendment. It is at No. 20.

श्री अध्यक्ष : I would permit you to speak.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, I may be allowed to move it, because if the Hon'ble Minister agrees to my suggestions, he may be able to accept the amendment.

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में मेरा अमेंडमेंट (सीरियल-नं० २०) है उसको मूव करता हूँ। वह अमेंडमेंट इस प्रकार है : " In the proviso to new section 7 A sought to be inserted, insert the words 'and the

Page No.48

(श्री पी. के. चौधरी)

date for holding fresh general election in the panchayat has been announced between the words ' taken ' and 'before'"

अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ ६ है, इसके द्वारा प्रिन्सिपल एक्ट में एक नया सेक्शन ७ ए एड किया जाता है, इस सेक्शन का पर्पज़ है :

" Continuance in Office until new elections.

" Not withstanding anything contained in section 7, the Sarpanch and panchas of a panchayat, of which the term of office has expired, shall continue to hold office till the day immediately preceding the date of the first meeting of the panchayat as a result of the periodical general election :

"provided that the provision contained in this section shall not apply if no steps shall have been taken, before the expiry of the term of office of a panchayat, for holding fresh general elections. "

In the proviso I want the words' " and the date for holding fresh general election in thean Pchayat has been announced " to be inserted between "taken" and "before." इसमें इतना ही प्रोवीजन है कि जो स्टेप्स ले लिये तो किसी भी पंचायत को टेक कर सकते हैं जब तक दूसरी पंचायत के पंचों का चुनाव न हो। अध्यक्ष महोदय, जनरल इलेक्शन के लिये कहा जा सकता है कि इलेक्टेरशनरोल्स तैयार कराने का काम शुरू हो गया है। इसमें साल या ड़ेढ़ साल लग सकता है। हमने देखा है कि जिस पंचायत के चुनाव को एग्ज़िक्युटिव रोकना चाहती है उसको रोक सकती है। इसलिये यह जो प्रोवीजन रखा गया है वह बहुत ही वेग प्रोवीजन है। अगर एग्ज़िक्युटिव स्ट्रिक्ट नहीं हो तो इस प्रोवीजन का मिसयूज़ किया जा सकता है। जैसा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार के अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या है, जब हमने पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट में यह पास कर दिया है कि जनवरी, १६६१ के पहले पहले चुनाव करावेंगे लेकिन मैं यह कहूंगा कि उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। It is embodied permanently in the principal Act and will continue to operate till the Panchayat Act continues. तो स्टेप्स के साथ साथ चुनावों के सिलसिले में डेट एनाउन्स कर दी हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि जनरल इलेक्शन का मतलब क्या है, वह सारी स्टेट में हो या उस पंचायत में हो। यदि हम एक पंचायत में इन्ट्रेस्टेड हैं तो इलेक्टोरल रोल्स तैयार करावेंगे और उसके बाद प्रोविज़नल रोल पर ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट करेंगे और फिर फाइनली रोल्स तैयार होंगे। इसमें ६ महीने का एक्सटेन्शन कर सकते हैं। अब इसमें by dilatory methods it can be extended much more than six months. साल भर भी एक्सटेन्ड कर सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि ओरीजिनल एक्ट में रेस्ट्रिक्शन था। इसलिये मैं समझता हूं कि जनरल इलेक्शन में स्टेप्स लेने की तारीख भी जनरल इलेक्शन की मुकर्रर

(श्री पी. के. चौधरी)

करेंगे तभी यह क्लॉज़ एप्लाई करेंगे अन्यथा Continuance in Office of the panchas and Sarpanchas will not hold good as soon as the date of fresh general elections is annonuced before the expiry of their term.

मैं समझता हूं कि यह रीज़नेबल डिमान्ड है और रीज़नेबल सजेशन है। इसको मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे। वे भी यह नहीं चाहते कि किसी ओल्ड पंचायत के इलेक्शन को दो–दो, तीन–तीन साल तक प्रोलोंग किया जावे और उनका नया चुनाव नहीं हो। इसलिये मैं समझता हूं कि इतनी सावधानी हमको रखनी चाहिये और 'स्टेप्स' के साथ साथ यह एड कर दिया जावे, " Steps have been taken and date for next general election has been announced." इतनी बात आप जोड़ देंगे तो यह ठीक रहेगा और इससे बड़ी राहत पहुँचेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर सदन में दो संशोधन पेश हुए हैं। एक तो प्रस्तावित संशोधन सरकार की तरफ़ से इस विधेयक के द्वारा हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। इसके साथ साथ यदि मूल अधिनियम की धारा को देखें तो इससे यह स्पष्ट होगा कि पहले का जो कानून है राजस्थान का पंचायत एक्ट, १९५३ का है। उसकी धारा ७ के अनुसार पंचायतों की अवधि निर्धारित की गई है और उसमें तीन वर्ष का समय निश्चित किया गया है। लेकिन सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि तीन वर्ष की अवधि में किसी कारण से चुनाव नहीं हो सकते हों या नई पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता हो तो सरकार समय समय पर इस अवधि के अन्दर वृद्धि कर सकती है। लेकिन इस वृद्धि को भी सीमित कर दिया गया है और इसकी एक वर्ष की सीमा निर्धारित की है। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी पंचायतें हैं उनकी अवधि किसी भी हालत में ४ वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। पिछले दिनों में पंचायत समिति का जो कानून इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था उस समय भी जिस पंचायत की अवधि समाप्त हो गई उसमें वृद्धि किये जाने का सुझाव सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ। उस समय भी सदन के कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की कि जिनकी अवधि समाप्त हो गई है उनका तुरन्त चुनाव कराया जावे और उसके बाद पंचायत समिति का गठन करने की व्यवस्था की जावे। मगर सरकार ने उस समय आश्वासन दिया था कि हमने पंचायत समिति के गठन के लिये एक तारीख निश्चित कर दी है और २ अक्टूबर को उसका उद्घाटन होगा। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में सभी जगह सूचना दे दी है और भारतवर्ष के बाहर भी इसका प्रचार कर दिया गया है। इसलिये ऐसी सूरत में हमने किसी प्रकार से चुनाव सम्पूर्ण नहीं कराये तो २ अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकेगा। सदन ने, मैं समझता हूं कि सरकार के इस दिये गये आश्वासन पर विश्वास किया और उसके बाद धारा को इस रूप में पारित किया और उसके अनुसार पंचायतों की, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी

थी उनको एक वर्ष का समय मिला और सदन में यह घोषणा की गई कि जनवरी, १९६० के पहले पहले चुनाव करा कर नये रूप से पंचायतों का गठन होगा और उसके आधार पर पंचायत समिति और जिला परिषदें बनाई जावेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस संशोधन के पीछे ठीक समझने वाले कारणों को हम देखें तो इस नये कार्यक्रम को लाने में कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं जो कानूनी रूप से चुनावों की पद्धति से हमारी सारी इच्छाओं के विपरीत जाती हैं। लेकिन हमने एक व्यवस्था को स्वीकार किया है और हमसे आश्वासन देकर कराया गया है। हमने उसको स्वीकार किया क्योंकि उसकी तारीख निश्चित कर दी गई थी। लेकिन अब जो यह संशोधन आ रहा है वह अपने आप में एक अजीब संशोधन है और अजीब सिद्धान्त रखता है। अगर कोई यह कहता कि तीन वर्षों के बजाय पंचायतों की अवधि चार वर्ष की रखी जानी चाहिये तो इस पर वाद-विवाद हो सकता था और सरकार के इन्टेन्शन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता था। लेकिन यह जो संशोधन पेश किया गया है इससे स्पष्ट यह पाया जाता है कि जहां सरकार को यह मालूम होगा कि फलां पंचायत में उनके दल के व्यक्ति नहीं आ सकते हैं या जहां सरकार यह चाहती है कि चुनावों में दूसरी पार्टी के लोग नहीं आने पावें या सरकार को यह मालूम हो जावे कि उनकी पार्टी के लोग यहां हार जावेंगे तो ऐसी हालत में सरकार के हाथों में यह संशोधन अधिकार देता है कि वे उसकी अवधि बढ़ा सकें और अवधि भी इतने समय तक की कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं नहीं समझता कि सरकार बिना सीमा निर्धारित किये किस प्रकार से यह अधिकार चाहती है और प्रयोग में ला सकती है। यह भी व्यवस्था है कि पंचायत के चुनावों का कार्यक्रम निर्धारित हो गया हो और तारीख निश्चित हो गई हो उसका भी चुनाव नहीं करावेंगे। आप यह समझते हैं कि इस प्रकार के प्रोवीजन से चुनावों के बाद जो व्यवस्था होनी चाहिये हो जावेगी? मैं समझता हूं कि हमारे नये मन्त्री महोदय पंचायतों के सम्बन्ध की सारी बातों से परिचित हैं या नहीं, लेकिन पुराने मन्त्री महोदय तो इससे परिचित हैं कि चुनाव का सारा प्रोग्राम निश्चित होने के बाद भी कितनी बार पंचायतों का चुनाव स्थगित होता है। एक बार नहीं लेकिन कई बार स्थगित हुआ है। अगर पंचायतों का इतिहास लिखा जावे तो वह इस बात का होगा कि फलां तारीख को एक बार और फलां तारीख को दूसरी बार और १० या १२ बार चुनावों की तारीख निश्चित की गई और उसका चुनाव स्थगित कर दिया गया है। आज वह सरकार प्रत्यक्ष में अनुभव करती है और अनुभव देती है और कानून इस प्रकार का लाती है कि सरकार की ईमानदारी पर शंका करने की गुन्जाइश नहीं है, सरकार के कार्य पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, सहसा विश्वास नहीं होता कि सरकार की ईमानदारी मानी जाय या नहीं। चुनाव की अवधि तीन-चार वर्ष कर दी। उस समय में सरकार कोई कमी बेशी करना चाहती है, उसको समझ में लाया जा सकता है लेकिन कमीबेशी के बारे में निश्-

(श्री भैरोंसिंह)

चत बताये। सरकार चलना चाहती है वह संदेह से परे नहीं हो सकता है। एक वर्ष की अवधि में, आगे क्लॉज आ रहा है और नया सेक्शन एड कर रहे है, प्रोविजो हैं एक साल की मयाद बढ़ाने का। उसके उपरान्त सरकार की ओर से कार्यवाही चालू रहेगी। यदि वह कार्यवाही चालू नहीं रहे तो समझ में आ सकता है। जहां तक मैं इसको समझा हूं, उस अवधि में जिन पंचायतों का चुनाव हो जाना था उनके समय में वृद्धि नहीं करना है तो ऐसी स्थिति में सरकार यह भावना लेकर चल सकती है कि फलां तारीख को पंचायतों की मयाद खत्म होती थी, फलां तारीख को चुनाव होंगे। मियाद खत्म होती थी, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की व्यवस्था नहीं होगी और सरकार चुनाव कराने की व्यवस्था कर देगी। कह देगी कि फलां तारीख को प्रोग्राम निश्चित कर दिया वह भी अजीब प्रकार का। पंचायतों की अवधि समाप्त होती थी फलां तारीख को, वोटर्स लिस्ट हो गयी, इस सप्ताह चुनाव की तारीख निश्चित की जावेगी, फिर नोटिस इश्यू होंगे। लम्बा–चौड़ा प्रोग्राम होता है। नोटिस इश्यू करने के बाद फिर सरकार के लिए यह आवश्यकता नहीं होगी कि उन पंचायतों के चुनाव हों या नहीं। अगर सरकार यह विश्वास दिलाये कि नोटिस इश्यू कर दिया जावेगा, कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जावेगा और उसको कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया, निश्चित तारीख में चुनाव नहीं होते हैं तो समय में कोई वृद्धि नहीं होगी तो यह समझ में आ सकता है। लेकिन यह भी विश्वास सरकार यहां पर नहीं देना चाहती। कह दिया कि चुनावों की निश्चित तारीख रख दी गई है, प्रोग्राम बना दिया गया है। जैसे २६ अगस्त को चुनाव निश्चित कर दिये लेकिन इधर चुनाव अधिकारी को कह दिया कि तुम बुखार चढ़ा लो या टेलीग्राम दे दिया कि आवश्यक काम से जयपुर मिलने आजाओ। वह मिलने के लिए आ गया, फिर सरकार इस प्रकार से घोषणा कर देगी कि चुनाव अधिकारी बीमार हो गया था अथवा उसको किसी कार्यवश जयपुर बुला लिया गया अतः बाद में चुनाव की तारीख निश्चित कर दी जावेगी। फिर वही लम्बा प्रोसिजर होगा। नोटिस के लिए समय लगेगा, बाकायदा लम्बा चौड़ा प्रोग्राम बनेगा और इस बीच में फिर कहीं कुछ हुआ तो और समय बढ़ जायेगा। इस बीच में पंचायत समितियों के चुनाव हो जावेंगे। कई जिला परिषदों में भी पंचायत समितियों के चुनावों का असर होगा। इससे, अध्यक्ष महोदय, यह साफ प्रतीत होता है कि इस प्रकार का क्लॉज़ रख कर सरकार राजनैतिक संरक्षण देना चाहती है। इसका बड़ा बुरा असर पंचायतों में होगा। सरकार चुनावों के स्थगन का जो इस प्रकार का अधिकार लेना चाहती है, मैं समझता हूं कि यदि सरकार को ऐसे अधिकार मिलते हैं तो यह पंचायती राज्य की कल्पना के भी विपरीत होगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का संशोधन वे लाना चाहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है।

नगरपालिका का भी कानून है। वहां पर भी अवधि निर्धारित कर रखी है कि इतने वर्ष नगरपालिका काम करेगी और चुनाव उस समय नहीं हो सके तो सरकार को यह अधिकार दिया है कि अमुक तिथियों तक एक्सटेन्शन कर सकते हैं। यह प्रावधान

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं रखा है कि चुनाव की उस अवधि के समाप्त होने के बाद चुनावों की तारीख तय करने की अवधि बढ़ती रहे । कहीं भी नगर-पालिका के कानून में, जिला परिषद् के कानून में यह व्यवस्था नहीं की है और बाकी प्रदेशों के भी कानून हैं, यू. पी., बॉम्बे, मध्य प्रदेश, किसी भी सरकार का कानून ले लीजिये उस कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं रखी है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि राजस्थान की सरकार को क्यों आवश्यकता महसूस हुई।

उस स्थिति में मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो धारा रखी है वह मूलतः गलत है, चुनावों की भावना के विपरीत है, पंचायत राज्य की कल्पना के भी बिल्कुल विपरीत है और चुनावों की पद्धति के भी खिलाफ है । इस क्लॉज़ को रख कर यदि चुनाव कराते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार अपने आदमियों को गलत तरीके से थोपने के लिए व्यवस्था कराना चाहती है और इसीलिए कानूनी संरक्षण ले रही है अपने व्यक्तियों को थोप कर उनसे प्रशासन का काम कराना चाहती है। सरकार की ऐसी मंशा है तो आपके साथ बहुमत है और बहुमत के आधार पर इसको सरकार पास करवा सकती है लेकिन यह चीज़ पंचायती राज्य की कल्पना के मूलतः विपरीत होगी और यह सरकार की जिम्मेदारी होगी । मैं समझता हूँ कि सरकार यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है तो फिर पंचायत राज्य की कल्पना और पंचायतों के निर्माण की भावना बेबुनियाद है । इससे राज्य की जनता को बड़ी दिक्कतें होंगी और उसकी राज्य के प्रति आस्था कम होगी। इस धारा को सदन बिल्कुल स्वीकार न करे, यदि स्वीकार कर लिया तो पंचायतों में जबरदस्त नुकसान होगा, सरकार को काफी मनमानी चलाने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में जो सरकार की ओर से संशोधन उपस्थित किया गया है उस पर यह आशंका प्रकट की गई है कि शायद सरकार ने अपने समर्थकों को किसी न किसी तरह से पंचायतों में लाने के लिए नया मार्ग खोल लिया है । मैंने इस पर सोचा। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के संदेह का नया संशोधन पेश किया गया है उसमें गुंजाइश नहीं रहती है। इसमें एक संशोधन तो उपस्थित किया गया कि ३१ अक्टूबर, १६६० की तारीख डाल दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक अगले चुनावों का प्रश्न है सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि अक्टूबर से लेकर दिसम्बर तक सब चुनाव हो जावेंगे। आज पंचायतें चल रही हैं उनके हो जावेंगे, बड़ी पंचायतों की जगह छोटी पंचायतें बना रहे हैं उनके हो जावेंगे । जैसा कि आगे संशोधन आया है, न्याय पंचायतों के, यदि वह संशोधन स्वीकार कर लिया गया, भी चुनाव हो जावेंगे। सब के ३१ अक्टूबर और दिसम्बर के बीच में चुनाव हो जावेंगे । इसलिए इसमें ३१ तरीख डाल देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जहां तक इनके चुनावों का ताल्लुक है यह निश्चित हो चुका है कि ये चुनाव अक्टूबर और दिसम्बर के बीच में हो

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जावेंगे। यह जो व्यवस्था बनाई गई है वह सब काल के लिए है। इसमें ३१ तारीख का निर्धारण करना अवश्यक है। -

दूसरी बात यह है कि इस किस्म का प्रावधान म्युनिसिपिल एक्ट में है ....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): चुनाव हो जावेंगे, सुपरसीड होंगीं; उसके लिए लिखा हुआ है कि ६० में चुनाव हो जावेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अपवादात्मक परिस्थितियों के लिए है। एक साल की मयाद दी है। वैसे साधारणतया चुनाव हो जाने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप यह कल्पना किया करते हैं कि चार साल की अवधि में चुनाव नहीं होंगे। तीन साल की अवधि है, एक साल का एक्सटेन्शन है। कौन से अभूतपूर्व कारण हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। जैसे चुनाव तो हो गये, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। इस दृष्टि से पुरानी पंचायतें तो काम नहीं कर सकतीं। ऐसी सूरत में टेम्पोरेरी प्रोग्राम अनाउन्स होगा, चुनाव हम करा रहे हैं एक–आध महीने के बाद; इसलिए यह प्रोविजन रखा है। इसको जनरल न बनाइये। म्युनिसिपल एक्ट जैसा ही ऑलरेडी इसमें प्रोविजन है।

श्री भैरोंसिंह : आप इसमें स्पष्ट रूप से रख दीजिये कि यह क्लॉज उन्हीं परिस्थितियों में लागू होगा जिन मामलों में हाई कोर्ट द्वारा इन्टरफिअरेन्स हो, उसके द्वारा स्टे आर्डर हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आप इसमें लिख दीजिए, जिन–जिन परिस्थितियों में आप इस क्लॉज को लागू करना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे सारी परिस्थितियां नहीं बतायी जा सकतीं जिसकी वजह से कि दिक्कत आ सके।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो इन्टरप्रिटेशन पर है।

श्री भैरोंसिंह : आप अब उन परिस्थितियों को नहीं बता सकते जिनके कारण आपको इस प्रकार के क्लॉज रखने की आवश्यकता महसूस हो; केवल कोर्ट के इन्टरफिअरेन्स की दिक्कत आती हो तो वह लिख दीजिये। कोर्ट के ऑर्डर के अलावा ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण आप इस प्रकार का प्रावधान लाना चाहते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो साफ है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें, मान लीजिए, प्रोग्राम भी तय हो चुका लेकिन किसी कारण से इलेक्शन नहीं हो सका, यह कोई जनरल तो है नहीं। यह तो हमने जान-बूझ कर रखा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एमर्जेन्सी हो सकती है, इसी प्रकार का सेक्शन ११ म्युनिसिपल एक्ट में है।

श्री भैरोंसिंह : एमर्जेन्सी क्या हो

Page No.54

(श्री भैरोंसिंह)

सकती है? कोर्ट की एमर्जेन्सी तो समझ में आ सकती है लेकिन जब एक तारीख निश्चित कर दी, प्रोग्राम तय हो गया लेकिन चुनाव न करवा कर आपने अवधि बढ़ा दी। मान लीजिये किसी के चुनाव की २६ जुलाई आपने तय की। उसको २६ सितम्बर कर दिया और उसके बाद २६ सितम्बर की जगह १८ दिसम्बर कर दिया, इस चीज़ को कैसे रोका जा सकेगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी वजह से किसी पंचायत के इलेक्शन नहीं होते हैं, वहां वेकुम क्रिएट हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर हम अपॉइन्ट करना नहीं चाहते, वैसी स्थिति में एमर्जेन्सी हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि जहां कहीं भी इलेक्शन की प्रोसीडिंग स्टे करने का सवाल होता है वहां आप एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करना नहीं चाहते इसीलिए यह प्रोवीज़न लाया जा रहा है क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और भी परिस्थितियां आ सकती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : आप एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं करना चाहते, इसीलिए यह प्रोवीजन ला रहे हैं क्या? दा साहब यही मतलब है ना आपका?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): हां, यही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This is not the way of asking. सवाल-जबाब थोड़े ही हो रहे हैं। यह प्रोवीजन है, जो एमर्जेन्सी प्रोवीजन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्रीजी तो कह गये कि इलेक्शन प्रोसीडिंग स्टे हो जाती हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना चाहिए लेकिन हम करना नहीं चाहते और उस पर दा साहब ने मोहर लगा दी, लेकिन आप क्लॉज को पढ़ लीजिये:—

"Appointment of Administrator in certain cases-Whenever...

(d) The term of Office of an existing Panchayat has expired before the finalisation of such election and proceedings......" इसमें एडमिनिस्ट्रेटर रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, है। अभी तो जबाब हो रहा है। आप इन्टर्वीन मत करिये। आप जैसा इन्टरप्रिटेशन चाहें लगा लें। हमारी कोई ऐसी मन्शा नहीं कि एमर्जेन्सी के अलावा इसका प्रयोग करें। हो सकता है कि किसी भी समय कैसी एमर्जेन्सी अराइज़ हो जाय, उसके लिए यह आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट की एमर्जेन्सी समझ में आ सकती है। राजस्थान की आप एक भी पंचायत का उदाहरण बता दीजिए जिसमें एमर्जेन्सी इस प्रकार की आयी हो एक साल की अवधि बढ़ाने के बाद में सिवाय कोर्ट के इन्टरफिअरेन्स के अलावा और अन्य प्रकार की एमर्जेन्सी अराइज़ हुई हो और चुनाव स्थगित करने पड़े हों, एक भी बता दीजिए?

Page No.55

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक नहीं, बीसों पंचायतें बता सकता हूं जहां पर बावजूद तारीख निश्चित करने के चुनाव नहीं हो सके। किसी जगह सरपंच के कान-नाक काट दिये गये बावजूद हमारी कोशिश के चुनाव नहीं हो सके।

श्री भैरोंसिंह : एक भी नहीं मिलेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एमर्जेन्सीज़ भी नई नई हो सकती है। नई नई सर्कम्सटान्सेज़ क्रिएट होती रहेंगी। एक नहीं पचासों बता सकता हूं, बीसों मिसालें हैं। कहीं पर कान-नाक काट लिये जाते हैं इस तरह की कई बातें हो सकती हैं इसलिये ऐसा प्रोवीज़न आवश्यक है।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : तो नाक कान काटने वालों के डर से यह लाया जा रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके डर से लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपको अभी सन्तोष नहीं हुआ क्या?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जो प्रावधान रखा गया है राजस्थान सरकार ने घड़ घड़ा कर रखा हो, यह बात नहीं; कई राज्यों में भी यह प्रचलित है....

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : उसी की नकल की है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसको राजस्थान सरकार ही क्या बंबई, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बंबई में नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इन इन राज्यों में है, पश्चिमी बंगाल में है, बंबई, पंजाब, उत्तरप्रदेश और दिल्ली में जो अभी अधिनियम बना है उसमें है। इसलिये यह कहना कि राजस्थान ही ऐसा कर रहा है और उससे आपके कान खड़े हो जायं, यह उचित नहीं।

दो मुख्य बातें हैं। तारीख निश्चित कर दी और उसके बाद राज्य के अधिकारी किसी बहाने ऐसी बात कर लें, अमान्य कर लें, ऐसी मन्शा नहीं। इसलिये यह क्लॉज़ निर्दोष है, इसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं उनको वापिस लिये जाने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.56

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I withdraw my amendment.

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

ना पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'ना' पक्ष जीता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अमेन्डमेन्ट विथ्ड्राँ होने के बाद बाकी क्या रह गया ?

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ७

[इस खण्ड ७ पर निम्न सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुये :—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

8. (1) In sub-section (1) of section 9 sought to be substituted, substitute the words "within one month of" in place of the words "as soon as may be after".

(ii) Substitute the words "by election on the basis of proportional representation by means of single transferable vote" for the words "in the prescribed manner," occurring in line 3.

Sub-Section (2) replace the words "as soon as may be after" by the words "within one month of."

Sub-Section (3) be deleted.

Sub-Section (4): Delete the words "or deemed to be co-opted"

श्री शंकरलाल :

9. In sub-section (3) of section 9 sought to be subsituted for section 9 of the principal Act, substitute the word "Pramukh" for the word "Collector."

रावराजा श्री सरदारसिंह :

15. In sub-section (3) of section 9 sought to be substituted for section 9 of the principal Act, replace the words "fifteen days" by the words "one month"

श्री पी० के० चौधरी :

22. Delete sub-section (3) of section 9 sought to be substituted for section 9 of the principal Act.

Page No.57

डॉ० चन्द्रकला :

(23) (1) In sub-section (i) of new section 9 sought to be substituted, after ths words "shall be co-opted " insert the words "unanimously or by three-fourth's majoriity."

(2) In clause (iii) of sub-section (1), between the words "to the Panchayat" and "and" insert the words "and the population of Schedule castes in the Panchayat circle exceeds five percent of the total population thereof."

(3) (i) In sub-section (3)- replace the words "fifteen days" by the words "one month" and, (ii) replace the words "the Collector" by the words "the Pradhan of the Panchayat Samiti concerned."

श्री सोहनलाल भटनागर :

24. Words "Standing Committee incharge of Finance, Taxation and Administration of the Panchayat Samiti having Jurisdiction" be substituted for the word "Collector" occurring in the third line of sub-section (3) of section 9 sought to be substituted.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

25. In sub-section (2) of section 9 sought to be substituted,

(1) substitute the words "The concerned Tehsildar or the Naib Tehsildar" for the words "As soon as may be after his election the Sarpanch".

(2) Replace sub-section (3) of the new section 9 by the following:-

"(3) If for want of the necessary quorum or for any other sufficient reason, the members of the Panchayat fail to co-opt members specified in sub-section (2) the Tehsildar or the Naib Tehsildar Presiding over the meeting shall adjourn the same to another date which may not be later than seven days of the date appointed under sub-section and at such adjourned meeting the quorum shall not be necesary."]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ७ में भी मेरे कुछ संशोधन हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ७ में व्यवस्था की गई है कि पंचायत का पंच और सरपंच का चुनाव होने के बाद कुछ सदस्यों के कोऑप्शन के बारे में यह क्लॉज है, जिसमें लिखा है : "As soon as may be after the election of panchas and sarpanch for a panchayat, there shall be co opted in the prescribed manner by the panchas so elected from amongst persons qualified under this Act to be elected as panchas:-

(i) two women, if no woman has been elected to the panchayat,

(ii) one woman if only one woman has been so elected,

Page No.58

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(iii) one person belonging to the scheduled castes if no such person has been elected to the panchayat, and

(iv) one person belonging to the scheduled tribes if no such person has been elected and the population of such tribes in the panchayat circle exceeds five percent of the total population thereof." यह जो उपधारा (१) है उसमें मेरे दो संशोधन के प्रस्ताव हैं;

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो लिखा है कि "As soon as may be after the election of panchas and sarpanch" इसमें जो शब्द है "as soon as may be" इसके लिये मैंने चाहा है कि "within one month"; ये शब्द सब्स्टीट्यूट कर दिये जावें।

१ म० प०

जहां तक कोऑप्शन का सवाल है, मैं उसका विरोध नहीं करता, पर यह चाहता हूं कि पंच और सरपंच के चुनाव के बाद इस कोऑप्शन की कार्यवाही की जिस तरह की व्यवस्था इसमें रखी है और जिस तरह यह सारी इलेक्शन की सरकारी मशीनरी काम करती है और जिस तरह से सरकार की सम्पूर्ण मशीनरी काम करती है उसको देखते हुए "एज़ सून एज़" का कोई मतलब नहीं रह जाता। उस एज़ सून एज़, का मतलब हम जानते हैं। लोगों को उसका अनुभव है। इसलिये इसमें मैंने एक साधारण सी यह बात रखी है कि जिसे माननीय मन्त्रीजी को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये और इस कोऑप्शन का पीरियड लिमिट कर दिया जावे। सरपंच पर यह ओब्लीगेशन रख दिया जावे कि एक महीने के अन्दर अन्दर यह कोऑप्शन की कार्यवाही कर ले। वह चाहे पांच दिन में करे, दस दिन में करे, बीस दिन में करे, पर महीने से ज्यादा नहीं लगाना चाहिये। एक महीने के अन्दर अन्दर यह कोऑप्शन की कार्यवाही हो जानी चाहिये। और यह इसलिये लिखा है कि जब तक कोऑप्शन की कार्यवाही कम्पलीट नहीं होती एक प्रकार से आगे काम नहीं हो सकता। अगर सरकार चाहती है, उसकी मंशा है जल्दी से जल्दी करवाने की तो इस छोटे से मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

इसी प्रकार का छोटा सा संशोधन धारा २७ के भाग (१) में भी रखा है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरों ने भी कुछ संशोधन इसी प्रकार के रखे हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन उस अवस्था में, विशेष करके ठीक होगा जब कि आप महिलाओं का कोऑप्शन करें।

तीसरा संशोधन सब क्लॉज (२) में है: "In sub section (2) replace the words "as soon as may be after" by the words "within one month of".

Sub section (2) reads as under:-

"(2) As soon as may be after his election the Sarpanch shall convene, under due notice in the prescribed manner, a special meeting of the newly elected panchas to co-opt persons referred to in sub-section (1)."

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अगर सरपंच पर इस बात को हमने छोड़ दिया कि वह इस प्रकार की मीटिंग बुलावे और कोऑप्शन की कार्यवाही करे, तो यह कई बार देखा गया है कि सरपंच दलबन्दी के आधार पर जीत कर आता है और कोऑप्शन में चाहता है कि उसका विशेष पसन्द का ही आदमी आवे। इसमें अगर किसी कारण से उसको सहूलियत नहीं मालूम हुई तो वह मीटिंग नहीं बुलावेगा, उसे हर तरह से टालने की कोशिश करेगा। इसलिये यह कानून में ही व्यवस्था कर दी जावे कि एक महीने के अन्दर अन्दर कोऑप्शन के लिये उसे मीटिंग बुलानी होगी। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह के उदाहरण कम नहीं हैं जिनमें ऐसा अनुभव हमें भी हुआ है कि सरपंच ने दूसरी बार पंचायत का चुनाव हो जाने के बाद और दूसरे सरपंच के पद-ग्रहण कर लेने के बाद भी सरपंच का चार्ज उसे नहीं सौंपा, पुलिस की मदद से भी नहीं सौंपा, चाबियां लेकर फरार हो जाता है। ऐसे उदाहरण गंगानगर जिले में कुछ हिस्सों में हुए हैं। बड़ी मुश्किल से, पुलिस की मदद से उसे चार्ज दिलाया गया। इसलिये इसके हैंडलिंग में सरकार ने स्वयं इसी संशोधन कानून में आगे की धारा में संशोधन भी रखा है कि अगर इस तरह कोई चार्ज नहीं देगा तो मजिस्ट्रेट की मदद लेकर चार्ज दिलाने की कार्यवाही की जावेगी। जहां इस प्रकार का कटु अनुभव स्वयं मन्त्री महोदय को हुआ हो, तब यह शंका करना निराधार नहीं है कि इस 'एज़ सून एज़' का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, अपनी पार्टी का आदमी लाया जा सकता है, नहीं लाया जाने की सम्भावना हो तो इसे टाला जा सकता है और ऐसी स्थिति में कलेक्टर के द्वारा अपोइन्टमेंट हो सकता है, जो निश्चय ही सत्तारूढ़ दल के पक्ष के आदमी को सिलेक्ट करेगा। तो ऐसी सूरत में यह अवधि की लिमिट बांधी जानी आवश्यक है। आपके अनुसार यह शीघ्रातिशीघ्र १५ दिन का हो सकता है, मेरे अनुसार सात दिन का भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी काम करने लग जावे, इसके लिये यह एक महीने की बात रखनी जरूरी है। पीरियड प्रेस्क्राइब कर दिया जाय।

इसमें आगे अध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज़ (३) है। इसमें जो व्यवस्था की गई है और इसमें लिखा है कि "If, within fifteen days of the first meeting of the panchayat convened for such co-option,"जो मिटिंग बुलावेंगे"the Panchayat fails to co-opt the requisite number of persons, the Collector shall nominate such persons or persons and every person so nominated shall be deemed to have been duly co-opted."

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन का प्रस्ताव रखा है, यह जो क्लॉज़ (३) रखी है यह तो बहुत ही खराब है। आपने १५ दिन का समय दे दिया, पर कई कारण हो सकते हैं जैसा मन्त्री महोदय ने कहा जिनके कारण एक ओर आपने कन्टीन्यूएन्स का प्रोवीज़न रखा, पंचायत का कार्यकाल बढ़ाये जाने की बात कही और दूसरी तरफ जो अधिकार दिये गये हैं कोऑप्शन के, ये दोनों मेल नहीं खाते। आप इन्टरेस्टेड होंगे किसी में तो आप उसको लावेंगे। अगर उसके लाने की स्थिति नहीं देखी आपने तो पहली

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बात तो आप मीटिंग नहीं बुलाने देंगे, कोऑप्शन नहीं करने देंगे। नतीजा यह होगा कि कोऑप्शन नहीं होगा। १५ दिन में कोऑप्शन नहीं करने देंगे तो कलेक्टर महोदय से नोमीनेशन होगा और वह ड्यूली कोऑप्शन माना जावेगा। इस प्रकार की व्यवस्था रखना ठीक नहीं है। धारा ४ में जो कुछ रखा गया है उसके बारे में जो शब्द हैं इसके कॉन्सीक्वेन्शियल हैं। इसमें यह छिपा है कि इस प्रकार का नोमीनेटेड कलेक्टर के द्वारा किया हुआ ठीक माना जावेगा। इस पर मैंने संशोधन नहीं रखा। पर कलेक्टर के स्थान पर जिला परिषद् और फाइनेन्शियल स्टेन्डिंग कमेटी आदि का सुझाव आपके पास आया है। जो इलेक्टेड बॉडी के नाम प्रस्तावित किये हैं, मैं समझता हूँ जहां एक ओर हम आज के युग में लोकतन्त्र की संस्थाओं को पनपाने जा रहे हैं, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और जनता के चुने हुए लोगों के हाथों में वह सत्ता सौंपने जा रहे हैं उस हालत में कलेक्टर को यह अधिकार देना न्यायोचित नहीं हो सकता। इसके स्थान पर दूसरे जो संशोधन आये हैं तो उनके प्रस्तावों का मैं एडवान्स में समर्थन करता हुआ अपने संशोधन के प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिस्थापित किये जाने वाले क्लॉज़ ९ में मेरा संशोधन प्रस्ताव है। इसके द्वारा अनुसूचित....

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ७ है।

श्री शंकरलाल: राजस्थान पंचायत एक्ट की तो धारा ९ है, उसकी यह बात इसमें है। इसमें अनुसूचित जाति को कोऑप्ट करने की बात रखी है। अगर वह नहीं होता है तो इसमें भी कलेक्टर के द्वारा नोमीनेशन करने का प्रावधान रखा है। इसमें संशोधन रखा है और वह संशोधन यह है कि कलेक्टर द्वारा नोमीनेशन न होकर जिला परिषद् के प्रमुख द्वारा नोमीनेशन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक नोमीनेशन का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजस्थान में जहां पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को एक तरफ महत्व देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि कम से कम इन संस्थाओं के अन्दर हमारा इन्टरफियरेन्स हो। हमने पंचायत समिति का जो एक्ट बनाया उसमें भी कोऑप्शन का प्रावधान रखा है और उस संबंध में हमने जहां कृषि पण्डित का प्रश्न आया था उसमें यह रखा है कि जिला परिषद की रिकमन्डेशन पर और वह जिसको चाहेगा कृषि पण्डित की पदवी दी जायेगी, तो पंचायत समिति के कोऑप्शन में भी जिला परिषद् का कुछ इन्टरफियरेन्स रखा है। लेकिन जो पंचायत समिति और ज़िला परिषद् जो यह दो प्रकार की संस्थायें हैं उनको अधिकार नहीं देकर हमने कलेक्टर को जो अधिकार नोमीनेशन का दिया है मैं। समझता हूँ कि यह प्रजातांत्रिक सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का ढांचा है उसमें पंचायत, पंचायत समिति और जिलापरिषद् और उसके बाद में सरकार इस प्रकार की कड़ी शासन के ढांचे में लाना चाहते हैं तो जो पंचायतों से सरपंच चुने जाते हैं वह पंचायत समिति में आते हैं और पंचायत

(श्री शंकरलाल)

समिति के जो प्रधान हैं वे सब मिल कर जिला परिषद् का चुनाव करते हैं। तो जो जिला परिषद् की बॉडी है और उसका प्रमुख है वह सारे जिले की पंचायतों का विश्वास-पात्र व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति को अधिकार नहीं देकर एक सरकारी अधिकारी को वह अधिकार दिया जाये तो मैं समझता हूं कि वास्तव में जो पंचायतों की भावना है और जो हमारा लक्ष्य है डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्र-लाइजेशन लाने का उस लक्ष्य के बिलकुल ही विपरीत चीज़ होगी। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो जिला परिषद् का प्रमुख होता है उसको इस बात का ज्ञान होता है कि उस जिले के अन्दर कौनसे पंचायत क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति नोमीनेट किया जा सकता है और जिसको कि नोमीनेट किया जायेगा वह उसकी योग्यता रखता है या नहीं। अगर कलेक्टर को अधिकार दिया जाता है तो कलेक्टर अपनी मशीनरी के द्वारा एस० डी० ओ० से प्रपोज़ल मांगेगा और एस० डी० ओ० तहसीलदार से प्रोपोज़ल्स मांगेगा और जो भी इस प्रणाली के द्वारा व्यक्ति आयेगा उसका कोई आधार नहीं होगा और हो सकता है कि किसी के कहने से ऐसा हो जाये। क्योंकि उनको यह ज्ञान नहीं होता है कि उस क्षेत्र में कौन सा आदमी योग्य है और कौन अयोग्य, क्योंकि सरकारी अधिकारी तो बदलते रहते हैं और जो भी वे काम करते हैं नीचे के प्रपोज़ल्स से ही करते हैं। तो मैं समझता हूं कि चाहे 'कलेक्टर शब्द' रखा जाये, चाहे तहसीलदार रखा जाये उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि कलेक्टर तो अपनी मर्जी से किसी आदमी का नाम नोमीनेट नहीं करेगा, वह नामजद करने के अधिकार को कलेक्टर और तहसीलदार की रिकमन्डेशन पर ही प्रयोग में लायेगा। इसलिए जो नोमीनेशन का प्रावधान रखा है कलेक्टर के लिए यह बिलकुल ठीक नहीं है। जो आदमी नोमीनेट किया जाये वह जनता के विश्वास का होना जरूरी है। कौन सी महिला और कौन सा अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि पंचायत में जाना चाहिए उसको उस क्षेत्र की जनता ही जानती है और उस क्षेत्र की जनता की भावना जिला पदिषद अच्छी तरह से जानती है जो कि वहां की इलेक्टेड बोडी है और जिला परिषद का प्रमुख अच्छी तरह से जान सकता है। इसलिए दोनों सिद्धान्तों से, प्रजातंत्र के सिद्धान्तों से और योग्यता की दृष्टि से और वहां की जनता के विश्वासपात्र व्यक्ति होने के नाते तीनों दृष्टिकोणों से जिला परिषद का प्रमुख ही अधिक उपयुक्त होगा। अगर यह अधिकार कलेक्टर को दिया तो अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भय है कि एक तरफ तो हम कहते जा रहे हैं कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इन तीनों की कड़ी के बाद राज्य सरकार आये और पंचायतों में कलेक्टर के अधिकारों को आप घुसेड़ने लग गए तो पंचायत समिति और जिला परिषद जो बॉडी बना रखी हैं उनको अधिकार न देकर कले-क्टर को दे रहे हैं, तो यह आशंका पैदा हो सकती है कि सरकार कुछ अधिकार वापिस अपने हाथों में लेना चाहती है। इसलिए हर दृष्टिकोण से यदि हमें हमारा मकसद पूरा करना है तो पंचायतों के अन्दर जहां नामज़दगी का प्रोवीज़न रखा गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाओं का कोऑप्शन हो तो नामजदगी कौन करे ? तो जिला परिषद ही एक ऐसी

Page No.62

(श्री शंकरलाल)

बॉडी हो सकती है और जिला परिषद् का ही प्रमुख एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके द्वारा यह नामजदगी की जाये। कौन व्यक्ति योग्य होगा इसके लिए तो पंचायत समिति के प्रधान भी उपयुक्त नहीं होंगे पंचायत समिति जो कि कॉन्सटीट्यूटेड होती है उसमें पंच, सरपंच आते हैं और सरपंचों को जो इन्टरेस्ट होता है कि उनकी पंचायत में उनका आदमी हो और उनका ही सपोर्टर आये लेकिन जिला परिषद् का कोई डाइरेक्ट कन्सर्न पंचायतों से नहीं होता कि पंचायतों में किसका बहुमत रहे। इसलिए न तो कलेक्टर को यह अधिकार दिए जायें और न पंचायत समिति को दिये जायें; हर हालत में जिला परिषद को और जिला परिषद के प्रमुख को ही अधिकार दिया जायेगा तो हमारा मकसद लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का पूरा हो पायेगा और जो इस क्लॉज़ में हमने संशोधन रखा है उससे मकसद पूरा हो सकेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इतने साधारण सिद्धान्त के आधार पर जो मैंने संशोधन रखा है इसको स्वीकार किया जाये और जिला परिषद के प्रमुख को ही यह अधिकार दिये जायें और कलेक्टर को नहीं।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लॉज़ पर एक संशोधन है कि : "In sub-section (3) of section 9, sought to be substituted for section 9 of the principal Act, replace the words "fifteen days" by the words "one month" अध्यक्ष महोदय, जो कलेक्टर को नोमीनेशन के पॉवर्स दिये गये हैं उसकी मयाद १५ दिन की रखी गई है, इसके विषय में है और माननीय अध्यक्ष महोदय, दो औरतें और 'वन पर्सन बिलोंगिंग टू शिड्यूल्ट कास्ट्स' यह ऑप्ट करने के लिए था तो यह पहले तो प्रधान को दिया गया था और वह इसको करने के लिए फेल हो १५ दिन के अन्दर तो कलेक्टर १६ वें दिन ही उसको नोमीमेट कर सकता है। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जब पंचायत समितियां बनीं और जिला परिषदें बनीं तो मेरे भी देखने में आया है कि पंचायत समिति का इलेक्शन हो जाये और प्रधान का इलेक्शन हो जाय और प्रेस्काइब्ड मैनर के ऊपर नोटिस जारी करें तो उसमें साफ लिखा है कि 'Clear 7 days'। तो ऐसा ऐसा मुझे देखने में आता है कि जब भी नोटिस जारी होते हैं तो दो तीन दिन तो दफ्तर में ही पड़े रहते हैं और चौथे रोज वह डिस्पेच होते हैं और सरपंच वगैरह के पास दस बारह दिन में पहुंचते हैं। तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि अगर १५ दिन के अन्दर कोऑप्शन नहीं किया तो फौरन ही कलेक्टर कर दे। तो मेरा मतलब है कि जो कलेक्टर को नोमीनेशन की पॉवर्स दी गई हैं उसमें १ महीने की अवधि तो कम से कम देनी चाहिए क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में एक हफ्ते का नोटिस दिया और नहीं पहुंचा तो दूसरा नोटिस देंगे, अगर जब दूसरे में आयेगा तो फिर तीसरा देंगे; तो एक महीने की अवधि जब तक नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि यह कोऑप्शन की प्रणाली रखी है शायद इसका तो कोई इलाज ही नहीं होगा और

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

फिर कोऑप्शन भी प्रधान या मेम्बर नहीं करेंगे और वह भी सरकार के ऊपर ही थोप दिया और मेरे पूर्व वक्ता कह रहे हैं कि कलेक्टर को प्रमुख के बराबर ज्ञान नहीं होगा और कलेक्टर ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे कि यह योग्य है या नहीं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कलेक्टर आई. ए. एस. होता है और जो प्रमुख होता है वह किस बेसिस पर होता है, इसको सभी जानते हैं। मैं समझता हूं कि जो आई. ए. एस. होते हैं वह किसी पार्टी बेसिस पर तो होते नहीं, लेकिन प्रमुख तो पार्टी बेसिस पर होते हैं। बाज बाज तो ऐसा देखने में आया है कि अंगूठा टेकते हैं और कानून बनाती है सरकार अंग्रेजी में। जब अंग्रेजी में कानून बनाती है तो उनके पास दूसरा मुन्शी होता है वह उनको बताता है। अब मैंने सुना है कि आर. ए. एस. की क्वालिफिकेशन रख दी है, और ऐसा भी देखने में आता है कि वे कहेंगे कि इस तरह से किया जायगा और माननीय वित्त मन्त्रीजी और माननीय पंचायत मंत्रीजी भी जानते हैं कि आपके अजमेर में बानरवाड़ा में विकास अधिकारी हैं वे हिन्दी बिल्कुल नहीं जानते है और समझते नहीं हैं, और अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। वे जिस वक्त पंचायत होती है उस वक्त नहीं समझते हैं, लेकिन जब फैसले हो जाते हैं तो लिख देते हैं कि नहीं साहब आपने बेकायदा किया है।

मैं आपसे यह कहता हूँ कि अगर आपको यह जो कोऑप्शन का काम है यह कलेक्टर को ही सौंपना चाहिए, और पहले भी नोमीनेशन सरकार के हाथ में था और सरकार के हाथ में नहीं दें और पंचायत पर रखते हैं तो उसके पहले एक महीने की अवधि दें। तो मैं समझता हूं कि वह पंचायत समिति उनको दो दफा नोटिस देगी और नोटिस भी टाइम पर पहुँच जायगा और पंचायत समिति बराबर आदमी चुन सकेगी। उसके बाद में एक प्रोवीजन यह और हो जाना चाहिए कि कलेक्टर उनको एक दफा और टाइम दे दे, और टाइम देकर उनसे यह कहे कि आप किन कारणों से कोऑप्ट नहीं कर रहे हैं, वर्ना सरकार नोमीनेट करेगी। यह चीज जरूर देनी चाहिये तब तो न्याय है। मगर सरकार ने यह कह दिया कि १५ रोज का नोटिस पहुंचे या नहीं पहुँचे, मेम्बर्स इकट्ठे हों या नहीं लेकिन १६ वें रोज़ फलाने आदमी को मुकर्रर कर देंगे। तो यह न्यायसंगत नहीं है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि १५ रोज के टाइम के बजाय १ महीने का टाइम जरूर देना चाहिये, क्योंकि एक महीने का टाइम ज्यादा नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे भी गांव हैं जो कि ३०, ३० मील के फासले के ऊपर उस क्षेत्र में आजाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो मैं आपसे आगे अर्ज करूंगा कि दूसरे इलाके के आदमी भी आ जायं तो उनके पास पहुँचेगा नहीं। मैं यही अर्ज करूंगा कि पंचायत क्षेत्र का जोन बनावें। वह जोन ऐसे बनावें कि जहां डाक की व्यवस्था हो, जहां लोरी सर्विस की व्यवस्था हो, वहां पर किस टाइम पर पहुंच सकेगा। सरकार के पहुंचाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि जयपुर इतना बड़ा शहर है और यहां बड़ी अव्यवस्था है। ५ रोज हुए मैंने

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

एक चिट्ठी उनियारे से एक्सप्रेस डिलीवरी से डेस्पेच की थी । मैं कल आ भी गया और वह आज तक नहीं पहुंची है । ऐसे भी कई दृष्टान्त मौजूद हैं जहां साल साल भर में कागज पहुंचते हैं । तो आप न्याय पंचायत बनाना चाहते हैं तो काफी समय देना चाहिये, और काफी समय देकर, मैं यही अर्ज करूंगा कि १५ रोज़ का टाइम कम है, एक महीने का टाइम और बढ़ा देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में बोलें और जल्दी से आप अपने प्वाइन्ट पर आ जायं ।

श्री पी० के० चौधरी : I have got the amendment. I move, 'Delete sub section (3) of section 9 sought to be substituted for section 9 of the principal Act.'

यह मेरा एमेंडमेंट क्लॉज ७ में है । अध्यक्ष महोदय, इस एमेंडमेंट के जरिये यह जो नया सेक्शन है इसकी सब क्लॉज ३ जिसमें कहा गया है कि १५ दिन के अन्दर जो पंचायत कोऑप्शन नहीं कर पायेगी वहां पर जाकर गवर्नमेंट की तरफ से नोमीनेशन किया जायगा, मैं, अध्यक्ष महोदय, इसको डिलीट कराना चाहता हूं और उसके जो कारण हैं वह भी मैं बता देना चाहता हूं । इस क्लॉज ९ को देखने से आपको पता लगेगा कि कोऑप्शन से एक पंचायत में करीब करीब ४ आदमी आयेंगे, २ महिलाएं आयेंगी, एक हरिजन और एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से । और जो न्याय पंचायतें बनाई जा रही हैं उन पंचायतों में पंचों की संख्या १० के आस-पास होगी । (वित्त मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री के परस्पर बात करने पर) मन्त्री महोदय जरा गौर से सुनें । अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री सुन नहीं रहे हैं मैं किसको कहूं ?

श्री अध्यक्ष : आपको माकूल उत्तर मिल जायगा ।

श्री पी० के० चौधरी : सुना नहीं तो कैसे उत्तर देंगे ?

ये जो पंचायतें बनेंगी उनमें १० के आस-पास पंचों की संख्या रहेगी । १० पंचों की पंचायत है । अब उस पंचायत में ४ तो सारे कोऑप्शन से आयेंगे तो लगभग ४० पर्सेन्ट पंच कोऑप्शन से लिए जायेंगे । १० पंचों में से ४ पंच कोऑप्शन से होंगे, २ महिलाएं, एक शिड्यूल्ड कास्ट और एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से, इस तरह से ४ को लिया जाता है । इन चार आदमियों के लिए भी नोमीनेशन का प्रोवीज़न रखा गया है, तो मैं समझता हूं कि सारे पंचायत के केरेक्टर को टिल्ट कर सकती है, जिस तरफ चाहे उस तरफ । जब कि म्युनिसिपैलिटीज़ में १०-२० के बीच में दो का नोमीनेशन होता है तो उनसे पार्टियों का बेलेन्स टूट जाता है, माइनोरिटी मेजोरिटी बन जाती है और मेजोरिटी माइनोरिटी बन जाती है । तो १० आदमियों की जो पंचायत है

(श्री पी. के. चौधरी)

उसमें कोऑप्शन १५ दिन के अन्दर नहीं होता है तो नोमीनेशन का प्रोवीज़न रखा है। और जैसा कि मेरे पहले बोलने वाले बहुत से सदस्यों ने बताया, जैसा कि उनियारा ठाकुर साहब ने बताया कि ५ दिन में उनियारे से जयपुर एक्सप्रेस डिलीवरी का लैटर डीलीवर नहीं हुआ तो १५ दिन में नोटिस कैसे डिलीवर होगा, कैसे मीटिंग होगी, मेरी समझ में नहीं आता है। वह दूसरी बात है। मैं तो उसूलन, सिद्धान्त के तौर पर इस बात को मानता हूं कि या तो पंचायतों का झगड़ा मत रखिये, सारी पंचायतों को नोमीनेटेड कर दें, वह एक उसूल अलग है। आप उसको पोपुलर केरेक्टर देना चाहते हैं और पोपुलर केरेक्टर देकर उसमें नोमीनेशन की बातें लाकर फासिज्म रखना चाहते हैं, तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसा कि पंचायत समिति में आपने रखा है कि उसमें नोमीनेशन का प्रावधान नहीं रखा है। जो पंचायतें कोऑप्ट नहीं कर सकेंगी तो मत होने दें। कोऑप्ट नहीं हो, कोऑप्शन नहीं कर पायें तो आप एक मयाद दे दें। पंचायत के लोग इतने बेवकूफ हैं, इतने नासमझ हैं कि दो महिलाओं, एक हरिजन और एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कोऑप्ट करने में असमर्थ रहते हैं महिलाओं के लिए द्वेष है उनके दिल में, हरिजनों के लिए द्वेष है और जान बूझकर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अगर ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आ जायं तो आप उस पंचायत को डिजोल्व कर दें। एक पंचायत चुनाव के बाद २, ४ महीने तक कोऑप्शन की कार्यवाही कम्प्लीट नहीं करें, जो कोऑप्ट करने में समर्थ नहीं होगी, तो उस पंचायत को डिजोल्व कर दें। मैं उसको ज्यादा हैल्दी समझता हूं बनिस्बत १० आदमियों की पंचायत के ४ आदमियों को नोमीनेट कलेक्टर साहब कर दें। उसका कारण मैं बतला देता हूं कि पंचायतों के चुनाव में जैसा कि मैंने कहा फ्रेक्शनेलिज्म या गुटबन्दी होगी। वित्त मंत्री के इशारे से सारी मेजोरिटी माइनोरिटी में बन सकती है एक ही दिन में। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनुचित है। आप कहते हैं कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन कर रहे हैं। आप उसको पोपुलर केरेक्टर देना चाहते हैं आज तक जो नोमीनेशन का सिलसिला था उस नोमीनेशन के सिलसिले को क्यों हटाया? नोमीनेशन के सिलसिले को इसलिए हटाया कि नोमीनेशन का झगड़ा रोजाना सदन में आता है। नोमीनेशन में किस तरह से दो आदमियों के नोमीनेशन का गवर्नमेंट को अधिकार था; उस अधिकार के ज़रिये हमेशा माइनोरिटी को मेजोरिटी बनाने में उपयोग किया। एग्ज़ीक्यूटिव ने उसका उपयोग किया है। माइनोरिटी ग्रुप को मेजोरिटी ग्रुप बना दिया और इस तरह से पंचायतों में भी सब कुछ कराने में सफल रहे। तो उसके खिलाफ सदन में आवाज हुई। सदन में जो राय इस प्रकार की रही कि नोमीनेशन नहीं होना चाहिए। हमको बताया जा रहा है कि नोमीनेशन नहीं रखा है, कोऑप्शन रखा है। इतना पोपुलर केरेक्टर देना चाहते हैं, महिलाओं की इस तरह से व्यवस्था की है। पहले महिलाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं की व्यवस्था की है ताकि महिलाएं खुश हो जायं। हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी खुश हो जाय, तो ४ आदमियों का प्रावधान रखा है। ४० पर्सेन्ट के करीब

Page No.66

(श्री पी. के. चौधरी)

सदस्य.मैं, मानता हूं कि किसी इलेक्टेड बॉडी में लाना उचित नहीं है। फिर भी अगर लाना है तो मैं समझता हूं कि कम से कम इलेक्टेड कोऑप्ट कर लें। लेकिन नोमीनेशन का जो आपने रखा है उसको कतई नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल अनहैल्दी है। यदि इसको रखेंगे तो हमेशा देखेंगे कि इसके खिलाफ सदन में बार बार बातें उठाई जायेंगी और ऐसे मसले क्वेश्चन ऑवर में आवेंगे और एग्जीक्यूटिव का नग्न चित्र सदन के सामने पेश होगा। १० आदमी चुन कर भेजने हैं जहां ६ चुन कर आ गये और ४ को नोमीनेट कर दिया और इस तरह से मेजोरिटी हो गई। इस तरह का नग्न चित्र हाउस के सामने आयेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस क्लॉज़ को नहीं रखना चाहिये। जो अगर क्लॉज़ रखना चाहते हैं तो यह करिये कि यदि ६ महीनों में कोऑप्शन नहीं हुआ तो रीइ-लेक्शन करा दें। मैं मानता हूं कि इसको मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, समझ गये। मेरे अमेंडमेंट को मान लेंगे....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्वीकार कर लेंगे, यह कैसे मान लिया ?

श्री पी० के० चौधरी : The way you nodded your head, I thought you are convinced. कन्विन्सड हो गये हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, विधेयक के क्लॉज़ ७, जिसके द्वारा मूल विधेयक के क्लॉज़ ९ में परिवर्तन किया जा रहा है उसके संबंध में मेरे कुछ संशोधन प्रस्ताव हैं। सबसे पहला मेरा संशोधन इसके सब क्लॉज़ (१) में है जहां यह है: "after the words', shall be co-opted' insert the words unanimously or by three fourth's majority".. कोऑप्टेड के बाद युनानिमसली और थ्री फोर्थ मेजोरिटी बढ़ाने का मैंने कहा है। जैसी कि सदन में कई बार चर्चा हुई और स्वयं पंचायत मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया कि पंचायत में सर्व सम्मति से निर्णय होना बहुत अच्छा है और वास्तव में पंचायत का काम तभी सुचारू और सुन्दर रूप से चल सकता है जब कि उसका निर्णय सर्व सम्मति से हो, और उसमें यदि कोई कठिनाई हो तो सर्व सम्मति के नजदीक हो। इसलिये मैंने ३।४ बहुमत की बात कही है। आशा है सारी बात को देखते हुए यह रखेंगे। 'इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर' न रख कर यह साफ करना अधिक उचित रहेगा कि जो कोऑप्शन होगा वह सर्व सम्मति से होगा और सर्व सम्मति से न हो सके तो तीन–चौथाई मेजोरिटी से होगा।

मेरा दूसरा संशोधन इसी उप–धारा (१) के भाग (३) में है और वह तो जहां तक भावना का संबंध है गांवों में पूर्ण प्रति–निधित्व की दृष्टि से कोऑप्शन की बात करते हैं, इसको सिद्धान्ततः सभी स्वीकार करेंगे, इस लिये महिलाओं के कोऑप्शन की बात है वह ठीक है। आगे के उप–भाग में यह दर्ज है कि शिड्यूल्ड कास्ट में से यदि कोई आदमी चुनकर नहीं आवेगा तो उसमें से एक आदमी कोऑप्ट किया जायगा, केवल यह रखा है। उसके बाद 'एन्ड' करके (४) में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये भी प्रावधान है उसके साथ साथ लिखा है : "population of such tribes in the panchayat circle

(डॉ० चन्द्रकला)

exceeds five percent of the total population thereof." तो यदि 'एन्ड' लिखने से यह मतलब है कि यह आबादी वाला प्रश्न शिड्यूल्ड ट्राइब की तरह शिड्यूल्ड कास्ट के लिये भी लागू होगा। यदि किसी पंचायत में ५ पर्सेन्ट से अधिक आबादी होगी तो १ आदमी लिया जायगा और यदि ५ पर्सेन्ट से अधिक शिड्यूल्ड ट्राइब का होगा तो उनमें से एक को कोऑप्ट किया जायगा। लेकिन जो धारा अभी है उसको देखने से ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि शिड्यूल्ड ट्राइब के आगे इसी उप-भाग में रखा है, लेकिन ऊपर वाली में नहीं रखा है। इसका मतलब यह होगा कि मान लीजिये शिड्यूल्ड कास्ट का किसी गांव में एक ही घर है, या पूरे गांव की आबादी २००-४०० घरों की है उसमें से शिड्यूल्ड कास्ट का १ घर है तो भी क्या उसमें से एक आदमी को कोऑप्ट किया जायगा? यदि यह मंशा है तब तो यह कहना होगा कि संपूर्ण प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। हमको हरेक व्यक्ति की बात नहीं सोचनी है। हमें यह देखना है कि कोई श्रेणी या वर्ग बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रह जायं। इसमें जैसा रखा है उसको देखने से ख्याल हुआ कि इस क्लॉज़ को इसी रूप में रखेंगे जैसा कि है। तो इन्टरप्रिटेशन में ऐसा हो सकता है, मान लीजिये यदि १०,२० घर हैं, तो भी कोऑप्शन किया जायगा लेकिन ऐसी मंशा सरकार की नहीं हो सकती। यह तो प्रतिनिधित्व देने के लिये है। यही शर्त शिड्यूल्ड कास्ट वाले के लिये भी जोड़ेंगे तो स्पष्ट हो जायगा। कानून की बातें इन्टर-प्रिटेशन पर चला करती हैं। इसलिये कम से कम गड़बड़ी इन्टरप्रिटेशन में होनी चाहिये। इसलिए इसको अधिक स्पष्ट करने के लिये जो शब्द आगे के उप-भाग में जोड़े हैं वे इसमें भी जोड़े जांय।

मेरा तीसरा संशोधन है जिसके बारे में दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है। उप-भाग (३) में यह बताया है कि १५ दिन के अंदर पंचायत अपनी प्रथम मीटिंग बुला कर कोऑप्शन नहीं करती है तो कलेक्टर कर सकता है। इसलिये पहली बात यह है कि १५ दिन का समय थोड़ा है, इसके बजाय १ महीना कर दिया जाय। वैसे भी सदन की ऐसी भावना है और पंचायतों को काम करने का अधिक से अधिक मौका देना चाहते हैं। डाक वगैरह की जो दिक्कत है उनको मैं नहीं गिनाना चाहती। मान लीजिये किसी वजह से १५ दिन में मीटिंग नहीं होती है, गांवों में मीटिंग नहीं होने के अनेक कारण हो सकते हैं, कोई मेला हो तो मीटिंग नहीं हो सकती, फसल के दिनों में मीटिंग नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में कोई हर्ज नहीं होगा यदि १ महीना कर दें और पंचायत को अधिक से अधिक काम करने का मौका दें। एक मीटिंग में काम नहीं कर सके तो दूसरी में करना चाहिये। इसलिये १५ दिन को बढ़ा कर १ महीना कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा। इससे कानून को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने में मदद ही मिलेगी, ऐसा मेरा ख्याल है।

इसके बाद मेरा चोथा संशोधन है। इस विधेयक के अनुसार कलेक्टर को अधिकार दिये जाते हैं। यदि चुने हुए पंच-सरपंच कोऑप्शन नहीं कर सकें तो कलेक्टर नोमिनेट कर दे। इस तरह के लोगों को, वर्ग और श्रेणियों को कलेक्टर

Page No.68

(डॉ० चन्द्रकला)

पर छोड़ेंगे तो मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि हमारे पंचायत राज्य के मूल में यह बात है कि जहां तक हो सके सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों का कम से कम हस्तक्षेप हो। लेकिन यहां हम उनका सीधा हस्तक्षेप मान लेते हैं। इसी स्तर की पंचायत समितियां हैं जो इसी तरह की पंचायतों के सरपंचों द्वारा मिल कर बनती हैं तो पंचायत समिति के प्रधान इस बारे में अच्छी सलाह दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिये सरकार को इस तरह की आशंका हो कि पंचायत समितियों को यह काम देंगे तो वे काम कर सकेंगी या नहीं, 'कलेक्टर' शब्द रखने का अर्थ यह है कि सरकार को यह विश्वास नहीं है कि पंचायत या पंचायत समिति मिल कर कोऑप्शन नहीं कर सकेगी इसलिये असफलता की हालत में कलेक्टर यह काम करेंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि यह काम कलेक्टर न करके पंचायत समिति के प्रधान करलें तो ज्यादा अच्छा रहे क्योंकि इसमें दिक्कत यह आती है कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर रहते हैं और पंचायतों से उनका संबंध दूर का रहता है किन्तु पंचायत समिति के प्रमुख का उनसे सीधा संपर्क रहता है और वे अच्छी तरह से वहां की हालत को जानते हैं। कलेक्टर को नोमिनेशन करते समय यह दिक्कत आ सकती है कि कौनसा आदमी लेना चाहिये। आखिर कलेक्टर भी अपने आप नोमीनेशन नहीं करेंगे, वे भी किसी न किसी को पूछ कर करेंगे।

तो मान लीजिये यदि उसको आपको कराना ही पड़े, तो तब मैं चाहूंगी कि स्वयं मंत्री महोदय इसमें जोड़ सकते हैं कि कलेक्टर करे तो पंचायत

१:४० म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

समिति के प्रमुख से सलाह लेकर, उसकी रिकमन्डेशन पर, जिसके लिए कहे, उसको नामजद किया जाय। तो इन बातों को देखते हुए ये संशोधन रखे हैं। ये संशोधन, जहां तक हमारी पंचायत राज्य की बात है, उसके साथ मेल खाते हुए और जिस उद्देश्य से पंचायतों को सत्ता देने जा रहे हैं, उन पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा में यह हमारे लिए सहायक होगा। इस उद्देश्य से मैं अपने संशोधन सदन के सामने रखती हूँ और आशा करती हूं कि इनकी उपयोगिता को समझते हुए मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन यह है :

"Words 'Standing Committee incharge of Finance, Taxation and Administration of the Panchayat Samiti having jurisdiction' be substituted for the word 'Collector' occurring in the third line of sub section (3) of section 9 sought to be substituted."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने संरक्षण दिया है महिलाओं को और शिड्यूल्ड

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कास्ट के लोगों को, वह तो संरक्षण कायम रहना चाहिये, उसका पालन होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था रखी है कि अगर पंचायत नहीं करे तो कलेक्टर को करना चाहिये और इस दृष्टि से जिस लोएस्ट लेवल की संस्था को हम बहुत अधिकार देने वाले हैं, जिसको एनकरेज करने वाले हैं, उनके काम में सरकारी कर्मचारियों का हस्त-क्षेप हो तो यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। दूसरे अगर प्रेक्टिकल पॉइन्ट ऑफ व्यू से देखें तो पंचायतें बहुत छोटी होने वाली हैं, यानि दो हजार के गांव में पंचायत बननेवाली है। उस सिद्धान्त से एक जिले में दो हजार पंचायतें हो सकती हैं। क्या आप चाहते हैं कि जिस कलेक्टर के पास पहले ही काफी काम है उसको एक और अधिकार दिया जाय, जिससे जो लोएस्ट लेवल पर कार्य हो सकता है, वह कार्य उसके पास जाय, वह उसकी पूछताछ करे, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ? वह तो जिला हैड क्वार्टर पर बैठा है, उसे पता नहीं कि कौन महिला या शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति इसके काबिल है जिसको अपॉइन्ट किया जाय। तो नेचुरली नीचे की सत्ता से या नीचे के कर्मचारियों से उसको राय लेनी पड़ेगी और उस राय के माफिक संवरण करना पड़ेगा। इस प्रकार जो प्रोसीजर होगा वह बहुत लम्बा हो जायगा तो जब आपने १५ दिन की अवधि पंचायतों को दी है, वहां अगर कलेक्टर को यह काम दिया तो निश्चित् तौर पर मैं निवेदन कर दूँ कि संवरण छः महीने तक नहीं हो पायेगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि नीचे के दर्जे की संस्था को अधिकार दिया जाय। अब यह प्रश्न आता है कि किस संस्था को, किस व्यक्ति को अधिकार दिया जाय ? कोई जिला प्रमुख के बारे में कहता है, कोई प्रधान के बारे में कहता है; मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव रखा है कि जो स्टेंडिंग कमेटी बनी हुई है, जो तीन स्टेंडिंग कमेटीज़ हर एक पंचायत समिति में हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा चार्ज पंचायत समिति के अन्तर्गत आता है उसके साथ जो निरीक्षण करना है, जो कॉओर्डीनेशन करना है, सुपरवीज़न करना है, यह सारे काम समिति के ऊपर रखे हुए हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि केवल प्रधान को अधिकार दिया जाय या स्टेन्डिंग कमेटी को दिया जाय ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक इलेक्टेड बॉडी होती है, वहां प्रधान को अकेले को अधिकार देने से गड़-बड़ी होगी, वह खुद गड़बड़ी कर सकता है। यह हो सकता है कि वह अपने डिस्क्रिशन को ठीक तरह एक्सरसाइज़ न करे, इस दृष्टिकोण से उसमें जो इलेक्शन का और जिम्मेदारी का पॉइन्ट आ जायगा और जो स्टेंडिन्ग कमेटी है, वह अपील वगैरह भी सुनती है, उसका नीचे की पंचायत से डाइरेक्ट सम्पर्क हो, इससे एलीमेंट ऑफ इलेक्शन, एलीमेंट ऑफ रिप्रजेन्टेशन मौजूद रहेगा, इसलिए यह अधिकार स्टेंन्डिंग कमेटी को दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज़ ७ में तीन संशोधन रखे हैं। पहला संशोधन है : "In sub-section (2) of sec. 9 sought to be substituted— (i) substitute the words, 'The concerned Tehsildar or the Naib-Tehsidar' for the words 'as

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

soon as may be after his election the Sarpanch."

दूसरा है :

"Replace sub-Section 2 of Section 9, sought to be substituted :

'(3) If for want of the necessary Quorum or for any other sufficient reason, the members of the Panchayat fail to Co-opt members specified in sub-section (2) the Tehsildar or the Naib Tehsildar presiding over the meeting shall adjourn the same to another date which may not be later than seven days of the date appointed under sub-section (2) and at such adjourned meeting the Quorum shall not be necessary.'"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह संशोधन रखा है, यह कोई नवीन नहीं है बल्कि लगभग यह प्रावधान हमारा जो पंचायत समिति और जिला परिषद् का कानून है उसमें इस प्रकार की जहां भी व्यवस्था आई है उसमें यह प्रावधान किया है। अभी जिन जिन माननीय सदस्यों ने इस धारा पर आपत्ति की है, सबसे अधिक आक्षेप इस 'कलेक्टर' शब्द पर रहा है। अधिकांश माननीय सदस्यों की इस बात की शिकायत रही है कि कलेक्टर के हाथ में यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि पंचायत समिति का जो अलग से सदस्य लिया जाय उसको वह मनोनीत करें। मैं समझता हूं कि सिद्धान्त की दृष्टि से यह स्पष्ट है, यह ठीक है, उपयुक्त है, लेकिन प्रश्न यह है कि यदि कलेक्टर उनको मनोनीत नहीं करें तो दूसरी क्या व्यवस्था हो ? इसके लिए मैंने यह सुझाव रखा है कि जहां इसमें शब्द 'सरपंच' आया है : "as soon as may be after the election a Sarpanch shall convene... 'यहां 'सरपंच' की जगह मैंने 'तहसीलदार' या 'नायब-तहसीलदार' रखने का सुझाव दिया है और यद्यपि इसमें यह है नहीं, पर मैं इस हद तक जा सकता हूं कि बी. डी. ओ शब्द भी जोड़ दिया जाय। उसमें मेरी मन्शा यह है कि एक तो सरपंच के सम्बन्ध में आम तौर पर आपत्ति की गई है कि सरपंच मीटिंग न बुलाये। सरपंच मीटिंग न बुलाये ऐसी आशंका की गई है। यह हो सकता है, आप कितनी ही पाबन्दी करें लेकिन वह मीटिंग न बुलाये, तो यह स्थिति आ सकती है। क्योंकि सरपंच या पंच खुद भी तो मतदाता होता है और जब कोऑप्शन का मसला आये, तो बहुत मुमकिन है कि इस प्रकार का व्यक्ति आये जिसको वोट देने का सवाल आ सकता है। ऐसी दृष्टि से अगर सरपंच बैठ जाता है, सभापति के स्थान पर, तो वह अपना मत देने से वंचित होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरपंच अगर मीटिंग बुला ले और मीटिंग में सदस्य नहीं आते हैं, तो कोरम पूरा नहीं होता है और अगर कोरम हो जाता है तो इस बात का स्वार्थ हो जाता है, कुछ का स्वार्थ इसमें हो सकता है कि मीटिंग न हो, उस दिशा में उसका परिणाम जैसा कि प्रावधान रखा है, यह होगा कि कलेक्टर उसको मनोनीत करें। लेकिन कलेक्टर मनोनीत करें, इस स्थिति से बचने के लिए, पंचायत समिति और जिला परिषद् कानून में जो कुछ हम लोगों ने प्रावधान रखा है उसकी पुनरावृत्ति यहां करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है कि तहसील पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के लिए यह रखा है कि जहां कोऑप्शन करने का, संवरण

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

करने का प्रश्न हो, वहां कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर और एस. डी. ओ. को रखा है कि कलेक्टर मीटिंग बुलाये और इन तीनों में से कोई सभापतित्व करें, ऐसा है। आज इस सिद्धान्त को हेय नहीं कह सकते कि हमारी जो विकेन्द्रीकरण की भावना है वह नष्ट हो जायगी। क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिए भी कमिश्नर को यह अधिकार दे रहे हैं, कलेक्टर को अधिकार दे रहे हैं और उसका सभापतित्व करने के लिए एस. डी. एम. तक जाता है। मैं समझता हूं कि आज पंचायतों में भी इस प्रकार का प्रावधान आवश्यक है। केवल चुनाव करने के लिए, उसको कोई और अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह हमारी पंचायत के प्रशासन में, उसकी व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करें। चुनाव कराने के लिए यदि सरपंच की जगह यह आशंका हो सकती है कि वह मीटिंग नहीं बुलाये, उसका दल विशेष से सम्बन्ध है, या और कोई गड़बड़ी हो, इसलिये संशोधन रखा है। पंचायतें ऐसी हैं नहीं कि एस. डी. एम., कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर आये क्योंकि पंचायतें बहुत अधिक होंगी। अभी जो पंचायतें हैं उनसे तीन गुनी अधिक पंचायतें होने वाली हैं। ऐसी सूरत में हर जगह कलेक्टर, एस. डी. एम. या अतिरिक्त कलेक्टर नहीं पहुंच सकता। इसलिये रखा है कि एक एक दिन के अन्तर से ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार जायें, सरपंच की जगह बैठें और चुनाव करायें। हो सकता है कि कोरम पूरा न हो तो ७ दिन का नोटिस देकर और मीटिंग बुलाई जाय और उसमें कोरम की परवाह नहीं की जाय क्योंकि पंचायत एक्ट में हम ऐसा प्रावधान कर चुके हैं कि एड्जर्न्ड मीटिंग में कोरम के अभाव में स्थगित की हुई मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग बुलाई जाय उसमें कोरम का ख्याल न रखा जाय। दुबारा मीटिंग में कोरम नहीं होगा तो भी सहवरण कर देगा। फिर भी सहवरण नहीं करायेगा तो इस सम्बन्ध में सरकार को शक्ति दी हुई है वह शक्ति सरकार के हाथ में रहे, सरकार अपने किसी भी अधिकारी से सहवरण कराये। उसमें कलेक्टर विशेष अधिकारी नहीं है, शक्ति सरकार के हाथ में है। तो हमें इस तरह पंचायतों के ढांचे को शुरू से लेकर ऊपर तक बराबर बनाये रखना चाहिये। प्रशासन अधिकारियों को चुनाव कराने का अधिकार दे चुके हैं और अब यह कहें कि सरकारी अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे तो मैं यह सिद्धान्ततः उचित नहीं समझता। वह अधिकार तो दे चुके हैं। अब तक सरपंच का प्रावधान रखा है और सरपंच यदि चुनाव नहीं करा पायेगा तो अन्त में १५ दिन बाद कलेक्टर को मनोनीत करने का अधिकार मिलता है। मैं कलेक्टर को मनोनीत करने के अधिकार के बिल्कुल विरुद्ध हूं। पर इससे बचने का तरीका बताया गया है कि पंचायत समिति का प्रधान हो, एक माननीय सदस्य ने बताया कि एक कमेटी बना दी जाय। उनको भी आशंका है कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो इस प्रकार की भावना कुछ हद तक उचित सी लगती है कि दलीय आधार पर पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव लड़ते हैं। पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद उसी दल के हाथ में है तो दूसरे दल-वाले इस पर आपत्ति लायेंगे कि अमुक प्रधान अमुक दल का था, उसने सहवरण

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

में अमुक गड़बड़ी की। वह आपत्ति फिर भी आ सकती है इसलिए मैं कहता हूं कि आरम्भ में ही जब कि हम कानून बना रहे हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था करें कि फिर आपत्ति नहीं आये । इसका सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार या नायब-तहसीलदार को रखा जाय कि वह सहवरण कराये। पहली मीटिंग में सहवरण नहीं हो तो दूसरी मीटिंग बुलाये। ७ दिन के स्थान पर और अधिक समय बढ़ाया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। चाहे ७ दिन के स्थान पर आवश्यक हो तो १५ दिन किये जायं कि दुबारा वह अधिकारी मीटिंग बुलाये पंचों सरपंचों, की और उन की मदद से सहवरण कराये, और इस प्रकार दुबारा बुलाई गई इस मीटिंग में बिना कोरम के भी सहवरण करा सकता है। वह अधिकारी भी यदि सहवरण नहीं करा सकता है तो सरकार के हाथ में अधिकार है कि वह सहवरण अपने किसी अधिकारी से कराये। तो कलेक्टर को सभापतित्व का अधिकार देते हैं, उसके बीच का रास्ता निकाला है, वह उपयुक्त है। इससे यह आशंका कि सरपंच मीटिंग बुलाये ही नहीं, नहीं रहेगी । सरपंच की जगह चुने हुए पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधिकारी को लाते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि दलगत आधार पर आक्षेप आये। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी, राज्य अधिकारी, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, यह हो सकते हैं। पंचायत जैसे छोटे स्तर पर बड़े अधिकारी का आना सम्भव नहीं हो। वैसे देखा जाय तो उचित तो यही है कि बड़े से बड़ा अधिकारी आये पर यह व्यवहारिक तौर पर सम्भव नहीं है। इसलिए यह रखा है कि तहसीलदार, नायब-तहसीलदार सभापतित्व करे और सहवरण कराये और सहवरण पहली मीटिंग में न हो तो मेरा दूसरा संशोधन है कि ७ दिन या इससे ज्यादा समय देकर मीटिंग बुलायेगा और उस मीटिंग में यदि कोरम न भी हो तो भी सहवरण करायेगा और फिर भी यदि सहवरण नहीं हो तो सरकार को अधिकार होगा कि किसी अधिकारी से सहवरण कराये ।

ये मेरे संशोधन हैं, और मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री मुकिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, मन्त्री महोदय एक तरफ तो पंचायतों को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस पंचायत कानून में ऐसी चीजें लाना चाहते हैं जिससे पंचायतों में आज जो सुबह से शाम तक झगड़े चलते रहते हैं वे और ज्यादा बढ़ें। राज्य सरकार जब छोटी पंचायतें कर रही हैं तो यह कोऑप्शन शब्द रखा है, यह क्या बात है? इस कोऑप्शन की आवश्यकता नहीं थी। कोऑप्शन रखा जायगा तो छोटी पंचायतें १,५०० से २,००० की पोपुलेशन पर पंचायतें बना रहे हैं तो कोऑप्शन में ४ आदमी और रखे जायं, यह कहां तक उचित होगा? २,००० की पोपुलेशन में पंच और सरपंच १० हुए। इनमें कोऑप्शन से ४ आदमी और आ जायेंगे और १४ आदमी हो

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जायेंगे। १४ होने से यह होगा कि जितने ज्यादा पंच होंगे उतने ही झगड़े ज्यादा होंगे और पंचायतों का काम नहीं होगा। कोऑप्शन पंचायत समितियों में रखा, उसको मैं जानता हूं कि इसमें कितने झगड़े पंचायत समितियों के चुनाव में हुए कि उससे आज इतनी वैमनश्यता हो गई है कि विकास के कामों में बाधा पड़ती है।

पंचायतों में कोऑप्शन रखने से झगड़े पैदा होंगे, विकास के कामों में बाधा पड़ेगी। पंचायतों को और छोटी कर दी हैं तो कोऑप्शन नहीं रखना चाहिये। कोऑप्शन रखने से पंचायतों का सुधार नहीं होगा। पंचायतों के अन्दर सुधार लाना चाहते हैं तो कोऑप्शन की धारा ७ है उसको बिल्कुल हटा देना चाहिये। और जब कि ३।४ मेजोरिटी से धारा ४ में बहुत ऊंचे स्तर से ले जाना चाहते हैं और फिर धारा ७ में कोऑप्शन करके पहले जैसा ही झगड़ा बनाये रखना चाहते हैं, बल्कि उस झगड़े को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं।

पंचायतों के काम को यदि आप ज्यादा अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो कोऑप्शन के क्लॉज ७ को बिल्कुल हटा देना चाहिये। कुछ माननीय सदस्य मेरे इस बात को नहीं मानेंगे, परन्तु माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि जब हम इस बात पर आ रहे हैं कि छोटी छोटी पंचायतों को कायम करें और जब सोचें कि एक लाख की पोपुलेशन में जब आप ५० या ६० पंचायतें बना रहे हैं तो उन पंचायतों के चुनाव ही आपको बहुत भयंकर दिखाई देंगे तो फिर कोऑप्शन तो और भी भयंकर दिखाई देता है क्योंकि चुनावों में आज मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में जहां काफी पोपुलेशन है उसमें काफी दिक्कत होती है। चुनावों में जब कि आप दो हज़ार या १,५०० की आबादी पर एक पंचायत बना रहे हैं तो फिर चार सदस्यों को कोऑप्शन से नहीं लिया जावे और अगर लेते हैं तो मैं यह कहूंगा कि उनका लेना कहां तक उचित होगा जबकि आप हर आदमी को बराबर रखना चाहते हैं और शिडयूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का एक एक और महिलाओं को समान अधिकार देना चाहते हैं ? तो ऐसी हालत में क्या मैं यह मानूं कि उनको अलग रखा जावे तो कहां तक उचित होगा ? इसलिए कोऑप्शन की बात धारा ७ में रखी है वह बिल्कुल नहीं रखी जावे और उसको हटा दिया जावे और पंचायतों में, जिस तरह एसेम्बली और पार्लियामेंट में चुनाव होते हैं उसी प्रकार पंचायतों में हों। जब तक उसी प्रकार चुनाव पंचायतों में नहीं होंगे तब तक देश की उन्नति नहीं होगी।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर—सु०) : एसेम्बली में तो अनुसूचित जाति के लोग रिज़र्वेशन से आते हैं। क्या आप रिज़र्वेशन का विरोध कर रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं जानता हूं कि रिज़र्वेशन है। परन्तु रिजर्वेशन के भी मैं खिलाफ हूँ। यह चुनाव का तरीका जब पंचायतों से शुरू होगा तभी खतम होगा। एसेम्बली में और पार्लियामेंट में है। जब आप नीचे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, तभी चढ़ सकेंगे। पंचायतों का काम नीचे से शुरू

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

होता है। आपको मालूम है कि हमारा फर्स्ट फाइव इयर प्लान ऊपर से शुरू हुआ था और वह काफी कागज़ों में ही रह गया, पूरा न हो पाया। फर्स्ट फाइव इयर प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिये। इसी तरह से हमारा दूसरा फाइव इयर प्लान भी रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस जगह की बात बताना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बार बार उस जगह की बात क्यों कहते हैं, हम सब समझते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सदस्य जानते हैं और प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर ने स्वयं इस गलती को माना है और कहा कि हम इस वजह से फैल हुए और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें इस तरह से चलना चाहिये। इसलिए राजस्थान सरकार को चाहिये कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पंचायतों द्वारा चलावें और रुपया अच्छी तरह से खर्च करें तो आपको मालूम होगा रुपया अच्छी तरह से खर्च होगा। क्योंकि आज जो आपने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को ऊपर से चलाया उसमें जितना रुपया काम में आना चाहिये नहीं आया। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना को पंचायतों के आधार पर चलाना है तो आपको इसमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : हमारी बहस पंचवर्षीय योजना पर नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उदाहरण तो बताऊं महाराज।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : आप महिलाओं का विरोध क्यों कर रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप अगर पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं और पंचायतों के आधार पर चलाने को तैयार हैं और जब राजस्थान सरकार पंचायतों को इतनी ज्यादा पॉवर दे रही है तो पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा सुधार नहीं करेंगे तो उचित नहीं होगा। सुधार नीचे से करेंगे तभी ठीक रहता है। जब बच्चा पैदा होता है उसको शुरू से कुछ नहीं सिखाएंगे तो ऊपर जाकर वह जरूर खराब होगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कोऑप्शन लागू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा खराबी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिला परिषद, एसेम्बली, पंचायत समितियों और पार्लियामेंट के चुनावों में सुधार हों तो जब तक आप पंचायतों में सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा। आपको पंचायतों में सुधार करने में दिक्कत तो जरूर होगी और उसका आपको सामना करना होगा। लेकिन अगर आपको इस देश के रुपयों को ज्यादा ऊंचे स्तर पर लगाना है तो चुनावों के अन्दर हमें जो परेशानियां होती हैं उनको दूर करके, जब कि तीन-चौथाई मेजोरिटी के बारे में कहा गया था, मेरा यह खुद का खयाल था कि यह पास होना चाहिये। अगर यह किसी भी तरह से पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहती है और पंचायतों का स्तर ऊंचा होता। जिस स्तर पर ले जाना चाहते हैं उस स्तर पर पहुंचे तो हमको यह कोऑप्शन हटा देना चाहिये। इसलिये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि पंचायतों में कोऑप्शन नहीं रहना चाहिये। किसी भी पंचायत में चुनाव हो उसमें आप

Page No.75

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

महिलाएं खड़ी कर सकते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य भी खड़े हो सकते हैं । लोग महिलाओं को भी चाहते हैं और उनको भी चाहते हैं । ऐसी बात नहीं है कि उनसे कोई विरोध करते हों ।

श्री हरिप्रसाद यादव : आप कौन कौन सी जातियों को चाहते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं सभी जातियों को चाहता हूँ । ऐसी हालत में उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ७ है । माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर आप ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस क्लॉज ७ को बिल्कुल हटा देना चाहिए ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, १९६० में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने एमेन्डमेंट्स पर जो बातें कहीं उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि राजस्थान राज्य की अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जातियों व महिलाओं के चुनाव का जो तरीका अभी हमारे पंचायत शासन में बरता जा रहा है उसके विषय में एमेन्डमेंट आए हैं, इसमें इन जातियों को सहवरण का अधिकार किसको हो, इसके संबन्ध में बातें सुनी । बातें सुनने के बाद मैं भी अपनी राय प्रकट करूं कि राजस्थान में जहां लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दो अक्टूबर से शुरुआत हुई उसके बाद हमने गांवों में पंचायत, पंचायत समिति का और उसमें महिलाओं और शिड्यूल्ड कास्ट और आदिवासियों का सहवरण किया । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने यहां पर बहस की । उसमें मैंने तो कोई तथ्य नहीं देखा । जब कि हम पंचायत समिति से चुन कर आये हैं, हरिजन, आदिवासी और महिलाएं भी आई हैं और इन महिलाओं का सहवरण का जो तरीका था वह हमने रखा उसको हमने काम में लिया । तो अब माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि जहां माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सामने यह घटना रखी और रेत उलटा दी है वह किस प्रकार से साफ़ की जावे ? जहां इनका सहवरण का तरीका बताया कि जहां तीन-चौथाई से कोरम नहीं होगा और पंचायत की सरपंच मीटिंग बुलाएगा और सहवरण नहीं करा सकता तो कलेक्टर नोमीनेट करेगा । मैं यह कहूंगा कि जहां कलेक्टर जिले के हैड क्वार्टर पर रहता है, पंचायत समिति विलेज में रहती है और स्थानीय हैड क्वार्टर पर पंचायत रहती है तो पंचायत का सरपंच को या स्टेन्डिंग कमेटी को ही सहवरण का हक दिया जावे । दूसरी ओर जहां यह कहा गया कि कलेक्टर करेगा । मैं यह कहूँगा कि एस. डी. ओ., कलेक्टर, तहसीलदार, तहसील के गांवों में विकास अधिकारी पंचायत समिति के प्रधान के अंतर्गत हैं । ऐसी सूरत में प्रधान या सरपंच को ही सहवरण का अधिकार दिया जावे तो अति उत्तम होगा ।

बैराठ क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री हरिप्रसाद यादव)

ने अनुसूचित जनजातियों और हरिजन व स्त्री समाज और महिला, जो सब की जननी है, महिलाओं का सहवरण करना अत्यन्त आवश्यक है ; इस प्रकार तीनों वर्गों के सहवरण का (कोऑप्शन) का विरोध किया, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें सभी प्रकार की जातियें निवास करती हैं। हरिजन, आदिवासी सभी जाति के लोग रहते हैं। आदिवासी लोग और दूसरे सभी लोग अपने अपने हक चाहते हैं। चाहे वह पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या एसेम्बली और लोक सभा हो। ऐसी सूरत में जब भारत में बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ जावेगी और इस सम्बन्ध में कानून बनाने जा रहे हैं जन संख्या के अनुपात से। हम यह सोचें कि जो जातियें हजारों वर्षों से पिछड़ी हुई रही हैं आज स्वतन्त्रता मिलने के बाद उनको जो हक मिल रहे हैं वे कहां तक ठीक हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सहवरण का तरीका है उसमें माननीय मंत्री सुधार करेंगे और सरपंच या स्टेन्डिंग कमेटी को दे दें तो यह समस्या सुलझ सकती है और पंचायत समिति और जिला परिषद में सुधार हो सकता है ।

२ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की व्यवस्था इस क्लॉज़ के द्वारा प्रस्तावित की गई है, उस व्यवस्था में मुख्य रूप से एक अधिकार जो अब तक सरकार के हाथ में था, सरकारी अधिकारियों के हाथ में था वह अधिकार अब पंचायतों के सरपंच महोदयों को दिया गया है। वैसे तो जहां तक अधिकार देने का प्रश्न आता है इस सम्बन्ध में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि सरकारी अधिकारी के मुकाबले में एक पंचायत के सरपंच को अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अधिकार दो प्रकार के हैं। एक अधिकार है चुनाव कराने के बाद और चुने जाने के बाद जो हमने अधिकार प्रदान किये हैं किसी कानून के अन्तर्गत उन कानूनों को अमल में लाते हुए सारी कार्यवाही करने के संबन्ध में, दूसरा अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए और दूसरे व्यक्तियों का चुनाव कराने के लिए। इन दोनों अधिकारों में एक विशेष प्रकार का मतभेद है। विधान सभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं इन चुनावों के अन्दर भी कोई यह समझ कर चले कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव कराने का अधिकार दिया है, यह कहीं बात नहीं मिलती। किसी राजनैतिक दल को या चुने हुए व्यक्ति को अधिकार दिये हों वे अधिकार भी नहीं मिलेंगे, बल्कि हमने सरकार और सरकारी अधिकारियों को अधिकार दिये हैं कि वे चुनाव कन्डक्ट करायें। जहां पर कोऑप्शन की व्यवस्था की है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन चुनाव कराने के अधिकार सरपंच को दे रहे हैं। आज-कल पंचायतों के चुनावों में जिस प्रकार पोलिटिकल

(श्री भैरोंसिंह)

कोऑप्शन आ जाता है और उसको लेकर लोग किसी प्रकार से चुनाव जीतने के लिए आतुर रहते हैं और कितने और किस प्रकार प्रयत्न करते हैं, उन सारों को सामने रख कर उस अनुभव के आधार पर कानून बनायें तो वह कानून लाभदायक हो सकता है। यदि उसको काम में न लायें और चूंकि अधिकार देने की दौड़ लग रही है इसलिए यह अधिकार सरपंच को दे दिया जाय तो इस दौड़ से पंचायतों का नुकसान होगा। जिन पंचायतों की जनता को सस्ता न्याय देना चाहते हैं उनको सस्ता न्याय न देकर उनका अहित ही करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रमाण देने की, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। सरपंच को अधिकार दे दिया तो यह मान कर चलिये कि सरपंच यदि यह देखता है कि मेरी मर्जी का आदमी इस चुनाव में जीत कर आ सकता है तो वह उस पचायत की १५ दिन की अवधि में मीटिंग बुलायेगा, नहीं तो किसी न किसी प्रकार से वह १५ दिन की अवधि को निकाल देगा और अपनी मर्जी के आदमी को किसी न किसी प्रकार से नामजद कराने का प्रयत्न करेगा और नामजद होगा। १५ दिन में चुनाव कराये तो साधारण सी बात है कि जहां स्वयम् के चुनाव का प्रश्न आता है, मनुष्य में अपनी मंशा के विपरीत जाने में इच्छा नहीं होती किन्तु अपनी मंशा के अनुकूल होने में इच्छा होती है, यह स्वाभाविक कमजोरी है। इस दृष्टि से अपने पक्ष में वह गड़बड़ी करा सकता है। कुछ दिनों पहले सीकर में पंचायत समिति के उपप्रधान का चुनाव हुआ। प्रधान को चुनाव कराने का अधिकार था। चुनाव की तारीख निश्चित कर दी। निश्चित तारीख पर चुनाव हुए। दोनों दलों के बराबर वोट आये। एक वोट को रिजेक्ट कर दिया और इस कारण झगड़ा इतना हुआ कि दूसरे बैलट पेपर्स दूसरी पार्टी ने फाड़ कर फैंक दिये। एक पार्टी के सरपंच ने एक की चोटी पकड़ी तो दूसरे ने मूंछ। लोगों ने उनको अलग अलग किया। यदि लोगों की ओर से इन्टरवेन्शन नहीं होता तो परिणाम यह होता कि एक के हाथ में चोटी होती तो दूसरे के हाथ में मूंछ। तो जहां पर न्याय का दृष्टिकोण नहीं रखा जाता है तो ऐसा होता है। भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि प्रधान और सरपंच को अधिकार न देकर तहसीलदार और नायब-तहसीलदार को अधिकार दे देने चाहिये जिससे वे मौके पर जाकर चुनाव सम्पन्न करा दें। एक उदाहरण है, महुआ पंचायत समिति के प्रधान को हटा दिया। मैं उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि सदन इनसे सबक लेकर, जानकारी लेकर उस अनुभव के आधार पर फिर कानून बनाये। स्थान रिक्त हुआ। उप-प्रधान ने अपने हाथ में कानून का अधिकार लेकर कहा मुझे कोऑप्शन करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उप-प्रधान ने बिना कानून के भी अपने हाथ में सत्ता ले ली कि मैं तो कोऑप्ट करने के लिए मीटिंग बुलाऊंगा। मिटिंग बुलाई जा रही हैं उसमें एक पंचायत के सरपंच का चुनाव हो चुका है उसका, वह सरपंच का काम करता आया है, उसको यह कह कर कि ३।। महीने हो गये, शपथ ग्रहण नहीं की इसलिए उसको पंचायत समिति की सदस्यता से ही हटा दिया। मीटिंग नहीं होती है। नोटिस मीटिंग्स का जारी हुआ था उस पर शपथ ग्रहण करने के लिए आने के लिए दस्तखत भी उसने किये लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

मीटिंग नहीं हुई और उसको शपथ ग्रहण नहीं कराई गई। तीन मीटिंग्ज़ होती नहीं हैं उसके पहले ही उप-प्रधान हुकम दे देता है कि उसको सदस्यता से पृथक किया गया है। उसके बाद भी उप-प्रधान की पार्टी हारने-वाली थी। दो ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे। दोनों ग्राम पंचायतों के एक एक आदमी को बुलाया, यह कानूनी अधिकार नहीं है। एक को बुला कर तारीख निश्चित कर दी और कोऑप्शन के लिए चुनाव की व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं; हाईकोर्ट ने हटा दिया था उस आदमी को, जो कानून के अन्तर्गत पंचायत समिति का सदस्य नहीं रह सकता है उसको सदस्य मान कर कोऑप्शन के लिए तैयारी हो रही है। उस स्थिति में मैं कह सकता हूं कि उस पंचायत समिति को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उस पंचायत समिति में जितनी गड़बड़ी होती है, चुनावों में गड़बड़ी होती है, व्यवस्था में गड़बड़ी होती है उसके लिए वहां की जनता जिम्मेदार नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार जिम्मेदार है और इसलिए जिम्मेदार है कि जिस प्रधान को हटाया गया वह सरकार का स्तम्भ है, उनकी अनुपस्थिति किसी प्रकार से सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए कानून और कानून के खिलाफ़ भी पंचायत समितियों के लोगों को परेशान करने के लिए गलत कार्यवाहियां होती हैं उनको समय समय पर संरक्षण देने के लिए सरकार इस प्रकार के अधिकार देती है और रखती है। इस स्थिति में यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम विचार करें कि यदि इस प्रकार के अधिकार हमने सरपंचों को दे दये, इस प्रकार के, अधिकार प्रधान और सरपंच को दे दिये तो कोई भी पंचायत, पंचायत समिति, सरपंच और प्रधान नहीं होंगे जिनमें कोऑप्शन को लेकर किसी प्रकार के झगड़े फिसाद न आवें और नामजदगी प्रणाली को अपनाना न पड़े। इसलिए भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि इस प्रकार के अधिकार न दिये जांय।

मैं समझता हूं, हम इस अधिकार की तारीफ कर सकते हैं। आप अगर इस प्रकार के अधिकार का समर्थन भी करते हैं और अधिकार देते हैं, यह चुनाव करने का काम उनके अधिकार में देते हैं और उसी तरह भविष्य में पंचायतें काम करती रहें तो उनकी सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जहां पंचायत समिति को कोऑप्शन का अधिकार देने का सवाल है उनके द्वारा कोऑप्शन नहीं हो सकता वैसी हालत में पंचायत समितियां किन दो व्यक्तियों को नामजद करेंगी ? सदन इस बात से परिचित होगा स्टेन्डिंग कमेटीज़ के चुनाव करने का अधिकार पंचायत समिति प्रधानों को दिया गया है लेकिन कई पंचायत समितियों ने आज दिन तक उनका चुनाव नहीं किया। किसी ने किया भी है तो दो महीने बाद, तीन महीने बाद किया है और स्टेन्डिंग कमेटी नहीं बनती है तो आगे काम नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ का चुनाव करायें तो जो प्रधान है उसके दल के विपरीत आदमी स्टेन्डिंग कमेटीज़ में आ जाते हैं तो सारा प्रशासन का काम उनके हाथ में चला जाता है। इसी कारण तारीखें निश्चित भी हो जाती हैं किन्तु चुनाव स्थगित कर दिये जाते हैं। देखा, इस समय चुनाव किया गया तो

(श्री भैरोंसिंह)

हमारे दल के व्यक्ति नहीं आ सकेंगे, चुनाव स्थगित कर दिया गया। बहुत कम पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां तारीख स्थगित न की गई हो, दल अपनी सहूलियत के अनुसार तारीखें स्थगित करता रहे। न पंचायत समितियों को, न प्रधानों को, न सरपंचों को हम कोऑप्शन कन्डक्ट करने का अधिकार नहीं देकर सरकारी अधिकारी को चाहे वह कलेक्टर को या कोई अन्य अधिकारी, चाहे वह नायब तहसीलदार या तहसीलदार हो दे देते हैं तो किसी प्रकार की गड़बड़ की की आशंका नहीं रहेगी। और हम ये अधिकार पंचायत समिति को दे देते हैं निश्चित रूप से गड़बड़ियां होंगी, झगड़े होंगे और जो बात हम प्राप्त करना चाहते हैं वह किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७ में कोऑप्शन के बारे में माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक तो पहला संशोधन जो क्लॉज़ ७ की सब क्लॉज़ (१) में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महीने की मयाद बढ़ाने के लिये रखा है उसका समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि यह मयाद बढ़ाना जरूरी है। १५ दिन की जो मयाद की सीमा है वह कम है क्योंकि पंचायत की बैठक बुलाने में और सदस्यों को सूचना देने में, उनको मिले या न मिले, निश्चित तारीख को वे आ सकें या न आ सकें, इसकी सूचना के लिये एक महीना जरूर रखा जाना चाहिये।

इसके बाद दूसरा संशोधन है कि सरपंच १५ रोज में चुनाव के बाद मीटिंग बुलाकर कोऑप्शन कर लें दो महिलाओं को, हरिजन और आदिवासी सदस्य को. उसके लिये प्रस्ताव पास करके चुन लें। इसके लिये जो १५ दिन की मयाद है उसको बढ़ा कर एक महिना रख दी जाय ताकि सरपंच अपनी जिम्मेदारी समझे कि उसको एक महीने के अन्दर अन्दर कोऑप्शन करना है। इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं।

इसके अलावा जो संशोधन सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कलेक्टर के बजाय पंचायत समिति के सदस्यों को, स्टेन्डिंग कमेटी के सदस्यों को यह अधिकार दिया जाय कि वे कोऑप्शन कर लें, इसका मैं विरोध करता हूँ। यह जो कोऑप्शन के लिये अधिकार देना चाहते हैं यह उचित नहीं है। इसमें होगा क्या कि वे दल के आधार पर चुनाव करेंगे और जो दल के आधार पर किसी स्टेन्डिंग कमेटी को बनाते हैं वह हमेशा के लिये इस प्रकार का उपयोग करेंगे, अपने दल के लोगों को पक्षपात करके उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाय। यह परम्परा हमेशा के लिये अनुचित होगी। इसलिये भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि तहसीलदार को रख दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूँ। पंचायत के चुनाव हो जाने के बाद सरपंच ऐसी बात करे गल्ती से या जान बूझ कर चुनाव नहीं कराये वैसी हालत में उसका चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। उसी प्रकार सरकार के होने की वजह से कोऑप्शन आदि की जिम्मेदारी भी सरकार पर आ जायगी। इसलिये इस जगह कलेक्टर या तहसीलदार रखा जाना चाहिये। इससे चुनाव प्रणाली हमेशा स्पष्ट रहेगी, किसी को किसी

(श्री मोगजी भाई)

प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। इसलिये चुनाव का जहां तक सवाल है तहसीलदार का जो संशोधन रखा है उसको माननीय मंत्री महोदय को मानना चाहिये। कई सदस्यों ने कहा, छोटी छोटी पंचायतें बनेंगी जिसमें सात, आठ पंच रहेंगे महिलाओं, हरिजन, आदिवासियों का कोऑप्शन रखा है वह क्यों रखा जाय ? इसका मैं विरोध करता हूं। आखिर स्थानीय जनता में से यदि इन व्यक्तियों को भी पंचायत समिति में रख लिया जाता है तो क्या हर्ज है? यह कोई बहुत बड़े पद तो हैं नहीं, ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने के लिये यह अधिकार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ, इसके विपक्ष में कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महिला और पिछड़े वर्ग के लोगों को हम अधिकार दें। इन पिछड़े वर्ग के साथ साथ मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, वह भी मिलना चाहिये। इसी प्रकार हिन्दुस्तान में ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। इस सम्बन्ध में भी अधिकार होना चाहिये।...

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न है नहीं, यहां पर जो है उसी में सीमित रहिये।

श्री मोगजी भाई : यह जो कोऑप्शन का रखा है ये वर्ग भी पिछड़े हुए में आते हैं, उनको भी रखना चाहिये। इसलिये कोऑप्शन से किसी को विरोध नहीं है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं, उनका संशोधन माना जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो यहां संशोधन आये हैं उनमें से एक संशोधन जिसके द्वारा सब क्लॉज (३) में चाहा गया है कि १५ रोज के बजाय १ महीना कर दिया जाय, इसको मैं स्वीकार करता हूं।

इसी तरह से पहले सब क्लॉज पर जो सुझाव दिया गया है 'एज़ सून एज़' की जगह एक महीना कर दिया जाय। इस बारे में मैं सुझाव रखता हूं, जो माननीय संशोधन प्रवर्त्तक उससे सहमत होंगे, एक महीने की जगह १५ दिन कर देना ज्यादा उचित होगा। क्योंकि सरपंच को ज्यादा देरी करने का मौका नहीं रहे। मैं समझता हूं १५ दिन का समय रखा जाय तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसको जोड़ना उचित समझता हूं। क्योंकि जो बहस हुई उसके दौरान एक तरफ़ यह कहा गया कि जो निर्वाचित व्यक्ति हैं उनका महत्व बढ़ना चाहिये, साफ़ बात है। दूसरी तरफ़ से व्यवहार की कठिनाई को देखते हुए दलील दी जाती है पर इस का भी दुरुपयोग होता है तो इसको भी रोकना चाहिये। दोनों पर विचार करके हमने सोचा है कि सरपंच को रहने दिया जावे। पर यह जोड़ दिया जावे कि १५ दिन के अन्दर वह बुलावे, नहीं तो कलेक्टर बुलावे। इसमें दोनों की रक्षा हो जाती है। मैं समझता हूं कि ये दोनों संशोधन विधिवत् पेश हो जावेंगे आपके सामने अभी। पर मैं समझता हूं कि आप इसे मन्जूर कर लेते हैं तो बाकी दूसरे और जो संशोधन हैं उनके बारे में संक्षेप में निवेदन कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह और डॉ० चन्द्रकला, दोनों के

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन तो एक ही हैं। दोनों को स्वीकार किया तो उनमें से कौनसा स्वीकार किया आपने ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किसी एक का मान लीजिये। पहला तो (श्री रावराजा की ओर संकेत करते हुए) आपका है। इसे ही मान लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों के संशोधन एक से हैं। एक का ही मूव होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने महीने का किया था उसमें आप १५ दिन का मान रहे हैं। वे १५ दिन का स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक ने इसका ही विरोध किया है कि सवर्ण न हों और एक ने किया है नामजदगी न हो। मैं इन दोनों को अनुचित समझता हूं।

इसके अलावा इसके उत्तर में पड़ने में आपका समय न लेकर मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि दूसरों को मैं स्वीकार करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं। इसलिये अगर वे चाहेंगे तो कारण बताऊंगा, नहीं तो ...

डॉ० चन्द्रकला : हम चाहते हैं, बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप उचित समझें तो बता दीजिये। चाहने, न चाहने का सवाल नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो उचित समझता तो बता ही देता। पर मैंने समझा कि अनावश्यक है और फिर समय भी हो गया है।

डॉ० चन्द्रकला : समय कहां हो गया है ? आपने कहा तो मैंने 'हां' कर दिया कि बताइये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप स्वयं गुणी हैं, पंडित हैं, समझते हैं इसलिये भी और इसलिये भी कि आगे और भी महत्वपूर्ण संशोधन आ रहे हैं जिसके लिये समय आपको अधिक देना भी चाहिये। इनमें समय ज्यादा ले लेंगे तो उनमें कम मिलेगा। इसलिये उचित यही है कि मैं यहीं समाप्त कर दूं।

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, जरा सा क्लेरिफिकेशन अपने संशोधन के बारे में कराना है जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के वास्ते रखा था। अब मैं चाहती हूं कि अगर आप नोमिनेशन और कोऑप्शन करना चाहते हैं तो दोनों का पोपुलेशन के बेसिस पर करिये, एक का तो पोपुलेशन के बेसिस पर करना और दूसरे का नहीं, तो यह क्यों ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब पॉइन्टेड बात कही न।

डॉ० चन्द्रकला : तब भी कही थी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अनुसूचित जाति के लोग तो चूंकि हर जगह राजस्थान में पाये जाते हैं और काफी तादाद में पाये जाते हैं जिससे उनके कोऑप्शन में आने

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

का तो कोई डर ही नहीं है; इसलिये उनके लिये पर्सेन्टेज की बात नहीं कही। पर ट्राइब्स एरिया छितरा हुआ नहीं है, कुछ जगहों पर वे कम्पेक्ट हैं। कहीं कहीं एक-एक, दो-दो घर हैं जहां हैं, वहां बहुत हैं। नहीं हैं वहां एक-एक, दो-दो ही हैं। अब एक घर ही हो कहीं तो एक को ही चुना जाना तो मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिये पांच प्रतिशत की बात इनके लिये कह दी। सारे राजस्थान में अनुसूचित जातियों की तरह ये सब जगह छितरे हुए पाये नहीं जाते।

डॉ० चन्द्रकला : नहीं तो क्या मन्त्री महोदय का कहना यह है कि इस प्रकार ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

डॉ० चन्द्रकला : मुझे पूछना है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला और लास्ट का संशोधन तो स्वीकार कर लिये गये हैं। एक केवल बीच का बचा है। इसलिये उसे वापिस लेता हूं। लेने की आज्ञा देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : वापिस लेते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी, जो बीच का स्वीकार करने से रह गया है वह।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पर आपके संशोधन में मैंने १५ दिन की बात मानी है एक महीने की जगह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका यह संशोधन मैं स्वीकार कर लेता हूँ आपने मेरा स्वीकार कर लिया है तो।

श्री उपाध्यक्ष : १५ दिन की बात का ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी First and last he has accepted. दूसरा मैं विड्ड्रॉ करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र ने रखा है उसे वापिस लेने की उनको स्वीकृति दी जाय ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : मैं जानना चाहता हूँ माननीय मन्त्री महोदय से कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का संशोधन एक महीने वाला जो है वह स्वीकार किया है या कौनसा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें सब सेक्शन (३) में यदि है उनका संशोधन १५ दिन करने का, तब तो मैं मन्जूर करता हूं उसे और सब-क्लॉज (२) में १५ दिन का मैं मानता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता(स्वाथ्य मंत्री): वहां तो इतना प्रोविज़न है क्लॉज़ एक में, हम जल्दी कर देंगे कोऑप्शन; यहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किये वे वापिस लेने की उनको अनुमति

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I withdraw my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : मुझे भी वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंकरलाल ने प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की उनको अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अल्प विराम के अनन्तर)

जो संशोधन रावराजा श्री सरदारसिंह ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

That is idendical.

डॉ० चन्द्रकला : एक तो स्वीकार कर लिया, बाकी मैं विथ्ड्रा करने की इजाजत चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डॉ० चन्द्रकला को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री भटनागर को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

Page No.84

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री चतुर्वेदी को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया " Provided that if the Sarpanch does not convene such special meeting within the aforesaid time, the officer appointed by the Collector in this behalf shall likewise convene such special meeting. " इसको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 'एज़ सून एज़' के बजाय '१५ दिन' रखा है। सब क्लॉज (२) में 'as soon as after' आपने यह रखा है १५ रोज में बुला लेगा। तो " as soon as may be " के बजाय "within 15 days" रखा है, इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन सब क्लॉज़ (२) में "as soon as may be" के बजाय "within 15 days" हो The clause than will read as :-

" (2) Within fifteen days after his election, the Sarpanch shall convene under due not ce in the prescribed manner, a special meeting of the newly elected panchas to co-opt persons referred to in sub-section (1)." इसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

खण्ड ७ पर निम्न सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री शंकरलाल

10. In clause [d] of sub-section

Page No.85

(श्री शंकरलाल)

(1) of the proposed section 9 A, insert the words and a comma "with the consultation of the Pramukh," between the words "the State Goverment' shall" and the words "by notification."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

39. New Section 9 A sought to be inserted in the Principal Act—

(1) In sub-section (1)—

(a) Delete clause (a),

(b) Replace the words 'with or without' by the word 'including' in clause (b),

(c) in clause (d) add after the word 'proceedings the words 'and the period of the existing Panchayat can not be extended legally.'

(2) Add the following proviso to sub-section (2):—'Provided that the period shall not be extended if the circumstances for such appointment have ceased to exist.''

क्लॉज़ १५ पर संशोधन इस प्रकार हैं

श्री शंकरलाल

31. Proviso to sub section (4) of the proposed section 24 sought to be substituted, to be deleted.

श्री सोहनलाल भटनागर

33. (i) Section 24 sought to be substituted

Sub-section (2) be deleted.

(ii) The word 'fifty' be substituted for the word 'fifteen' occurring in the proviso to sub-section (4).

(iii) The word'shall'be substituted for the word 'may' in the third line of sub-section (5).

श्री पी० के० चौधरी

34. Delete the proviso to sub-section (4) of section 24 sought to be substiuted.

क्लॉज़ १५ ए जोड़ने का संशोधन इस प्रकार है :

श्री सोहनलाल भटनागर

42. Insert following new clause 15 A after clause 15:—

"15A. Insertion of new section 24A in Rajasthan Act 21 of 1953.—

After section 24 of the Principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"24A. Functional Sub Committees.

(1) Every Panchayat shall constitute such number of Functional Sub-Committees as it considers necessary for any of the subjects specified in the third schedule.

(2) Every functional sub-committees shall consist of not more than three members elected by the members of the Panchayat from amongst themselves in the prescribed manner.

(3) The Sarpanch, if he is a member of any functional sub-commiteeshall be ex-officio Chairman thereof.

(श्री मोहनलाल भटनागर)

(4) The Up-Sarpanch, if he is elected a member of any functional sub-committee, of which the Sarpanch is not a member, shall be ex-officio Chairman.

(5) The Chairman for every other functionl sub-committee of which neither Sarpanch nor Up-Sarpanch is the member, shall be elected in the prescribed manner.

(6) Every functional sub-committee shall, in relation to the subjects assigned to it exercise such powers and perform such functions of the Panchayat, as the Panchayat may, from time to time, delegate to such functional sub-committees.

(7) The term of office of every functional sub-committee shall be co-extensive with the term of the office of the Panchayat.]

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ८, श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ८ के द्वारा इस राजस्थान पंचायत बिल के अन्दर एक नई धारा ६ (ए) के रखने का प्रावधान किया गया है। इस नई धारा ६ (ए) के अनुसार सरकार ने अपने पास यह अधिकार लेने का प्रस्ताव रखा है कि किन्हीं कारणवश जिन जगह पंचायत काम नहीं कर रही हो या किन्हीं वजह से पंचायत का इलेक्शन रुक गया हो या किन्हीं कारणों से कुछ हो तो सरकार उन स्थानों पर प्रशासक की नियुक्ति कर सकेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रशासक नियुक्त करने की जो प्रणाली है या यह जो अधिकार है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत ही सोच-विचार के बाद इसके अन्दर यह समावेश होना चाहिए और किस प्रणाली से सरकार यह अधिकार प्रयोग में लाये, उस पर भी अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन से पहले भी निवेदन किया था और अब भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत किसी वजह से कार्य न करे और वह कारण सरकार के समक्ष आये और जिन कारणों से प्रशासक सरकार नियुक्त करना चाहती है तो सरकार सीधे एक प्रशासक नियुक्त कर ले बिना किसी प्रणाली को अपनाये, तो इसके लिए बहुत आपत्तियां हो सकती हैं। हमने पंचायतों की प्रणाली के अन्दर जो एक ढांचा रखा है, पंचायतों के बाद हमारे सामने पंचायत समिति का स्टैप आता है और उसके बाद में जिला परिषदें जिले में हैं और उसके बाद में सरकार उसके ऊपर विचार करती है तो न तो इसके अन्दर पंचायत समिति की वॉइस रखी है और जिला परिषद की वॉइस रखी है और सरकार के सामने जो भी कारण आवेंगे वे किस प्रकार से आयेंगे और सरकार उनको कैसे मान लेगी और किन परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देगी बिना जांच के तो इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि :

"In clause (d) of sub-section (I) of the proposed section 9A. insert the words and a comma 'with the consultion of the Pramukh' between the words 'the State Government shall' and the words' by notification'". सरकार नोटीफिकेशन के द्वारा जो प्रशासक की नियुक्ति करेंगी उसके पहले मेरा यह प्रस्ताव है कि सरकार जिला परिषद के प्रमुख की

(श्री शंकरलाल)

राय जाने। जिला परिषद का प्रमुख जो कि समस्त पंचायतों के द्वारा और पंचायत समितियों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है जो कि पंचायतों के प्रशासन में सबसे ऊंचा व्यक्ति है उसके बिना राय जाने सरकार यदि उस क्षेत्र में पंचायतों के लिए प्रशासक नियुक्त करती है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह जनतंत्र की प्रणाली की अवहेलना होगी और इसके द्वारा हम ऐसी चीज अपनाने जा रहे हैं कि जिससे खतरा हो सकता है कि सरकार प्रशासक ठीक तरह से नियुक्त कर पायेगी या नहीं। तो इसके लिए पहले जिला परिषद के प्रमुख की राय ली जाये और इस बात के लिए सरकार को वह सुझाव रखेगा कि वास्तव में ऐसी परिस्थिति है कि वहां प्रशासक की नियुक्ति करना आवश्यक है। इसलिए 'विथ दी कन्सलटेशन ऑफ दी प्रमुख' एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होनी चाहिए। यदि प्रजातंत्र के ढांचे के अन्दर जो इलेक्टेड बॉडीज़ रखी हैं पंचायत समिति और जिला परिषदें उन दोनों की अवहेलना करके सरकार सीधे प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार अपने हाथ में लेती है तो वह आपत्तिजनक है, अनडेमोक्रेटिक है और जो मकसद सरकार हल करना चाहती है वह हल नहीं होगा। सरकार यह चाहती है कि पंचायतों का काम अच्छी तरह से चले। जहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो वहां सरकार कहे कि हम प्रशासक नियुक्त करें तो उस स्थिति की जांच करके और किस प्रकार प्रशासक की नियुक्ति की जाये, उसके लिए होना तो यह चाहिए था कि पंचायत समिति अपनी राय जिला परिषद को भेजती और जिला परिषद गवर्नमेन्ट को भेजती लेकिन इतना नहीं हो तो कम से कम जिला परिषद की राय ली जाये। जिला परिषद एक डेफिनिट व्यू गवर्नमेन्ट के पास रखेगी। वह रीज़न्स रखेगी कि वहां प्रशासक की नियुक्ति करना आवश्यक है और उसके बाद में अगर प्रशासक की नियुक्ति की जायेगी तो यह एक डेमोक्रेटिक स्टैप होगा और उसके लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि प्रशासक की नियुक्ति क्यों की गई, नहीं तो केवल एक शिकायत के ऊपर इस धारा का प्रयोग सरकार ने किया और प्रशासक की नियुक्ति की तो वह आपत्तिजनक हो सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने संशोधन रखा है कि प्रशासक नियुक्त करने से पहले प्रमुख की राय अवश्य ली जाये, वह स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ८ में मेरा एक संशोधन है। क्लॉज़ ८ का संबंध पंचायतों पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्रशासक की नियुक्ति से है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ४ ग्राउन्ड्स दिए हुए हैं कि जिन परिस्थितियों में प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। पहली तो वह परिस्थिति है जिसमें कि नई पंचायतों के कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में सेक्शन ३ के तहत राज्य सरकार ने कोई नोटीफिकेशन निकाला हो और इलेक्शन कराने में कुछ समय लगनेवाला हो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जायेगा। दूसरी परिस्थिति में पंच और सरपंच का चुनाव चाहे केवल पंच का या सरपंच का दोनों का मिलाकर किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर अवैधानिक करार दे दिया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाये तो उस परिस्थिति में भी प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक है और इसलिए प्रशासक नियुक्त किए जाने के बारे में प्रावधान रखा गया है । तीसरी परिस्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, यदि चुनाव और चुनाव के आगे की सम्पूर्ण कार्यवाही किसी भी न्यायालय के द्वारा रोक दी जाये तो उस परिस्थिति में उस क्षेत्र के लिए प्रशासक की आवश्यकता होगी, इस प्रकार का प्रावधान भी इसमें किया गया है और चौथी परिस्थिति जो रखी गई है कि किसी भी एग्ज़िस्टिंग पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो गया हो और उससे पूर्व चुनाव आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था अन्तिम रूप से फ़ाइनेलाइज़ नहीं हो पाई हो उस परिस्थिति में भी प्रशासक की नियुक्ति राज्य सरकार कर पायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में जहां तक पहली शर्त का सवाल है मैंने इसके अन्दर यह चाहा है कि कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ पंचायत का नोटिफिकेशन जो कि सेक्शन ३ के तहत निकाला जायेगा और जिसके द्वारा सरकार यह चाहती है और जिसके द्वारा सरकार की यह मन्शा है कि केवल नोटीफि-केशन निकलने के बाद हम पर्टीकुलर एरिया को या उस क्षेत्र को या गांव के समूह को एक पंचायत का क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में जब इस प्रकार का नोटी-फिकेशन निकल जायेगा तो सरकार का यह कहना है कि चुनाव कराने में कुछ समय लगेगा और इसलिए उस इन्टेरिम काल में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति अत्यन्त आवश्यक है । मैं राज्य सरकार की मन्शा के विषय में जब ज्यादा अच्छा समझता कि यदि राज्यसरकार इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट निर्देश कर देती और यह लिख देती कि नोटीफिकेशन निकलने के बाद उसके चुनाव की अवधि कितने दिन की होगी और एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइन्टमेन्ट कितने दिन का होगा। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जिनके लिए राज्य सरकार यह नोटीफिकेशन निकाल दे कि इस पर्टिक्युलर एरिया में म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र को निकाला जाता है। ग्रुप ऑफ विलेजेज़ के लिए राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित करना चाहती है और यहां पर पंचायत का निर्माण करना चाहती है और जब इस प्रकार का नोटीफ़िकेशन निकेलगा, उस नोटिफिकेशन के निकलने के बाद इलेक्शन की कार्यवाही में जो समय लगेगा उसमें राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी, और उसका नतीजा यह होगा कि साल, दो साल के अन्दर परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो उस क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये चुनाव कराये जायेंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों में अनिश्चितता नहीं रहे, उनको निश्चितता के साथ में यह मालूम पड़ जाय कि हमारे क्षेत्र के लिए पंचायत बनने वाली है, उन लोगों के लिए पंचायत का निर्माण २-३ महीने में हो जायगा। इस अर्से के लिए प्रशासक भेजा गया है। जो लोकतान्त्रिक अधिकार उनको नगरपालिका के क्षेत्र में रहने के कारण मिले हुए थे उन लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन नहीं होगा और प्रशासक की नियुक्ति २-३ महीने के लिए होगी तो २ या ३ महीने का समय सरकार निश्चित रूप से निर्धारित कर दे कि प्रशासक इतने समय तक रहेगा और इतनी अवधि के अन्दर अन्दर राज्य सरकार चुनाव कर सकेगी। उस परिस्थिति का प्रोवीजन इसमें नहीं रखा गया है। इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की अवस्था में इस प्रकार का प्रोवीज़न

Page No.89

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जो अवस्था है, दूसरी जो परिस्थिति राज्य सरकार ने सोची है वह यह हो सकती है कि यदि पंच या सरपंच का चुनाव किसी कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा अवैधानिक या गैर कानूनी घोषित कर दिया जाय तो प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक होगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वे यह हैं कि पंचों का चुनाव और सरपंचों का चुनाव या केवल पंचों का चुनाव, सरपंच का चुनाव अवैधानिक घोषित नहीं है, जिस प्रकार की परिस्थिति राजस्थान हाई कोर्ट के कई फैसलों में खड़ी हुई है कि पंचों का चुनाव अवैधानिक घोषित कर दिया; कहीं पर वार्ड का नोटिफ़िकेशन नहीं हुआ या जहां पर ७ डेज़ का नोटिफ़िकेशन होना चाहिए था वहां ७ डेज़ का क्लिअर नोटिफ़िकेशन नहीं था, इस प्रकार के डिसीज़न्स राजस्थान हाई कोर्ट के हुए हैं। पंचों का चुनाव अवैधानिक, गैर कानूनी घोषित कर दिया पंचों का चुनाव रद्द घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि जहां तक सरपंचों के चुनाव का सम्बन्ध है वह डाइरेक्ट इलेक्शन से हो सकता है। सरपंचों का चुनाव सारे मतदाता मिल कर करते हैं इसलिए वार्ड का सवाल नहीं खड़ा होता है, नोटिस का सवाल नहीं खड़ा होता है। तो पंचों का चुनाव तो अवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन सरपंच का चुनाव बहाल रखा। ऐसी परिस्थितियों में पंचों का चुनाव अवैधानिक घोषित हो जाय तो भी राज्य सरकार सरपंच को हटा कर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे तो मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरपंच ने क्या अपराध किया है? जो प्रशासक आपका है, जो एडमिनिस्ट्रेटर ब्युरोक्रेटिक मशीनरी का पुर्जा है वह एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है? वह एडमिनिस्ट्रेटर मशीनरी जो पंचायत की होती है उसको चला सकता है तो आप सरपंच को अधिकार दें कि वह सरपंच सारी मशीनरी को चलाये, पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाये। यह हो सकता है कि २–३ महीने में चुनाव की व्यवस्था राज्य सरकार करे और उस समय के अन्दर अन्दर राज्य सरकार चुनाव करवा दे। जब इलेक्टेड सरपंच का चुनाव अवैध घोषित नहीं किया है और वह बाकायदा जनता में से चुन कर आया है और जब पंचों का चुनाव अवैध घोषित हो गया है तो सरपंच पर यह पैनल्टी क्यों होनी चाहिये? जब एक एडमिनिस्ट्रेटर एक पंचायत का काम जवाबदारी से और जिम्मेदारी से चला सकता है तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा अच्छा यह होगा कि हम सरपंच को जवाबदारी दें कि वह ज़िम्मेदारी और उत्तरदायित्वपूर्ण भावनाओं के साथ पंचायत का जब तक पुनर्निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक उस पंचायत का प्रशासन सही रूप से, सुचारु रूप से चलाये। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने जो व्यवस्था चाही है, मैंने संशोधन रखा है कि 'with or without' शब्द'के स्थान पर "including" शब्द लिखा जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि पंच और सरपंच का चुनाव अवैधानिक घोषित हो जाने की अवस्था में ही प्रशासक नियुक्त हो जाय, और पंचों का चुनाव अवैध घोषित हो जाय और सरपंच का नहीं होता है तो सरपंच को पंचायत का सम्पूर्ण प्रशासन चलाने देना चाहिए।

Page No.90

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तीसरी जो परिस्थिति है उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन चौथी के बारे में "the term of office of an existing panchayat has expired before the finalisation of such election and proceeding..." इसमें जो मैंने संशोधन रखा है वह संशोधन यह रखा है "and the period of the existing Panchayat cannot be extended legally." पंचायत का कार्य-काल समाप्त हो गया, उसकी अवधि समाप्त हो गई तो आप, किसी पंचायत की अवधि समाप्त हो गई तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं। मैंने संशोधन में चाहा है, आपके पास में ताकत है, विधान सभा ने शक्ति दी है कि पंचायतों का कार्य–काल किन्हीं विशेष परिस्थिति में बढ़ा सकते हैं और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सदन में मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि जिन परिस्थितियों में कार्यकाल बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह भी परि-स्थिति हो सकती है कि इलेक्शन समय में नहीं कर सके और कार्यकाल समाप्त हो गया तो उन सारी परिस्थितियों में मैंने चाहा था कि यहां पर इस प्रकार का प्रोविज़न रखा है कि सरकार इस प्रकार के कदम उठायेगी कि किसी तरह से. पंचायत का कार्यकाल बढ़ायेगी। उनके इलेक्शन के बारे में सारे प्रोसेस और प्रोसीडिंग्स फाइनेलाइज़ नहीं कर पाये और जिसमें ४ साल की अवधि है उनकी अवधि समाप्त हो गई तो एडमिनि-स्ट्रेटर नियुक्त कर देगी और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किन्हीं पंचायतों पर राज्य सरकार की कृपा यदि हो गई या जो राज्य सरकार की कृपापात्र या कृपा भाजन पंचायतें हैं उनका पीरियड एक्सटेन्ड कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि दूसरा बर्ताव लोकतान्त्रिक संस्थाओं के साथ नहीं होना चाहिये। राज्य सरकार की एक सी व्यवस्था हो। उसके साथ में सौतेला व्यवहार नहीं हो, इसलिए आवश्यक है कि राज्य सरकार को यह कहना चाहिये कि जिनके चुनाव के बारे में सम्पूर्ण कार्यवाही निश्चित अवधि के अन्दर पूरी नहीं की जा सके, जिनके चुनाव निश्चित अवधि में नहीं कराये जा सकते हैं वहां राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देगी या कार्यकाल को बढ़ायेगी और बढ़े हुए कार्यकाल में चुनाव की व्यवस्था करा देगी जिससे एडमि-निस्ट्रेटर नियुक्त होने के कम से कम इन्सीडेन्स राजस्थान में पैदा हों और कम से कम गड़बड़ और कम से कम घोटाले एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति के कारण हों।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं जानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर का राजस्थान में हमें बहुत बड़ा कटु अनुभव है। यह चीज़ पंचायतों के बारे में कम से कम हो। विशेष रूप से हमें म्युनिसिपैलिटी का अनुभव है। म्युनिसिपै-लिटीज़ में राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रखे हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है। उस चीज को दोहराना चाहता नहीं हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति का सवाल है जयपुर म्युनिसिपैलिटी में राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रखा है। उसको लगभग दो साल का पीरियड हो गया। राज्य सरकार को यहां पर चुनाव करवाने के बारे में इतनी चिन्ता नहीं है। राज्य सरकार कोई सक्रिय कदम नहीं उठाना चाहती है। एडमिनिस्ट्रेटर एपॉइन्ट कर दिया है और एडमिनिस्ट्रेटर की जो हालत है, मैं समझता

Page No.91

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं कि उनके कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है ; एडिमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल बढ़ता जाता है, प्रशासक बैठा हुआ है, लोग मांग करते हैं कि चुनाव करवाइये, लोग कहते हैं कि शहर के इन्तज़ाम की सारी व्यवस्था क भार हमको सौंपें, लेकिन प्रशासक महोदय बैठे हुए हैं। राज्य सरकार उनका कार्यकाल बढ़ाती जाती है। उनको दो साल हो गये। प्रशासक बैठा हुआ है। दूसरा कदम उठाने की चिन्ता नहीं करते हैं, सिवाय एक नोटिफिकेशन निकाला है नये मंत्रीजी ने। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जितना किया है उसके लिए लेकिन थोड़ा तेजी के साथ में स्पीडी स्टेप्स उठाने चाहिए। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि मैं समझता हूं कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर का हमारा अनुभव है विशेष तौर पर जयपुर का है और विशेष रूप से मेरा है। जहां तक हमारी परिस्थितियों का सम्बन्ध है कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर के पक्ष में नहीं हो सकूंगा। जितना कम हो सके उनको नियुक्त किया जहां तक म्युनिसिपैलिटी का ताल्लुक है, जहां तक पंचायत का ताल्लुक है। एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाय कि केबिनेट का मिनिस्टर बनना चाहते हो या जयपुर की म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर तो, वह मिनिस्टर बनना पसन्द नहीं करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर बनना पसन्द करेगा। वह एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट को ज्यादा फायदेमन्द समझता है, ज्यादा सुविधाजनक समझता है। ऑटोक्रेटिक टेन्डेन्सीज़ जिस आदमी में होती हैं उनको फुलफिल करने की, अपना मनमाना करने की जिसकी टेन्डेन्सी होती है वह जयपुर नगरपालिका के अधिकारी के रूप में काम करना पसन्द करता है। किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है; सब कुछ कर लेता है, गड़बड़ कर दी जाती है तो उसके लिए मिनिस्टर जबाबदार। जबाबदारी से अलग किसी प्रकार की पोस्ट हो सकती है तो वह एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट हो सकती है। इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर के बारे मे राज्य सरकार को सावधान रहना चाहिए और राजस्थान में डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में यदि सरकार ईमानदारी के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में विकास करना चाहती है, अगर लोकतन्त्र के आधार स्तम्भ, उसकी नींव को मज़बूत करना चाहती है तो पंचायतों में कम से कम उदाहरण इस बात के होने चाहिए जिसमें राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त करे, एडमिनिस्ट्रेटर एपॉइन्ट करे, नहीं तो नतीजा यह होगा कि तहसीदार, बी० डी० ओ०, एस० डी० ओ० जो पंचायत समिति और पंचायत केन्द्रों के अन्दर उनके तहत काम करते हैं वे ही लोग प्रशासक के रूप में बैठ जायेंगे। इसलिए मैंने अपने संशोधन के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह व्यवस्था चाही है कि तब तक कार्यकाल बढ़ाया जा सके जब तक कि इलेक्शन नहीं कराये जा सकें। तो बढ़े हुए कार्यकाल में इलेक्शन की व्यवस्था पूरी कर ली जाय। उसके बाद में इलेक्शन हो जायेंगे तो प्रशासक की आवश्यकता नहीं होगी।

सब क्लॉज (२) में यह मेरा छोटा प्रोविज़ो जोड़ने का संशोधन है। राज्य सरकार ने उप धारा (२) में लिखा है :

" The State Government may at any time, by notification in the

Page No.92

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

official Gazette, curtail or extend the period of appointment made under sub-section (l) "

इसमें जो मैंने प्रोविज़ो जोड़ा है :

" Provided that the period shall not be extended if the circumstances for such appointment have ceased to exist. "

जिन कारणों से और जिन परिस्थितियों के कारण आपने वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की है, यदि वे कारण समाप्त हो जायं, उदाहरण के तौर पर यदि वहां पर पंचायत के चुनाव अवैध घोषित कर दिये गये हैं न्यायालय द्वारा यदि प्रोसिडिंग्स स्टे कर दी थीं; अब माना कि कोर्ट ने वह आज्ञा वेकेट कर दी तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक एक्सटेन्शन का सवाल है मैंने प्रपोज़ल रखा है कि उसका पीरियड नहीं बढ़ाया जायगा। जल्दी से जल्दी प्रशासक को हटा सकते हैं, जल्दी चुनाव करवा सकते हैं और लोकतन्त्र की स्थिति ला सकते हैं। जहां तक पंचायत का सवाल है, आपको पीरियड कर्टेल करने का अधिकार देने में हर्ज नहीं है लेकिन यदि अवधि बढ़ाने का सवाल है, वहां यह रखा जाय कि उसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जाय कि वह प्रशासक का समय बढ़ा सके। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अधिकार राज्य सरकार को लेने का अधिकार नहीं है। इसलिये मैंने रखा है कि यदि वे परिस्थितियां जिनके कारण आपने प्रशासक को नियुक्त किया था, खत्म हो जायं तो प्रशासक का एक्सटेन्शन नहीं होना चाहिये। उसका समय खत्म होना चाहिये और पूर्व स्थिति राज्य सरकार लायेगी। इस सम्बन्ध में मैंने जो संशोधन रखा है, मैं आशा करता हूँ, मंत्रीजी उस पर विचार करेंगे और मैंने जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें मानेंगे। यह मसला ऐसा है जो बुनियादी सवाल से ताल्लुक रखता है, लोक तन्त्र का जो स्वप्न देख रहे है पंचायत राज्य के जरिये, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के जरिये, राजस्थान के प्रशासन में जनमत का सहयोग लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं जब तक ब्यूरोक्रेसी को डेमोक्रेटिक इन्सटिट्युशन में घुसाने की जो आदत पड़ गई है, स्थान स्थान पर इस प्रकार की चीज़ हो रही है उसको छोड़ना होगा, उसका कम से कम उपयोग करना होगा। एक हथियार सरकार को दिया जाता है लेकिन इन परिस्थितियों में इस हथियार का तभी उपयोग किया जावे जहां अत्यन्त आवश्यक हो। यह नहीं कि बिना जरूरत ही इसका उपयोग कर लिया जायं। अनफेटर्ड चीज़ न हो जिससे ऐसे सर्कमस्टान्सेज़ पैदा हो जावें। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मन्त्रीजी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे और यदि वे इसे स्वीकार नहीं करें तो सदन समर्थन करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं विधेयक के क्लॉज ८ का विरोध करती हूं। अभी इसके पहले जयपुर शहर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एडमिनिस्ट्रेटर के सम्बन्ध में अपने कटु अनुभव के आधार पर जो भावनाएं प्रकट कीं, मैं भी अपने अनुभव के आधार पर उनका समर्थन करती हुई पंचायत में एडमिनिस्ट्रेटर रखने के सिद्धान्त का विरोध करती हूं।

(डॉ० चन्द्रकला)

यह बात ठीक है कि पंचायत में ऐसी स्थिति पैदा हो जाने पर कि जब वहां पर नई चुनी हुई पंचायत काम न कर सके ऐसी स्थिति में सरकार को अपने प्रतिनिधि के द्वारा वहां की व्यवस्था करनी पड़ सकती है और उसके लिये इस क्लॉज़ के द्वारा प्रावधान करके वे अपने हाथ में यह अधिकार लेना चाहते हैं। लेकिन केवल इतनी ही बात होती तो निश्चित रूप से मैं इस क्लॉज़ का समर्थन करती लेकिन हमको शक होता है कि हमारी सरकार सचमुच में ईमानदारी के साथ पंचायत का काम और अधिक सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य

२. ४७ म०प०

(श्री मोतीलाल, सभापति, पदासीन)

से इस प्रावधान को नहीं चाहती। हम सब जानते हैं कि पंचायत का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होनेवाला है, बहुत छोटा सा उसका क्षेत्र है। उनके काम में गड़बड़ क्यों हो जावे, यह समझ में नहीं आता। ये जो तीन चार परिस्थितियां इसमें बताई गई हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम और किस तरह से जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जब कहीं पर पंचायत बनाने की घोषणा करेंगे और उसके चुनाव होंगे, चुनाव होने से पहले तक व्यवस्था करने के लिये प्रशासक की नियुक्ति कर सकते हैं। यह ठीक है कि पंचायत क्षेत्र की घोषणा होने के बाद नव निर्मित पंचायत का इन्तजाम करना है, लेकिन उसके लिये यही साधन नहीं है। जो वहां पर चुनाव करायेंगे वही मशीनरी उसका प्रबन्ध कर सकती है लेकिन हमारी सरकार एडमिनिस्ट्रेटर के मामले में जनता को आशंकित कर चुकी है। वह एक बार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देती है तो उसको हटाने का नाम नहीं लेती है, भले ही जनता की भावना कैसे भी विरोध में प्रकट हो लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं होता है। न तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिये कोई मर्यादा है और न कोई उसका निश्चित समय है, न उसके अधिकारों का उल्लेख है। जहां सार्वभौम स्वतन्त्र क्षेत्र में स्वतन्त्र व्यवस्था होती है वहां पर प्रशासक बैठा देते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि हमारी सरकार अपने प्रशासक को उसके जोर, जुल्म और सभी कामों से उसको संरक्षण देती है। जयपुर शहर नगरपालिका के क्षेत्र में है, पंचायत का भिन्न सवाल है लेकिन जिस तरह के सवाल को सरकार ने लगा रखा है उसको देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगी कि शहर की जनता ने इसको काफी भुगत लिया है, कम से कम पंचायत को तो इसे न देखना पड़े, इसलिये इस धारा को यहां से हटाना चाहिये और इसको वजह से जो दिक्कत आवे उसका हल कोई और ही निकालें। आखिर अब तक भी पंचायतें काम करती रही है और अवैधानिक भी घोषित होती रही हैं, ऐसी परिस्थिति पैदा होती रही हैं, जिस समय चुनाव में किसी तरह से सत्ता मिलती रही है उस समय भी पंचायतें काम करती हैं, ऐसी दिक्कत नहीं आती है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो, जब कि हमारे पास मशीनरी है, ढांचा है, कलेक्टर पूरे क्षेत्र में काम करता रहता है तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा होने दें और यदि पैदा होती है तो जल्दी से जल्दी १०-१५ दिन में ही दूसरी पंचायत क्यों नहीं बनावें ? यदि और कोई रास्ता न हो तब

(डॉ० चन्द्रकला)

प्रशासक नियुक्त करने का रास्ता अपनाना पड़ता है; तो उसके लिये रास्ता रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक सरकार का जो रवैया या ढंग है वह बहुत खराब है और निश्चित तौर से, सभापति महोदय, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। सरकार किसी भी क्षेत्र में सत्ता को वहां की जनता के हाथ में नहीं देना चाहती है। हम सब जानते हैं कि सरकार हम लोगों की ही है और उसमें हमारा प्रतिनिधित्व है, हमारी कमजोरियों को जानती है, उनमें भी कमजोरी होती है। यदि हमारे मन में ख्याल आयेगा कि अमुक प्रशासक को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन ऐसी बाधा से ऊपर उठने का सोच नहीं सकते। इस समय इसको हटाने के लिये हम अपनी सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, दूसरों को दे देने की बात करते हैं, अपने हाथ से निकाल कर जनता के हाथ में फैलाने और बिखेरने की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार जिस तरह से सत्ता के लोभ में जकड़ी है, वह जहां प्रशासक की बात करती है वहां वह नहीं चाहती है कि जनता को यह सत्ता दी जाय जो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती है। यदि उसकी 'हां' में 'हां' मिलाने वाली स्वायत्त संस्थाएं हैं वहां उनको सत्ता देना बर्दाश्त कर सकती है लेकिन यह लगता है कि ये स्वायत्त शासन संस्थाएं हमारे हाथ से निकल जायेंगी, तो हमारी सरकार उनको अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। मुंह से वह कहती है कि हम सत्ता को फैलाना चाहते हैं, त्याग करके विकेन्द्रित करना चाहते हैं लेकिन कार्य-रूप में परिणत करने के लिये जो आदेश होते हैं, छोटी इकाई में भी सत्ता न देने के लिये, उनकी व्यवस्था में, उनको अधिकार न देने के लिये अपने हाथ में बंधा हुआ रखा जाय, उनको स्वतंत्र कभी नहीं होने दें। इस तरह की भावना अब तक काम करती आई है। अब तक सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करके, प्रशासक की नियुक्ति करके जो कुछ किया है वह दिखाई पड़ता है कि सरकार प्रशासक क्यों रखती है? जयपुर नगरपालिका के प्रशासक का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरकार स्वेच्छाचारी शासक को जनता पर लाद देती है। वह जैसा चाहे वैसा काम करता है। उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, उसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वह तो एक मां-बाप की उच्छृंखल संतान की तरह है, जो धन की बर्बादी करने के लिए अधिकृत होता है। एक मजे की बात यह है कि जयपुर शहर की सफाई, व्यवस्था या किसी तरह की बात सरकार के सामने लाई जाती है, उस समय जनता की बात सुनने, जनता का हित देखने की ओर सरकार का ध्यान न होकर, सरकार का यह लक्ष्य रहता है कि किस तरह अपने नियुक्त किये हुए प्रशासक की रक्षा करें, उसे किस तरह संरक्षण दे। इस तरह उसकी बुराई, ऐसे काम, जिसको दूसरी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता उसको बर्दाश्त करती है। यह सब देखते हुए मुझे लगता है कि अभी तो शहर नगरपालिकाओं में अधिकार दे रखा था, जो बड़ी संस्थायें हैं, जहां के लोग समझदार हैं, जहां के लोग अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों को समझते हैं उन स्वायत्त शासन संस्थाओं में प्रशासक की नियुक्ति करके उसको अधिकार दिये, जिस तरह उसकी अनधिकृत चेष्टाओं को संरक्षण दिया, वह सब देखते हुए हमें लगता

(डॉ० चन्द्रकला)

है कि कम से कम पंचायतें, जो स्वतंत्र इकाई हों, जिनके लिए संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है, उन पर एडमिनिस्ट्रेटर लाद कर हमारी जो नीति है उसको लादने का प्रयत्न न करें। सभापति महोदय, प्रशासक के सम्बन्ध में मैं अपने कटु अनुभवों को यहां कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरा ख्याल है कि यदि जनमत की बात आ जाय तो सारी जनता एक स्वर से कह देगी कि हमको चाहे आजादी न दो, चाहे सत्ता का विकेन्द्रीकरण मत करो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर मत लाओ। जब इस तरह की भावना जयपुर शहर की जनता में देखते हैं, जयपुर की जनता परेशान है, उसकी समझ में नहीं आता है कि सरकार क्या कर रही है इतने बड़े पद का समय धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, जो आदमी एडमिनिस्ट्रेटर रखा है उसके लिए कोई अवधि नहीं है, चाहे जितने दिन वह एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। फिर हमारी सरकार को हक है कि वह चाहे जितना समय बढ़ा सकती है। फिर सरकार एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर देती है। वहां एक सवाल आया करता है, वह यह होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की जो बुराई होगी या जो बुराई हो जाने वाली है उस बुराई को सरकार ढकना चाहती है, क्योंकि सरकार अपनी बुराई सब के सामने कैसे आने दे? अगर एडमिनिस्ट्रेटर अयोग्य शासक है तो सरकार घोषित नहीं करेगी कि हमारा प्रशासक अच्छा नहीं था, इसने काम नहीं किया, इसलिए जल्दी से जल्दी चुनी हुई म्युनीसिपैलिटी बना कर इसे हटायें, या एक प्रशासक को हटा कर दूसरे को रखे, या किसी तरह ठीक करें, नियंत्रण रखे बल्कि उल्टे रखा करती है, उसकी बात का समर्थन करती है और उसी तरह, उसी ढंग से काम करने देती है जिस तरह का काम हमारे यहां दिखाई पड़ता है, उसको हमें भुगतना पड़ता है। तो क्या सरकार सचमुच सच्चे हृदय से पंचायतों को काम सुन्दर ढंग से करने देना चाहती है, गांव वालों को सत्ता और वहां की व्यवस्था देना चाहती है, और उनके विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का जिम्मा गांव वालों को, ग्राम पंचायतों को देना चाहती है? अगर वह देना चाहती है तो निश्चित् रूप से यह प्रावधान हमको हटा देना पड़ेगा और यदि कोई दिक्कत आती है, कठिनाई आती है तो उसका दूसरी तरह हल निकालना पड़ेगा लेकिन प्रशासक की बात जो है, स्वयं प्रशासक का नाम जो है वह जनता में इस तरह से भय और आशंका का विषय बना हुआ है कि जिसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। हम दो भुक्तभोगी सदस्यों ने अपनी भावना प्रगट की और जिनको प्रशासक का अनुभव होगा वह नहीं चाहेगा कि हमने तो भुगत लिया है वह भी भुगत लें। इस भुगतने से गांव की पंचायतें बचें। हम आज चुनाव प्रणाली को दोष देते हैं, परम्पराओं को दोष देते हैं कि इसने घर-घर में, गांव-गांव में फूट फैला रखी है लेकिन हम प्रशासक की नियुक्ति करके जनता को उसके अधिकारों से वंचित करते हैं। तो अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरुक होकर अपने विकास के लिए प्रयत्नशील हो सकें, इन

३.१ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(डॉ० चन्द्रकला)

भावनाओं के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत क्लॉज़ का विरोध करती हूं और फिर एक बार माननीय मंत्री महोदय से, सरकार से और सदन से कहना चाहती हूं कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर को पंचायतों के ऊपर लाद कर जनतांत्रिक विकास में किसी तरह की बाधा को खड़ा न करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज का, जिसके द्वारा यह व्यवस्था रखी गई है कि पंचायतों के लिए किन्हीं सरकम्सटान्सेज़ के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइन्ट करने का अधिकार सरकार को कानून से दिया जाय, विरोध करता हूं और यह विरोध इस भावना से करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि विकेन्द्रीकरण का जो नक्शा लिया था और जिसके आधार पर सारे देश में राज्य व्यवस्था समाज व्यवस्था और राज्य-समाज व्यवस्था, के माफिक आर्थिक व्यवस्था लाना चाहते हैं और जिसका असली मकसद जनता के हाथ में जिम्मेदारी देना है; मैं यह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जहां हम जनता द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइन्ट करने की बात लाते हैं तो थोड़ी उसमें, हमारी नीति के अन्दर, कमजोरी मालूम होती है। या तो उसको हम कमजोरी कहें या नीति को लागू करने में भय है, यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष, जो पंचायत राज्य कायम करने की असली नींव है वह पंचायत है और पंचायत के बाद जो आती है वह है पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद और आगे जाकर हो सकता है कि भारत के चुनाव भी इन तीनों पर निर्भर करें। आज डाइरेक्ट इलेक्शन असेम्बली और पार्लियामेंट के लिए होते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की राय है, एक्सपर्ट्स की राय है कि आगे चल कर हो सकता है कि यहां इन्डाइरेक्ट इलेक्शन्स हो। अगर ऐसा होगा तो उसका मूल प्रभाव रहेगा पंचायतों का, यह पंचायतों के ऊपर निर्भर करेगा और आगे जाकर पंचायत समितियों पर निर्भर करेगा। तो डेमोक्रेसी का जो मेन सोर्स है उसके लिए यह प्रावधान रखें कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई या किसी तरह से पंचायत का काम करना बन्द हो जाय तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट कर देंगे। उस समय थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि २५ पंचायतें हैं, उनमें से १५ पंचायतें काम नहीं कर रही हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, उसी समय पंचायत समिति के चुनाव आ गये या पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया, तो सरपंच के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे वे ही उसके इलेक्शन का काम करेंगे, पंचायत समिति का काम एडमिनिस्ट्रेटर्स पर निर्भर करेगा यानि इलेक्टेड बॉडी के ऊपर का काम उस पर निर्भर करता है और नीचे का भी, पंचायत समिति के पक्ष या विपक्ष में मत आते हैं तो वे भी एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा ही। उसी हिसाब से जिला परिषद की भी स्थिति बिगड़ जाती है। मेरी मान्यता यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे तो किसी भी पंचायत समिति का काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता। जो आपने विकेन्द्रीकरण का रूप रखा है, जो नीति रखी है, उसके

(श्री मोतीलाल)

आधार पर कार्य नहीं चल सकता । हम यह कहेंगे कि हमने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और उससे जनता के हाथ में एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है कि जनता अपने द्वारा चुने हुए नुमायन्दों से शासन करे और अपने शासन को अपने नुमायन्दों से चला कर अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करे । तो इस प्रकार का जो महत्वपूर्ण अधिकार जनता के हाथों दिया गया है उसका इस क्लॉज में जो प्रावधान रखा गया है उसके द्वारा एक घुन पैदा होगा । तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस क्लाज को हटा दिया जाय । जैसे ३१४ के बारे में सारे हाउस का मत रहा कि उसको नहीं रखा जाय और जिस प्रकार उसको डेफर किया गया उसी तरह इस क्लॉज़ को भी डेफर कर दिया जाय । धारा ४ से भी यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की बात है । मेरा यह सुझाव है कि यदि किसी पंचायत का सरपंच नहीं रहा, या पंचायत टूट गई, या उस पंचायत का इलेक्शन ही नहीं हुआ तो उस गांव की शासन व्यवस्था कौन करे ? एडमिनिस्ट्रेटर न कर के, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर न करके सरकार अपने हाथ में अधिकार रखे और गांव के अनुभवी आदमियों का नोमिनेशन करके एक एडहोक कमेटी बना दे, तो हम मान सकते हैं । पर एडमिनिस्ट्रेटर की बात आती हैं तो उसको हम मानने को तैयार नहीं है । एडमिनिस्ट्रेटर एक आदमी होगा । मेरा यह कटु अनुभव है, सरकार को भी यह कटु अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइन्टमेंट की व्यवस्था म्युनिसिपैलिटीज़ में है । किसी म्युनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने के बाद उस म्युनिसिपैलिटी की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, जयपुर इसका नमूना है । जयपुर की जनता को जाकर पूछें तो यहां की जनता एडमिनिस्ट्रेटर से राजी नहीं है । जहां केपिटल है, केबिनेट जहां बैठी रहती है, वहां का एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपैलिटी का काम अच्छी तरह नहीं चला सकता तो गांवों में हजारों माइल दूर एक पंचायात में एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम कर सकता है ? वह कन्ट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह सरकार को कैसे पता चलेगा ? इसके बाद यह भी नहीं रखा है कि किसको एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेंगी ? मुमकिन है आर. आई., रेवेन्यू इन्सपेक्टर के रेंक के किसी आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करे । विकेन्द्रीकरण के समय मैंने सुझाव दिया था कि रेवेन्यू का काम, रेवेन्यू के अधिकारी सब पंचायतों के अन्दर में रखे जायं, उस समय राजस्व मन्त्रीजी ने कहा था कि हो सकता है १० साल बाद ऐसा होने वाला है । मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जितने पंच और सरपंच हैं उनकी मीटिंग करके उन लोगों की इस सम्बन्ध में राय ले लें । उनकी राय है कि रेवेन्यू विभाग का काम पंचायतों को मिल जाना चाहिए, पटवारियों को पंचायतों के अन्दर में दे देना चाहिये । तो रेवेन्यू इन्सपेक्टर को पंचायतों का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके पंचायतों को दी हुई ताकत हम छीनना चाहते हैं, हम पंचायतों के हाथ में होम एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेटर किसको मुकर्रर करेंगे ? तहसीलदार को कर नहीं सकते, एस. डी. ओ. !

(श्री मोतीलाल)

को कर नहीं सकते क्योंकि हर पटवार सर्किल में पंचायतें होंगी। इस हिसाब से ७,५०० पंचायतें बनेंगी। ५ पर्सेन्ट भी मान लें तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार काम नहीं कर सकते। रेवेन्यू इन्सपेक्टर के स्तर का कोई अधिकारी वहां काम करेगा यदि यह किसी को आशा हो तो यह जनतन्त्र की दृष्टि से सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए इस क्लॉज़ को बिल्कुल डिलीट कर दें। अगर डिलीट नहीं करते तो अभी इसको डेफर कर दें। जिस समय क्लॉज़ ४ को लेंगे उस समय इसको भी ले लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर तो कतई नहीं होना चाहिये, कुछ करना ही चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि जब तक पंचायत का चुनाव नहीं हो उस समय तक उस गांव के रहने वालों में से एडहोक कमेटी बना दें, जिस तरह सहकारी समितियों में हम लोग करते हैं कि गांव के प्रतिष्ठित नागरिकों की एडहोक कमेटी बना लेते हैं; वह भी चुनी हुई जनतान्त्रिक संस्था है इसी तरह पंचायतों में भी हर वार्ड से एक एक प्रतिष्ठित अच्छा आदमी छांट कर उनकी एडहोक कमेटी बना सकते हैं, उस एरिया से गवर्नमेंट किसी को नोमिनेट कर सकती है, एडहोक कमेटी बना सकती है, इसके लिए भी यह रहे कि ३ महीने से ज्यादा एडहोक कमेटी कहीं नहीं रहे। जिस प्रकार असेम्बली और पार्लियामेंट का नियम है, असेम्बली भंग हो जाय तो ६ महीने में चुनाव हों इसी तरह पंचायतों में भी ३ महीने से ज्यादा एडहोक कमेटी न रख कर चुनाव सम्पन्न कराये जायं। जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटीज़ में दो-दो, तीन-तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं, यह सबसे बड़ी फंडामेंटल गलती है डेमोक्रेटिक सैट-अप में, इस तरह पंचायतों में न किया जाय।

इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस क्लॉज को हटा दें, एडहोक कमेटी रखें या इस समय इसे डेफर कर दें। अगर फाउन्डेशन में ही गलती हो गई, पंचायतें डेमोक्रेटिक सेट-अप की फाउन्डेशन है, इसमें यदि हमने गलती रख दी तो उसका असर पंचायत समितियों में, पंचायत समितियों का असर जिला परिषदों में, जिला परिषदों का असर असेम्बली में और आगे चल कर पार्लियामेंट में पड़ेगा।

इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आशा करूंगा कि इस क्लॉज को हटा कर दूसरा उपयुक्त क्लॉज लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज ८ में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस क्लॉज के अन्तर्गत जिस प्रकार की बातें रखी गई हैं कि किन किन परिस्थितियों में प्रशासक नियुक्त किया जाता है, इस पर सबसे पहले विचार करें तो आश्चर्य होता है कि इसमें ऐसी चीजें रखी हैं जो कि अस्वाभाविक हैं।

सबसे पहली बात जो प्रशासक नियुक्त करने के बारे में रखी गई है वह यह है कि कोई पंचायत बनाई गई है, उसका चुनाव नहीं हुआ है और उससे पहले घोषणा हो जाय कि पंचायत बनेगी तो वहां पहले ही

(श्री दयाकृष्ण विजय)

एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि नागरपालिका एरिया में नई नई पंचायतें बनेंगी, वहां पहले चुनाव नहीं करा कर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे मुकर्रर करते हैं ? यदि चुनाव होने में दिक्कत हो, चुनाव रोक दिये जांय, या और कोई गड़बड़ी पैदा होती है तब तो बात समझ में आ सकती है कि चुनाव नहीं करा पाये, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं पर पंचायत का चुनाव हुआ नहीं, पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना चाहते हैं यह आज तक कहीं भी देखने में नहीं आया। यह न डेमोक्रेटिक तरीका है और न ताना-शाही तरीका है। पंचायत बनाने के नोटि-फिकेशन के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें, यह अनुचित है।

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज ए को निकाल देना चाहिये। यह व्यवहारिक बात है कि पंचायत बनाई है तो पहले चुनाव कराइये। एडमिनिस्ट्रेटर क्यों मुकर्रर करते हैं ? एक महीने में वहां बाका-यदा पंचायत बन जाती है। इसलिए ६ ए. का पार्ट वन है उसको हटा दिया जाय।

इसी तरह क्लॉज (बी) में है, "the election of all the panchas with or without the sarpanch has been declared void."

क्लॉज (बी) पर बोलने से पहले एडमि-निस्ट्रेटर मुकर्रर करने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर तब मुकर्रर होता है जब कि या तो वहां पर चुनाव नहीं सम्पन्न हो पा रहा हो या कुछ टेक्नि-कल ग्राउन्ड्स पर सरकार की गलतियों से हाई कोर्ट से स्टे मिल जाती है। वे लोग जनता के द्वारा ठीक तरह से चुने हुए होते हैं; पर ऐसे कारण सरकार की तरफ से हो जाते हैं। जिससे हाई कोर्ट में स्टे पेश हो जाती है; जैसे वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन देरी से होना या किसी गांव की लिमिट या डीलि-मिटेशन के बनने में हो जाता है। उसके कारण हमें कई बार हाई कोर्ट में रिट करना पड़ता है और हाई कोर्ट से स्टे देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में हम एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर मुकर्रर कर देते हैं, यह ठीक नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि हाई कोर्ट से जो स्टे ऑर्डर मिलता है वह किसी टेक्निकल ग्राउन्ड पर मिलता है, कोई चुने हुए लोग आये हैं उनकी गलती से नहीं। तो ऐसी हालत में चुने हुए जो लोग आये हैं उनकी कमेटी छोटीसी बनादी जावे और उस कमेटी के द्वारा कार्य संचालित होना चाहिये क्योंकि जो पंच लोग चुने गये हैं वे तो वैधानिक रूप से ही चुने गये हैं केवल टेक्निकल आधार पर या किसी कानूनी दृष्टिकोण पर सरकार की गल्ती के कारण स्टे होती है उस कारण से आप एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दें, यह तो उचित नहीं। मुझे कोटा का अनुभव है। अभी म्युनिसिपल चुनाव हुए और लोगों को राइट था पिटीशन करने का; वह चली और कुछ लोग हाई कोर्ट में गये और वहां से स्टे आयां। आपने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। आज उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कई शिकायतें हैं भ्रष्टाचार आदि की, और जनता उस एडमिनिस्ट्रेटर से परेशान है और आज लोग यह कहते हैं कि यदि पुराना ही वही चुना हुआ रहता और नया चुनाव नहीं होता तो भी बहुत अच्छा रहता।

Page No.100

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सरकार ने जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है उससे जनता बहुत परेशान है। मगर उसको हटाया नहीं जा रहा है। मैंने सारे म्युनिसिपल एक्ट को पढ़ा। उसमें धारा २९३ या १९३ है, उसमें लिखा है कि आप वहां पर एक कमेटी बना कर काम कर सकते हैं। आप उस धारा को देखें। आप कमेटी अपॉइन्ट करने की बात कर सकते थे और उसका उपयोग कर सकते थे। समझ में नहीं आता कि आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत में स्टे मिल जावे और वहां किसी टैक्निकल ग्राउन्ड पर तो जो सदस्य चुन कर आवें उनकी एक कमेटी बना दी जावे और उसके हाथ में प्रशासन दिया जाना चाहिये। आज शासन का विकेन्द्रीकरण हो चुका है और हम यह चाहते हैं कि पब्लिक के हाथ में उसका भार हो। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं तो एक पक्षीय न्याय हो सकता है। तो हमें इसका विरोध करना चाहिये, इसको हटाना चाहिये और जल्दी से जल्दी जनता के लोगों के हाथ में शासन होना चाहिये और प्रतिपादन करना चाहिये। ऐसी हालत में जब चुने हुए लोग आते हैं और उनके आने के बाद किसी टेक्निकल कारण से या सरकार की गलती से स्टे हाई कोर्ट से मिलता है तो पहले उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिये जो चुन कर आये हैं।

एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का तरीका प्रजातान्त्रिक तरीका नहीं है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा म्युनिसिपल एक्ट में जो नया बना है, प्रावधान है, उसमें कमेटी को सुपुर्द करने का प्रावधान है उसी प्रकार की बात यहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जोड़ी जानी चाहिये, कमेटी भी मुकर्रर की जा सके।

मैं निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् और पंचायत समितियों का एक्ट बना उसमें सारी पंचायतें पंचायत समितियों के आधीन हैं, पंचायत समिति उन पर निगरानी रखती है। मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई पंचायत फंक्शन नहीं करती है तो पंचायत समिति की सलाह से इस प्रकार की समिति बनाई जानी चाहिये और उस समिति से कार्य संचालन कराया जाना चाहिये। तो जैसा इसमें बताया है: "such election and the proceedings subsequent thereto have been stayed by an order of a competent Court" ऐसी परिस्थिति में कमेटी बनाई जावे और पंचायत समिति की राय ली जावे और म्युनिसिपल बोर्ड और पंचायतों में कम से कम ऐसे अवसर आवें जब सरकारी अधिकारियों को व्यवस्था करने की जरूरत पड़े और उनके द्वारा शासन को चलावें।

इसके अतिरिक्त क्लॉज़ (डी) है इसको देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि हमने धारा ६ यहां पर रखी है। पुराने एक्ट की धारा ७ (ए) है उसमें लिखा है कि किसी पंचायत, जिसकी कि पदावधि समाप्त हो चुकी हो, का सरपंच तथा उसके पंच नियतकालिक सामान्य चुनाव के परिणाम-स्वरूप पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन तक पद धारण करते रहेंगे; यानि जब तक नई पंचायत का गठन नहीं होता है तब तक वे लोग कार्य करते रहेंगे। जब हमने यह बात पास कर दी है तो यह सब क्लॉज़ (डी) क्यों रखा? जबकि उसकी भावना

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यही है : "the term of office of an existing panchayat has expired" यदि एग्ज़िस्टिंग पंचायत की टर्म खतम हो जाती है, तब तक शासन करने का अधिकार है जब तक नई पंचायत नहीं बनाई जावे या उसका पुनर्गठन नहीं हो जाता है तो फिर वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की क्या जरूरत है ? यह तो बिल्कुल एक ही एक्ट में दो विपरीत बातें हैं और दो तरह का कानून बनाया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह (डी) क्लॉज़ बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिये और दूसरा (ए) सबक्लॉज़ है इसको निकाल दिया जावे क्योंकि जब तक नई पंचायतों का गठन नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती। वे लोग जो चुन कर आते हैं वे चुने हुए होते हैं और उनको शासन दिया जाता है और जब वे काम करते हैं और चुनाव नहीं होता है तो वे तमाम सदस्य काम करते रहेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, जब तक नई पंचायत नहीं बन जाती है। यह हम धारा ६ में पास कर चुके हैं। इसलिये यह बिल्कुल इर्रिलेवेन्ट और अनावश्यक क्लॉज़ है और इसको हटाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा सब क्लॉज़ (२) में संशोधन है कि यदि इस प्रकार की परिस्थितियें पैदा हो जाएं तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाना संभव हो जाता है। मगर जयपुर में आप देखेंगे कि बहुत अर्से से एडमिनिस्ट्रेटर चला आ रहा है। कोई कारण नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर को रखा जावे। आपके यहां पर ६ महीनों में चुनाव कराने का प्रावधान है, मगर आप चुनाव नहीं कराते और बराबर समय की अवधि बढ़ाते जाते हैं और वह अवधि भी जो आप बढ़ाते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जनता एडमिनिस्ट्रेटर को चाहती नहीं और फिर भी आप जनता की छाती पर एडमिनिस्ट्रेटर को थोपे रखते हैं। आखिर इसके लिये कि इतने अर्से तक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, इसकी भी कोई मयाद होनी चाहिये। मगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देते। ज्योंही स्टे ऑर्डर हो सरकार को चाहिये कि वह तुरन्त जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को दे दे, मगर सरकार ऐसा नहीं करती और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देती है और फिर उस केस को लिंगर ओन करती रहती है और जनता की छाती पर उस एडमिनिस्ट्रेटर को थोपे रखती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कई क्लॉज़ ऐसे हैं जो रिपिटिशन मात्र हैं और अनावश्यक हैं जिनको किसी तरह से काम में नहीं लाया जा सकता है। जैसे सब क्लॉज़ (ए) और (डी) हैं इनकी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है और निकाल दिये जाने के योग्य हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पर म्युनिसिपल एक्ट में आपने कमेटी रखी है उसी प्रकार पंचायत समिति की सलाह से वहां पर भी कमेटी की नियुक्ति की जाए, इसलिये सब क्लॉज़ (२) में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा यह उचित है और मैं समझता हूं कि इससे हम प्रजातन्त्र का हित करेंगे और लाल-फीताशाही की बात को खतम करेंगे। आखिर हमने अपने प्रान्त में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन लागू किया है और जनता के हाथों तक शासन को पहुँचाया है और नीचे तक शासन को ले गये हैं और यह चाहते हैं कि सारी योजनाएं पब्लिक के द्वारा निर्धारित

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हों तो ऐसी हालत में हमें कम कम ऐसे अवसर लाने चाहिये जिससे ऊपर से जनता पर किसी को थोपा जाए। इसी तरह का मेरा सुझाव है और मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान पंचायत विधेयक में क्लॉज़ ६ ए में प्रावधान रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। मेरे विरोध का आधार सिद्धान्तों पर है। हम अपने राज्य में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर चुके हैं। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नींव हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों पर तहसीलें या ब्लॉक या जिलों का ढांचा खड़ा किया है। इन पंचायतों के निर्माण में हम कोई भी इस प्रकार का प्रावधान रखें कि जहां पर पब्लिक के प्रतिनिधियों के स्थान पर सरकार का कोई मनोनीत व्यक्ति कार्य करे, मैं समझता हूँ कि यह जनतन्त्र प्रणाली है, उसके मूल भावना के, सिद्धान्तों के विरुद्ध है, विपरीत है। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि एक ओर गांवों का जो शासन है उसको हम गांवों के चुने हुए लोगों से करावें और फिर उनके ना करने की दिशा में हम एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दें। यह मैं समझ नहीं पाता कि किस दृष्टि से इसमें यह क्लॉज़ रखा गया है ?

शायद हमारे माननीय मंत्री महोदय अथवा जिन्होंने भी इस विधेयक में ये क्लॉजेज़ बनाये हैं उनके मस्तिष्क में म्युनिसिपैलिटीज़ की कल्पना हो, असेम्बली और पार्लियामेंट की कल्पना हो, जहां कहीं देश का शासन न चलता है राष्ट्रपति को अधिकार दिया है, राज्य का शासन न चलता हो राज्यपाल को अधिकार दिया है। जहां नगरपालिका का शासन खराब हो या कोई सीमाओं का उल्लंघन करती है तो उस दशा में राज्य सरकार अपना प्रशासक नियुक्त कर देती है वहां तो उनको कुछ समीचीन कहा जा सकता है। लेकिन पंचायत जैसी शासन की मूल इकाई में भी यदि उस प्रकार का एक प्रशासक रखें तो मैं समझता हूं यह उस पंचायत की ही नहीं बल्कि जनतन्त्र की भावना की एक हत्या होती है। थोड़ी हम अपनी दृष्टि इस ओर दौड़ायें कि हम म्युनिसिपैलिटी में प्रशासक नियुक्त करते हैं तो इसलिए कि यहां एक बड़ा कस्बा होता है, या शहर होता है, कितने ही जहां अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सफाई, सुथराई और कितने ही काम होते हैं जिनको किसी न किसी एक व्यक्ति या संस्था के अधीन रखने की आवश्यकता होती है। एक राज्य का शासन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और उसी प्रकार से एक देश का शासन तो उससे भी अधिक कहीं महत्वपूर्ण है ही। ग्राम इकाई में ऐसी कौनसी अव्यवस्था हो जायगी ? वह एक दो महिने न बने, न मिल कर काम देखे, उससे कौनसा विप्लव पैदा हो सकता है, कौनसा विद्रोह पैदा हो सकता है जिसको दबाने के लिए प्रशासक की नियुक्ति की आवश्यकता हो ? उनके सुपुर्द अधिक से अधिक ग्रामों की सफाई होगी। जो भी कर्मचारी होंगे, वे इसको देखेंगे। अध्यापक होंगे, वैद्य होंगे इस प्रकार के जो लोग होंगे जिनका सम्बन्ध पंचायत समिति से ही पहले से होगा, एक प्रशासन अधिकारी की हैसियत से होगा जो पंचायत समिति में होगा। पंचायत समिति में पहले ही प्रावधान कर चुके हैं कि छोटे २ कर्मचारी, अधिकारी,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

निम्नतम जो अधिकारी होंगे। वे सब पंचायत समिति के अधीन होंगे। किसी पंचायत के अधीन होते हैं तो एक-आध चौकीदार या ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरी रखे तो रखे, वैसे पंचायत समिति करेगी। इसके काम में बाधा नहीं हो सकती है। पंचायत समिति सुपरविज़न, निरीक्षण भली भांति कर सकती है। उस दृष्टि से यदि प्रशासक रखते हैं तो क्यों रखते हैं ? तीन, चार कारण इसमें दिये हैं उन कारणों से होगा ?

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि प्रशासक होगा कौन ? कस्बों में नगरपालिकायें होती हैं, वे कस्बे साधारणतया तहसील के सदर मुकाम होते हैं, जिले के सदर मुकाम होते हैं, सब तहसील हो सकती है, नायब तहसीलदार हो सकता है। ऐसे कस्बों में उच्च स्तर के अधिकारी हो सकते हैं, उनसे छोटे अधिकारी भी हो सकते हैं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस. डी. ओ. कलेक्टर होते हैं और आगरा जैसे बड़े शहरों में कमिश्नर, कलेक्टर प्रशासक रहते हैं। हां, वहां तो प्रशासक नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन कल्पना ही नहीं की जा सकती कि पंचायतों के प्रशासक कौन होंगे ? प्रशासन करने के लिए क्या ग्राम पंचायतों में तहसीलदार को लायेंगे, क्या नायब तहसीलदार देखेगा कि सफाई हो रही है या नहीं, वैद्य आता है या नहीं, लिखाई पढ़ाई होती है या नहीं ; ठीक हो रही है या नहीं ? मैं समझता हूं कि तहसीलदार के पास इतना समय नहीं है कि इन चीजों को वह भलीभांति देख सके अपने काम को करते हुए। मान लीजिये दो-चार पंचायतें इस श्रेणी में आ गईं तो उसके लिए यह देखना असंभव हो जायगा। होते होते यह होगा कि ऐसे स्तर के होंगे, यह मान कर चलना चाहते हैं कि प्रशासक होगा, नित्य प्रति के कामों में दखल देना, यह होता है या नहीं, कहीं गड़बड़ी न हो, यह चाहेंगे कि देखें वह कौन हो सकते हैं ? स्थानीय व्यक्ति ही हो सकते हैं। दस बीस मील दूर रहने वाला व्यक्ति पंचायत को ठीक चलाये, यह नहीं हो सकता। यह तो स्थानीय व्यक्ति ही हो सकता है। उसके साथ साथ सरकार नियुक्त करेगी, वह सरकार का वैतनिक हो सकता है। चुने हुए का प्रावधान नहीं रखा है। चुनी हुई पंचायत को तो खत्म किया ही है ;

श्री दलीपसिंह (बारां): एडहोक होगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वैसा ही तबका समझा जावेगा। एडहोक रखते हैं तो इसमें कहीं प्रावधान ही नहीं है। यहां प्रावधान रखा है प्रशासक का। सरकारी अधिकारी होगा, तहसीलदार, कलेक्टर सरकार के विश्वास पात्र, कृपा पात्र होंगे। होते २ नजर जाती है तो ग्राम का सर्वसर्वा होता है। पटवारी महोदय, वह भी ग्राम पंचायत का प्रशासक हो सकता है। लेकिन पटवारी के सम्बन्ध में जो धारणा आम जनता की बनी हुई है, जिस काम को पटवारी के सुपुर्द किया उसमें ही नित्य प्रति कितनी ही शिकायतें आती हैं उनसे सारी जनता भलीभांति परिचित हैं। राजस्व वसूल करना और वहां के लोगों की भूमि के ठीक तौर पर हिसाब किताब रखने के काम में भी अधिकांश पटवारी, सबके लिए मैं नहीं कहता—ईमानदार हो सकते हैं, भले आदमी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश पटवारियों के लिए शिकायतें आती हैं कि वे अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी और सच्चाई से

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पालन नहीं करते। यदि उनके हाथों में गांवों का प्रशासन और दे दिया जाय, अध्यापकों की देखरेख वह करेगा, वैद्यों की देख रेख वह करेगा, गांवों की सफाई-सुथराई, रोशनी वगैरह का वह प्रबन्ध करेगा, तो उस हैसियत के व्यक्ति के लिए यह चीज़ बड़ी होगी और सर्वथा अनुपयुक्त होगी। इस सिद्धान्त को स्थिर करते समय मैं नहीं समझ सका कि हमारे सम्बन्धित मंत्री महोदय ने ग्राम पंचायतों के प्रशासन के लिए प्रशासक की क्या कल्पना की होगी? कहीं उन कारणों का उल्लेख इस धारा में तो नहीं किया गया है? किसी कारणवश ऐसी स्थिति आगई है तो प्रशासक कौन होगा?

श्री दलीपसिंह : संशोधन दे दीजिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पंचायत समितियां बनाईं, जिला परिषदें बनाईं, पंचायत समिति, जिला परिषद्, मुझे स्मरण नहीं आता, किसी प्रकार काम नहीं करती है, उसके लिए केवल प्रशासन के लिए तो दूसरे अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं उनको प्रशासन के अधिकार दिये हैं। वैसे जिला परिषद् और पंचायत समितियों का बहुत कुछ काम प्रशासनिक ही है। लेकिन ग्राम पंचायतें मूल इकाई हैं। उनमें प्रशासन का काम नहीं है, केवल विकास का काम है; गांवों की सफाई, रोशनी का प्रबन्ध करना, पानी की व्यवस्था करना! किसी पर शासन करने का काम नहीं है। जहां पर शासन ही नहीं है, सेवा ही सेवा है, विकास ही विकास है। वहां पर प्रशासन कैसा? प्रशासक का मतलब है वह शासन करे, प्रशासन करे। ग्राम पंचायतों में तो कल्पना ही नहीं है प्रशासन की। सेवा काम ही काम है, ग्रामों की उन्नति का काम है। ग्राम की जितनी सेवा है, सेवा उपयोगी जितने काम हैं उनकी ठीक तौर पर व्यवस्था रखनी है यही ग्राम पंचायतों का काम है। वहां पर प्रशासक की कहां आवश्यकता आकर पड़ती है? तो मैं कहता हूं कि इस दृष्टि से इसमें प्रशासक का जो प्रावधान रखा है इस पर फिर से विचार करना होगा। इसको न रख कर अगर कोई ऐसी आवश्यकता या लाभ हो जिसके कारण रखा जाना चाहिये तो एडहोक कमेटी है उसको पंचायत समिति के अन्दर और किसी व्यवस्था को किया जा सकता है। वहां के जितने भी कर्मचारी हैं वे तो अपना काम करते रहेंगे पंच और सरपंच महोदय चाहे रहें या न रहें। प्रशासक उन पंचायतों के लिये रखें तो हमारी जो जनतंत्र की भावना है उसकी हत्या होगी प्रशासक रख कर। पंचायतों का काम सेवा का है उसमें शासन की बू है नहीं वहां प्रशासक का रखना विरोधाभास सी चीज हो जाती है। सबसे बड़ी चीज यह कि प्रशासक की आवश्यकता हुई तो प्रशासक कौन होगा? कोई आर० ए० एस० या आई०ए०एस० अधिकारी होगा या कौन? आखिर वही रखना होगा छोटे से छोटा कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का तो होगा नहीं। ग्राम के विकास के लिये जो चुनी हुई संस्था है जो बहुत छोटी है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है और वैसी हालत में चुनी हुई संस्था पर वैतनिक कर्मचारी काम करे चाहे वह अधिक वेतन पाने वाला ही कर्मचारी हो, उन पर शासन चलायें यह समझने लायक बात नहीं है। इस पर गौर करें और गंभीरता से विचार करें। इस सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं

Page No.105

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अतः फिलहाल इसको डेफर करके इस पर गंभीरता से विचार करके कोई ऐसी व्यवस्था रखी जाय जो प्रशासक न होकर और कोई दूसरी व्यवस्था हो। प्रशासक न रखा जाय इस बारे में विरोध प्रदर्शित करता हुआ माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसके अनुरूप कोई कदम उठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ में जहां एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति का सवाल है उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। संक्षेप में मेरा निवेदन है कि जहां तक हो जिस डेमोक्रेसी की भित्ति पर आज का शासन चल रहा है और खड़ा हो रहा है उसके प्रारम्भ में ही जब कि यह चीज हो रही है ऐसे मामलों में जहां तक हो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्टमेंट चाहे वह म्युनिसिपैलिटी में हो या पंचायतों में हो रखा जाना विरोधाभास है। इसको मैं अनुचित समझता हूँ। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं। जोबनेर में म्युनिसिपैलिटी भी और बाहर के क्षेत्र में पंचायत भी है। वहां पर बहुत अर्से से एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइन्टमेंट होता चला आ रहा है। इसके होने का कटु अनुभव है जो मैं जानता हूँ। वह महीने में एक दफा या पन्द्रह दिन में एक दफा आ करके क्या व्यवस्था कर सकता है? अगर इसी प्रकार से गवर्नमेंट का बीच में हस्तक्षेप रहा तो जो सुचारू कार्य चल रहा होगा उसके अन्दर काफी दिक्कतें पैदा हो जायंगी। जिस प्रकार दूध की भरी हुई कढ़ाई के अन्दर थोड़ी सी खटाई डालने से सारा दूध फट जाता है उसी प्रकार का यह आयोजन है। यह आयोजन लाभप्रद नहीं होगा। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इसके विरोध में विचार-धारा प्रगट की है इसलिये इस चीज के वास्ते ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं।

इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में अगर इस चीज़ के अन्दर आगे बढ़ा जायगा तो जैसे एक ठाकर गांव में होता था उसी तरह से यह एक प्रकार से नये ठाकर थोप दिये जायेंगे। यह आयोजन ठीक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समाज में और जनता में ज्यादा अच्छा असर नहीं होगा। जैसा कि सवाल आता है कि आपस में मतभेद हो जाय तो क्या करना चाहिये? वैसी चीज के अन्दर दूसरे जो कार्य करने वाले हैं, एडहोक कमेटी है या पांच पंच इकट्ठे होकर या म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हों, क्योंकि थोड़े दिनों की चीज़ होती है, उनको लिया जा सकता है। जयपुर सदर में ही देख लीजिये। इतना लंबा अर्सा हो गया, आज तक एडमिनिस्ट्रेटर के कन्ट्रोल के अन्दर चीज चल रही है और इसी तरह से दूसरी जगहों के लिये एडमिनिस्ट्रेटर की बात होती है तो या तो एस० डी० ओ० या तहसीलदार होगा या उनके अन्दाज का ऑफिसर होगा। वह चेष्टा यही करेगा कि आयन्दा जो चुनाव हो उसमें कुछ न कुछ विलम्ब डाला जायं। ऐसी स्थिति के अन्दर इनमें कदापि एडमिनिस्ट्रेटर को बीच में डाल कर डेमोक्रेसी की भावना की हत्या नहीं करनी चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का क्लॉज़ ८, जो प्रशासक की नियुक्ति के बारे में है, के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

विचार प्रगट किये और इसका विरोध किया। लेकिन मैं इस धारा को आवश्यक मानता हूं और चाहता हूं कि धारा जिस प्रकार की है उसी प्रकार रहनी चाहिये। इसका मूल कारण यह है कि अगर यह धारा न हुई और कोई लीगली कॉन्स्टीट्यूटेड पंचायत न रहे ऐसी हालत में पंचायत के अभाव में जो भी उसका कार्य या प्रोग्राम रहेगा उसका क्या होगा ? वे सारे कार्य किस तरह से चलेंगे ? पंचायत के न रहने से जो एक प्रकार का वेकुम क्रिएट हो जायगा उसकी पूर्ति कैसे होगी ? इस वेकुम की पूर्ति के लिये प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक है। यह भी कुछ एक्सेप्शनल सर्कम्स्टान्सेज में काम आनेवाला प्रोविजन है। हर पंचायत के लिये इसका प्रयोग होगा, ऐसी बात नहीं। विशेष परिस्थितियों में ही इस धारा का प्रयोग किया जायगा। वे विशेष परिस्थितियां क्या होंगी, वे इस धारा में बता दी गई हैं। जैसे जब सारी पंचायत का इलेक्शन किसी कोर्ट द्वारा वोइड डिक्लेअर कर दिया जाय और दूसरी पंचायत न हो उस दर्मियान पंचायत का काम कौन करेगा, उसके लिये कोई न कोई ऑथोरिटी नियुक्त होनी चाहिये। ऐसी परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाय तो कोई बेजा नहीं।

दूसरी परिस्थिति दर्मियान चुनाव या चुनाव के बाद में कोई कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा किसी की पिटिशन पर पंचायत के वर्किंग को स्टे करे और पहले वाली पंचायत की अवधि बाकी न हो और चुनी हुई पंचायत नहीं रहती है, वैसी हालत में पंचायत का काम कौन करे, इसीलिये एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होना आवश्यक है।

तीसरी जब पंचायत की अवधि समाप्त हो रही हो सदस्यों के चुनाव की सारी प्रोसीडिंग समाप्त नहीं हुई हो व नई पंचायत कॉन्स्टीट्यूट नहीं हुई हो वैसी हालत में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जानी आवश्यक है।

चौथी बात यह बतलाई है कि एक पंचायत एस्टेब्लिश तो हो जाय लेकिन उसका इलेक्शन होकर फंक्शन चालू न करे तो ऐसी सूरत में इन्टेरिम व्यवस्था की जाय। उसके लिये सुझाव दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर का। ये सारी परिस्थितियां हैं जिनमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करना आवश्यक न हो। इसके अलावा एक्सेप्शनल सरकम्स्टान्सेज में यह प्रावधान काम में आने वाला है। यह प्रावधान ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहां ही हम रख रहे हों। इसी प्रकार का प्रावधान म्युनिसिपल एक्ट की सेक्शन २९३ में है उसमें भी इन्हीं परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है।

हमने पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट भी पारित किया है। उसकी सेक्शन ६७ बतलाती है कि ऐसी परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जा सकती है।

इसलिये इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर का जो प्रावधान रखा गया है वह वाजिब है।

अब रहता है सवाल थोड़ा सा सब-क्लॉज़ (ए) का "(a) a new panchayat is established under sub-section (1) of

(श्री रामप्रसाद लडढ़ा)

Section 3..." यहां एक पंचायत एस्टेब्लिश हो जावे पर कॉन्सटि ट्यूशन उसका न हो इस बीच में क्या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जावे ? मेरी राय है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा कि (ए) धारा को आप विलोपित कर दें क्योंकि एक पंचायत पहली बार एस्टेब्लिश हुई है, जब उसका चुनाव होगा तब वह काम करना शुरू कर देगी। तो ऐसी पंचायत के लिए पहले से ही पहली ही बार में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना उपयुक्त नहीं होगा। पहले उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाने दें, उसका चुनाव होकर कॉन्सटिट्यूट हो जाने दें, इसके बाद में अगर वहां गड़बड़ी हो और काम ठीक न चलता देखें तो आप एडमिनिस्ट्रेटर की बात सोच सकते हैं, पर पहले ही शुरुआत में ही उसकी नियुक्ति करना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये इसको विलोपित करने का मेरा प्रस्ताव है।

बाकी की धारा उपयुक्त है और रहनी चाहिये और दूसरे जो पंचायतों के एक्ट हैं केरल का और दूसरी स्टेटों का ले लीजिये उनमें इसी आधार पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। इसलिये इसको रखा जाना चाहिये सिवाय (ए) के।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

४ म. प.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ में जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की शक्ति सरकार ने जिन जिन उसूलों के लिये ली है अपने हाथ में, मैं उनका तो विरोध करता हूं और जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करने का तरीका है, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं जानता हूँ खूब अच्छी तरह से उन तरीकों को। शायद हमारे पंचायत मन्त्रीजी भी जानते होंगे। मेरे क्षेत्र में एक देवली पंचायत है और देवली म्युनिसिपैलिटी भी है। वहां आज कम से कम तीन साल से एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर है और कई बार वहांवालों ने इलेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र भी भेजे, आन्दोलन भी किया पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर साहब की अवधि बढ़ती ही जा रही है। यहां जो सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले रही है, मैं सच्ची बात अर्ज कर रहा हूं इससे सरकार का विश्वास दिन पर दिन लोगों के मनों से उठ रहा है।

मैं और निवेदन करूं। उनियारा में म्युनिसिपैलिटी थी। उसके लिये चुनाव अधिकारी मुकर्रर हो गया और मौके पर पहुंच गया और बैलट पेपर भी छपा दिये और वोटर वोट देने के लिये जगह पर आ भी गये पर मैं आपसे सच अर्ज कर रहा हूं कि एक मोटर उसी वक्त आकर स्पेशल मेसेन्जर द्वारा चुनाव रूकवा दिया और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। तो मैं कहता हूं आप इधर तो विकेन्द्रीकरण की बातें करते हैं और उधर एडमिनिस्ट्रेटर की पद्धति अपनाना चाहते हैं। समझ में नहीं आता

Page No.108

(रावराजा श्री सरदारसिंह).

सरकार की मरजी क्या है ? अभी तो सन् १९६२ दूर है। तब के चुनावों की बात सोच कर कहीं आप अपने पिलर्स कायम करना चाहें तो यह दूसरी बात है।

अभी तो विकेन्द्रीकरण की पौध आपने लगाई ही है, उसमें से कोंपल ही फूट रही है और अभी से आप उसको उखाड़ना चाहते हैं क्या ? अगर आपको उसको पनपाना है तो सरकार को उदार रहना चाहिये। इलेक्शन कराने चाहिये, या फिर कुछ अवधि मुकर्रर कर देनी चाहिये कि छः महीने या साल भर के लिये एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा और इस पीरियड में चुनाव करा दिये जावेंगे। पर इसमें तो कोई अवधि मुकर्रर नहीं है। सब जगह चुनाव करा दिये। पर जहां आप कराना अपने हक में ठीक नहीं समझे वहां नहीं कराये, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। मैं पहले काफी इस बारे में बता चुका हूं। कहा गया कि वहां म्युनिसिपैलिटी को पूछा गया कि वहां चुनाव चाहते हो या क्या चाहते हो, तो एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा, एडमिनिस्ट्रेटर ने लिख दिया कि अभी चुनाव नहीं करावें। हमें नहीं पूछा, जनता को आप नहीं पूछते। वह एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका भेजा हुआ है उसको आपने पूछा, वह सच्चा जनता का प्रतिनिधि है या ऊपर से थोपा हुआ प्रशासक है ? जनता ने तार भी दिये पर आपने उसको कुछ नहीं गिना। आपने तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात मानी और उसने देखा कि आराम से बैठे हैं, बैठे रहो। क्यों चुनाव कराने की बात लिखूं।

तो इस पद्धति का मुझे तो अनुभव है। जब आप जनता को सत्ता देने की बात करते हैं तो ऐसे क्लॉज़ की क्या आवश्यकता है ? यह तो ऐसी बात हो गई कि एक जौहरी के मकान में गये और एक बक्स देखा। उसमें हीरे, पन्ने की अंगूठियां और जेवर रखे थे। देना चाहते हैं, कह दिया ले लो। पर जब देखा तो लगा कि चारों तरफ तो कांच लगे हुए हैं और ढक्कन पर ताला लगा हुआ है देखा, हाथ फेरा तो हाथ में कुछ नहीं आया। तो इस तरह कह तो दिया कि हमने सत्ता दे दी है, दी कहां ? वह तो ताले में बन्द रख रहे हैं आप। सत्ता तो उल्टी आप ले रहे हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति करके। जहां आपको मालूम पड़ा कि यहां हमारा आदमी नहीं आया या आने की सम्भावना नहीं है वहां फौरन आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं। यह आपका रवैया है। आज तक ऐसे ही आप करते रहे हैं। सुबूत हैं हमारे सामने। आज देवली उनियारा में तीन, तीन—चार चार साल हो गये न वहां म्युनिसिपैलिटी काम करती है और न पंचायत। एडमिनिस्ट्रेटर आपने मुकर्रर कर रखा है जो कि डेवलपमेन्ट अफसर भी है और तहसीलदार भी है। फुर्सत ही नहीं मिलती उसको काम देखने, करने की। जब तहसील से आता है तो महीने में एक, दो बार आ जाता है या घर पर ही कागज मंगा लेता है। जनता के दुख-दर्द की उसको मालूम नहीं। कभी वह जनता के बीच में आ जाये और जनता चारों तरफ उसको कुछ कहने लग जावे तो फौरन भाग कर चला जाता है। यह कह देता है कि मुझे तो जनता से भय है।

मैं निवेदन करूं कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर ही नियुक्त करना है तो आप एक काम यह करिये कि वहीं का पहले का

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

कोई एक्सपीरियन्स्ड आदमी हो, जो चैयरमेन रह चुका हो उसको आप मुकर्रर कर दें या एडहॉक कमेटी बना दें। पर यह एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना आज के जमाने में आपको शोभा नहीं देता क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि क्या करें, वहां इलेक्शन कराने की स्थिति नहीं पैदा हो रही है तो यह तो हम जानते हैं कि कब स्थिति पैदा होगी और कब नहीं होगी। यह हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अनुभव भी किया है। हम इलेक्शन के लिये भले ही कहें पर सरकार तभी इलेक्शन करावेगी जब जनता वहां की यह विश्वास दिला देगी कि वोट कांग्रेस को ही देंगे। तब चुनाव जरूर करा लेगी; यह मैं मानता हूं। तो यही अगर आपकी आगे भी मर्जी है तो फिर तो आप यह करिये कि विधान में से ही निकाल दीजिये यह बात कि कोई भी खड़ा हो सकता है। यह रख दीजिये कि दूसरा सिवाय कांग्रेस के आदमी के खड़ा ही नहीं हो सकता।

यह एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति किन हालतों में की जाती है? यह भी मैं थोड़ा बता दूं। हाई कोर्ट से जब रिट ऑर्डर आ जावे या चुनाव होने के बाद कोई अड़चन आ जावे। अभी चुनाव तो हुए ही नहीं और पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर की बात करने लगे। तो इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप खुद अनुभवी हैं, मेरे से भी बड़े हैं। इसलिये मेरा तो यही निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेटर तो मुकर्रर नहीं होना चाहिये।

श्री किशनसिंह बटाड़ (लछमणगढ़): एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने में हम पर बोझा पड़ेगा और खर्चा विशेष लगेगा। फिर आपने यह भी नहीं बताया कि वह कितने दिन रहेगा, कब चुनाव करावेगा।

तो इन सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आप जिला परिषद् के लिये या पंचायत समिति के लिये इसकी नियुक्ति की बात करते तो समझ में भी आने जैसी बात लगती, पर एक छोटी सी पंचायत पर आप इस तरह से अपना कन्ट्रोल करना चाहें तो इसमें एक सोचने की बात है। जिला परिषद् पर तो उसके महत्व की दृष्टि से आपका कन्ट्रोल करना समझ में आ सकता है और फिर वे थोड़ी भी हैं, पर पंचायतें बहुत हैं उनका इतना महत्व भी नहीं। विरोधियों का कहना है कि आप इन पंचायतों पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे तो आपका पूरा कन्ट्रोल हो जावेगा और उनके वोट आपको नहीं मिलेंगे, यह भी विचारने की बात है। तो उनका यह भय है। इस भय को आप को दूर करना चाहिये। सबको मौका दिया जावे। उनको भी सन्तोष हो जावेगा इस चुनाव से और इधर वाले हम भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिये। इससे नुकसान है, फायदा नहीं है। जनता का बड़ा नुकसान है। आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करके उसी को पूछेंगे तो वह तो कभी चुनाव कराने को कहेगा नहीं। फिर काम कुछ है, नहीं कौनसा शिक्षा का काम उनके हाथ में है या स्वास्थ्य का काम है। तो वह पंचायत केवल नाम मात्र की है? इसलिये ज्यादा बहतर यह तो होगा कि आप एडहॉक कमेटी बना दो। गांव वालों की राय से बना दो या ऊपर वालों की राय से बना दीजिये। तो एक

(श्री किशनसिंह बाटड़)

दिक्कत दूर हो जावेगी; आपका खर्चा नहीं होगा। और महीने; दो महीने की अवधि देकर चुनाव करा दीजिये। एडमिनिस्ट्रेटर को हटा कर एडहॉक कमेटी बना दीजिये। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात तो समझ में नहीं आती। ज्यादातर मेरा ख्याल है कि हाउस के ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों के समझ में यह बात नहीं आई है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको वापिस ले लिया जाये क्लॉज़ ८ को और इसमें से 'एडमिनिस्ट्रेटर' शब्द को हटा कर उस जगह एडहॉक कमेटी कर दी जाये और उसकी दो–तीन महीने की अवधि निश्चित कर दी जाये, ताकि किसी को यह न रहे कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके किसी को वोट नहीं लेने देंगे। यह भय भी उनका मिट जायेगा और सबको सन्तोष हो जायेगा। मुझे बस इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० के क्लॉज़ ८ के जरिये पंचायत अधिनियम, सन् १९५३ में धारा ९ (ए) नया जोड़ने का प्रस्ताव है। मैं इस धारा का समर्थन करता हूं और इसके विषय में जो संशोधन पेश किये हैं उनका विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के जिम्मे अब नये नये कर्त्तव्य आ गये हैं और उन कर्त्तव्यों को पंचायतें तभी पूरा सकती हैं जब कि वह लगातार फंक्शन करती रहें। वास्तव में सन् १९५३ में जो एक्ट पंचायत का बना उसमें बड़ी खामियां थीं कि जब किसी पंचायत का चुनाव रद्द हो जाये या हाईकोर्ट से कोई स्टे आॅर्डर दे दिया जाये या अन्य कारणों से अवधि समाप्त हो जाये तो ऐसी परिस्थितियां पहले आती थीं तो पंचायतों का फंक्शन बन्द कर दिया जाता था और जनता के सारे काम पड़े रह जाते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक स्थिति देखी गई है कि जिस गांव की पंचायत होती थी उस एरिया में सफाई के काम बन्द हो जाते थे, रोशनी बन्द हो जाती थी और संक्रामक रोगों की भी सफाई नहीं होने की वजह से उनमें और बढ़ोतरी होती थी। आज जो यह नई धारा इसके अन्दर प्रविष्ट की गई है इस धारा की अत्यन्त आवश्यकता है। हो सकता है, किन्हीं कारणों से माननीय सदस्य इसे न चाहते हों, इसलिए यहां इस धारा का विरोध किया जाता हो, मगर मैं निवेदन करूं कि वास्तव में ऐसी परिस्थितियां जैसी कि इन चारों परिस्थितियों में बताई गई हैं उत्पन्न हो जाये तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की स्थिति सभी पंचायतों में आ सकती है और जब यह स्थिति आ सकती है तो इसको जोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह धारा अगर नहीं जुड़ती है तो यह निश्चित है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जबकि संक्रामक रोग बढ़ सकते हैं, सफाई और रोशनी बन्द हो सकती है और पंचायतों द्वारा लगाये टैक्सों की वसूली बन्द हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में इस क्लॉज़ का रहना अत्यन्त आवश्यक है और मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को यहां कायम रखा जाये। बस इतना ही मुझे इसमें निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble the Minister.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ ८ है इसके द्वारा मूल अधिनियम में क्लॉज़ ६ (ए) जोड़ने का संशोधन किया गया है। इस पर कई माननीय सदस्यों ने प्रशासक के जो नियुक्त करने का विधान है विरोध प्रकट किया है और इसकी आलोचना भी की है। मैंने जहां तक सोचा इसमें स्पष्ट विधान किया गया है कि (ए), (बी), (सी) और (डी), इन चारों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था के उत्पन्न होने पर प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। बाज बाज माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि चुनाव ही क्यों रखते हैं और चुनाव ही हटा लो। तो चुनावों को तो हटाने की बात ही नहीं है। चुनावों के अनुसार पंचायतें बन चुकी हैं और बीच में किन्हीं कारणों से अगर पंचायतें ऐसी स्थिति में पड़ जाती हैं कि काम नहीं कर पाती हों तो उस समय क्या किया जाये ? उसके लिए कोई न कोई उपाय तो होना चाहिए। इन उपायों में से एक उपाय यह है कि प्रशासक नियुक्त किया जाये और यह भी कोई नई बात नहीं कही गई है। पंचायत समिति और जिला परिषद् का जो अधिनियम है उसमें भी प्रकारांतर से यह विधान रखा गया है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों तो सरकार को अधिकार होगा कि वह विशेष व्यक्ति को नियुक्त करे और काम चलाये। असल मन्शा यह है कि पंचायतों का काम चलना चाहिए और किसी भी बाधा से भी काम रुकना नहीं चाहिए। आज बीसियों पंचायतें ऐसी हैं कि जहां कोई न कोई कठिनाई उत्पन्न होने के कारण काम बन्द हो गया है। अतः मेरे ख्याल से कोई भी माननीय सदस्य नहीं चाहेगा कि पंचायतों का काम रुके। केवल रुके हुए काम को चलाने के लिए प्रशासक को रखने की व्यवस्था है। फिर यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रशासक ही क्यों हो, एडहॉक कमेटी क्यों न बना दी जाये, कोई छोटी सी कमेटी क्यों न बना दी जाये। तो यह सब तरह तरह के प्रकार हैं उस व्यवस्था के लिए। तो मैं यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासक शब्द में ही ऐसी कौनसी डरावनी बात आ गई है ? थोड़े समय के लिए कहीं प्रशासक नियुक्त कर देते हैं तो प्रशासक के काम के लिए शिकायतें होती हैं और लोगों के मन में सन्देह पैदा होता है तो हम बड़ी भिन्ची में आ गये हैं और अगर कोई एडहॉक कमेटी बनती है तो यह हो सकता है कि वहां पार्टीबाजी होगी। एक तरफ यह कठिनाई है और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी को रखते हैं तो उसके साथ पार्टीबाजी का संबंध नहीं होगा तो इसमें आप ही बतायें कि हम कहां तक जनतंत्र से पीछे हटते हैं ? तो न तो हम जनतंत्र से पीछे हटना चाहते हैं और न काम को बिगड़ने देना चाहते हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से विचार करके यह रखा गया है कि एक आदमी सरकार की ओर से नियुक्त कर दिया जाता है तो उसमें देरी भी नहीं होती है और जल्दी ही नियुक्त हो जाता है और काम को सम्भाल सकता है और वह काम को तब तक संभाले कि जब तक विशेष परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है वह खतम न हो जाये....

श्री दलीपसिंह (नारां) : वह आदमी कौन होगा, किस रेंक का होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विधान सभा डिज़ोल्व तो हो नहीं रही है। गांव की पंचायतें हैं, न्याय पंचायतें बनीं तो जो गांवों

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

के स्तर पर संस्थायें हैं वे आपकी हैं, उनका काम चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होगा तो जाहिर है कि वह क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह सोचने की बात है। बहरहाल वह काम को चलाने की क्षमता रखनेवाला अधिकारी होगा। प्रश्न यह नहीं है कि किस स्तर का अधिकारी होगा। प्रश्न तो यह है कि चुने हुए लोगों की समिति रहे या सरकारी अधिकारी रहे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारी बहुत थोड़े दिनों के लिए होगा और मैं कहना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा उसको एक दिन भी नहीं रखा जायेगा। हमारी सरकार बंधी हुई है....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : एडमिनिस्ट्रेटर की अवधि कितने दिन की होगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अवधि भी बांधी जा सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अवधि के अन्दर काम नहीं होता है, नहीं तो अवधि बांध देना ठीक रहे। यहां अवधि इसलिए नहीं रखते हैं कि कई दफ़ा सरकार के हाथ की बात नहीं होती है और वह अवधि बार बार बढ़ानी पड़ती है। तो यह भी अच्छा नहीं है कि अवधि बढ़ाई जाये। कोई मसला अदालत के विचार के लिए रुक जाता है तो वह तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है क्योंकि दो महीने भी लग सकते हैं, तीन महीने भी लग सकते हैं। इसलिए यह मुनासिब समझा है कि अवधि नहीं रखी जाये। तो मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यह इतना बड़ा प्रश्न नही है। एक दफ़ा तो मैंने सोचा कि जब सभी माननीय सदस्यों की भावना ऐसी है कि आज इसको डेफर कर दो....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : हां, डेफर कर दो।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लेकिन मैंने सोचा कि दूसरी योजना फिर प्रस्तुत होगी तो मैं किसी भी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि आज इसको डेफर करूं और दूसरी योजना आपके सामने लाकर प्रस्तुत करूं और यह इतनी बड़ी बात भी नहीं मालूम होती है, नहीं तो मैं हाउस की फीलिंग को जरूर ध्यान में रखता। काम की तरफ सब का ध्यान हो, बस प्रश्न यही है। तो मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि काम चलाने की तरफ ध्यान रखने की कृपा करें और जो हमारा पिछला अनुभव है, मैं जानता हूं सब अनुभवों से हम लाभ उठाते हैं और हमारे काम में सरलता हो, इन्हीं शब्दों से इन विचारों को स्पष्ट करने की मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस तरफ के भी और उधर के भी इसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे, संशोधनों को और इसको पास करने की कृपा करेंगे।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : प्रशासक का वेतन कौन देगा ? राजस्थान सरकार देगी या वही पंचायत देगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बाद में तय हो जायगा।

श्री सम्पतराज जैन : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रशासक को १५०) रु० या २००)रु० महीना दिया जायगा, लेकिन आर्थिक स्थिति पंचायतों की ऐसी नहीं होती है कि वे इस भार को वहन कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !! आप इसको डेफर कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डेफर कर ही देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : Clause 8 is deferred

(विराम)

क्लॉज़ ६, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १०, श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १०, मैं समझता हूं कि पिछले क्लॉज़ ४ से संबंधित है जिसको मैंने डेफर किया था । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि डेफर कर दिया जाय और दोनों पर एक साथ ही विचार उपस्थित किये जायं ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इस पर बहस तो हो जाय । उसमें पंचों के इलेक्शन का सवाल था और इसमें सरपंच के इलेक्शन का सवाल है । इस पोइन्ट पर डिबेट कर ली जाय और उसके बाद में डेफर कर दें ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : This is the same...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, ३।४ पर काफी बहस कर चुके हैं कि ३।४ हो या नहीं हो, उसको डेफर किया है । उसके साथ साथ इसके ऊपर भी विचार हो सकता है । सरपंच के बारे में डिसीज़न नहीं लिया है कि इलेक्शन का क्या तरीका होना चाहिए । पंच और सरपंच के लिए एक सी बात है । आरग्युमेंट तो वे ही हैं दोनों के पीछे, दलील वही है । इसलिए इसको भी साथ ही साथ डेफर कर दें ।

श्री भैरोंसिंह : दोनों में बहुत अन्तर है। अन्तर इसलिए है कि सरपंच का इलेक्शन डाइरेक्ट होता है और पंचों का भी इलेक्शन डाइरेक्ट होता है । यह भी आवश्यक हो सकता है कि सरपंचों को बिना डाइरेक्ट इलेक्शन के लोगों के ३।४ वोट मिलें । सरपंच के लिए एक सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसी सिद्धान्त को पंचों के लिए लागू करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा मतलब यह है कि डेफर होने के बाद संशोधित रूप में क्लॉज सदन के सामने प्रस्तुत होगा । उस वक्त सदन को इस पर पूरी तरह से विचार करने का मौका रहेगा, therefore it is deferred.

(विराम)

धारा ११, श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

Page No.114

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ ११ विधेयक में अंग रूप में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १२ और १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १२ और १३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १२ और १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १४. श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५, रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १५ के अन्दर मेरा एक संशोधन है। क्लॉज़ १५ के अन्दर जो प्रोविजो सब-सेक्शन (४) का है : "Provided that except with the previous sanction of the Panchayat Samiti the panchayat shall not incur expenditure exceeding rupees fifteen on any such reception, ceremony, entertainment or gathering". यानि इस धारा के द्वारा पंचायत को १५) रु० तक खर्च करने का जो अधिकार दिया गया है और इसके अलावा यह रोक रखी गई है कि पंचायत समिति की अनुमति के बिना ग्राम पंचायत जो है वह १५) रु० से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगी। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा रोड़ा है पंचायतों के लिए। आप जब अधिकार देना चाहते हैं तो केवल १५) रु० तक का ही अधिकार देना चाहते हैं और १५) रु० से ज्यादा खर्च करें तो पंचायत समिति की स्वीकृति लेनी पड़े तो फिर किस प्रकार का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं? जबकि पंचायत को १५) रु० से २०) रु० खर्च करने का अधिकार नहीं है तो कैसे वह अपने अधिकारों को काम में लायेगी, और आवश्यक काम करने हैं वे किस प्रकार से कर सकेंगी? इसलिए इसका मतलब यह होता है कि आपको पंचायतों पर विश्वास नहीं है। १५) रु० की धनराशि मामूली धनराशि है। इसलिए पंचायतों को जिन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और जब कि अपना उद्देश्य तो यह है, अपना सिद्धान्त तो यह है कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार हों और पंचायत समिति को उससे कुछ कम हों और जिला परिषद् को और कम हों। जब हम

Page No.115

(श्री शंकरलाल)

अधिकार देना चाहते हैं तो उसका मतलब यह है कि उनकी आवश्यकता कितनी है, यह देखें और उस आवश्यकता के अनुसार धनराशि खर्च करने के लिए उनको इजाजत दें। इसलिए यह जो प्रोविजो रखा है उसको डिलीट कराने के लिए मैंने संशोधन रखा है। इसलिए यह जो प्रोविजो है इस सेक्शन के अन्दर कि अपने कर्त्तव्यों को करने के लिए पंचायतों को जो केवल १५) रु० तक ही खर्च करने के अधिकार हैं और १५) रु० से ज्यादा खर्च करने के लिए पंचायत समिति की मंजूरी लेनी पड़े तो उसको डिलीट करने के लिए मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है और मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों के लिए पूर्ण अधिकार देने के लिए जिससे कि वे अपने अधिकारों को काम में ला सकें उनको पूरी छूट होनी चाहिये। इसके अलावा इससे बहुत डिले होगी कि १५) रु० से १६) रु० खर्च करने हैं तो उनको पंचायत समिति की मन्जूरी लेनी पड़ेगी। न मालूम कब पंचायत समिति की बैठक होगी और कब मन्जूरी आयेगी, तब तक वे १५) रु० से १६) रु० खर्च नहीं कर सकेंगी ..

श्री दलीपसिंह (बारां) : २५) रु० का ऑलरेडी है।

श्री शंकरलाल : वह दूसरे तरीके के अन्दर है। इसके अन्दर केवल १५) रु० का ही रखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रोविजो बिल्कुल ही हटा देना चाहिये। इसके लिए जो मेरा प्रावधान है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्याक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): आपका (४) में है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १५।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इसमें तीन संशोधन हैं एक है। "section 24 sought to be substituted ; sub-section (2) be deleted."

दूसरा है "The word 'fifty' be substituted for the word "fifteen' occurring in the proviso to sub-section (4)".

तीसरा है "The word 'shall' be substituted for the word 'may' in the third line of sub—section (5)."

माननीय उपाध्यक्ष, अगर सब क्लॉज़ (२) को आप पढ़ें तो मालूम होगा कि 'A Panchayat may with the previous sanction of the Panchayat Samiti, also make provision for carrying out outside its Panchayat circle, any work of the nature specified in 3rd. Schedule' माननीय उपाध्यक्ष, इसमें व्यवस्था रखी है कि पंचायत समिति की स्वीकृति से पंचायत अपने पंचायत सर्किल के बाहर के जुरिस्डिक्शन के अन्दर भी कार्य कर सकेगी तो इसके आउटसाइड दूसरी पंचायत आ जायेगी। ऐसी सूरत में दूसरी पंचायत से उसका कॉन्ट्राडिक्शन होगा, एनोमोली पैदा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

होगी और झगड़ा होगा। इसलिए अपने ही पंचायत सर्किल में वर्क करने को यह व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरे पंचायत सर्किल में कार्य नहीं करें, इसलिए प्रोविज़ो को डिलीट करने को कहा है।

दूसरे, पब्लिक एन्टरटेनमेंट वगैरह के लिए १५) रु० तक खर्च करने की व्यवस्था रखी है कि १५)रु. तक ही खर्च कर सकती है। तो मेरे ख्याल से १५ रुपये आज के जमाने में काफी कम हैं। हम देखें कि इस दृष्टिकोण से व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। पंचायत के लिये यह सोचना कि मनी का दुरूपयोग करेंगे रिसेप्शन आदि में, यह गलत है। जैसी उनकी आर्थिक स्थिति होगी वैसा ही खर्चा करेंगे। जहां फेयर लगता है या और कोई फंक्शन होता है, जहां दूसरी तरह से खर्चा करने की व्यवस्था नहीं है वहां के लिये ५० रु० तक खर्च करने का अधिकार देना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अच्छी व्यवस्था है मंत्रीजी पंचायत क्षेत्र में जाते हैं तब उनका रिसेप्शन करते हैं तो उससे नुकसान होने वाला नहीं है, लाभ ही होगा, कहीं अस्पताल खुलवा देंगे, या तालाब बनवा देंगे तो उससे पंचायत को लाभ ही होगा....

श्री उपाध्यक्ष : Is it based upon personal experience?

श्री सोहनलाल भटनागर : Yes, r.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या आपका ख्याल यह है कि १५) रु० उनको खिला दिये जायं तो तालाब बन जायगा या औषधालय खुल जायगा?

श्री सोहनलाल भटनागर : ऐसी बात नहीं है।

दूसरा यह है कि if it comes to the notice of the Panchayat that on account of the neglect of a land holder or dispute between him and his tenant the cultivation of his lands has seriously suffered, the panchayat may bring such fact to the notice of the Collector.

माननीय उपाध्यक्ष, यह जो प्रावधान रखा है मेरे ख्याल से काफी नहीं है। आज हम देखते हैं कि लैंड युटिलाइज़ेशन एक्ट में हजारों बीघा जमीन वैसे ही पड़ी रहती है, कोई सूचना तक नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में पंचायतों के वहां पर क्यों नहीं उनके हाथ में व्यवस्था दी जाय। टिनेन्सी एक्ट के अनुसार लैंड लॉर्ड और टिनेन्ट्स के बीच में क्या झगड़ा है, इस बात को पंच लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि जमीन पड़ी नहीं रहे तो इसमें जो "मे" शब्द रखा है उसको न रख कर ऐसा शब्द रखना चाहिये जिससे कम्पलसरी हो। ऐसी स्थिति में जब जमीन फालतू पड़ी हो उनकी इन्कम्बेन्ट ड्यूटी होनी चाहिये कि जमीन को काश्त में लावे। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश को लाभ होगा और पंचायतों को भी मदद मिलनेवाली है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I move the amendment no. 34 in cluase: 15 "Delete the proviso to sub-section (4) of Section 24 sought to be substituted".

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५ में

(श्री पी. के. चौधरी)

Duties of the Panchayats हैं । अब ड्यूटीज़ के बारे में सब सेक्शन (४) में लिखा है :—

"A panchayat may by resolution passed at its meeting and supported by majority of two-thirds of the total number of its panchas make provision for any public reception, ceremony or entertainment within its panchayat circle or may make contribution towards an annual gathering or such other gathering of panchayats in the district or the State :

Provided that except with the previous sanction of the Panchayat Samiti the panchayat shall not incur expenditure exceeding rupees fifteen on any such reception, ceremony, entertainment or gathering."

अब मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि यह जो प्रोवीजो है जिसके अनुसार १५) रु० से ज्यादा खर्चा पंचायत समिति की बगैर इजाजत के नहीं कर सकते, इसको डिलीट कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सेमिनार और कई चीजों पर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा खर्च करते हैं। उस टाइम पंचायतों को कहते हैं कि आपको इतना कॉन्ट्रिब्यूट करना पड़ेगा। मान लीजिये किसी पंचायत ने सरपंचों का फंक्शन किया और उनको एन्टर्टेन करने में खर्चा किया, कोई दूसरा फंक्शन या सेरिमनी की या वर्षा नहीं होगी तो यज्ञ कराते हैं; इन सारी बातों के लिए १५) रु० से ऊपर के खर्चे के लिये पंचायत समिति के पास उनको जाना पड़े तो मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता। इसलिये मेरा सुझाव है कि उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना ठीक नहीं है कि १५) रु० से अधिक खर्चा न करें। इसमें आपको शायद यह लगता है कि डिग्निटेरिज़ जायेंगे, उनके लिये खर्च करेंगे लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजों को भी हमने विस्युलाइज किया है, दूसरी सर्विसेज़ होती हैं जैसे यज्ञ किया या सारे क्षेत्र के पटेलों को इकट्ठा करके या पंचों को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग की या एन्युअल मीटिंग की। एक्ट में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि ६ महीनों में ग्राम सभा करेंगे। इस तरह की ग्राम सभा से सैकड़ों लोग आयेंगे तो उनको एन्टर्टेन करने की व्यवस्था करेंगे या और कोई फंक्शन करेंगे उसके लिये १५) रुपये रखे हैं। आजकल Intruric value of rupee क्या है? Value of rupee in terms of goods and services में इतनी कम है कि सारे फंक्शन्स वगैरह करना कितना कठिन होगा, इसको विज्युअलाइज़ कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि हम रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो वे फंक्शन्स में अनाप-शनाप पैसा खर्च कर देंगे। १५) रुपये से ज्यादा खर्च करने का अधिकार देंगे तो फंक्शन्स वगैरह में खर्च कर देंगे, यदि यह ख्याल हो पंचायत के पंचों के बारे में या पंचायत एज़ ए बोडी के सम्बन्ध में तो बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। न तो कानून बनाने की जरूरत है और न डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइ-जेशन का नारा लगा कर बातें करने की जरूरत है। एक तरफ तो कहते हैं कि सारे पॉवर्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि when it comes to the practical test, we find we are not prepared to give

(श्री पी. के. चौधरी)

it a proper latitude और ये जो सेरिमनीज़ और फंक्शन्स हैं उनके बारे में कुछ लोग मान सकते हैं कि it is a waste, लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं मानता हूं। इन फंक्शन्स, सेरिमनीज या गेदरिंग्ज़ का सोशियल और इकोनोमिक लाइफ पर असर है और सोशियल लाइफ पर खास असर है। हमारे देश में गावों में जो लोग रहते हैं उनमें जितने गरीब लोग हैं, मैं समझता हूं उनके लिये भी एन्टर्टेनमेन्ट उतना ही जरूरी है जितना रिच लोगों के लिये है। रिच लोग तो अपने आपको एन्टर्टेन कई तरह से कर सकते हैं लेकिन गरीब को एन्टर्टेनमेन्ट ऐसे मौकों पर ही मिलता है। जब कोई सेरिमनी, गेद-रिंग या फंक्शन होता है तभी उनको एन्टर-टेनमेन्ट मिलता है। जो एन्टर्टेनमेन्ट आपको सिनेमा में, पार्टी में या टूर में जाने पर मिलता है उसको वे लोग विलेज लेवल पर through these societies & functions प्राप्त करते हैं। हमारे देश में कहते हैं कि बारह महीनों तेरह पर्व रहते हैं। उसका कारण और उद्देश्य सोशियल है। How to give cheer nto the life of village people, the down trodden people ? तो जितनी इम्पोर्टेन्स आप इकोनोमिक प्रोग्राम को देते हैं या प्रोडक्शन प्रोग्राम को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेन्ट इनका सोशियल प्रोग्राम है। इसको मैं विलेज

४.४० म. प.

(श्री मोतीलाल, सभापति, पदासीन)

लाइफ के लिये उतना ही इम्पोर्टेन्स देता हूं। मैं मानता हूं कि मंत्रीजी ने एप्रोच प्युरिटन लिया है और जो ब्रोडर एप्रोच है उसको ध्यान में नहीं रखा है, ऐसा मेरा ख्याल है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो १५) रुपयों का रेस्ट्रिक्शन लगाया है वह नहीं रहना चाहिए और गेदरिंग में जो इफेक्ट समझते हैं तो आखिर वे अपने फंड्स का भी ध्यान रखते हैं। They have got different funds of allotment. उनके कन्स्ट्रक्शन का फंड अलग है, इरिगेशन का फंड अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, दूसरे मिस्लेनियस कामों का फंड अलग है। किसी फंक्शन या गेदरिंग की जरूरत हो तो that is to bring cheer into the life of the local people. जो खर्चा करना चाहें, मैं समझता हूं उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिये, उनको छूट देनी चाहिये। मैं मंत्रीजी से इतनी निवेदन करूंगा कि वे फाइल छोड़कर इस ओर ध्यान देंगे।...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका अमेन्डमेन्ट ही देख रहा था।

श्री पी. के. चौधरी : मैं समझता हूं, आप इसे स्वीकार करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : चेयरमेन महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज १५ में इस प्रकार है :—

"Omit sub-section 2 of Section 24 of the principal Act sought to be substituted." यह सब-सेक्शन (२) है :

"A Panchayat may, with the previous sanction of the Panchayat Samiti, also make provision for carrying out outside its panchayat circle, any work of the nature speci-

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

fied in the Third Schedule''.

चेयरमैन महोदय, यह जो पंचायत को पॉवर दी जाती है कि अगर वह चाहे दूसरी जगह जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है, मेरी समझ में नहीं आता है कि पंचायत अपने सर्किल से दूसरे सर्किल में जाकर क्या पिकनिक करेगी, या गोठ करेगी, जिसके लिए कहते है, दूसरी जगह जाकर ऐसा खर्च कर सकती है।? इसके अन्दर स्पेसिफाइड नहीं है कि फलाना कार्य करें, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य करें, डेवलपमेंट के लिए कार्य दूसरी जगह जाकर करें। आपने लिखा है कि दूसरी जगह जाकर एन्जॉय कर सकती है। दूसरी जगह क्या सिनेमा देखने जायेंगे या मोटर में बैठ कर घूमने में पैसा खर्च करेंगे ? मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा प्रोविज़न रखना इस जनतन्त्र में शोभा नहीं देता क्योंकि जो जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है तो यह शोभा नहीं देता। मैं तो यह कहता हूं कि आज कल लोगों के दिमाग में यहां तक भावना बन गई है क्योंकि उनसे कहते हैं कि श्रमदान करो, उनसे कहते हैं स्कूल बनाओ, आधा पैसा दो, वह पैसा पहले तहसील में ले जाकर जमा कराओ, जमा कराने के बाद वह रिपोर्ट करें तब जाकर बी. डी. ओ. के पास से आधी रकम दी जायगी, तो जमा कराने वाले कहते हैं कि रुपया हम जमा करायें और वह रुपया पिकनिक करने में, सिनेमा देखने में खर्च हो जाय, यह ठीक नहीं है। इसलिए लोगों ने रुपया देना बन्द कर दिया। पहले का जो शासन था, उनके टाइम में बड़े बड़े स्कूल बनाये गये, बड़े बड़े औषधालय बने, सड़कें बनीं, रेलें बनीं, कभी जनता से आधा रुपया नहीं मांगा था। अब जो आधा रुपया मांगते हैं, फिर भी काम नहीं होते हैं। जनता कहती है कि हम जो पैसा देते हैं उससे नाटक होते हैं, गाना बजाना होता है। मैं खुद देखता हूं कि हमारे यहां सेमीनार हो रही है, आज फलाना हो रहा है, अब सेमीनार में जाओ, तो वहां कुछ नहीं है, इधर गाना बजाना हो रहा है, इधर चूरमा-बाटी हो रही है। अब कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो कहते है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम है ...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): फलाना क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग करें, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो सेकिण्ड प्रोवजिन है, इसको हटा दिया जाय। अगर इसको नहीं हटायेंगे तो परिणाम यह होगा, आप यह देखना कि जो जनतन्त्र आप अपनाना चाहते हैं उसमें रुकावट आयेगी। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि आयन्दा भी जो आप रेवेन्यू की पॉवर्स दें, उनमें पंचायत समितियों में कम्पोटीशन करायें, उनके वर्क को देखें, फिर कहें कि क्या वर्क हुआ है, क्या नहीं हुआ, और जो पंचायत अच्छी हों उनको पॉवर दें, और बहुत सी पंचायतें ऐसी मिलेंगी। मैं निवेदन करूं कि भारत सेवक समाज को आप देंगे, कभी फलाना सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उसमें पैसा लगता है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो सब-क्लॉज रखेंगे तो

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

जनता का पैसा उड़ जायगा, गाने-बजाने में उड़ जायगा ।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : सभापति महोदय, क्लॉज १५ के अन्दर सब क्लॉज (४) रखा है । जब सरपंच को पॉवर दे रही है सरकार और पंचायत को पॉवर देने के बाद, पंचायतों को विकास के काफी अधिकार दे रही है, उस हालत में जो १५) रुपये का क्लॉज रखा है, यह समझ में नहीं आता कि १५ रुपये खर्च किये जायेंगे....

श्री सभापति : आपकी समझ में क्या आ रहा है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह नहीं रहना चाहिए क्लॉज ।

श्री सभापति : आप विरोध में बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : (अश्रव्य)

श्री सभापति : इसके विरोध में बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : बिल्कुल....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): संशोधन के समर्थन में बोल रहे हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : संशोधन के नहीं, सब-क्लॉज के विरोध में बोल रहा हूं....

श्री दलीपसिंह (बारां) : इसमें सरपंच नहीं है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो इसमें साल के लिए १५) रुपये रखे हैं । छः महीने के लिए रखे हैं, तीन महीने के लिए रखे हैं या एक महीने के लिए रखे हैं, यह साफ नहीं होता । पंचायत समिति सरपंचों की एक समिति होती है; उसमें मंजूरी होती है, जो कमेटी बनेगी पंचायत समिति की उसमें वे सरपंच होंगे, तो पंचायत समिति में वे पास करने वाले सरपंच होंगे....

श्री दलीपसिंह : १० वर्ष से २५ रु. का अधिकार दे रखा था, उसमें क्या घोटाला हो गया ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो २५) रुपये का अधिकार है उसके अन्दर आप देखिये, जब हिसाब का चैकिंग होता है उस समय कितनी दिक्कतें होती हैं, कोई कहता है क्या हो गया, कोई कहता है क्या हो गया । इसलिए फंक्शन करने के लिए, स्वागत करने के लिए जो १५) रुपये का क्लॉज रखा है वह नहीं रखा जाय । क्योंकि जब आप छोटी-मोटी पंचायतें बना रहे हैं, बड़ी पंचायतें नहीं बना रहे हैं, गांव वालों पर पंचायत समिति अलग टैक्स लगा रही है, पंचायतें अलग टैक्स लगा रही हैं, उसके काम के लिए एक क्लर्क रखा जायगा, उसको ४०), ४५) रुपये देने होंगे, इसके साथ ही अपने अधिकार में रखा है कि स्कूल चलाओ, दवाखाना चलाओ, तो धीरे धीरे काफी टैक्स बढ़ जायगा । इसलिए माननीय मन्त्रीजी, आप इसमें क्लॉज मत रखिये, क्योंकि क्लॉज रखने से बहुत दिक्कत हो जायगी, इसलिए क्लॉज बिल्कुल हटा दीजिए । जो पंचायतें हैं, उनके लिए आप यह कर दीजिये कि साल भर में २५) रुपये खर्च कर सकती हैं, पांच रुपये खर्च कर

Page No.121

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सकती हैं, १० रुपये खर्च कर सकती हैं। यह जो १५) रुपये रखे हैं, ये एक महीने में खर्च हो जायं, कुछ दिनों में हो जायं, तो फिर क्या होगा ? इसलिए इसमें साल कर दीजिये कि साल में इतना रुपया खर्च हो तब तो ठीक है, नहीं तो क्लॉज को रखने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, सब क्लॉज (४) का जहां तक सम्बन्ध है, यह ठीक है। यह होना चाहिए और रहना चाहिए, मगर जो प्रोविजन लगाया गया है, यह कत्तई आवश्यक नहीं है। इसका कारण यह है कि सब–क्लॉज में व्यवस्था कर दी है:

"कोई पंचायत, अपनी बैठक में पास किये गये और पंचों की कुल संख्या के दो–तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्वागत समारोह या मनोरंजन के लिए प्रावधान कर सकेगी अथवा जिले या राज्य में पंचायतों के वार्षिक सम्मेलन या ऐसे अन्य सम्मेलन के लिए चन्दा दे सकेगी :

परन्तु कोई पंचायत, सिवाय पंचायत समिति की पूर्व मंजूरी के, ऐसे किसी स्वागत समारोह, मनोरंजन या सम्मेलन पर पन्द्रह रुपये से अधिक व्यय नहीं करेगी।"

जब दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है पंचायत, जब बजट पंचायत समिति पास करेगी, उसको खर्च करने का अधिकार है, फिर १५) रुपये के लिए अधिकार पर बंदिश लगाने की क्या आवश्यकता है ? आज पंचायतें जो काम कर रही हैं, उनको हम ताकतवर न बनायें और पंचायत समिति पर आधारित कर दें जबकि कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं है जिसमें पार्टीबाजी नहीं हो, पार्टीबाजी के बेसिस पर चुनाव लड़े हैं, यह छिपा हुआ नहीं है। ऐसी सूरत में एक भी फंक्शन, स्वागत समारोह पंचायत समिति नहीं करने देगी क्योंकि पंचायत समिति की महीने में एक बैठक होती है, उसके बीच में कोई फंक्शन आ गया, कोई मन्त्री महोदय पधारे या कोई स्वागत समारोह हुआ, कोई नाटक हुआ, कोई ग्राम सुधार का नाटक हुआ तो पंचायत समिति की स्वीकृति के लिए महीने भर तक इन्तजार करना पड़ेगा। अब पंचायत समिति की बैठक हुई, उसमें स्वीकार हो जाय तो ठीक है, नहीं तो मैं निवेदन करूंगा कि एक महीने में पंचायत समिति को वक्त नहीं मिला तो दूसरी बैठक में विचार करने के लिए एक महीने का चक्कर और पड़ता है। तो जब दो–तिहाई बहुमत का प्रस्ताव रखा गया है उस धारा चार में, तो मैं नहीं समझता कि पंचायत समिति की स्वीकृति के लिए मोहताज क्यों रखा गया है ? सभापति महोदय, पंचायतों के पहले न कोई वहां सिनेमा था, न नाटक था, न मनोरंजन के साधन थे, अब कभी कभी कोई पंचायत मनोरंजन, स्वागत समारोह, सम्मेलन का आयोजन करती है और उसमें रोड़ा अटका दिया जाय, १५) रुपये के ऊपर पंचायत समिति की एप्रूवल लेकर खर्च करने का उप–क्लॉज़ (४) में यह रोड़ा अटकाया है, यह नहीं रहना चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :

Page No.122

(श्री पी. के. चौधरी)

बिल्कुल ठीक कहा है ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ ४ का और जो प्रोविजो जोड़ा गया है....

श्री पी. के. चौधरी : आप बैठिये, वे मंजूर कर रहे हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): शायद बहस ज्यादा हो, इसलिये जितना भाग मंजूर किया जा सकता है वह मंजूर कर लेता हूँ....

श्री रामचन्द्र : आपके मंजूर करने से पहले मेरे विचार भी सुन लें ।

(हंसी)

श्री सभापति : रामचन्द्रजी को सुन लीजिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री पी. के. चौधरी ने जो संशोधन किया है खर्चे के बारे में। "परन्तु" शब्द हटा लिया जाय, पंचायतों को पूरी आजादी रहे, मैं इसे स्वीकार करता हूं । २।३ पंचायत खर्चा करना चाहती है तो खर्च कर सकती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है ।

श्री पी. के. चौधरी : The amendment is about deleting the proviso...

श्री सभापति : आपका मान लिया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मिस्टर चौधरी का अमेंडमेंट स्वीकार किया है, उसके बाद यह क्लॉज़ स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जो 'में' और 'शैल' वाला है भले ही 'शैल' कर लिया जाय ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): I beg leave of the House to withdraw it.

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने मूव ही नहीं किया ।

श्री शंकरलाल : मेरा अमेंडमेंट वही है जो मंजूर कर लिया है । First I moved.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री सोहनलाल भटनागर को अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति: रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा अमेंडमेंट है उसको ध्यान में रख कर ठीक कर लें ।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी का अमेंडमेंट मान लिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कॉन्सिक्वेन्शियल है क्या ?

श्री सभापति : हां ।

Page No.123

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राव-राजा श्री सरदारसिंह को उनका अमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : I moved this amendment first.

श्री सभापति : यही अमेंडमेंट है, उसको आपने मूव किया है।

श्री शंकरलाल : मैंने पहले मूव किया है।

श्री सभापति : आपका और श्री पी० के० चौधरी का अमेंडमेंट बराबर है !

श्री शंकरलाल : हां, साहब।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी और श्री शंकरलालजी के अमेंडमेंट को स्वीकार करने के बाद संशोधित क्लॉज ५१ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १५ ए.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मेरा इसमें यह संशोधन है: "Insert the following new clause 15 A after clause 15 :—

" 15A. Insertion of new section 24A in Rajasthan Act 21 of 1953 -

After section 24 of the Principal Act, the following new section shall be inserted, namely :-

" 24A. Functional Sub-Committees-

(1) Every Panchayat shall constitute such number of Functional sub-committees as it considers necessary for any of the subjects specified in the Third Schedule.

(2) Every functional sub-committees shall consist of not more than three members elected by the members of the Panchayat from amongst themselves in the Prescribed manner"

सारे क्लॉज़ को नहीं पढ़ कर प्रिन्सिपल

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पर निवेदन करूंगा। हमने विकास के सारे कार्य पंचायतों को दिये हैं और शिड्यूल ३ में विषयों को देखें तो शिक्षा से लेकर कृषि, सिंचाई, पीने का पानी, प्रशासन से लगा कर सारे इतने बड़े अधिकार पंचायतों को दिये हैं और पंचायतों की इन कार्यों को करने की जिम्मेदारी ठहराई है। पर साथ ही देखें तो विदित होगा कि पंचायतों के इलेक्शन में पंच-सरपंच आते हैं, यह जरूरी नहीं है कि वे सब कार्यों में निपुण हों। गांवों में कृषि में कई निपुण हैं, पर वे पंचायतों में खड़े नहीं होते....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): कौन से क्लॉज़ में ?

श्री सोहनलाल भटनागर : यह १५ ए. नया क्लॉज़ है।

श्री सभापति : नया क्लॉज़, जो बिल में नहीं है।

Every body can insert.

श्री सोहनलाल भटनागर : तो जो लोग अपने काम में निपुण हैं, चतुर हैं, शिक्षित हैं उन लोगों के अनुभव का लाभ उठाया जाय। इसीलिये जगह जगह हमने स्टेन्डिंग कमेटीज़ को रखा है। इसके बाद कई कन्सल्टेशन कमेटीज़ के जरिये दूसरे सदस्यों को रखते हैं। डेमोक्रेसी को सफल करना चाहते हैं तो पंचायतों के कार्यों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का मौका दें और जिम्मेदार ठहरावें। पंचायतों के दृष्टिकोण से नये विचार हैं, उसी के अनुसार मैंने व्यवस्था की है : "functional committees at the lowest level..." बनाना बहुत जरूरी है। गांवों में छिपी हुई जन-शक्ति ज्यादा है, उसका उपयोग करना चाहिये; पर वे तीन से ज्यादा न हों। यह सारी व्यवस्था है, यह जो विचार धारा हमारे समाज में चल रही है, इसका इस बिल में समावेश नहीं किया था, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, वैसे ये विचार ठीक हैं, पर पंचायतें छोटी होंगी, उनमें और कमेटीज़ बनती हैं तो और ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, काम में नतीजा निकलता नहीं। इसलिये प्रार्थना है कि वे इसे वापिस ले लें।

श्री सोहनलाल भटनागर : विचार ठीक हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विचार ठीक हैं, मूल में बड़ी बोडी होती तो ठीक था पर छोटी छोटी पंचायतें होंगी, एरिया ज्यादा नहीं होगा; विचार उत्तम होते हुए भी यह लाभकारी नहीं होगा, अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि विचार तो अच्छे हैं पर छोटी पंचायतों में लेने से लाभ नहीं होगा। मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने १५ ए.

(श्री सभापति)

के नाम से रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे सायं, दिनांक १२ अप्रेल, १९६०, मंगलवार के ११ बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ११ अप्रेल, १९६०)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७१९०

सिरोही पॉवर हाउस द्वारा चौबीसों घण्टे पानी की सप्लाई ।

अन्ता, जिला कोटा ब्लॉक के बी० डी० ओ० श्री इन्द्रदेव सक्सेना का ग्राम–सेविका के साथ अभद्र व्यवहार ।

भूमिहीन किसानों को कृषि हेतु जमीन की उपलब्धि ।

नायलोन फैक्ट्री, कोटा को सरकार द्वारा दिया गया ऋण ।

टोंक जिले के जागीरदारों में पुनर्ग्रहण के समय की राजस्व लगान की बकाया ।

राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों के अध्यापकों का प्राइवेट संस्थाओं में डेपुटेशन ।

फिज़िक्स के लेक्चरार्स का चुनाव ।

उप–कृषकों एवं कृषकों को प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार ।

मारवाड़ जंक्शन से जोजावर सड़क के अन्तर्गत आई हुई किसानों की जमीन की अवाप्ति ।

पाली जिले के राजस्व विभाग को बन्दोबस्त विभाग द्वारा दिये गये रेकॉर्ड की दुर्दशा ।

सिरोही में प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक स्तर पर लाना ।

धर्मार्थ विभाग द्वारा दी जाने–वाली पुण्यार्थ सहायता ।

देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के प्रतिदिन कार्यावधि एवं भत्ते ।

संस्कृत कॉलेज, जयपुर में प्रोफेसर, लेक्चरार्स व अध्यापकों की स्थिति ।

जयपुर स्थित दैर के बालाजी के यहां भरी जाने वाली खेली का बिल एवं उसका भुगतान ।

बारां नगरपालिका द्वारा अनुसूचित जातियों की बस्ती में विद्युत व्यवस्था ।

देसूरी तहसील के ग्राम खोड व बूसी को पाली तहसील के अन्त-

गंत करना।

राजस्थान में "आफ्टर केयर होम्स" की स्थापना।

एस. डी. ओ. व एस. डी. एम. के न्यायालयों से सहायक कलेक्टर, बांदीकुई में राजस्व मामलों का स्थानान्तरण।

विभिन्न जिलों में चलाये जा रहे ब्लॉक्स में वितरित रेडियो सैट्स।

नीम का थाना तहसील में उपलब्ध खनिज सम्पत्ति एवं उसका उपयोग।

झुन्झनू जिले की पंचायत समितियों को घड़ियों का वितरण।

सलूम्बर तहसील में सन् १६५८ के स्थगित लगान की वसूली।

स्थगित प्रश्न

नगरपालिका बांदीकुई की सीमा में भूमि की अवैध जब्ती एवं आधिपत्य।

पाली जिले में काश्तकारों से दुबारा बिघोड़ी की वसूली।

झालावाड़ जिले में सेवा सहकारी समितियों को अलॉट की गई भूमि।

काली सिन्ध व चम्बल नदियों व अन्य छोटे नालों के किनारे की जमीन का मामला।

हनुमानगढ़ क्षेत्र में तीन साल से फसल खराब होने के बावजूद आबयाना कर तथा जमीन की वसूली।

आदिवासी मंडल के अन्तर्गत ग्राम मांडवा, तहसील कोटड़ा-भोमट में खोली गई प्राइमरी स्कूल।

अतारांकित प्रश्न ७२३१

आज की प्रश्न सूची में ६ अतारांकित प्रश्न थे।

वक्तव्य

श्री मूलचन्द सुनार, निवासी बाडी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोड़ की मृत्यु से सम्बन्धित जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह (१४) ने दी थी उस पर श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया।

प्राक्कलन समिति, १६६०-६१-एक रिक्त स्थान की पूर्त्ति-नामजदगी के पर्चों का वापस लेना। ७१४१

श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया

Page No.128

स्कम्भ

तथा श्री हरिप्रसाद यादव ने अपने नाम वापस ले लिये।

श्री धन्नालाल हरित उपरोक्त समिति के एक रिक्त स्थान के लिये निर्विरोध निर्वाचित सदस्य घोषित किये गये।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, १९५८-५९ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५९ को सदन की मेज पर रखा।

विधायी कार्य

पुरः स्थापित किया गया विधेयक

राजस्थान भूमि एकीकरण—कर्म वैधकारी विधेयक, १९६० ७२५०

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने राजस्थान भूमि एकीकरण–कर्म वैधकारी विधेयक, १९६० को सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरः स्थापित किया।

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० ७२५०

उपरोक्त विधेयक पर आज भी अग्रेतर खंडशः विचार जारी रहा—

खंड ६–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खंड ७–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड ८–आस्थगित रखा गया।

खंड ९–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खंड १०–आस्थगित रखा गया।

खंड ११ से १४–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खंड १५–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक ठीक ५.०० बजे मंगलवार दिनांक १२ अप्रेल, १९६० को म. पू. ११ बजे तक

स्कम्भ

के लिये स्थगित हुई।

मंगलवार, दिनांक १२ अप्रेल, १९६० की कार्य-सूची

(१) कार्य-सलाहकार समिति के १२ वें

स्कम्भ

प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(२) राजस्थान पंचायत (संशोधन विधेयक, १९६०

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

परिशिष्टि १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ का उत्तर देखिये)

क्रम० संख्या.	नाम जिला	संख्या, भूमिहीन किसानों की जिन्हें भूमि आवंटित की गई	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)
१	२	३	४
१.	सिरोही	१,८५६	५,४६२
२.	चित्तौड़गढ़	६५०	४,०७० ३|४
३.	झुंझुनू	३३१	२,८०१
४.	बाड़मेर	३२	१९२
५.	डूंगरपुर	३८१	५६६
६.	गंगानगर	१८,९३३	२,६६,४०४
७.	बूंदी	३,७२०	१९.१४८
८.	जयपुर	१,८३३	१६,९६०
९.	नागोर	१,३१८	५,२७२
१०.	बांसवाड़ा	६३१	१,३१६
११.	चुरू	१,०६८	२१,३२२
१२.	बीकानेर	२,७७९	६९,५५४
१३,	सीकर	५९९	३,७२२ ३५ सहकारी समितियों को दी गई ।
१४.	जोधपुर	४२४	१,८५३ ३२६ एकड़ भूमि भी सम्मिलित है ।
१५.	अलवर	२८	२५०
१६.	सवाई माधोपुर	१,२५५	७,६६६ १|२
१७.	जालोर	३१७	२,३६०
१८.	पाली	५,१८६	१६,०९७ १|२

१	२	३	४		
१६.	कोटा	६,४००	३०,६८६	११२	
२०.	उदयपुर	१,५४२	४,८७३	३।४	
२१.	भरतपुर	७६३	२,०८६		
२२.	भीलवाड़ा	३,०८३	८,२६२	११४	
२३.	टोंक	१,३४५	८,२२६	११२	
२४.	अजमेर	११,२७४	२४,७४८		
२५.	जैसलमेर	२५६	६,६७५		
२६.	झालावाड़	१,२६६	५,६०७	६।१०	इसमें २०७ सहकारी समितियों को २,८०६ एकड़ भूमि दी गई वह भी सम्मिलित है।
	योग	६७,४७१	७,७४,६२०	१३।२०	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	नाम जागीरदार	नाम जागीर	सूची बकाया जो जागीरदारान ने पेश की	वसूली रकम	बाकी	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७
१.	श्री अब्दुलबशीरखां	सोहरवाड़ा	३०१.०२	२३६.२५	६४.७७	
२.	,, सेख कमरूद्दीन	अमीनपुरा	२९८.८७	१७८.१८	१२०.६९	
३.	,, अमानउल्लाखां	बलीपुरा	३.८७	३.८७	—	
४.	,, सेठ बुद्धसिंह	अहमदगंज	७१५.१२	६२०.९३	९४.१९	
५.	सु श्री मुबारिक जमानी बेगम	डारडा तुर्की	९९९.६९	८८४.६१	११५.०८	
६.	श्री मोहम्मद सद्दीक	नवाबपुरा	६१.३४	६०.७२	०.६२	
७.	,, मकसूद अली खां	डोडवाड़ी	४,४३४.२५	४,१८१.३१	२५२.९४	

१	२	३	४	५	६
८.	श्री मुस्तफाखां	पालड़ा	५८२.८१	३४४.७४	२३८.०७
९.	,, अमीरखां मोहम्मदखां	तालिबपुरा	७०.९७	७०.९७	—
१०.	,, इत्रादुल्लाखां	मोहम्मदनगर	५७०.७८	५५६.५६	१७९.८४
११.	,, मोईनउद्दीन	पीपलू	१,८९२.१७	१,७१२.३२	१७९.८४
१२.	सु श्री जमीउल जमानी बेगम	बनड़ी	२,९८५.५६	२,७२३.१९	२६२.३७
१३.	श्री अब्दुलवहीदखां	बानड़ी	२,६०८.८७	१,१७८.९२	१,४२९.९५
१४.	,, उहमानतुल्लाखां	बोरड़ी	१५२.३१	३८.८७	११३.४४
१५.	,, अब्दुलमुनीमखां	महुआ	४८४.०९	२६२.१५	२२१.९४
१६.	,, अब्दुलमजीदखां	मारखेड़ा	७२६.०५	६३६.७९	८९.२६
१७.	,, खलीलरहमानखां	माची	१,२८४.३१	१,१३७.९४	१४६.३७
१८.	,, अब्दुलजलीलखां	भीमगंज	९४.०९	६०.९१	३३.१८
१९.	,, समसुखइसलामखां	मगारामपुरा	१,६५२.९१	१,५७३.०३	७९.८८

१	२	३	४	५	६
२०.	श्री सदीकउल्लाखां	मुड़िया	२२३.६४	१०६.५०	११४.४४
२१.	,, अब्दुलरहमानखां	मौटुका	३५०.४७	३५०.४७	—
२२.	,, मो० अमीरखां	अरनिया केदार	३,६१७.१६	२,१५४.०६	१,४६३.१०
२३.	,, ईलयासखां	ईन्दोदा	२७७.६१	१५३.७४	५२४.१७
२४.	,, सोहराबखां	ईशाकपुरा	४४६.४१	३०६.६	१३६.५०
२५.	,, ईश्वरसिंह	कौरस्या	८७७.०६	८०८.४६	६८.६३
२६.	,, मोहम्मदउमरखां	खजुरिया	६६.४४	६६.१२	३.३२
२७.	,, अब्दुलशकूरखां	पास	७२२.७७	५२५.६२	१९६.८५
२८.	,, अब्दुलमजिदखां	नया टीला	४,०७७.६४	३,४३२.०४	६४५.६०
२९.	,, अब्दुल्लाखां	देवपुरा	१,१०३.१६	३८१.७७	७२१.३९
३०.	,, अब्दुलकयूमखां	दालानी	२,७६०.५८	२,२६५.०६	४९५.५२
३१.	सु श्री सुहालिया बेगम	मथुरामपुरा	६.८६	६.८६	—

१	२	३	४	५	६	७
३२.	श्री सरदारमोहम्मदखां	सोरन	२,१३०.८४	१,८४५.५८	२८५.२६	
३३.	,, मो० शरीफखां	हमीरया	५.५८	५.५८	—	
३४.	सु श्री भरिजा:मुस्तफा बेग	सहादलावाद	५६७.३७	५६७.३७	—	
३५:	श्री नसरूद्दीनखां	न्निरोज	७२.६४	७२.६४	—	
३६.	,, रावराजा श्री सरदारसिंह	उनियारा	५००.६४	१५१.१४	३४६.५०	
३७.	,, स्कीम जहीर अहमद	ठीकरिया	७६५.२२	२७१.८५	४६३.३०	
३८.	सु श्री रसीदुन निला बेगम	डूसरी	१,८८३.१६	१,८८३.१६	—	
३९.	श्री अमीर मोहम्मदखां	छाणा	३४४.६२	१४१.१६	२०३.४८	
४०.	सु श्री सुशीला कुमारी	निमोला	३६५.६७	१९८.०८	१६७.८९	
४१.	,, प्रेम कंवर	बहड़	१,५१०.५२	१६१.१७	१,३४६.३५	
४२.	श्री भवानीसिंह	पथराज	११६.४८	—	११६.४८	
४३.	,, सरदारदमल फुलचन्द	हिगोनिया	१,४०४.६८	१,४०४.६८	—	

१		२	३	४	५	६	७
४४.	श्री	गुरूजी मनवाजी	रिचकपुरा	१,०२३.५२	९४६.३६	७७.१३	खारिज
४५.	,,	देवराज	डागरथल	१,३०६.६९	८११.०६	४९५.६३	
४६.	,,	उम्मेदसिंह	रामनगर छतरी	५९.३४	५९.३४	—	
४७.	,,	रावराजा श्री सरदारसिंह	उनियारा	७,३०५.५२	७,३०५.५२	—	
४८.	,,	गुलाबसिंह	सतवाड़ा	७५६.७२	७५६.७२	—	
४९.	,,		दोवड़िया	३८७.७८	३८७.७८	—	
५०.	,,	शिवप्रतापसिंह	जूनिया	२६.१२	२६.१२	—	
५१.	,,	संग्रामसिंह	डिग्गी	४०,३०७.८१	४०,३०७.८१	—	
५२.	,,	अजीतसिंह	डूंगरी कला	९२६.०६	९२६.०९	—	
५३.	,,	भवानीसिंह	लाम्बाबुनारदा	१,०२९.०८	१,०२९.०८	—	
५४.	,,	जीवनसिंह	कडीला	१,७०४.८६	१,७०४.८६	—	
५५.	,,	नहारसिंह	हिण्डोला	५७१.६६	५७१.६६	—	

१	२	३	४	५	६	७
५६.	श्री नहारसिंह	सचेव	१०,५०३.३६	१०,५०३.३६	—	
५७.	,, जसवन्तसिंह	पाड़ली	५४६.८६	५४६.८६	—	
५८.	,, ईश्वरीसिंह	मेंदवास	३,६७६.६४	३,६७६.६४	—	
५६.	,, रघुवीरसिंह	सीतारामपुरा	३४१.७८	३४१.७८	—	
६०.	,, दौलतसिंह	पालड़ी	४१२.६१	४१२.६१	—	
६१.	,, ईसरसिंह	टोरड़ी	७,४६५.४२	१,२४४.१४	६,२२१.२८	
६२.	,, रघुवीरसिंह	चौसला	३०७.४७	३०७.४७	—	
६३.	सु श्री सत्य प्रेम कंवर	टोरड़ी	१७६.३१	१८.३६	१६०.६५	
६४.	,, भटयाणीजी	टोरड़ी	४१.२८	१०.४७	३०.८१	
६५.	श्री रघुवीरसिंह	टोरड़ी	३४३.२७	१५६.३५	१८६.६२	
६६.	,, अमरसिंह	टोरड़ी	४७८.६१	१७७.७३	३००.८८	
६७.	सु श्री चापावतजी	टोरड़ी	३३४.५५	१६.०५	३१८.५०	

१	२	३	४	५	६	७
६८.	श्री	टोरड़ी	७०४.७३	३००.७१	४०४.०२	
६९.	श्री फतहसिंह	डूंगरीकलां	६३३.६०	६३३.६०	—	
७०.	श्री शेरसिंह	खेड़ा	३४६.४७	३४६.४७	—	
७१.	श्री करनीदान	फुलनालिया	२,३६१.८७	२,३६१.८७	—	
७२.	श्री सग्रामसिंह	डिग्गी	२६,०७७.४८	२६,०७७.४८	—	
७३.	श्री समराठजी	मण्डालिया	२५४.२७	१५४.२७	—	
७४.	श्री श्योरामसिंह	भासू	२४६.८४	२४६.८४	—	
७५.	श्री ईशरीसिंह	टोरड़ी	८,२०४,६१	८,२०४.६१	—	
७६.	श्री उम्मेदसिंह	मोर	६०२.७५	६०२.७५	—	
७७.	श्री अमरसिंह	कुहाड़ा बुर्जग	७,१६३.१२	७,१६३.१२	—	
७८.	श्री भोलानाथ	भोडियाला	३४५.०५	३४५.०५	—	
७९.	श्री सरदारसिंह	उनियारा	२२,१६६.३६	१३,६२३.४०	८,२७५.६६	

१	२	३	४	५	६	७
८०.	श्री राधेश्याम	सिन्दोली	२५०.८१	१८७.४४	६३.३७	
८१.	सुश्री अमीनुज गमानी बेगम	चौरू पचाला	१,०३३.२१	१७५.७३	५६७.४७	
८२.	श्री स. कमरूदीन	अमोनपुरा	१८१.८८	८६.००	९२.८८	
८३.	श्री गमेरेरखां	गागली	१८६.४०	४५.१६	१४१.२१	
८४.	श्री इफैतखारअलीखां	देवली	७१४.६६	४३३.१६	१८१.५०	
८५.	श्री बलवानसिंह	बिजेगढ़	१,१००.३६	८९४.३०	२०६.०७	
८६.	श्री ईसयासखां	गलमानिया	३२०.२५	२३५.५०	८४.७५	
८७.	श्री पुरूषोत्तमसिंह	सरोली	१,२४६.११	५१.१५	१,१९४.९६	
८८.	श्री रूपसिंह —	बिलासपुर	७३९.९८	—	७३९.९८	
८९.	श्री	पाटोली	९९८.६२	९९८.६२	—	
९०.	श्री	महारी	७१०.५२	७१०.५२	—	
९१.	श्री	सोप	३०१.४४	३०१.४४	—	

१	२	३	४	५	६	७
६२.	श्री	पाड़ली	०.६४	०.६४	—	
६३.	श्री	भीमगंज	११.८७	११.८७	—	
६४.	श्री	रघुनाथपुरा	३२.४४	३२.४४	—	
६५.	श्री गोठडा	गोठड़ा	४,४१६.६५	४,४१६.६५	—	
६६.	श्री	याकुफपुरा	६२.६२	६२.६२	—	
		मीजान	२,१३,६८४.८५	१,८४,७०१.६६	२८,६८३.१६	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ का उत्तर देखिये)

EXTRACT FROM THE RAJASTHAN SERVICE RULES
FOREIGN SERVICE

141. No Government servant may be transferred to foreign service against his will.

"Provided that this Rule shall not apply to the transfer of a Government servant to the service of a body corporate owned or controlled by the vernment.o"

Transfer of a Government servant to service paid from a Panchayat Samiti/Zila Parishad Fund constituted under the Rajasthan Panchayat Samitees and Zila Parishads Act, 1959 (Act No. 37 of 1959)

142. A transfer to foreign service is not admissible unless :—

a) the duties to be performed after the transfer are as such as should, for public reasons be rendered by a Government servant and

b) the Government servant transferred holds, at the time of transfer, a post paid from the consolidated fund, or holds a lien on such a post had his lien not been suspended.

NOTES

1. If in any case, a proposal is made that a Govt. servant should be lent to a private undertaking, it is necessary that the principles of this rule should be applied most rigorously, and generally the loan of a Govt. officer to private undertaking should be regarded as a very exceptional case requiring special justification.

2. The transfer of a temporary Government Servant to foreign service is permissible under this rule.

3. The Government which will be entitled to recover pension contribution on behalf of a Government Servant lent to foreign service should be regarded as the Government competent to sanction the transfer.

143. If a Government servant transferred to foreign service while on leave, he ceases, from the date of such transfer, to be on leave and to draw leave salary.

A Government servant transferred to foreign service shall remain in the cadre or cadres in which he was included in a substantive or officiating capacity immediately before his transfer and may be given such substantive or officiating promotion in those cadres as the authority competent to order promotion may decide. In giving promotion such authority shall take into account :—

a) the nature of the work performed in foreign service and

b) the promotion given to juniors in the cadre in which the question of promotion arises.

Nothing in this rule shall prevent a member of a subordinate service from receiving such other promotion in Government service as the authority who would have been competent to grant the promotion had he remained in Government service may decide.

144. A Government servant in foreign service will draw pay from the foreign employer from the date on which he relinquishes charge of his post in Government service. Subject to any restrictions which the Government may by general order impose the amount of his pay, the amount of joining time admissible to him and his pay during such joining time will be fixed by the authority sanctioning his transfer in consultation with the foreign employer.

145. (a) While a Government servant is in foreign service, contribution towards the cost of his pension must be paid to the consolidated fund on his behalf.

(b) If the foreign service is in India, contributions must be paid on account of the cost of leave salary also.

(c) Contribution due under clause (a) and (b) above shall be paid by the Government servant himself, unless the foreign employer consents to pay them. They shall not be payable during leave taken while in foreign service.

(d) By special arrangement made under Rule 153 (b) contribution on account of leave salary may be required in the case of foreign service out

of India also, the contributions being paid by the foreign employer.

146. Rate of the contribution :-The rate of contributions payable on account of pension and leave salary shall be such as the Government may by general orders prescribe.

147. The rates of pension contribution prescribed under rule 146 will be designed to secure to the Government servant the pension that he would have earned by service under Govt. if he had not been transferred to foreign service.

The rates of contribution for leave salary will be designed to secure to the Government servant leave salary on the scale and under the conditions applicable to him. In calcluating the rate of leave salary admissible, the pay drawn in foreign service, less in the case of Govt. servants paying their contributions, such part of pay as may be paid as contribution, will count as pay for the purpose of Rule 7 (24).

148. Govt. may while sanctioning a transfer to foreign service :—

a) remit the contributions due in any specified case or class of cases and

b) Make rules prescribing the rate of interest, if any, to be levied on overdue contributions.

149. If a contribution for leave salary or pension due in respect of a Govt. servant in foreign service is not paid within 15 days from the end of the month in which the pay on which it is based has been drawn by the Government servant concerned, interest must be paid to Government on the unpaid contribution unless it is specifically remitted by the Government at the rate of four pies a day per Rs. 100/- from the date of expiry of the period of fifteen days upto the date on which the contribution is finally paid. The interest shall be paid by the Government servant or the foreign employer according as the contribution is paid by the former or the latter.

150. A Government servant in foreign service may not elect to withhold contributions and to forfeit the right to count as duty in Govt. service the time spent in foreign employ. The contribution paid on his behalf maintains his claim to pension or to pension and leave salary, as the case may be, in accordance with the rules of the service of which he is a mem-

ber. Neither he nor the foreign employer has any right of property in a contribution paid and no claim for refund can be entertained.

151. A Government servant transferred to foreign service may not without the sanction of Government accept a pension or gratuity from his foreign employer in respect of such service.

152. A Government servant in foreign service may not be granted leave otherwise in accordance with the rules applicable to the service of which he is a member and may not take leave or receive leave salary form Government unless he actually quits duty and goee on leave.

153. (a) A Government servant in foreign service out of India may be granted leave by his employer on such conditions as the employer may determine. In any individual case the authority sanctioning the transfer may determine beforeh and, in consultation with the employer, the condition on which leave will be granted by the employer the leave salary in respect of leave granted by the employer will be paid by the employer and the leave will not be debited against the Government servant's leave account.

(b) In special circumstances the authority sanctioning the transfer to foreign service out of India may make arrangement with the foreign employer under which the leave may be granted to the Government servant in accordance with the rules applicable to him as a Government servant if the foreign employer pays to consolidated Fund leave contribution at the rate prescribed under rule 146.

154. A Government servant in foreign service if appointed to officiate in a post in Government service, will draw pay calculated on the pay of the post in Government service on which he holds a lien or would hold a lien had his lien not been suspended and that of the post in which he officiates. His pay in foreign service will not be taken into account in fixing his pay.

155. A Government servant reverts from foreign service to Government service on the date on which he takes charge of his post in Government service; provided that if he takes leave on the conclusion of foreign service before rejoining his post, his reversion shall take effect from such date as the Government on whose establishment he is borne may decide.

156. When a Government servant reverts from foreign service to Government service, his pay will cease to be paid by the foreign employer

and his contributions will be discontinued with effect from the date of reversion.

157. When an addition is made to a regular establishment on the condition that its cost or a definite portion of its cost, shall be recovered from the persons for whose benefit the additional establishment is created recoveries shall be made under the following rules :—

(a) The amount to be recovered shall be the gross sanctioned cost of the service or of the portion of the service, as the case may be, and shall not vary with the actual expenditure any month.

(b) The cost of the service shall include contributions at such rates as may be laid down under Rule 146 and the contributions shall be calculated on the sanctioned rates of pay of the members of the establishment.

(c) Government may reduce the amount of recoveries or may entirely forego them.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ का उत्तर देखिये)

LIST OF CULTIVATORS WHOSE LAND HAS BEEN ACQUIRED BY THE GOVT.

S. No.	Name of persons to whom payment is due under the award.	Area of Land.
1	2	3
1.	Gumna s/o Nanu Sirvi	2.8
2.	Nema s/o Budha	3.18
3.	Mega s/o Dhulia	1.11
4.	Dhanraj s/o Rajmal etc.	4.13
5.	Kr. Bhupendra Singh s/o Nahar Singh	15-4
6.	Gordhan Singh s/o Devi Singh	4.9
7.	Tara s/o Bhura ½ Khuman Singh s/o Gulab Singh ½	0.3
8.	Chail Singh s/o Bhur Singh ½ Nawla s/o Bena ½	0.9
9.	Kesar Singh s/o Amer Singh etc.	1.1
10.	Chain Singh s/o Saitan Singh etc.	0.5
11.	Chail Singh, Bishan Singh s/o Bhur Singh	0.7
12.	Rughnath Singh s/o Nathu Singh ½ Tikam Singh s/o Bhur Singh ½	0.4
13.	Hukam Singh s/o Bhim Singh etc.	1.7
14.	Shera s/o Chana Sirvi	2.4
15.	Motilal s/o Hem Raj ½ Madan lal s/o Devilal ½	4.8
16.	Bhik Singh - Moti Singh, Navla, Jetha etc.	1.11

1	2	3
17.	Bhiv Singh - Nawala s/o Bidha etc.	0.19
18.	Ratan Singh ½ Jawar Singh etc. ½	3.5
19.	Chain Singh - Khiv Singh etc.	1.2
20.	Jawar Singh s/o Gopal Singh-Moti Singh etc.	2.7
21.	Jawar Singh-Moti Singh etc.	2.3
22.	Bhik Singh-Moti Singh etc.	3.15
23.	Moti Singh-Sultan Singh etc.	2.2
24.	Ratan Singh s/o Jawan Singh etc.	0.17
25.	Harjeet Singh s/o Nathu Singh etc.	0.6
26.	Bhik Singh s/o Moti Singh etc.	1.15
27.	Chimna s/o Amra	0.6
28.	Tej Mal s/o Asa Ram	0.2
29.	Chatra s/o Ghaina Bhambhi	4.10
30.	Pokar s/o Jora	0.10] 0.1]
31.	Moola s/o Bhura	2 6
32.	Moola s/o Bhura Chaudari	6.1
33.	Poonam Chand s/o Nenu Ram	1.15
34.	Bena s/o Sura Gujar	0.5
35.	Ram Singh s/o Keasr Singh ½ Magna s/o Nawla ½	0.2
36.	Ram Singh s/o Kesar Singh Lal Nath - Ganga Ram ½	1.8
37.	Umed Singh s/o Himat Singh	5.6
38.	Ram Singh-Kesar Singh etc.	0.16

1	2	3
39.	Moda s/o Anna	0.2
40.	Devi lal s/o Vena Purohit.	0.4
41.	Benna s/o Panna	7.12
42.	Kesar Singh ½ Ghisa s/o Bhera ½	1.1
43.	Kesar Singh ½ Chena s/o Girdhari ½	0.1
44.	Moda s/o Amraji	2.3 (0.14) Rendered
45.	Kesar Singh s/o Jawar Singh ½ Nawla s/o Kana ½	0.2
46.	Kesar Singh ½ Naga s/o Bhura ½	1.2
47.	Kesar Singh-Jawar Singh	1.19
48.	Bhera s/o Denla ½ Kesar Singh ½	0.3
49.	Kesar Singh ½ Chenà s/o Guch ½	0.1
50.	Sumer Mal	0.4
51.	Partap Nath Dap Nath etc.	0.3
52.	Fathe Singh s/o Heer Singh ½ Sugan lal ½	0.2
53.	Hari Ram s/o Salig Ram	0.14
54.	Heera Lal s/o Deva Shankar	0.5
55.	Moti lal s/o Devi Chand	0.3
56.	Kanwal Nath s/o Panna Nath	2.13 0.10
57.	Pukh raj s/o Phula Singh	0.10

Page No.149

1	2	3
58.	Chimna Ram s/o Kana Ram	3.8
59.	Chain Karan s/o Lal Chand	0.18
60.	Kr. Jeetandra Singh s/o Nahar Singh	1.10
61.	Laxman Singh s/o Chain Singh	0.8
62.	Nahar Singh	6.13
63.	Kr. Surender Singh.	0.12
64.	Surender Singh s/o Nahar Singh	5.6
65.	Smt. Kushal Kumari w/o Nahar Singh	0.5
66.	Laloo s/o Budha	0.4
67.	Nahar Singh ½-Jagnder-Gumna etc.	0.6
68.	Nahar Singh ½ and Ghisa Ram ½	4.11
69.	Rahima s/o Abdul Rahim	0.5
70.	Magna s/o Sukha-Bhoma, Rama Choga	0.5
71.	Nahar Singh ½-Rajmal, Surajmal	1.1
72.	Bhawani s/o Magna ½-Santok s/o Daulal ½	0.15
73.	Nahar Singh ½, Bhura s/o Choga ½	0.12
74.	Bura s/o Jetha	0.5
75.	Pukh Ram s/o Natha Ram	0.3
76.	Nahar Singh ½, Naran Dan ½	2.9
77.	Deva S/o Kana Sirvi	0.1
78.	Jeta s/o Dala	0.4
79.	Nahar Singh ½, Champalal s/o Dhanraj	4.0
80.	Ghisa s/o Navla	0.5
81.	Nahar Singh ½, Dewa s/o Kana ½	0.7
82.	Nahar Singh ½, Kanna s/o Budha ½	0.3

Page No.150

1	2	3
83.	Nahar Singh ½ , Magia s/o Moola ½	0.1
84.	Akbar s/o Puna	0.2
85.	Vishandass chela Chadan Dass	0.11
86.	Kawar Nath chela Dev Nath ½, Dhanraj s/o Raju	0.8
87.	Sawai Singh s/o Dhool Singh	1.7
88.	Ram Singh s/o Guman Singh	3.8
89.	Shiv Singh - Sawai Singh, Dhool Singh	1.15
90.	Jawar Singh s/o Dhool Singh	3. 16 0.4
91.	Ratan Singh ½, Kanjaja s/o Mega ½	2.19
92.	Kool Singh s/o Sumer Singh, Bhura s/o Dhanji	6.15
93.	Kel Singh Bhuta	5.19
94.	Sawai Singh s/o Dhool Singh	1.1
95.	Doh Puhaka-mayment of repetive	0.2
96.	Amar Singh s/o Pathe Singh	6.9
97.	Laxman Singh s/o Ratan Singh	0.12
98.	Ratan Singh Dan Singh etc. ½ Chal Singh Kesu Singh	1.0
99.	Ratan Singh s/o Fateh Singh ½ Kun Singh s/o Dhool Singh	9.10
100.	Ratan Singh-Karan Singh etc.	0.1
101.	Bhika s/o Banji sirvi	4.7
102.	Kheta s/o Raja Mena	1.4
103.	Kesha Ram s/o Sarup Survi	0.3
104.	Bhera s/o Hiukma Sirvi	3.11
105.	Nena s/o Khana Sirvi	7.17) 0.2)

1	2	3
106.	Bijai Singh s/o Kol Singh	2.19
107.	Pukh Raj s/o Dhan Raj	1.16
108.	Salag Ram s/o Bhika Ram	1.14
109.	Sm. Gothi w/o Poonam Chand	0.17
110.	Dooga Ram s/o Ajay Ram	1.11
111.	Bhura s/o Dhana	3.3
112.	Naga Ram s/o Chala Ram	0.7
113.	Bhura Ram s/o Dhera	0.8
114.	Poopa s/o Chuni Ram	0.1
115.	Roopa s/o Chimna	0.13
116.	Sasha Ram s/o Bhika Chand	0.11
117.	Naga Ram s/o Chela Ram	0.9
118.	Sm. Gatoo w/o Poonam Chand, Desha s/o Saroop	0.17
119.	Naga Ram s/o Chela Ram	0.14
120.	Khaki Dass s/o Hanuman Dass	2.18
121.	Kesha Ram s/o Pitha Bhambi	1.0
122.	Dhokal Singh s/o Jawar Singh	14.17
	Total :-	423.12

———

परिशिष्ट . ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ का उत्तर देखिए)

INSTRUCTIONS FOR THE GRANT OF RELIEF UNDER HEAD "47-MISCELLANEOUS DEPARTMENTS -V-DEVASTHAN DHARAMPURA-4-OTHER CHARGES (b) OTHER EXPENSES-GRANTS TO NECESSITIOUS PERSONS.

SCOPE

These instructions are inteded to govern the grant of relief by the Devasthan Department to persons who are destitute, or indigent.

2. Such relief will be granted entirely as charity and cannot be claimed as a matter of right. It may be in the form of either a monthly maintenance allowance or a lump-sum grant.

MAINTENANCE ALLOWANCE.

3- A maintenance allowance will ordinarily be granted only to those persons who are destitutes and are permanently incapable of earning their livelihood, due to physical incapacity, etc. and may also be granted to the survivors of Govt. servants who do not get any benefit under the Service Rules or any other rules governing grant of relief to survivors of deceased Government servants.

4. A maintenance allowance shall not exceed Rs. 15/—P. M. in the case of an adult, and Rs. 10/— P. M. in the case of minor. All maintenance allowances shall require the sanction of Govt. in the General Administation Department.

5. Subject to continued incapacity to earn a livelihood, a maintenance allowance will be tenable :-

(1) In the case of a male grantee for life.

NOTE:- In the case of minors who have no other physical infirmity etc. the incapacity to earn a livelihood will be deemed to end on the attainment of age of 18 and allowances in such cases will be tenable only till the age of 18.

(2) In the case of a female grantee-until (i) death or (ii) marriage/re-marriage whichever of (i) and (ii) occurs earlier.

LUMP-SUM GRANTS.

6. Lump-sum grants may be sanctioned to relieve temporary distress in the case of destitute or indigent persons on special occasions such as serious illness.

7. A lump-sum grant not exceeding Rs. 25/- may be sanctioned by an Assistant Commissionor, Devasthan, and a grant not exceeding Rs. 50/- by the Commissioner, Devasthan, provided the total amount sanctioned by the Commissioner or an Assistant Commissioner does not exceed Rs. 500/- and Rs. 200/- respectively in a financial year.

PROCEDURE.

8. Applications for grant under these instructions may be made to the Assistant Commissioner, Devasthan direct or through a Tehsildar / the Chairman of a Municipal Board/ a village Panchayat/ or an Inspector of the Devasthan Department. The authority to whom the application is made will investigate the case and, except in the case of the Assistant Commissioner himself, will forward the results of investigation in the prescribed form, to the Assistant Commissioner.

9. The Investigating Officer shall make through enquiries as to the financial condition of the applicant and will recommend only those cases in which the (i) destitute or indigent condition and (ii) incapacity to earn a livelihood are fully proved. The recommendation shall be made in the form enclosed.

10. In the case of a lump sum grant the Assistant Commissioner, Devasthan may either himself accord sanction in terms of para 7 or forward the case to the Commissioner for sanction. In the case of a maintenance allowance, the Assistant Commissioners will forward the cases with their recommendations (every year in the months May & October) to the Commissioner, Devasthan. The Commissioner will submit the applications, recommended by the Assistant Commissioner, alongwith his remarks to the Government in the General Administrative Department (in the months of June and November.)

GENERAL.

11. Future good conduct is an implied condltion for every grant of

maintenance allowance and Government reserve to themselves the right of withholding, reducing, or withdrawing a maintenance allowance if the recipient is either convicted of any crime and / or found guilty of grave misconduct involving moral turpitude or on other such grounds or reasons which may be found to be objectionable.

12. A grant made under these instructions may be revised, modified or withdrawn by the Government at any time without assigning any reasons.

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६४५ का उत्तर देखिये)

MONTHWISE STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF INMATES IN AFTER-CARE HOME, UDAIPUR

S. N.	Name of Month	Number of Inmates 1958	1959	1960
1.	January	2	12	16
2.	February	2	11	20
3.	March	2	11	—
4.	April	4	13	x
5.	May	3	11	x
6.	June	3	11	x
7.	July	4	10	x
8.	August	6	11	
9.	September	7	10	
10.	October	10	10	
11.	November	10	10	
12.	December	13	11	

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४७ का उत्तर देखिये)

सन् १९५५-५६ व ५६-५७ में खोले गए विकास खण्डों की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	वर्ष जिसमें खोला गया	संख्या रेडियो सेट्स जो वितरित किये गए
१	२	३	४	५
१.	बीकानेर	१. नोखा	अक्टूबर ५५	१२
२.	चुरू	२. सरदारशहर	अप्रेल ५६	२४
३.	गंगानगर	३. हनुमानगढ़	अक्टूबर ५६	२४
४.	अलवर	४. तिजारा	अप्रेल ५६	३०
५.	भरतपुर	५. राजाखेड़ा	अक्टूबर ५६	२४
६.	जयपुर	६. जयपुर (झोटवाड़ा)	अक्टूबर ५५	२४
		७. बान्दीकुई	अप्रेल ५६	२४

परिशिष्ट

१	२	३	४		५
७.	झुन्झुनू	८. चिड़ावा	अक्टूबर	५५	२४
		९. उदयपुरवाटी	अप्रेल	५६	२४
८.	सवाई माधोपुर	१०. गंगापुर	अक्टूबर	५६	२४
९.	सीकर	११. नीम का थाना	,,	५५	३६
		१२. लक्ष्मणगढ़	,,	५६	२४
१०.	टोंक	१३. टोंक	अप्रेल	५६	४८
११.	अजमेर	१४. जवाजा	,,	५५	२४
		१५. केकड़ी	,,	५५	२४
		१६. श्रीनगर	,,	५६	२४
		१७. किशनगढ़	अक्टूबर	५६	२४
१२.	बाड़मेर	१८. शिव	,,	५६	१२
१३.	जालोर	१९. सांचोर	अप्रेल	५६	२४

१	२	३	४		५
१४.	जोधपुर	२०. ओशियां	अक्टूबर	५६	२४
१५.	नागोर	२१. लाडनूं	अप्रेल	५६	२८
१६.	पाली	२२. खारची	अक्टूबर	५६	२४
१७.	सिरोही	२३. आबूरोड	,,	५६	२४
१८.	बूंदी	२४. तालेरा	,,	५५	२४
		२५. हिन्डोली	,,	५६	२४
१९.	झालावाड़	२६. झालरापाटन	,,	५५	२४
		२७. खानपुर	,,	५६	२४
२०.	बांसवाड़ा	२८. कुशलगढ़	अक्टूबर—नवम्बर	५६	२४
		२९. बागीडोरा	अक्टूबर	५६	—
२१.	भीलवाड़ा	३०. मांडलगढ़	,,	५५	२४
		३१. मान्डल	,,	५६	२४

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
२२.	चित्तौड़गढ़	३२. प्रतापगढ़	अक्टूबर ५५	२४
		३३. बैगून	,, ५५	२४
		३४. कपासन	अप्रेल ५६	२४
२३.	डूंगरपुर	३५. आसपुर	,, ५६	३
२४.	उदयपुर	३६. कोटरा	अक्टूबर ५५	६
		३७. खामनोर	अप्रेल ५६	२४
		३८. धारियाबाद	अक्टूबर ५६	—

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ का उत्तर देखिये)

(क) चूने के पत्थर, केलसाइट, लोहा, चीनीमिट्टी, रंगीन मिट्टी, तांबड़ा, भोडल, बैरियल, क्वार्ट्ज, फैल्सपार, ऐस्वेस्टोस, गियाभाटा, फ्लोराइट, इमारती पत्थर, बजरी कंकर ।

————

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ का उत्तर देखिये)

गोश्वारा तहसील सलूम्बर फसल रवी २०१४ में नुकसान हुआ—डि० उदयपुर

नं० शु०	नाम गांव	डिमान्ड	छूट जो होगा
१.	सरका	६१८	१६६/४
२.	कोट	२७२	८८/१४
३.	मोडपुरा	८१	३१/२
४.	प्रतापपुरा	३४१॥	१५७॥≥
५.	कालीमगरी	२१	१४
६.	नलावत	२१३	७१।
७.	रमीडा	१५३	१०६।
८.	शपुरी	१८६	१२७
९.	दोघडीचा	१२२	१२२
१०.	वलियाखेडा	१०५	१३३॥≈
११.	दोलपुरा	१४६	७८॥
१२.	करोटा	१०२	८९।॥
१३.	गेहूया	४१५	१८२
१४.	कमरदा	१२००	६३।
१५.	करासली	४१७	४७।
१६.	गांगला	१८६४।	६०९।॥
१७.	सेडावत	४१५	३११॥≈
१८.	सेमपुर	३२	२९
१९.	पसूता	९	९
२०.	कालोपाल	२३	२३

१	२	३	४
२१.	बुडेल	३१	३१
२२.	ढाईखेड़ा	६१	५५॥
२३.	बागाका गुडा	५६	३५॥
२४.	घाघरा	१७६	६८॥
२५.	सतीकी चौरी	८८	६६॥।
२६.	मुकडा	१३	१३
२७.	खडामानपुर	१२३	१००
२८.	छुकड़ी	२७	४१
२९.	जामुडा	४१	२७
३०.	पैड	४१	३१॥।=
३१.	पावटी	४४	२८।=
३२.	सराडी	१८५६	७८३।-
३३.	सिगोवली	१५०	७०॥।
३४.	माकडकिया	२५६	२६
३५.	चिबोडा	६५	४३॥=
३६.	झटकुवा	५२	१६॥।
३७.	लोदा	१६०	६
३८.	कोटा	४६१	१४८॥।=
३९.	नेशपुरा	३६८	२५४।=
४०.	खातेरोटा	१२२	३४॥
४१.	कडाना	३८७	८६॥।
४२.	गुडेल	१६२१	१६६
४३.	रुड़म्बर	५८३	२१६॥।=

१	२	३	४
४४.	उधर	२५७	११२।=
४५.	तेजपुरा	६०	४५।
४६.	मानपुरा	२०४	६२=
४७.	राजपुरा	१३४	१०३।=
४८.	इधरधाम रायलाम	६२	२७॥
४९.	डागीयान	५८१	२०७।=
५०.	मई	१४६॥	६६॥
५१.	सुन्डला	१५६	१५३॥।-
५२.	कराकता	२८६	२६६॥
५३.	कदावता	११७॥	६५॥।
५४.	सवायतों का गुडा	३५	३६॥।=
५५.	सुमानियां	३३१	३१८
५६.	डबराना	७५५	७१९
५७.	भोपालपुरा	१२३	१२३
५८.	देवद	१५२	१४०
५९.	ठुगर	१२९	६८२॥।
६०.	खारावाडा	४१६	२५१॥=
६१.	बांदरवाड़ा	१५८	१२५॥।-
६२.	बराडा	६६६।≡	४६८।≡
६३.	जैमलपुरा	१५३	६४=
६४.	हीकावाड़ा	३१४	१६६।
६५.	नोसी	५०५	४८७॥=
६६.	इन्दला	२९३	२७॥।

१	२	३	४
६७.	खोलडी	६६६	५१४॥
६८.	रुन्डीयावाड़ा	२३०	४७।
६९.	कमुवता	३२१	१३५।॥=
७०.	वामनावा	४६७	३१६॥
७१.	गुड	३६३	१७६
७२.	भरमाल	१८८	१८४।
७३.	मातार	५६	५६
७४.	शवपुर	५७	१७॥
७५.	माटादडा	२३१	६६
७६.	डांगीखडा	२६१	२१०=
७७.	भलारा	६४२	६३२
७८.	मान्डली	३२८	३२१।
७९.	जोधपुर	१८१	१०४
८०.	मालपुरा	१०७	१८२।=
८१.	सिघपुर	२५०	१६२=
८२.	ओहनाका खंडेल	१११	१११
८३.	चरवड़ा	२३६	१९६।॥=
८४.	बरवली	१८६	१००
८५.	हरजलीया	१८६	१८६
८६.	काचरिया	४२	४२
८७.	जम्बुखेला	७६	६९=
८८.	जोधपुर कलां	८८	५६॥

Page No.165

१	२	३	४
८९.	जयपुर खुर्द	२३५	६२।।।=
९०.	रीम्बादा	२२५	२२५
९१.	मायाटापरा	१२०	१२०
९२.	भाखरोता का गुढा	१२१	१२१
९३.	झाझणा	९३	७४
९४.	राठडी	२९६	२७६।=
९५.	श्रमलादा	५६५॥	४०७॥
९६.	वारा	२४५	२१९
९७.	कापाकागुडा	१८९	९७।।।=
९८.	लहतां	१२९	७८
९९.	नयागांव	९०॥	४७=
१००.	रूभाडा	४६८	३४४।=
१०१.	मामडी	२४३	८।
१०२.	बडमलीयाकला	३१९	१३७=
१०३.	रूमेठा	२७	२७
१०४.	मातामुला	५२८	३९६=
१०५.	कोटारा	१०४	९८
१०६.	कडाव	२५७	२१९॥
१०७.	डालाब	१५२	१२१
१०८.	साडाव	५४६	३८४॥=
१०९.	सालया	१८४	१८४
११०.	रूश्रावा	१५८	१५०॥

Page No.166

१	२	३	४
१११.	कल्याणखुर्द	३८१	१८०॥=
११२.	मारोकागुढा	२४६	६४।=
११३.	सुधारामा	१४१	११०॥=
११४.	थोरीगावडा	१०४	६१।।।
११५.	बारी	२७०	२१८।।।
११६.	पापरा	६६६	३४१॥=
११७.	इन्टालखेडा	५५२६	३३६।।।
११८.	परोडा	१२१	१०६॥=
११६.	पराडाखालवा	६४।।।=	४७।।
१२०.	खाडोरा	८३	४३
१२१.	खराबी	२८	२८
१२२.	बाठा	३५।।	३१।।
१२३.	कनेर	५६	५१।
१२४.	जोधसिंह का लेडा	८७	५४
१२५.	घटड	२७८	२३८
१२६.	टुटामहुआ	६५	४२॥=
१२७.	थावडा	१६०॥	६६।=
१२८.	क्यारडा	११४	१७४।
१२६.	जेताणा	७२४	५२२=
१३०.	पानपावडा	३०८	१८५।।।=
१३१.	गरडा	२०२	१७०
१३२.	वीरजाखुर्द	३०४	२८१।
१३३.	पीलाकलां	३५६	१५८।=

१	२	३	४
१३४.	केलायानाकगुड़ा	२५८	२५८
१३५.	नानपुरा	६३७	५५७॥
१३६.	सानसोल	२८७	२४८॥
१३७.	घुन्डेल	३११	३०८
१३८.	पमलया	३०२	२६१॥।=
१३९.	सामरका	७६	७१=
१४०.	वलाडा	६६४	३६५=
१४१.	सीपडी	२४०	११७
१४२.	नानगा	१५७	१२४।=
१४३.	गरजलराणा	१३७	११८
१४४.	खेरपुरा	१५६	१५४॥।
१४५.	कगरा	६६	८७॥=
१४६.	मालपुरा	२६२	२५०॥।=
१४७.	पायातालाब	७०	६१
१४८.	थरोडा	३२१	१४५
		४१४७७	२४७६१॥।–।

परिशिष्ट १०

(कृपया स्थगित प्रश्न संख्या ४०१ का उत्तर देखिये)

जिला झालावाड़

प्रश्न के (१)

नं० शु०	नाम तहसील	रकबा जो पड़त है (एकड़ों में)	
१	पचपहाड़	११,११७	एकड़
२	गंगधार	७,१३०	,,
३	मनोहरथाना	६,०६०	,,
४	अकलेरा	४,८३१	,,
५	खानपुर	६०७	,,
६	बकानी	२,६७५	,,
७	पिडावा	६,८७४	,,
८	डग	४,७५०	,,
९	झालरापाटन	४,७५०	,,
१०	असनावर	१६,३६८	,,
११	सुनेल	३,२२५	,,
	योग कुल रकबा पड़त	६६,६५०	,,

७४५७] परिशिष्ट

प्रश्न के भाग (२)

नं० शु०	नाम तहसील	तादाद समितियां	रकबा जो एलॉट किया गया (एकड़ों) में
१	पचपहाड़	४	८३६ एकड़
२	गंगधार	४	४६४ ,,
३	मनोहरथाना	४	५०४ ,,
४	खानपुर	१	१५० ,,
५	बकानी	३	६७५ ,,
६	पिडावा	१	४६४ ,,
	योग कुल समितियां व रकबा जो एलॉट हुआ :	१७	३,१२३ एकड़

————

परिशिष्ट ११

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ उत्तर देखिये.)

STATEMENT SHOWING THE ALLOTMENT AND EXPENDITURE DURING 1959-60. UNDER SECOND FIVE YRAR PLAN.

S. No.	DISTRICT	Allotment 1959-60	Expenditure 1959-69 Up to Sept., 1959.
1.	2.	3.	4.
1.	Ajmer	105.27	20.13
2.	Alwar	44.59	9.94
3.	Bharatpuru	68.61	14.22
4.	Jaipur	101.72	27.85
5.	Jhunjhun	21.59	5.88
6.	S. Madhopur	46.71	8.67
7.	Sikar	25.81	7.33
8.	Tonk	44.01	8.63
9.	Bikaner	33.82	12.11
10.	Churu	17.54	2.33
11.	Ganganagar	83.06	102.75
12.	Barmer	99.36	4.44
13.	Jaisalmer	12.42	3 81
14.	Jalore	18.68	3.81

1	2	3	4
15.	Jodhpur	62.60	9.17
16.	Nagaur	32.08	7.47
17.	Pali	32.43	10.55
18.	Sirohi	40.09	8.62
19.	Bundi	19.78	4.88
20.	Jhalawar	32.24	5.58
21.	Kota	68.17	97.57
22.	Banswara	36.78	7.42
23.	Bhilwara	36.15	15.53
24.	Chittor	34.29	8.43
25.	Dungarpur	30.00	6.71
26.	Udaipur	94.56	16.92
N. B.	Expenditure on schemes beneficial to State as a whole	936.73	145.96
	TOTAL	12,405.16	652.48

1. The total comes out to be Rs. 2,100.19 lakhs as in case of Co-operation. Forest and Soil Conservation and Ayurvedic Sectors the Budget Allotment figures for 59-60 are 70.00 lakhs, 47.00 lakhs and 8.60 lakhs while the districtwise allocations available for 69.82 lakhs, 31.99 lakhs and 8.60 lakhs. The districtwise breakup of Education Sector amounting to Rs. 299.06 lakhs and Rural Housing and Slum Clearance Schemes under Housing Sector amounting to Rs. 1.49 lakhs are not available.

2. Districtwise break up comes to Rs. 576.70 lakhs, which excludes Rs. 7.38 lakhs in Social Welfare Sector, Rs. 1.25 lakhs in Housing Sector, Rs. 2.97 lakhs in Ayurvedic and Rs. 64.18 lakhs in Education Sector (Rs. 75.78 lakhs total for all sectors excluded from the total expenditure) district-wise break up for which is not available.

परिशिष्ट १२

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

FACULTY OF ARTS
MAHARAJA'S COLLEGE, JAIPUR.

Class	No. of New Admissions in every class.	Division obtained by newly admitted students.	Students appeared at these Examination: Form Filled	Absent	Appeared	Passed	Failed	Division obtained at the Examiatin: 1st	2nd	Division other than first and second obtained by the student.	No. of low Divisioner Classwise every year.	Remarks
Session 1956-57		Admissions have been given only to those who come under the admission rule of the Education Department Govt. of Rajasthan										
1st Yr. Arts	215		—	27	188	179	9	No division at the promotion examination				
2nd Yr. Arts	105		103	—	103	71	32	—	17	III 47	7 Supplementary	
3rd Yr. Arts	142		—	18	124	117	7	No division at the promotion Examination				
4th Yr. Arts	197		192	—	192	104	88	—	22	III 62	19 Supplementary	
5th Yr. Arts	163		147	3	144	54	60	No Division is declared in M. A. Pre. Examination				
6th Yr. Arts	76		72	—	72	62	10	—	22	III 40	—	
Session 1957-58		—do—										
1st Yr. Arts	228		—	26	202	188	14	No Division at the Promotion Examination				
2nd Yr. Arts	183		186	6	180	127	53	1	28	III 80	18 Supplementary	
3rd Yr. Arts	215		—	31	184	179	5	No Division at the Promotion Examination				
4th Yr. Arts	166		160	1	199	138	21	1	29	III 43	65 Supplementary	
5th Yr. Arts	130		109	3	106	82	24	No Division is declared at M. A. Exam.				
6th Yr. Arts	79		78	2	76	64	12	4	17	III 43	—	
Session 1958-59			190	2	188	163	25	No Division at the promotion Examination.				
1st Yr. Arts	[illegible]	—do—	[redacted]									

परिशिष्ट १३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	नाम ऋणी	तादाद ऋण	ऋण देने की तिथि	सिफारिश पर ऋण दिया गया	नाम जमानत देने वाले का	अब कितना है चढ़ी रकम अगाऊ रकम	बकाया की रकम	रकम जमा होने की अन्तिम तिथि	जिन जिन व्यक्तियों ने ऋण अवधि में जमा नहीं कराया, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	श्री छोगा पिता नाथू गुजरपुर	५००)	१८-६-५६	तकावी की सलाहकार समिति	श्री लालूराम, ब्रह्मणपुर	—	५००)	—	कोई किश्त नहीं चढ़ी है ।
२.	श्री अहमद पिता कासम फकीर	३००)	१६-६-५६	,,	श्री मांगीलाल जाट, सांगानेर	—	—	—	चढ़ी हुई किश्तें जमा हो चुकी हैं।
३.	श्री लालु पिता मोडा दारोगा, आकोला	१००)	२६-५-५७	,,	श्री लालुगाडरी, निवासी आकोला	५०)	—	जून, ५६	ऋणी को १५ दिन में चढ़ी रकम जमा कराने का नोटिस दिनांक २३-२-६० को जारी किया गया है ।
४.	श्री अर्जुन पिता शिवराम लोहार, भीलवाड़ा	५००)	,,	तहसीलदार, भीलवाड़ा	श्री उत्तमराम लौहार श्री पुतली बाई श्री पुंडलीक श्री सरन बाई श्री अर्जुनराव	१५०)	२५०)	३१-१२-५६	नोटिस दि. १५-२-१९६० को तामील हो चुका है। नोटिस की मियाद ४-३-६० समाप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी ।
५.	श्री उत्तमराव पिता गंगाराम लोहार, भीलवाड़ा	५००)	,,	,,	,,	—		,,	चढ़ी किश्तें जमा हो चुकी हैं ।
६.	श्री पुंडलीका पिता नामदेव लोहार, भीलवाड़ा	५००)	,,	,,	,,	१५०)	२५०)	,,	नोटिस दि० १५-२-६० को तामील हो चुका है। नोटिस की मियाद ४-३-६० को समाप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी ।
७.	सुश्री सुरक बाई पत्नी शिवराम	५००)	,,	,,	,,	१५०)	२५०)	,,	,,

परिशिष्ट १४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

RULES FOR GRANT IN AID

1. All institutions functioning in Rajasthan for the educational and cultural development of the State will be eligible for grant in aid under these rules.

2. These institutions will be classified under two categories:

a) Educational Institutions :—In this category will be included all institutions which impart regular education and follow eigther the curriculum prescribed or approved by the Department or the University or their own special schemes of education and independent curricular.

b) Other institutions :—In this category will be included institutions dealing with other aspects of ecucational such as institutions for research in the publication of old •Literature, Adult Education Centres, Public Libraries, Nursery schools, Vocational and Child Guidance Clines, Sports Clubs, Physical Culture Association, Hiking and Camping Clubs, Scouts and Guides Association, Music and fine Art Societies and the like.

3. An Institution of category 2 (a) shall be eligible for grant in aid only if it is registered as a public society under the Societies Registration Act and recognised by the Department or the University, and satisfies the following conditions :—

i) That its records and accounts are open to inspection and audit by persons authorised by the Department for the purpose.

ii) All the information required by the Department is punctually furnished.

iii) That the facilities provided by it are available to all sections of people without any distinction of caste or creed.

iv) That the institution is not run for profit to any individual or body of individuals and its Governing Body can be trusted to utilise its assets only for the furtherance of the objects of the Society.

4. An Institution of category 2 (d) shall be eligible for grant in aid

only if it is registeied as a public society under the Societies Registration Act and satisfies the following conditions :—

1) that it serves a useful purpose, and the facilities provided by it are available to all sections of people without any distinction of caste or creed.

2) that the institution confines itself only to educational work.

3) that the constitution of Governing Body of the institution is approved by the Director and no changes are made therein without his approval. Among other things the constitution should ensure the non-communal character of the Governing Body specifically laying down that not more than two-third of the members of the Governing Body shall belong to any one caste, sect, or community.

4) that any changes in the personal of the Governing Body are promptly reported to the Department.

5) that institution is not run for profit to any individual or a body of individuals and its Governing Body can be trusted to utilise its assests only for furtherance of the objects of the society.

6) that the quality of instruction or other activity is of the approved standard.

7) that its financial resources, when snpplemented by grant in aid, will be adequate to enable it to carry on its work efficiently to pay suitable remuneration, and where scales have been prescribed by Government or other competent authority, remuneration in accordance with such scales, to its whole time staff regularly.

8) that the number sf pupils of rolls and average attendance in the institution or the number of persons deriving benfit from it does not fall below standard or number prescribed by or on behalf of Government.

9) that its records and accounts are open to inspection and audit by persons authorised by the Department for the purpose.

10) that all the information required by the Department is punctually furnished.

11) that all instructions necessary for the efficient running of the

institution issued by the Department are promptly complied with.

5. Annual recurring grant to institutions of the above categories shall not ordinarily exceed 50% of the approved expenditure for the previous year or 70% of the net approved expenditure for the previous year. If an amount equal to 50% of the total approved expenditure is more than the amount calculated on the net approved expenditure, the greater of the two amounts will be admissible as grant in aid. In the case of institutions carrying on the work of education on experimental and pioneering lines, particularly in the field of basic or women's education or education of back ward people of other specialised field such as the education of defective children, this aid may be given upto 60% of the approved expenditure or 90% of the net approved expenditure;

provided, however, that the total recurring grant in aid from this State shall exceed the difference between the total approved expenditure and the income from fees and other recurring sources including grants from other State Governments.

Any grant given in lump sum from Central Government or other State towards recurring expenditure shall be treated as a recurring grant for the purpose of this provision.

Note:-The 'Not approved expenditure' will mean total approved expenditure minus income from fees and other recurring sources (for instance Membership subscription in cases of clubs) except grants from other States or the Central Government and donations.

2 :- A 'Previous year' would mean the financial year preceding the year in which the grant in paid. For instance the grant in aid for year from April, 1955 to March, 1956 will be calculated on the expenditure for the year April, 1954 to March, 1955.

6. Approved expenditure referred to Rules 5 would relate to the following items only :--

a) Salaries and provident fund contribution not exceeding 6¼% in respect of the teaching staff.

b) Salaries and Provident Fund contribution not exceeding 6¼% in respect of the ministerial and subordinate staff.

c) Dearness allowance.

(d) Stationry and Printing charges.

(e) Water and lighting charges.

(f) Hot and cold weather charges.

(g) Recurring expenditure on equipment and apparatus.

(h) Ordinary repairs to buildings (if they belong to the Institution) and furniture.

(i) Building rent (if the building is rented.)

(j) In the case of residential institutions or educational societies running more than one institution, such expenses on management as are necessary for and incidental to institution or society.

(k) Recurring expenditure on books, library and reading room.

(l) Recurring net expenditure on games, physical education and on other extra curricular activities e.g. Camps, annual Functions, dramas, educational Tours, excursions, Social Service Programmes etc. etc.

(m) Reccirring expenditure on crafts including agriculture, dairy home science, etc, after deducting the income accruing from crafts.

(n) Expediture of travelling of teachers in attending Conferences. T. A. will be regulated according to the scale prescribed by the Director in this behalfwith the concurrence of the Government.

7. Even though annual recurring grant in aid will ordinary be calculated on the basis of previous financial years approved expenditure, and additional grant on the basis of any specially approved expenditure for the current year, may also be made at the discretion of the sanctioning authority.

8. No new institution shall be eligible for grant in aid unless it has functioned successfully atleast for one year. In very special cases, however, this condition may be waived by the Government.

9. Expenditure on hostels shall not be reckoned as approved expenditure of an institution.

A recurring grant not exceeding 60 percent of the approved exp-

enditure for the previous year may, however, be sanctioned on the following items of expenditure :—

(1) Salary or allowance of the Warden Superintendent or 'Matron, as the case may be.

(2) Ministerial and class four establishment considered necessary.

(3) Other ordinary office contingencies.

10. Grants of non-recurring nature may be given for items of expenditure such as purchasing of furniture and equipment for books and libraries and laboratories, erection, repairs or extension of building(including hostel) etc. The exact amount of special grant will be decided according to the merit of each case, but in no case will amount exceed one half of the total approved expenditure for the purpose. Except in very special cases, such grants shall not be sanctioned if the work is started or the purchases completed before the grant has been sanctioned and Plans 'and estimates for it approved by Government.

11. An institution requiring grant in aid or a special grant for any financial year shall apply to the Director or to the Secretary to the Government in the Department of Education as, the case may be. Separate applications shall be made for recurring and non-recurring grants in the prescribed forms. All applictions shall be made by the end of August preceding the commencement of the financial year for which the grant in aid is desired submitting the following statements :—

(1) Duly audited accounts for the financial year ended on 31st March, preceding.

(2) Statements of actual expenditure for first four months (April to July) and of budgetted expenditure for the latter eight months (August to March) of the financial year in which application is made. The statements will show recurring and non-recurring items of expenditure separately.

The grant in aid or special grant to be sanctioned to an institution for the next financial year shall be tentatively calculated and sanctioned on the basis of No. 2 above. When the audited accounts relating to 2 of above submitted in the following year, necessary adjustments will be made in view of any difference between the estimated expenditure as shown at 2 above and the actual expenditure as shown in the audited statements.

12. The grant shall be liable to be withheld, reduced or withdrawn at the direction of the sanctioning authority if its opinion the institution fails or ceaases to satisfy any of the conditions enumerated in Rules3 and 4 above, but before any action is taken under this rule the management shall be informed in writing of the grounds on which action is intended tobe taken and also be given an apportunity to give a reply to the charges laid against it. It will also be open to the Management to appeal to the Government against the order of with holding, reducing or withdrawal of the grant.

13. All applications for recurring grants to new institutions for increase in the percentage of recurring grants to and for all non-recurring grants shall be considered and recommended by a Committee to be constituted as follows :—

(1) Director of Education.

(2) Deputy Director of Education of the Range.

(3) One principal of post-gradute or Degree College to be nominated by the Government.

(4) Three eminent education ists from non-officials.

(5) A nomines of the Finance Department.

14. The authority for approving the expenditure and sanctioning the recurring grant in aid in accordance with these Rules for institution already on the grant in aid list will be Government in the case of Degree and Post-Graduate Colleges and the Director in the case of all other institutions. Recurring grants to new institutions as also all non-recurring grants will, however, require the concurrence of the Finance Department.

———

परिशिष्ट १५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिए)

क्रम संख्या	मद का ब्योरा जिसमें कि धनराशि व्यय हुई	नाम तहसील															
		बीकानेर				लूणकरणसर				नोखा				कोलायत			
		५६-५७	५७-५८	५८-५९	५९-६०	५६-५७	५७-५८	५८-५९	५९-६०	५६-५७	५७-५८	५८-५९	५९-६०	५६-५७	५७-५८	५८-५९	५९-६०
(१)	सहायता कार्य जो कि राजस्व विभाग द्वारा प्रतिपादन किए जाते हैं	–	२५३०२/–	१७५००/–	–	–	२५६५८/–	२५६८४/–	–	–	४००००/-	३०५००/–	–	१००००/-	२६४८२/–	६८३०६/–	१५४७३/–
(२)	पशुओं की सहायता हेतु	–	–	५६१७१.५०	–	–	–	३०००/–	–	–	१०००/–	–	–	–	–	१३४६१/–	—
(३)	पानी की व्यवस्था हेतु	–	१९६०/–	–	–	–	१८०००/–	–	–	–	५०००/–	४०००/–	–	–	५०००/–	२२००/–	१५००/–
(४)	मुफ्त इमदाद	–	३१०/–	–	–	–	११५०/–	९६०/–	–	–	१२५/–	१२५/–	–	–	६१०/–	७४०/–	—
(५)	रेमीशन जो दिया गया	८११७/–	१३३७७०/–	२४०८९/–	८३५	–	१३९२८/–	९६०५/–	–	७८०९८/–	१०७९३/–	८४२९९/–		१९६१६/–	२८८८६/–	५०९७१/–	१५९३२/–
(६)	अकाल तकावी जो वितरित की गई			१७१२५/–			१४२६५/–					२७९४०/–			२४१२०/–	६२५५/–	—

सन् १९५९-६० की रेमीशन की रकम जो कि तलपट में दी गई है वह केवल जो सरकार को मांग की गई है उसी के आधार पर दी गई है। अभी तक इसकी स्वीकृति जिलाधीश को नहीं भेजी गई है।

परिशिष्ट १६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिए)

क्रमांक	नाम जिला	रुपये तकावी के लिये दिये गये
१	२	३
१	बीकानेर	१२,०००)
२	चुरू	१०,०००)
३	गंगानगर	निल
४	कोटा	६६,६२५)
५	बूंदी	६५,०००)
६	झालावाड़	६०,०००)
७	अलवर	५७,५००)
८	भरतपुर	१,१७,०००)
९	जयपुर	७०,४५०)
१०	झुन्झनू	४५,०००)
११	सवाई माधोपुर	७३,६४५)
१२	सीकर	४६,०००)
१३	टोंक	२६,३००)
१४	अजमेर	२४,०५०)
१५	जोधपुर	८,६५०)
१६	पाली	६५,६२५)
१७	नागोर	९,२००)
१८	बाड़मेर	९,४००)
१९	जैसलमेर	२७,०००)
२०	जालोर	१६,५००)

१	२	३
२१	सिरोही	४३,७००)
२२	उदयपुर	७७,७५०)
२३	भीलवाड़ा	१,०५,०००)
२४	चित्तौड़गढ़	५०,४००)
२५	डूंगरपुर	४५,०५०)
२६	बांसवाड़ा	१,८०,५००)

————

परिशिष्ट १७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF GRANT-IN-AID SANCTIONED & UTILISED UNDER LOCAL DEVELOPMENT WORKS FROM 1955-57 TO 1959-60.

Year	Local Development Works					
	Const. of school bldgs.		Water Supply		Other Development Works	
	Amount sanctioned	Expenditure. incurred	Amount sanctioned.	Exp. incurred	Amount sanctioned	Expenditure incurred.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			BIKANER			
56-57	15,000	15,000	2,500	2,500	4,800	4,800
57-58	18,500	18,050	6,000	5,000	4,000	3,000
58-59	8,000	8,000	2,564	1,564	10,00	1,000
59-60	14,300	9,000	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
			NOKHA			
56-57	10,000	10,000	—	—	—	—
57-58	8,750	8,750	2,500	2,335.85	—	—
58-59	11,000	11,000	2,000	2,000.00	12,000	12,000
59-60	10,500	4,500	—	—	—	—
			LOONKARANSAR			
56-57	—	—	--	—	--	--
57-58	24,250	23,250	--	—	3,500	3,500
58-59	14,936	13,936	1,000	--	4,500	4,500
59-60	2,500	—	—	—	—	—
			KOLAYAT			
56-57	4,700	1,500	—	—	—	—
57-58	1,000	7,000	500	500	—	—
58-59	11,000	11,000	200	1,000	—	—
59-60	13,500	—	—	—	—	—

परिशिष्ट

STATEMENT SHOWING GRANT—IN—AID TO PANCHAYATS

1957—58

Name of Tehsil	Amount sanctioned.	Amount utilised.	Accounts awaited.	Remarks.
Bikaner	11,000/-	9,000/-	1,500/-	Rs. 500/- refunded
Kolayat.	4,500/-	4,500/-	2,000/-	
Loonkaransar	1,000/-	1,000/-	—	
Nokha	2,140/-	2,140/-	—	
Total	18,640/-	16,640/-	3,500/-	
1958—59				
Nokha	7,500/-	6,000/-	1,500/-	
Loonkaransar.	5,500/-	4,000/-	1,500/-	

परिशिष्ट

1		2	3	4
Kolayat.		4,500/-	4,500/-	—
Bikaner.		1,140/-	1,140/-	—
	Total	18,640/-	15,640/-	3,000/-

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७१६०-६१	१	४६ वां	४८ वां
७१६२	५	mininum	minimum
७१६६	८-९	सर वदमपत	सर पदमपत
७१७१	२८-२९	usudeal	usual
७१७३	११	परिशिप्ट २	परिशिष्ट २
७१७६	१४	जाने	लाने
७१८०	१२	yes, Sir.	1. yes, Sir.
७१८१	१५	गई श्री । इयर्स	गई । श्री इयर्स
७१८४	२२	yenants	Tenants
७१८६	२४	लेक्टर	कलेक्टर
७१८९	२०	एक, एक-डेढ़, डेढ़	एक, डेढ़
७१९३	१७	पत्त-लपूड़ी	पत्तल-पूड़ी
७१९५	अन्तिम से २	श्री दामोदर व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
७१९९	२७	डेनिनेट	डेफिनिट
७२०८	४	other a	other at
७२१६	अन्तिमसे ३	घड़ियों भी	घड़ियां भी
७२१७	८	८१ प्रड़ियां	८१ घड़ियां
७२२१	१९	Constuction	construction
७२२३	४	जावेगा ?	जावेगा ?
७२२६	७	हजारों बीघा	हजारों बीघा
७२३४	१८	तकावीय अन्य	तकावी या अन्य
७२३७	अन्तिम से ३	एप्रूड	एप्रूव्ड
७२४२	१	दवाव	दवाव
७२४६	१०	दर्याफ्त रुकसत	दर्याफ्त रुख्सत
७२५०	१२	कन्सोलिडेशन, ऑपरेशन्स	कन्सोलिडेशन ऑपरेशन्स
,,	२६	विचार-विगर्श	विचार-विमर्श
७२५४	२८	thean Pchayat	the Panchayat
७२५५	२	इलेक्टेरशन रोल्स	इलेक्टरल रोल्स
७२५८	शीर्ष	—	(श्री भैरोंसिंह)
७२६०	,,	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
७२६४	३	अवश्यक है।	अनावश्यक है।
७२६६,६८ व ६९	२३,(१५व (२८)तथा१८	श्री सतीशचन्द्र अगवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

१	२	३	४
७२७२	५	majoriity	majority
७२७४	२४	काभ	काम
७२०४	७	वैमनश्श्ता	वैमनस्यता
,,	२५	मेरे इस	मेरी इस
७३१२	१८	पचायत	पंचायत
७३१६	८	नहीं देकर सरकारी	देकर सरकारी
,,	६	कलेक्टर को	कलेक्टर हो
,,	२२	७ की	७ के
७३२७	अन्तिम से४	खराड ७	[खण्ड ७
७३३०	२२	क्लॉं ८	क्लॉज़ ८
,,	२६	प्रावाधन	प्रावधान
७३३१	६	ओर अब भी	और अब भी
७३४०	५	व्यवस्था क	व्यवस्था का
७३५०	२३	जनता दारा	जनता द्वारा
७३६१	३१	हेमने अपने	हमने अपने
७३६८	१७	एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्टमेट	एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइन्टमेंट
७३७६	अन्तिम	बटाड़	बाटड़
७३७७	३०	है, नहीं	है नहीं,
,,	अन्तिमसे३	यह तो	तो यह
७३८६	शीर्षक	पंचावत	पंचायत
,,	१	रूप में	रूप से
७३८८	अन्तिम	श्री उपाध्याच्	श्री उपाध्यन्न
७३६१	अन्तिम से४	clause : 15	clause 15 :
७३६३	१७	Intruric	i trinsic
७३६४	१५-१६	एन्टर्टेनमेंट	एन्टर्टेनमेंट
,,	२३	nto the	into the
७३६५	१६	इतनी निवेदन	इतना निवेदन
७३६७	१८	प्रोवज़िन है	प्रोविज़न है
७३६६	१७	कोई कनता है	कोई कहता है
७४०५	४	क्लॉज़ ५१	क्लॉज़ १५
७४१३	२३	७१४१	७२४१
७४१४	१८	—कर्भ	–कर्म
७४१८	१०	बांसबाड़ा	बांसवाड़ा
७४२४	अन्तिम पक्ति कॉलम ५	५७१६६	५७१.६६
७४२६	७	vernment.O"	Government."

Page No.190

१	२	३	४
७४३१	११	In calcluating	In calculation
७४३२	१३	beforeh and	before hand
,,	१४	employer the	employer. The
७४३३	६	expenditure any month.	expenditure of any month.
७४३५	कॉलम ३ पंक्ति १६	26	2.6
७४५६	२	प्रश्न के (१)	प्रश्न के भाग (१)
,,	कॉलम ३ पंक्ति ६	४,७५०	२,६५३
७४५८	कॉलम २ पंक्ति ५	Jhunjhun	Jhunjhunu
७४५६	कॉलम ३ पंक्ति १४	12, 405.16	2, 405.16
७४६३	शीर्षक	परिशिष्ट १३	परिशिष्ट १३
७४६४	७	eigther	either
७४६५	२६	benfit	benefit
७४६६	२५	grant in paid	grant is paid
७४६७	१५	Reccirring	Recurring
७४६६	३	ceaases	ceases
,,	१८	education ists	educationists
,,	१६	A nomines	A nominee
७४७३	२	1955-57	1956-57